(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम विधान सभा के पंचम सत्र का 24 वां दिवस [संख्या 18

सोमवार

25 मार्च, 1974.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

[तारांकित प्रश्न पंचायत, जनस्वास्थ्य, सहकारिता, खाद्य, उपनिवेशन, सांख्यिकी, पशुपालन, आबकारी, खनिज, पुनर्वास, कृषि विकास, स्वायत्त शासन एवं निर्वाचन विभाग]

प्रश्न संख्या 434

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लूणाराम।

श्री डूंगरगढ के जल स्रोत

435. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में श्री डूंगरगढ कस्बा जिला चूरू में कितने जल स्रोत (कुए) काम में लाए जा रहे हैं उनमें से कितने सार्वजनिक हैं और कितने व्यक्तिगत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निकट भविष्य में ही श्री डूंगरगढ में जलदाय विभाग द्वारा पानी वितरण की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त वर्तमान जल स्रोतों में से कितने का प्रयोग उक्त जलदाय योजना के लिये किया जायेगा ।

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल बैद):

(1) श्री डूंगरगढ कस्बे की वर्तमान जल प्रदाय योजना जो कि नगरपालिका द्वारा चलाई जा रही है, में 3 निजी व 4 नगरपालिका के कुए काम में लिए जा रहे हैं।

(2) जी हां विभागीय योजना के लिए आवश्यक जल स्रोत तैयार कर लिये गये हैं। वर्तमान योजना में काम में आने वाले जल स्रोतों के विषय में अभी कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री लूणाराम : क्या यह सही है कि नगरपालिका के चन्द कुओं में ही पानी

Page No 2

(2)

(श्री लूणाराम)

सप्लाई किया जाता है जबकि कम से कम 50 ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जहां पर कि पानी दिया जाना चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : जो सरकारी योजना बनी हैं उस योजना के अन्तर्गत 6 नलकूप और 1 नलकूप अकाल राहत के तहत बनाया गया था। इन 7 नलकूपों से पानी देने का प्रावधान है। हमारा ऐसा अन्दाज है कि इन 7 नलकूपों से हम 6 लाख गैलन पानी सप्लाई कर सकेंगे नगरपालिका द्वारा जिन कुओं से पानी सप्लाई किया जा रहा है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न उनसे इस योजना द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। आगे जाकर यह महसूस हुआ कि इन 7 नलकूपों से श्री डूंगरगढ को पानी की पूरी सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो नगर पालिका जिन कुओं को आपरेट कर रही है, उनको लिए जाने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

श्री लूणाराम : आज जिन कुओं को नगरपालिका काम में ला रही है, कम से कम उनकी लागत लाख से अधिक होगी और उन पर रिजर्वायर भी बने हुए हैं और इन कुओं से नगरपालिका पानी सप्लाई कर रही है। अगर सरकार इन कुओं को नहीं लेती है तो लाखों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी। वहां पर जो रिजर्वायर है वे अच्छी हालत में हैं। क्या इनको लेने की या इसकी व्यवस्था करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हमारी अलग से योजना है जो नगरपालिका की योजना से अलग है। हमारी योजना और नगरपालिका की योजना को नहीं मिला सकते हैं। हमारे विभाग ने अलग से इन ट्यूब वैल्स को खोदा है इसका कारण यह है कि चूरू जिले में ऊपर की सतह पर जो पानी निकलता है आम तौर पर उस पानी में क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और जिसके पीने के कारण बीमारी होती है, हड्डी की बीमारी हो जाती है। इसलिय जो हमारे ट्यूब वैल्स हैं वे गहरे हैं और वे सक्सेसफुली चल रहे हैं इन ट्यूब वैल्स से हम श्री डूंगरगढ कस्बे को 6 लाख गैलन पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा महसूस हुआ कि हमारे ट्यूब वैल्स से हम इस डिमाण्ड को मीट नहीं कर पायेंगे तब उसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन कुओं में क्लोराइड की मात्रा अधिक नहीं है। इन कुओं से अभी नगरपालिका द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है। ये कुए अच्छी हालत में हैं और रिजर्वायर भी बने हुए हैं। इनको नहीं संभाला गया तो ये समाप्त हो जायेंगे और इस तरह लाखों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो जाएगी। क्या मंत्री महोदय इस सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने का प्रयत्न करेंगे और लोगों को यथास्थान पानी मुहैया करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : यथा स्थान पानी देने का प्रयत्न तो करेंगे ही। और पानी सप्लाई कर रहे हैं। हम 6 लाख गैलन पानी प्रतिदिन सप्लाई कर रहे है। जहां तक सम्पत्ति नष्ट होने का सवाल है, ये कुछ एक

(श्री चन्दनमल बैद)

तो नगरपालिका के हैं, तो यह उसको सम्पत्ति रहेगी और जो कुएं निजी हैं वे कुए निजी सम्पत्ति में रहेंगे। इसलिए सम्पत्ति नष्ट होने का सवाल है, ये कुए एक तो नगरपालिका के हैं, तो यह उसकी सम्पत्ति के नष्ट होने का सवाल नहीं है। अगर सरकार इन कुओं को लेगी तो इनका मुआवजा देना होगा और इससे हमारा खर्च अधिक होगा।

प्रश्न संख्या 436

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

437. श्रीमती नगेन्द्रबाला।

सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक कोटा के मैनेजर का स्थानान्तरण

437. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक के मैनेजर श्री भंवरलाल चतुर्वेदी का स्थानान्तरण कहीं अन्यत्र हो गया है? यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार के आदेश की पालना करली। यदि नहीं तो क्यों?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : जी हां। श्री भंवरलाल चतुर्वेदी का स्थानान्तरण भीलवाडा किया है परन्तु श्री चतुर्वेदी को नई नियुक्ति पर कार्यभार संभालने के लिये कुछ मोहलत दी गई है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय ट्रान्सफर किया गया था, कोई चार्ज लेने के लिए पहुंचा और उसको चार्ज नहीं दिया गया। कार्यभार सम्भालने का फिर प्रश्न नहीं उठता। बोर्ड के डाईरेक्टर्स की, अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना की गई है और वहां पर उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया है जिसके खिलाफ एक डेपूटेशन भी मिलने के लिए आया था। ट्रांसफर होने के बाद भी वे वहीं पर रह गये और जो चार्ज लेने के लिए गया उसको नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसको टेलिग्राम भी दिया गया। उसके बावजूद सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है। कृपया इसका जबाव दें ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री रामनारायण चौधरी : उन्हें अविलम्ब कार्यभार संभालने के लिए, दूसरी जगह पर ड्यूटी पर जाने के लिए तार द्वारा आदेश दे दिये गये हैं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : आपने जो टेलीग्राम दिया, क्या उसकी अवहेलना नहीं की गई है। इसका जवाब दें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, उसको घरेलू परिस्थितियों के कारण मोहलत दे दी गई थी। अब आदेश दिये गये हैं कि तीन दिन के अन्दर अन्दर अपना कार्यभार नई जगह पर सम्भाल लें।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : वे घरेलू परिस्थितियां क्या थीं जिनके कारण विभाग ने उनको मोहलत दी है?

Page No 4

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो श्री भंवरलाल चतुर्वेदी का स्थानान्तरण हुआ है, क्या उसके लिए बोर्ड ने कोई रिजोलूशन भी पास किया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां, यह प्रस्ताव है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : जिस समय बोर्ड की मीटिंग हो रही थी उसमें श्री चतुर्वेदी ने दुर्व्यवहार किया था और अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना भी थी। यह घटना क्या ठीक है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में एक प्रकार से यह परम्परा सी पड़ गई है।...

श्री उपाध्यक्ष : जनरल प्रवचन न हो। इस प्रश्न से सम्बन्धित हो तो पूछें। और वह सीधे प्रश्न करें। बैक ग्राउण्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : कर्मचारियों की अवहेलना करने की आदत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त श्री चतुर्वेदी ने सरकारी आदेशों की अवहेलना की है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अब नये आदेश दे दिये गये हैं। पहले उसको मोहलत दी गई थी।...

श्रीमती नगेन्द्रबाला : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय को यह बता देना चाहती हूं कि वहां पर श्री भंवरलाल चतुर्वेदी का जो कि मैनेजर है, उनका व्यवहार बोर्ड सदस्यों के साथ ठीक नहीं रहा है। और इसकी वजह से जो रिकवरी होनी चाहिए कोआपरेटिव सेक्टर से वह नहीं हो पा रही है। अगर जल्दी ही उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इस बात की पूरी संभावना है कि रिकवरी कम हो और इससे सरकार को ही नुकसान होने वाला है। क्या यह ठीक है? दूसरे सरकारी कर्मचारियों में यह भावना फेलेगी ट्रांसफर हो जायेगा तो रुकवा लेंगे। यह स्थिति ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि तीन दिन के अन्दर अन्दर भीलवाड़ा जाकर अपना कार्यभार संभाल लें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 438।

गेहूं का वितरण

438. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के प्रत्येक जिले में 1972–73 और 1973–74 में कितना कितना गेहूं वितरण किया ? प्रति व्यक्ति प्रतिमास कितना गेहूं दिया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गेहूं वितरण का आधार क्या है ?

(श्री मोहर सिंह)

(3) राजस्थान के प्रत्येक जिले की शहरी आबादी क्या है ? क्या यह सही है कि आबादी को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों को गेहूं का समान वितरण नहीं किया गया और भिन्न भिन्न जिलों मे कम ज्यादा मात्रा दी जाकर भेदभाव किया गया है ? इसका क्या कारण है ? क्या भविष्य में सरकार इस भेदभाव को दूर करेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) 1972–73 व 73–74 में जिलेवार गेहूं आवंटन की सूची संलग्न है।

सितम्बर, 73 तक 6 किलो प्रति व्यक्ति तथा अक्टूबर 73 से 3 किलो प्रति व्यक्ति केवल शहरी क्षेत्रों में वितरण कराया जा रहा है।

(2) गेहूं वितरण का आधार केन्द्र से प्राप्त आवंटन है। राज्य की कुल जनसंख्या 257 लाख के लिए 6 किलो से 145200 टन गेहूं की आवश्यकता होती है जबकि आवंटन 15000 टन महावारी मिलने से केवल शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 45–46 लाख के लिए ही गेहूं वितरित किया जाना सम्भव है।

(3) शहरी जनसंख्या को जिलेवार सूची संलग्न है। जनसंख्या के आधार पर वितरण किया गया है प्रयास यही किया जाता है कि जिलों को उनकी जनसंख्या के आधार पर गेहूं वितरित किया जाय। आवंटन की राशि को जहां भी आवश्यक है ठीक करने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि सूची के देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शहरी क्षेत्रों में गेहूं बांटा गया और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बांटा गया है और उनमें बहुत बड़ा भेदभाव रखा गया है। क्या भविष्य में भेदभाव नहीं किया जाय, इसके बारे में मंत्रीजी प्रयत्न करेंगे।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : एक इसी से सम्बन्धित प्रश्न मैं भी पूछ लूं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में गेहूं का जिनको आवंटन करते हैं तो उसको लेने के लिए जब वे एफ.सी.आई. के गोदामों पर जाते हैं तो एफ.सी.आई. के कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री दीपंकर : शहरों में गड़बड़ हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न से सम्बन्धित सप्लीमेंट्री करें।

श्री दीपंकर : यह सारी शहरी इलाके की बात है। इससे सम्बन्धित है कि जितने लोग धान लेने जाते हैं तो एफ. सी. आई. के लोग कम तोलते हैं और समय पर धान नहीं देते हैं। तो क्या मंत्री महोदय, यह विचार रखते हैं कि राजस्थान में एफ. सी. आई. की तरह का दूसरा संगठन कायम।

Page No 6

(श्री दीपंकर)
किया जाय ताकि इस तरह की जो शिकायत है वह दूर हो सके।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी): माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एक प्रश्न है। जब नाज के वितरण की समस्या आती है तो गवर्नमेंट शहरों के लिए ही योजना बनायेगी और शहर वाले लोगों के लिए अनाज के वितरण की व्यवस्था की जाती है। मेरा यह निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां पर उपज नहीं होती है और हमारे क्षेत्रों में बड़े बड़े कस्बे हैं जिनकी आबादी 8–10 हजार तक होती है वहां पर गेहूं का नामोनिशान भी नहीं और गेहूं का एक कण भी नहीं जाता है तो क्या मंत्री महोदय, इस प्रकार की योजना इस वर्ष में है कि नहीं कि जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को गेहूं वितरित किया जाय।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): यहां पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अन्दर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। वितरण व्यवस्था क्या इस प्रकार से नहीं सुधारी जा सकती है कि ग्रामीण व्यक्ति भी उसका लाभ उठा सकें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): वितरण जो शहरों में हो रहा है···

श्री शिवचरण माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूं और बार 2 वही बात सामने आती है····

श्री जोगिन्द (कुशलगढ़): लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर: उत्तर तो जो है वही आयेगा। बार बार नया उत्तर कहां से लाऊंगा।

6 किलो के हिसाब से कुल जनसंख्या के लिए 1,45,200 टन गेहूं की आवश्यकता होगी और 15 हजार टन गेहूं मिलता है तो आप हिसाब लगाकर देख लें कि राजस्थान की 257 लाख की आबादी में अगर उसको बांटा जाय तो कुछ ग्राम प्रति माह प्रति व्यक्ति मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: ग्राम को ग्राम मिलेगा।

श्री शिवचरण माथुर: इसलिए यह सोचा गया कि जहां पर उत्पादन होता है और दूसरे अनाज भी मिल सकते हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं न देकर जहां पर बिलकुल उत्पादन नहीं होता है और केवल बाहर से खरीद कर खाते हैं ऐसे लोगों को पहले दिया जाय। यहां पर उत्तर में बताया गया है कि 45–46 लाख लोगों को एक निश्चित के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जाता है। कुछ जिलों में कम या ज्यादा दिया जाता है। मैं निवेदन कर चुका हूं और इसमें सच्चाई है कि कहीं पर कम दिया जाता है और कहीं पर ज्यादा दिया गया है। जहां पर गेहूं पैदा होता है और गेहूं मार्केट में उपलब्ध है तो उस जिले को कम दिया गया है, और उसके बाद भी जहां जहां पर यह मालूम पड़ता है कि कम है तो उस जगह ज्यादा आवंटन के लिए कोशिश की जाती है। मैं इस प्रश्न के पूछने वाले माननीय सदस्य श्री मोहरसिंहजी से कहना चाहता हूं कि चूरू जिले के लिए निश्चित रूप से

(श्री शिवचरण माथुर)
कम आवंटित हुआ था और उसको अब बढ़ा दिया गया है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा एक प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। आप तशरीफ रखिये।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आस-पड़ोस के जिलों से गेहूं लाने नहीं दिया जाता है। जिलाधीश की बन्दिश है और उस पर आवागमन पर पाबन्दी है उसकी वजह से 130, क्विन्टल में गेहूं राजस्थान में कहीं नहीं मिलता है। 130, से ऊपर पर ज्यादा पर नहीं बेच सकते हैं। तो इस परिस्थिति में सरकार क्या व्यवस्था करेगी।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था कि ग्रामीण जनता के अन्दर माइलो वितरित किया जा रहा है या नहीं, और क्या इस योजना में ग्रामीण जनता के लिए गेहूं वितरण करने की बात है या नहीं, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री दीपंकर : एफ. सी. आई. के लोगों का जो बर्ताव है उसके बारे में मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कुछ नहीं बतलाया। जो तकलीफ वह हमको देते हैं तो क्या राजस्थान सरकार किसी नई व्यवस्था के बारे में सोच रही है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या राजस्थान के प्रत्येक नगर में आप 3 किलो गेहूं ही राशन में देते हैं? एक प्रश्न। क्या आप इस तीन किलो गेहूं राशन को प्रति माह उसके प्रथम सप्ताह में ही उपलब्ध करा देंगे, इस प्रकार का आश्वासन देते हैं सदन में?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय जयकिशनजी का प्रश्न है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं देने की बड़ी आवश्यकता है। यह हम निश्चित रूप से चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसके लिए हमें 1,45200 टन गेहूं की आवश्यकता होगी। यदि यह हमको मिले तो हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी गेहूं ज्यादा दे सकते हैं।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आप सीधी बात कहें। आंकड़ों में गड़बड़ होती है।

श्री शिवचरण माथुर : यह उपलब्धि से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए जो कुछ भी उपलब्ध होता है उतना ही हम बांटने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार कहा है कि कई जिलों में इस प्रकार का फर्क है। पहले तो यह था कि दाम अधिक बढ़े हुए नहीं थे इसलिए बाहर से भी लोग खरीद कर काम में लेते थे, लेकिन भाव अधिक बढ़ जाने के कारण यह समस्या बनी है। हम शहरी इलाकों में बराबर बांटने की कोशिश करेंगे, और पिछले टाइम में उसको ठीक करने की कोशिश की।

एफ.सी.आई. का सवाल सबसे ज्यादा किया जाता है तो उसका जवाब देना भी ठीक है, लेकिन आम तौर से यह कहा जाय कि एफ.सी.आई. की व्यवस्था अच्छी नहीं यह ठीक नहीं है। मैं भी कई बार कह चुका

Page No 8

(8)

(श्री शिवचरण माथुर)

हूं कि एफ.सी.आई. की वजह से परेशानी है, इसलिए हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रश्न पैसे से जुड़ा हुआ है। इसमें काफी मात्रा में पैसे की आवश्यकता है। इन सब प्रश्नों पर विचार करके ही कुछ किया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्री महोदय, प्रथम सप्ताह में तीन किलो गेहूं दिया नहीं ?

श्री दीपंकर : क्या यह सही है कि···

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री मोहरसिंह : मेरा प्रश्न तो बहुत स्पष्ट था। सरकार ने गेहूं की बिक्री का भाव 120 रुपया प्रति क्विटल रखा है जबकि 120 प्रति क्विटल में किसान गेहूं देता नहीं है तो वह कैसे उपलब्ध होगा? यह भाव अव्यवहारिक और काल्पनिक है, तो मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सरकार का क्या इरादा है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : तो क्या आप यह चाहते हैं कि 170 फिक्स्ड कर दें। आपकी मन्शा क्या है? आपकी व्यापारियों से सांठगाठ है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : Don't do that there is no question of सांठगांठ।

श्री रामगोपाल : आपने यह बताया है कि जहां पर गेहूं एवेलेबल हैं वहां पर कम मात्रा में गेहूं दिया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है कि आपने गेहूं का आवंटन बराबर नहीं किया क्योंकि वहां पर मार्केट में गेहूं बिकता है और वहां मार्केट में गेहूं एवेलेबल होता है, लेकिन वह काश्तकार से खरीद नहीं करता है। इसलिए वह समानता का व्यवहार नहीं है। वहां पर गेहूं पैदा होता है और मार्केट न मिलने की वजह से कम आवंटन करेंगे तो यह असमानता है। इस पर क्या आप विचार करके देखेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। जहां पर पहले उपलब्ध था वहां पर भाव बढ़ जाने के कारण सोचना पड़ रहा है कि वहां पर भी ज्यादा दें इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

जहां तक अधिक प्राइस पर गेहूं उपलब्ध होने का सवाल है तो सरकार ने प्राइस निश्चित की है उसका मतलब यह है कि कोई भी बेचने वाला कन्जूमर को इससे अधिक प्राइस पर नहीं बेचे। हम चाहते हैं कि उससे भी कम प्राइस पर बिके।

दूसरे जो एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने का प्रश्न है तो एक जिले से दूसरे जिले में जा सकता है, और उसी आधार पर गेहूं उपलब्ध किया जा सकता है।

श्री मोहरसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि गांवों में जहां गेहूं प्राप्त नहीं दे सकते वहां माइलो दिया जा रहा है वह इतना खराब है कि

(श्री मोहरसिंह)

आदमी उसको खा नहीं सकता, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या माइलो को जगह और मोटा अनाज है उसको देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा प्रश्न रह गया है। मैं 3 किलो से ज्यादा मात्रा नहीं बढ़ाना चाहता हूं लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जो तीन किलो आप देते हैं वह महीने के प्रथम सप्ताह में मिल जायेगा कि नहीं? एक प्रश्न। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि गेहूं के 125 रु. प्रति क्विन्टल के हिसाब से व्यापारियों को बेचने के भाव तय कर दिये हैं तो इससे बाजार में भाव बढ़े हैं और व्यापारियों और जमाखोरों को आपने और प्रोत्साहित होने का मौका दिया है। गेहूं के भाव 120 रुपये आ रहे थे तो राज्य सरकार को भाव तय करने की कौनसी जल्दी थी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जनसंघ और कांग्रेस की मिली भगत मालूम पड़ती है। दोनों का सोचने का तरीका इस बारे में एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पहले सप्ताह में वितरण का सवाल है, यह कोशिश की जाती है कि पहले सप्ताह में ही वितरित कर दिया जाये। लेकिन पचासों प्रकार की दिक्कतें हैं। माल नहीं आये। यह पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अनाज का वितरण किया जाये। लेकिन कई चीजें होती हैं जिससे कि यह विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं। जहां तक 120 रु. भाव तय करने का सवाल है, माननीय सदस्य अगर उसको देख लेते तो समझ में आ जाता। 110 रु. में भी है और जो अच्छी क्वालिटी का है वह 125 रु. में है। वह चाहे किसी भी भाव कंज़ूमर को बेचा जा सकता है। उसकी कहीं पर भी रोक नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : व्यापारी उससे कम क्यों बेचेगा।

श्री शिवचरण माथुर : वह कंज़ूमर का सवाल है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि जितना हमारा गेहूं एकत्रित करने का लक्ष्य था उतना गेहूं उपलब्ध नहीं हुआ है। उतना गेहूं उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता को गेहूं नहीं वितरित कर सकते हैं। मेरा सुझाव यह है कि क्यों नहीं योजना बनाकर आबादी के प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण जनता और शहरी जनता को ले लिया जाय। इस प्रकार की योजना बना-कर वहां पर वितरण करें। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करें और कुछ समय शहरी क्षेत्र में वितरण करें। यह एक अच्छी योजना हो सकती है।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां गेहूं पैदा नहीं होता है, उस इलाके

(श्री लूणाराम)

में ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं खाने से लोगों के पेट में दर्द हो जाता है? क्या इस प्रकार की जानकारी या कोई शिकायत मन्त्री महोदय को प्राप्त हुई है?

श्री शिवचरण माथुर : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री लूणाराम : तो जहां गेहूं पैदा नहीं है, वहां गेहूं वितरण करने की व्यवस्था आप करेंगे?

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्सट। श्री बेगाराम।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि का आवण्टन

439. श्री बेगाराम (रायसिंहनगर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग, राजस्थान कैनाल, बीकानेर के अतिरिक्त कमिश्नर श्री गुमानसिंह द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र राजस्थान कैनाल में भूमिहीनों को जो स्थायी आवंटन किया जा रहा है वह भूमि सन् 1970 से आज तक टी. सी. पर चली आ रही है? यदि हां, तो उसमें से कितनी किन किन तहसीलों में दरख्वास्तें खारिज की गई व किन किन में आवण्टन किया गया?

राज्य मंत्री उप निवेशन (श्री मूलचन्द) : अतिरिक्त कमिश्नर श्री गुमानसिंह द्वारा कोई स्थायी आवण्टन नहीं किया जाता। वे अपीलें सुनते हैं।

श्री बेगाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो दरखास्त लेकर आये हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। अगर कोई फैसला किया जाये तो वहां जो भूमिहीन हैं, उनको वह भूमि अलाट की जाय।

उपनिवेशन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : एडीशनल कमिश्नर कोलोनाइजेशन अपीलेण्ट आथोरिटी हैं। एलाटमेन्ट आथोरिटी कमिश्नर होता है। कमिश्नर की पावर एडीशनल कमिश्नर को डेलीगेट की गई हैं। इसलिए वह आथोरिटी नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है उस प्रकार का कोई एलाटमेण्ट नहीं किया गया है। गवर्नमेंट इस प्रकार से किसी भी निर्णय के लिए नहीं कह सकती है कि वह किस प्रकार का फैसला दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : 440।

श्री बेगाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा • • •

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा लेवी में दिया गया अनाज

441. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सन् 1973 में कितना गेहूं किस किस दर पर दिया था ? कृपया आंकड़े प्रति मंत्री सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। कृपया यह भी बतावें कि इनके कुल पैदावार कितने गेहूं की हुई थी ?

(2) राज्य मंत्रि मण्डल के सदस्यों ने खरीफ सन् 1973 में मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का की कितनी कितनी लेवी राज्य सरकार को निर्धारित दरों पर दी ? प्रत्येक मंत्री के यहां कितना कितना मोटा अनाज पैदा हुआ ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

खाद्य मंत्री : (श्री शिवचरण माथुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी अभी नहीं आई है। इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री मोहम्द गफ्फार अली : जो आ गई है, वही बता दें। अफसोस यह है कि आप डिस्कलोज करना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप तो यह चाहते हैं कि यह सेशन खत्म हो जाये और यह सवाल लैप्स हो जाये।

श्री शिवचरण माथुर : इसका जवाब दिया जायेगा। मन्त्रि मण्डल के माननीय सदस्यों के बारे में प्रश्न है। जानकारी के अभाव में उत्तर देना ठीक नहीं समझता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : जिनके आप नजदीक रहते हैं, उनकी जानकारी तो दे सकते हैं।

(प्रश्न सं. 440 स्थगित किया गया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल। क्या आप नहीं पूछना चाहते हैं, प्रश्न ?

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

441. श्री गिरधारीलाल भार्गव : (हवामहल) : पूछना चाहता हूं।

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मंत्री द्वारा सदन में जयपुर में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को वापिस लेने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है।

(2) क्या भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त किये बिना ही कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कृषि भूमि के आबादी में परिवर्तन करने की दरें अधिक हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दरों को कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री राजस्व (श्री मूलचन्द): (1) जी नहीं। नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(श्री मूलचन्द)

(2) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवास या वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं परिवर्तन) नियम, 1971 के अन्तर्गत ऐसी भूमि जिनके लिए अवाप्ति की कार्यवाही जा रही हो, के परिवर्तन को नियमित करना निषेध रखा गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है।

श्री मूलचन्द : इसमें एक नम्बर 3 और रह गया है। उत्तर है, 'जी नहीं'।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): (श्री भार्गव से) अब आप अपने शब्द विड्रा कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कृषि भूमि की अवाप्ति के बारे में 9 अक्टूबर, 1973 को माननीय राजस्व मन्त्री ने इस सदन में अवाप्ति के नोटिस वापिस लेने की घोषणा की थी।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह उत्तर कहां मिल गया?

श्री परसराम मदेरणा : यह गवर्नमेंट का उत्तर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कहता हूं कि घोषणा की गई थी

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके बारे में घोषणा की गई है।

श्री परसराम मदेरणा : आप अखबार पढ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य...

एक माननीय सदस्य : हवा में बात कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पता नहीं, यह हवा में बात कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हवा में उड़ना चाहते हों, वह बात अलग है।

श्री दीपंकर : आपने विधान सभा को चौपड़ समझ लिया है?

श्री परसराम मदेरणा : 9 अक्टूबर, 1973 को पहला प्रश्न था। क्वेश्चन आवर प्रोसीडिंग मेरे पास है। क्वेश्चन में श्री श्रीराम गोटेवाला के स्पेसिफिक प्रश्न के उत्तर में मेरे लायक दोस्त, उस समय जो तत्कालीन राजस्व मन्त्री थे, उत्तर दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है। 'जिन सहकारी समितियों को सम्बन्धित एक्वीजीशन की कार्यवाही है, क्या वह विड्रा होगी? श्री रामचन्द्र

(श्री परसराम मदेरणा)
चौधरी–इन नियमों के नीचे कार्यवाही होगी।

Land in respect of which conversion cannot be allowed

"Land in respect of which acquisition proceedings are pending under the provisions of Rajasthan Land Acquisition Act or any other law in force.

"Any other law in force" means U. I. T. Act.

बहुत सी कोआपरेटिव सोसायटी को एक्वीजीशन के नोटिस यू.आई.टी. ने नहीं दिये, उनको नहीं होगी। जिनको एक्वीजीशन के नोटिस दे दिये गये हैं, उनको होगी। टाउन प्लानर का उस सम्बन्ध में परमिशन के लिए आब्जेक्शन तो नहीं है। कोआपरेटिव, जिनको एक्वीजीशन के नोटिस नहीं हैं, लेकिन डवलपमेंट को करने की जिम्मेदारी राइटिंग में लेती है, डवलपमेंट स्कीम यू. वाई. टी. से एप्रूव कराती है–यह शर्त है। एक्वीजीशन प्रोसीडिंग के मामले में 9 अक्टूबर को राजस्व मंत्री ने सदन में कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : 9 अक्टूबर को राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया। मैं पहले कह दूं, 22–3–73 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, उसके उत्तर में राजस्व मंत्री जी ने कहा, यू.आई.टी... एक मिनिट मैं बोल लूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप भाषण दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि 22–3–73 की प्रासीडिंग है, नहीं नहीं, यह मैटर डिसप्यूट का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, आप प्रोसीडिंग देख लीजिये। हाउस की प्रोसीडिंग, 22-3-73 की हाउस की प्रोसीडिंग प्रिन्टेड है, आपके सचिवालय में है, उसे देख लीजिये। यह डिस्प्यूट का प्रश्न नहीं है। हवा में बात मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं, इसके लिए आप प्रासीडिंग में देख लीजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि हाउस में घोषणा की गई है। प्रश्न यह है 80 परसेन्ट भूमि, कृषि भूमि है, उसके लिए यू. आई. टी. ने नोटिस दे रखे हैं और कृषि भूमि के रूपान्तरण के लिए एक विशेष अधिकारी को लगाया गया है।

श्री दीपंकर : एक बार में पूरी बात पूछनी चाहिए। भाषण तो चौपड़ पर रोज देते हैं। आज झण्डा लगा कर फिर दे देना।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इनको मना कीजिये। जिन लोगों ने कृषि भूमि पर मकान बना लिये, उनको रेगुलेराइज किया जायगा, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। आपने अमेंडमेंट किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी घोषणा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लीजिये।

Page No 14

श्री दीपंकर : यह क्या साप्ताहिक पत्र है, गिरधारीलाल जी, कौनसा है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यू.आई.टी. ने नोटिस अवाप्ति के भेदभाव के आधार पर दिये हैं, बड़े बड़े लोगों की भूमि को छोड़ दिया है। क्या उसके केसेज के अन्दर भूमि एक्वायर नहीं होगा। लाल कोठी की··

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो बड़े बड़े लोग हैं उनको नोटिस देना चाहिए, उनको नोटिस नहीं दिया है और उनकी भूमि अवाप्त नहीं हो रही है। छोटे लोगों की भूमि अवाप्त कर रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री परसराम मदेरणा : He has made a spate of questions.

I cannot remember all these questions.

श्री दीपंकर : माननीय सदस्य बैठ नहीं रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न पूछें, वह सीधा प्रश्न पूछें। आप क्या पूछना चाहते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं पूछ रहा हूं, यू.आई.टी. ने जो एक्वीजीशन के नोटिस दिये थे, क्या यू.आई.टी. ने उनको विड्रा करने के लिए राज्य सरकार को लिख दिया है ? क्या राज्य सरकार ने उन केसेज को विथड्रा नहीं किया है ? क्या यू.आई.टी प्रभावशाली लोगों की भूमि की अवाप्ति के नोटिस नहीं दिये हैं ? जो रेट्स रखी गई हैं, वह रेट्स ज्यादा हैं। जिनको भूमि की अवाप्ति के नोटिस दिये हैं, उनके बारे में राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद, आपकी नीति के आधार पर राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ? मेरा सीधा प्रश्न है कि अवाप्ति के नोटिस वापिस लेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं, यह क्वश्चन आवर है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी तक मास्टर प्लान फाइनल नहीं हुआ है, जब तक मास्टर प्लान फाइनल नहीं हो तब तक टाउन प्लानर नक्शे पास नहीं करेगा ···

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : आप भाषण दे रहे हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी : हमारे सवाल रह जायेंगे।

(शोरगुल)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह बड़ा अहम् प्रश्न है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : आप भाषण दे रहे हैं, हमारा नम्बर कब आवेगा। आप भाषण कर रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या राज्य सरकार विचार रखती है अवाप्ति के नोटिस विथड्रा करने के बारे में और एग्रीकल्चर लैंड की कन्वर्शन रेट ज्यादा हैं, उनको कम करने के बारे में ? आप इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सूक्ष्म में आपके सप्लीमेन्ट्री जो ववेश्चन हैं, उनका रिप्लाई नम्बर वन है, राजस्व मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, आपने 23–3–73 की हाउस को प्रासीडिंग की चर्चा फाइड्रे को की, फिर प्रोसीडिंग देख कर आये। फिर आपने कहा कि उसमें तो नहीं है। फिर आज सदन में अक्टूबर 73 की प्रोसिडिंग ले आये, अखबार को बात आपने कही थी, जब आप मेरे पास आये थे। सदन में आपको साफ साफ बात कहनी चाहिए, आप वही बात कहें जो राजस्व मंत्री जी ने कही है। 23–3 की प्रासीडिंग मेरे पास है, अक्टूबर की भी मेरे पास है···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अक्टूबर का है और अखबार में भी है।

श्री परसराम मदेरणा : नम्बर दो, आपने कहा है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक्वीजीशन के नोटिस दिये थे। एक्वीजीशन के नोटिस दिये थे, उस सम्बन्ध में आगे भी कहा था, प्रश्न भी मैंने ट्रान्सफर करवाया था, टाउन प्लानिंग से इसका सम्बन्ध है। आज आपने स्वीपिंग चार्जेज टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पर लगाये, वह यहां पर लगाये कि बड़े बड़े पूंजीपति बड़े बड़े भूमि के मालिक हैं, उनको यू.आई.टी. और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक्वीजीशन के नोटिस नहीं दिये और छोटे छोटे लोगों को दिये हैं। वैसे इसका सम्बन्ध टाउन प्लानिंग मिनिस्टर से है, लेकिन बड़े बड़े राजा, पोद्दार, जयपुर उद्योग को जमीन के नोटिस दिये गये हैं टाउन प्लानिंग द्वारा, इनसे बड़े भूमिपति हो सकते हैं। कौनसे भूमिपति हैं जिनको नोटिस नहीं दिये? जो इनकी जमीन है ठोलिया सर्किल पर, सेक्रेटेरियट के पास उनको नोटिस दिये जा चुके हैं, रामबाग पैलेस को नोटिस दिया है, जोधपुर दरबार की जमीन सर्किट हाउस के पास है, उनको नोटिस दिये जा चुके हैं। कौनसे बड़े बड़े पूंजीपति को बचाना चाहते हैं? यह चार्ज वाइल्ड है, यह वाइल्ड एलीगेशन है।··

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नोटिस देने के बाद में फोलो अप एक्शन नहीं किया गया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरे पास लिस्ट मौजूद है। कुछ कमिश्नर मि. भटनागर हैं, उनको भूमि की अवाप्ति का नोटिस नहीं दिया गया है ऐसे पचासों नाम है लाल कोठी स्कीम के।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : फोलो अप एक्शन नहीं किया है।

श्री परसराम मदेरणा : लाल कोठी के सम्बन्ध में प्रश्न है, वह प्रश्न अलग है। उसमें पार्टी हाई कोर्ट में गई थी। उसमें गवर्नमेंट के हक में फैसला हुआ, गवर्नमेंट ने एक्वीजीशन की कार्यवाही की, लाल कोठी के एक प्रश्न को लेकर, जिसमें ज्यादा एक्वायर हो चुकी है, उस मामले को लेकर, जो सब कोपरेटिव सोसाइटी थी, आज तमाम कोपरेटिव सोसाइटी को एक्वीजीशन के नोटिस दिये गये हैं, और एक्वीजीशन के नोटिस, मास्टर प्लान का प्रारूप करीब करीब तैयार हो गया है, जयपुर का, उसके अनुसार दिये गये हैं

Page No 16

(16)

(श्री परसराम मदेरणा)

मास्टर प्लान में कामर्शियल और रेजिडेंसियल एरिया ईअर मार्कड नहीं है, इस लिए सारे एक्वीजेशन को रेगुलेराइज कर दें बिना यू. आई टी. की अनुमति के, तो यह अनुचित होगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मास्टर प्लान में कामर्शियल लैंड, रेजिडेन्शियल लैंड बतायी गई है, रेट दी गई है, लेकिन वह मास्टर प्लान फाईनल नहीं हुआ, आब्जेक्शन की सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई वर्षों चलेगी।

श्री परसराम मदेरणा : परमिशन का सवाल है। एक्वीजेशन की कार्यवाही कि भूमि अधिकृत है या नहीं, इस पर निर्णय टाउन प्लानिंग दे सकता है। जहां तक रेट का प्रश्न है, रेट में नवम्बर की तरमीम की है, नियमों में, जो रेगुलेराइजेशन के कन्वर्शन के नियम हैं उसमें जयपुर शहर की रेट कम की है, लेकिन उनमें शर्त रखी है कि जयपुर शहर में कोई भी मकान किसी आदमी के पास में है तो दूसरा प्लाट नहीं मिलेगा, चाहे शहर के भीतर हो।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मत दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : और बाहर जमीन दवा ली हो और बाहर जाना चाहता हो। यह शर्त रखी गई है, उतना ही प्लाट मिलेगा जितना यू. आई. टी. के अनुसार प्रेस्क्राइब कर रखा है। तीसरा, एक्वीजेशन की कार्यवाही चल रही है, रेगुलेराइजेशन उसमें नहीं है, कन्वर्शन है। उसमें रेगुलेराइजेशन का नहीं रखा है। सिरस्का में मिटिंग के बाद जमीन का कन्वर्शन अलाऊ किया है, वह नियमों के अन्तर्गत किया है। नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने की बात है। वह राजस्व मंत्री ने नहीं कही। नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने की बात सदन में मैं कह रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 80 पर्सेन्ट भूमि के नोटिस अवाप्ति के दे दिए गए हैं फिर एग्रीकल्चर लैंड से निकालने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का क्या प्रयोजन था? रेट्स ज्यादा हैं, जो आपने एक्वीजेशन की रेट्स दे रखी हैं, जब कि पानी, बिजली के कनेक्शन मिलते नहीं है। आपने माननीय समस्याओं के लिए कुछ नहीं कहा। मंत्री महोदय, आप अवाप्ति के नोटिस जारी कर रहे हैं, उन पर पुनर्विचार करें और उसका नियमन करेंगे। पानी, बिजली के कनेक्शन की समस्या है और समस्या हैं, उन पर विचार करके आपको घोषणा करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : सारे राजस्थान के प्रश्नों को जयपुर खा जाएगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनको सहानुभूति रखनी चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मंत्री जो कों कह दें, वह खामोश बैठे रहें, जवाब नहीं दें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिए।

श्री परसराम मदेरणा : आप टाइम खराब कर रहे हैं। मेरी सहानुभूति आपको राहत नहीं दे सकती। सहानुभूति टाउन प्लानिंग की तरफ से आये गी। मेरा इससे क्या सम्बन्ध है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : टाउन प्लानिंग नहीं करेगा, जब तक मास्टर प्लान फाइनल नहीं हो जायगा। एक्वीजीशन के नोटिस दे दिये हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए मैं वाक आउट करता हूं।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा बहिर्गमन)

बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सर्वेक्षण

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा)। (श्री भीमसेन की ओर से) : क्या सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सर्वेक्षण कभी कराया है? अगर हां, तो प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी औसत आमदनी है तथा औसत आमदनी को राष्ट्रीय औसत स्तर पर लाने हेतु कौन विशेष कार्यक्रम हाथ में लिए जा रहे हैं?

सांख्यिकी मंत्री : (श्री चन्दनमल बेद) (क) बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सर्वेक्षण 1959 में करवाया गया था।

(ख) निकट भूत में बीकानेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह औसत आमदनी जानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। अतः यह बताना कि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कितनी आमदनी है सम्भव नहीं है।

(ग) प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस जिले में कृषि पशुपालन उद्योग बिजली इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य राज्य के अन्य भागों के समान क्रियान्वित किए जावेंगे। इसके अतिरिक्त इस जिले के लिए विशेष रूप से एक ड्रौट प्रूफिंग (Drought Proofing) कार्यक्रम को भी हाथ में लिया जावेगा तथा लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना को भी क्रियान्वित किया जावेगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : 1959 में जो आर्थिक सर्वे कराया गया ग्रामीण क्षेत्रों का उसमें प्रति व्यक्ति औसत आय क्या थी?

श्री चन्दनमल बैद : डिटेल्ट इकानामिक सर्वे नहीं था, वह एक सेलेक्टेड नम्बर आफ फैमिलीज का सर्वे कराया गया था इसलिए यह कहना मुश्किल है क्योंकि इससे एग्जैक्ट आईडिया नहीं आ सकती, इसलिए यह प्रति व्यक्ति औसत आय नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : जिन परिवारों का सर्वे कराया गया उनकी औसत आय होगी ?

श्री चन्दनमल बैद : वह नहीं आ सकती, वह गलत होगा। केवल सलेक्टेड फेमिलीज का इकानामिक सर्वे कराया गया, मैं यहां कह दूं कि वह औसत आय होगी तो वह गलत फीगर होगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सेम्पुल सर्वे का तरीका यह होता है कि 2–4 फेमिलीज का सर्वे होता है''''

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : केवल मात्र बीकानेर का सर्वेक्षण कराया गया ताकि वहां ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाए। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का सर्वेक्षण पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले का करवाने का विचार सरकार का है ?

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न बीकानेर जिले का है इसमें ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : बाकी जिलों का क्यों नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि केवल मात्र बीकानेर जिले का ही सर्वे करवाया गया, बाकी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों ?

श्री चन्दनमल बैद : यह तो 1959 में करवाया गया था।

श्री जय किशनलाल तोसावड़ा : और कई दूसरे जिले है। उनके लिए विचार है ?

श्री चन्दनमल बैद : आगे क्या है क्या नहीं, मैं वह थोड़े ही बता रहा हूं ? 1959 में क्या हुआ उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री जय किशनलाल तोसावड़ा : ऐसा सर्वेक्षण दूसरे जिलों का कराने का विचार है या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : आप दूसरे जिलों के बारे में सवाल पूछें तो जवाब दूं।

(प्रश्न सं. 443)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण।

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

श्री माणकचन्द सोगानी।

सुरक्षित स्थान पर नियुक्ति

444. **श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह है कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के अधीक्षण अभियन्ता अजमेर वृत्त के पत्र क्रमांक 3835–54 दिनां 12-8-73 को एक अनुसूचित जाति के सुरक्षित स्थान पर किसी गैर अनसूचित जाति के व्यक्ति को नियुक्त किया है ?

(2) क्या यह सही है कि अनसूचित जनजाति संघ अजमेर ने इस

(श्री माणकचन्द सोगानी)
संबंध में अपना क्षोभ पत्र तारीख 22-2-74 को व तारीख 25-2-74 को सरकार के पास भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चंदनमल बेद): (1) जी नहीं।

(2) दिनांक 22-2-74 व 25-2-74 को क्षोभ पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। बल्कि 24-2-74 व 27-2-74 का क्षोभ पत्र प्राप्त हुआ।

श्री माणकचन्द सोगानी: मदन लाल तंवार को 30-7-73 को एल. डी. सी. पी. एच. ई. विभाग द्वारा भर्ती किया, 28-2-74 को उसकी नौकरी समाप्त की गई जबकि वह स्ट्राइक पीरियड में बराबर नौकरी दे रहा था, वह शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है, स्ट्राइक पीरियड में भर्ती किया गया, क्या कारण है?

श्री चंदन मल बेद: जो मुझे सूचना दी गई है वह यह कि 4 आदमियों को नियुक्ति पत्र दिया गया: (1) गंगाधर, (2) मदन सिंह, (3) मोहनलाल कछवाहा (4) राजेश कुमारी, उनमें से केवल दो आदमियों ने ड्यूटी जोइन की। मदन सिंह ने ड्यूटी जोइन नहीं की।

श्री दीपंकर: इस विभाग में जितने सुरक्षित स्थान हैं अनुसूचित जाति व जन जाति वालों के लिए क्या वह कोटा पूरा कर लिया गया है? अगर कर लिया गया है तो इंजिनियर की पोस्ट्स पर कितने हैं?

श्री चंदन मल बेद: जहां तक अजमेर का सवाल है, अजमेर का कोटा पूरा है और दूसरी जगहों का यदि आप पूछ रहे हैं...

श्री दीपंकर: जनरल सवाल है।

श्री चंदनमल बेद: आप सारे राजस्थान का पूछेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा?

श्री माणक चन्द सोगानी: मेरा सवाल यह है कि एक वहां जो शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी था उसको हटाया गया।

श्री उपाध्यक्ष: आपने मदनलाल के बारे में स्पेसीफिक सवाल पूछा है?

श्री माणकचन्द सोगानी: आपने दो नाम फरमाए। एक मोहन लाल कछवाहा...

श्री उपाध्यक्ष: दूसरा सवाल पूछिए।

श्री माणक चन्द सोगानी: जब शिड्यूल्ड कास्ट्स को पूरी भर्ती नहीं हुई तो समाज के अन्य आदमियों को उन जगहों पर रखने का औचित्य था?

श्री दिनेश डांगी (देसूरी): वह स्ट्राइक पीरियड में ड्यूटी पर था और सरकार का आदेश है कि जिस विभाग में इनका परसेंटेज पूरा न हो तो शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हटाया नहीं जा सकता। तो मदनलाल को क्यों हटाया गया? परसेंटेज पूरा या शिड्यूल्ड कास्ट्स का?

श्री चन्दनमल बेद: मुझे जो सूचना दी गई है वह यह है कि चार आदमियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उनमें से दो आदमियों ने जोइन किया दो ने नहीं किया।

श्री दिनेश डांगी : एक पर्टीक्यूलर आदमी को क्यों हटाया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : उन्होंने जोइन नहीं किया।

श्री दिनेश डांगी : अगर सूचना सही नहीं है तो आप जांच करायेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं जांच कराऊंगा मुझे सूचना दी गई है कि 4 आदमियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उनमें से दो ने जोईन किया और जिस मदनलाल के बारे में आप कह रहे हैं, उसने जोईन नहीं किया, आप कह रहे हैं कि जोईन किया। मैं इसका जांच कराऊंगा, अगर उसको नियुक्ति करके हटाया गया है तो निश्चित रूप से मैं देखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल।

उदयपुर जिले में अनाज एवं चीनी का वितरण

445. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले को मार्च 1973 से फरवरी 1974 तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह किस किस वस्तु का कितना कितना कोटा एलाट किया गया ? तथा जिले से तहसीलवार कितनी कितनी वस्तुयें माहवार दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में सिर्फ शहरों में ही गेहूं का वितरण करने के आदेश राज्य सरकार ने दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उदयपुर शहर से कितनी शक्कर प्रति व्यक्ति दी जा रही है तथा दूसरे गांवों में जो नगरीय क्षेत्र के नहीं है वहां शक्कर प्रति व्यक्ति कितनी दी जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) सचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। हमारी मांग 50,000 टन की एवज में हमें केवल 15,000 टन गेहूं ही प्राप्त होता है जिसमें केवल शहरी क्षेत्रों में ही 3 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह वितरित हो पाता है।

(3) शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 335 ग्राम प्रति व्यक्ति दी जाती है। परन्तु देहात का पूरा स्टाक नहीं उठने पर स्टाक जब बच जाता है तो उदयपुर में इससे ज्यादा कभी कभी दे दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नानालाल : मैंने उदयपुर जिले के बारे में पूछा है, जितना आवंटन मार्च में हो गया उसमें बढ़ोतरी की गई, कम नहीं हुआ मेरा सीधा सवाल है कि जो मुझे सूची दी गई है मार्च में जो कोटा दिया जा रहा था उसमें उदयपुर में बढ़ोतरी क्यों की है और तहसीलों में कम क्यों ?

श्री शिवचरण माथुर : सूची देखने से मालूम पड़ेगा आमेर में 120 ग्राम मार्च में

(श्री शिवचरण माथुर)
मिलता था और बाद में 114 ग्राम हुआ है, इसी प्रकार गिरवा में 325 ग्राम था, वहां 292 हुआ है। कई जगह जितनी उपलब्धि होती है, जितना माल पहुंचता है, उसी प्रकार से कमी बढ़ती होती रहती है, इसलिए केवल आपकी तहसील में कमी हुई है ऐसी बात नहीं।

श्री नानालाल : उदयपुर में अगर आप घटाते तो हमारी तहसील में भी घटाते। आपने उदयपुर जिले में बढ़ाया है और दूसरी तहसीलों में घटाया है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री शिवचरण माथुर : घटाने का प्रश्न नहीं है। जितना आवंटन होना है, पूरी तरह से कई फैक्ट्रीज से चीनी नही पहुंच पाती है क्योंकि रेलवे वेगन्स नहीं मिलते, कभी मूवमेंट में गड़बड़ हो जाती है। हर तहसील में कम है उन महीनों में, केवल आपकी तहसील में कम किया हो, ऐसा नहीं है।

श्री नानालाल : स्पष्ट दीख रहा है, आप नियंत्रण करते हैं। कुछ व्यक्तियों को 125 ग्राम मिल रहा है। एक किलो उदयपुर में प्रति व्यक्ति मिल रहा है। मेरे प्रश्न को टाला जा रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार को मैं टालना नहीं चाहता हूं बल्कि मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां से डिस्ट्रिक्टवाईज अलाट चीनी हो जाती है और हर व्यक्ति को 325 ग्राम के हिसाब से ही वितरण जन संख्या के अनुसार किया जाता है। आप जो जानकारी दे रहे हैं मेरी नोलेज में स्पेसिफिक इसकी सूचना नहीं है। अगर आप जानकारी देते हैं तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री नानाराम : आपने उदयपुर जिले की चीनी मात्रा बढा दी है और हमारी तहसील की घटादी है। यह आपने हमारा कोटा क्यों काट दिया है मैं तो इसके बारे में पूछ रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : हमने कोटा नहीं काटा है। वहां पर जिला स्तर पर बंटवारा किया जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानकारी चाहते हैं कि क्या उदयपुर में एक किलो ग्राम चीनी मिलती है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट कई बार इस सदन में बता चुका हूं कि हमारे यहां से पापूलेशन के आधार पर प्रति व्यक्ति 325 ग्राम के हिसाब से चीनी दी जाती है। हम तो सारे राजस्थान की आवन्टन करते हैं और जिला स्तर पर भेज देते हैं अलाट करके। वहां पर जिलों में तहसील स्तर पर वह ब्रेकअप करते हैं। यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि कोई वहां पर असमानता है तो मैं उसे देख लूंगा। मैं इसके लिये जांच करवाने का आश्वासन देता हूं लेकिन हम तो बराबर पोपूलेशन के आधार पर देते हैं। हमने कम नहीं दिया है। हमने कोटा नहीं काटा है। जिला स्तर पर वह किस आधार पर आवन्टन करते हैं यह मेरे पास अभी जानकारी नहीं है।

(22)

श्री मानालाल : मेरे प्रश्न के तीसरे भाग में यह साफ दिया हुआ है कि उदयपुर में आप कितनी चीनी देते हैं और गांव में आप कितनी चीनी दे रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप उदयपुर में डी.एस. ओ. को कब तक ब्रेक अप करने का विचार रखते हैं ?

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या जिला स्तर और तहसील स्तर पर चीनी के वितरण करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की नहीं है ? क्या आपने इसकी जानकारी नहीं की कि गांवों में किस प्रपोरशन से डिस्ट्रीब्यूट चीनी हो रही है ? यह जिला स्तर पर प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि…

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी है, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय उसका भी साथ ही जवाब दें। मेरा प्रश्न यह है कि पहले तो उदयपुर में क्या ज्यादा चीनी दी जाती है ? दूसरा यह है कि वहां इक्विल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा है ? उदयपुर में जो ज्यादा चीनी दी जाती है उसको गांवों से विथड्रा करके क्यों दी जाती है ? यह किस आधार पर किया गया है ? इसका जवाब मेहरबानी करके दिया जावे।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां से राज्य सरकार का डिसिजन जिला वाइज होता है। पोपूलेशन के आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति 325 ग्राम चीनी मिलनी चाहिये। पूरा कोटा दिया जाता है। पर जिला स्तर पर जो ब्रेक अप किया जाता है, तहसील वाइज उसको हम नहीं करते हैं। वैसे 325 ग्राम के हिसाब से यहां से अलोट होता है। मोटे तौर पर 325 ग्राम ही दिया जाना चाहिये। और कहीं आप फरमा रहे हैं कि 100 ग्राम ही दी जाती है और कहीं पर 125 ग्राम, तो इसके लिये मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस चीनी की डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सी कौन है। क्या इसका डिस्ट्रिब्यूशन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है ?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ही व्यक्ति द्वारा डिस्ट्रिब्यूट नहीं की जाती है। हर जिला स्तर पर जिला खाद्य सलाहकार समिति बनी है उसकी मीटिंग होती है। उसमें कमी बेशी हम नहीं करते हैं। उसकी हर महीने मीटिंग बुलायी जाती है। फिर वह तहसीलों में जन संख्या के आधार पर चीनी का आवंटन करते हैं।

Page No 23

(23)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या यह आधार सही है कि उदयपुर में आप प्रति व्यक्ति एक किलो ग्राम चीनी दो और यहां पर 325 ग्राम चीनी दें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, 325 ग्राम प्रति व्यक्ति के आधार पर चीनी दी जाती है तो शहरों में अधिक और गांवों में कम क्यों ? यह आप गांवों में जो चीनी बांटनी होती है उसको काट कर आप शहर में कैसे बांट रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा। जांच करवा लूंगा शिकायत आई थी। शिकायत आने पर जांच करवा लूंगा।

श्री रामकिशन : यह शिकायत आयी है ना।

एक माननीय सदस्य : यह शिकायत नहीं है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : अब शिकायत आयी है तो निवेदन कर रहा हूं कि जांच करवा लूंगा।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, तशरीफ रखिये।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्यों को मैं निवेदन कर चुका हूं कि जांच करवा लूंगा कि तहसील में सो ग्राम क्यों मिली।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : जांच कराने का सवाल बाद में उठता है। पहले ही कम क्यों दी गयी ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आपसे निवेदन किया ना...

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : क्या आप इस व्यवस्था से सेटिसफाईड है ?

श्री शिवचरण माथुर : I am not satisfied.

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप गांवों में 325 ग्राम चीनी क्यों नहीं बांट रहे हैं जबकि राज्य सरकार ने 325 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी देना निर्धारित कर रखी है ?

(शोर गुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बीकानेर डिविजन में भी और खास तौर से बीकानेर जिला में गांवों में काश्तकारों को कई जगह पर बिलकुल चीनी नहीं दी जा रही है। मैं इसकी जानकारी चाहता हूं। वहां पर आप...

Page No 24

श्री शिवचरण माथुर : बीकानेर की आप जानकारी चाहते हैं तो अभी तक मेरे पास जानकारी नहीं है। वैसे यह अलग से प्रश्न है। आप प्रश्न करेंगे तो मैं अलग से जानकारी दे दूंगा। अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। वैसे पूरे राजस्थान में 325 ग्राम चीनी बांटना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 446 श्रीमती निर्मला कुमारी।

रसद अधिकारियों की नियुक्ति

446. **श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)**—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1964 से अब तक कितने जिला रसद अधिकारी तथा सहायक जिला रसद अधिकारी नियुक्त किये गये? इनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हैं?

(2) क्या सरकार ने प्रमोशन के समय अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों का दस प्रतिशत प्रमोशन का कोटा पूरा हो इसका ध्यान रखा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस विभाग में इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्रमोशन का मौका दिया जा सके?

(3) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रमोशन के स्थान पर बार बार रियर्ट किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रमोशन और नियुक्ति के बारे में। अभी समय कम है, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया। श्री अमृतलाल गहलोत।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 4-3-74)

गेहूं का थोक व्यापार और बिक्री कर की हानि

23. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973 में राज्य में सात लाख टन गेहूं मार्केटेबिल सरप्लस हुआ परन्तु गेहूं के थोक व्यापार के पूर्ण राष्ट्रीयकरण की नीति लागू करते हुए राज्य सरकार उसमें से केवल 1.44 लाख टन ही क्रय कर पाई तथा बेचा हुआ लगभग 5.56 लाख टन गेहूं खुल्ले बाजार में व्यापारियों द्वारा किसान के नाम से विभिन्न तरीके से बेचा गया जिस पर कोई बिक्री कर वसूल नहीं किया गया? यदि हां, तो इस कार्यवाही से राज्य कोष को कितनी धनराशि की अनुमानित हानि हुई।

(2) आगामी रबी की फसल के समय और पश्चात् उपरोक्त कर की हानि कैसे रोकी जायेगी?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : सन् 1973 में सात लाख टन मार्केटेबिल सरप्लस होने का अनुमान था जिसमें से 1.46 लाख टन गेहूं क्रय किया गया। उत्पादक द्वारा कितना गेहूं बाजार में तथा सीधा उपभोक्ताओं से विक्रय किया गया इसकी जानकारी नहीं है। अतः विक्रय कर में कितनी हानि हुई इसका अन्दाजा लगाना कठिन है।

(2) व्यापारियों को अब 150 क्विन्टल तक गेहूं का स्टाक रखने एवं लाने ले जाने की छूट दी गई है। इससे व्यापारी अब सहूलियत से उपभोक्ताओं को गेहूं विक्रय कर सकेगा एवं राज्य सरकार को बिक्री कर की हानि की सम्भावना कम होगी।

श्री अमृतलाल गहलोत : बाजार में अभी तक करीब साढ़े पांच करोड़ किलो गेहूं बेचा गया था और उस पर कितना विक्रय कर लगता है उसका आपको अन्दाजा नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। इसकी कुल कीमत 8 करोड़ रुपये हुई और उस पर राज्य सरकार को ढाई करोड़ का घाटा हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो जानकारी मेरे पास नहीं है कि कितना विक्रय कर घाटा हुआ क्योंकि इसका हिसाब तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट रखता है। कितना सरप्लस होता और कितना हुआ इसको कम्पाईल करने से पता लग सकता है लेकिन यह काम सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का है।

(स्थगित प्रश्न सं. 45 दि. 5–3–74)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नेतराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

भारत-पाक युद्ध से फसलों को क्षति

457. (107/रा. मं.) श्री केदारनाथ–क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विगत भारत पाक युद्ध के समय जिला गंगानगर की पाक सीमा से लगे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फसलों की कुल कितनी क्षति हुई?

(2) इस क्षति का कुल मुआवजा कितना आंका गया? क्या इस क्षति के लिए केन्द्र सरकार से मुआवजे की मांग की गई? यदि हां, तो कितना मुआवजा चाहा गया?

(3) चाहे गए मुआवजे में से केन्द्र ने कितनी सहायता दी? क्या राज्य सरकार ने भी क्षति पूर्ति के लिए कोई धन राशि निश्चित की थी? यदि हां, तो कितनी?

(4) क्या क्षतिग्रस्त किसानों को मुआवजे की राशि चुकाई गई है? यदि हां, तो कितनी? क्या अब भी मुआवजे की राशि चुकाना शेष है? यदि हां, तो कितनी?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है कृपया इसे पोस्टपोन करें।

श्री उपाध्यक्ष : 457 पोस्टपोन किया गया। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अध्यापकों के मेडिकल री-एम्बर्समेन्ट बिलों का भुगतान

434. श्री रामचन्द्र पटेल (सिकराय) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पंचायत समिति सिकराय के अध्यापकों को मेडीकल री-एम्बर्समेंट का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कब से और क्यों?

(2) क्या सरकार इस विषय में पंचायत समिति सिकराय को उचित निर्देश देकर अध्यापकों को भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सिकराय की साधारण सभा के एक निर्णय के अनुसार मेडिकल बिलों का भुगतान अपनी निजी आय से मार्च, 1972 से नहीं किया गया है।

(2) जी हां।

कोटा नगर में कृषि भूमि पर सिनेमा का निर्माण

436. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में उम्मेद भवन से लगी हुई भूमि जो हजारों बीघा है आज भी रेवेन्यू रेकार्ड में कृषि भूमि अंकित हैं ? कृपया विस्तृत तालिका सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में सिनेमा बनाने की इजाजत दे दी है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) जी हां। क्योंकि यह भूमि रेकार्ड के अनुसार आबादी की तारीफ में आती है एवं शहर में सिनेमा की आवश्यकता थी तथा नियमानुसार स्वीकृति देने में कोई अड़चन नहीं होने के कारण सिनेमा बनाने की इजाजत दी गई है।

तहसील राजगढ में कूड आयल का वितरण

443. श्री लक्ष्मी नारायण : (थानागाजी) । श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील राजगढ (अलवर) : में 1 अक्टूबर, 1973 से अब तक कितना क्रूड आयल दिया गया है ?

(2) यह क्रूड आयल कितने इंजिन्स को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5–3–74)

पंचायतों का कार्यकाल

45. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का कार्यकाल चुनाव होने के समय नियमित प्रावधानों के अनुसार किस तारीख को समाप्त हुआ था ? तथा इनका कार्यकाल किस किस तारीख को कितने कितने समय के लिए बढ़ाया गया था और अब अन्तिम तिथि क्या है ?

(2) इसके पुनः चुनावों की घोषणा कब कब (कितनी बार) राज्य सरकार द्वारा की गयी थी ?

(3) चुनावों की तयारी, मतदाता सूची का छपवाना, प्रकाशन, तथा अन्य छपाई कार्यों पर समय समय पर कितना कितना खर्च (जिलेवार) हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) समय समय पर चुनावों की घोषणा तथा पंचायत क्षेत्र, वार्ड सीमा आदि पर किया गया एस्टेब्लिशमेन्ट खर्च कितना हुआ ?

Page No 27

(27)

उत्तर

(1) विवरण सलग्न है।

(परिशिष्ट क)

(2) पंचायत कानून में राज्य सरकार द्वारा पंचायत ग्राम चुनावों की घोषणा किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि राज्य सरकार ने 5 बार दिनांक—

(1) 12-3-68
(2) 3-12-69
(3) 25-7-70
(4) 26-9-70
(5) 23-11-73

को पंचायत चुनाव कराये जाने के निर्णय लिए थे।

(3) सूचना संलग्न आ रही है।

(परिशिष्ट ब)

(4) चुनावों की घोषणा तथा पंचायत क्षेत्र वार्ड सीमा आदि पर कोई एस्टेब्लिशमेन्ट सम्बन्धी व्यय पृथक् से नहीं किया जाता है, ये कार्यालय की सामान्य कार्य प्रणाली में आते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि उपज मंडी बीकानेर

339. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर शहर की कृषि उपज मण्डी कब से कार्य कर रही है ? कृषि उपज मंडी बनने के बाद कुल कितने रुपयों की आय हुई व कितना व्यय हुआ ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मन्डी बीकानेर पूरे शहर में कार्य कर रही है या शहर के कुछ ही हिस्से में ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर की कृषि उपज मंडी समिति अगस्त 1972 से कार्य कर रही है। मण्डी समिति बनने के बाद आय व्यय का ब्यौरा तालिका (क) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) बीकानेर मण्डी यार्ड की सीमाएं जो अधिनियम की धारा 9 (2) (स) के अनुसार उत्तर में ऊन वर्गीकरण केन्द्र से लालगढ़-बीकानेर रोड से मोड तक तथा पश्चिम में ईदगाह बारी होते हुए डा. धनपतराय के अस्पताल होते हुए श्री रघुनाथ जी के कुए होते हुए डागों के चौक से सोनगिरी कुए होते हुए दाऊ जी के मन्दिर जाने वाली सडक पर दोनों ओर की इमारतें एवं बिल्डिंग लेते हुए दाऊजी के मन्दिर से कोट जाने वाली सडक तक एवं पूर्व में दाऊजी के मन्दिर से जगमल कुआ व सिपाहियों की डिग्गी से होते हुए सपोर से गजनेर रोड तक तथा वहां से पुनः ऊन वर्गीकरण केन्द्र तक की सीमा के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र व इमारतें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त गोदो

(कृषि मंत्री)
मण्डी यार्डों में रानी बाजार व फड बाजार की सीमायें घोषित की गयी हैं। अतः उक्त निर्धारित क्षेत्र में ही क्रय विक्रय के नियमन का कार्य लागू किया जाता है, समूचे बीकानेर शहर में नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

राज्य सरकार की बकाया राशि

340. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की कुल बकाया की राशि 31–3–73 तक कितनी थी? विभागानुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार की कुल बकाया की राशि अब तक कितनी है? नवीनतम सूचना देने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय के आंकड़े

341. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य सरकार ने सन् 72–73 में कुल योजनाओं में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया? सदन में आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य सरकार ने राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 में कुल 65.83 करोड़ रुपया व्यय किया। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार इस व्यय का प्रति व्यक्ति औसत 25.60 रुपया आता है।

अतिक्रमण की संख्या

342. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 6 (20) राजस्व 71 एवं 72 दि. 13–4–71 के अनुसार सन् 1971–72 में कितने अतिक्रमणियों के अतिक्रमण नियमित किये गये थे और भूमि का रकबा कितना है? जिलेवार आंकड़े पेश करने की कृपा करें।

(2) उक्त नियमन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अतिक्रमणियों की संख्या एवं रकबा जिलेवार क्या है?

(3) क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष में ऐसे अतिक्रमणियों को, जिन्होंने अतिक्रमण किया था और उन्हें नियमित करना नियम विरुद्ध था को उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित कर दिया? यदि हां, तो इसकी संख्या एवं रकबा क्या है?

(स्थगित किया गया)

बारां की कृषि भूमि का आवंटन

343. **श्री जगमोहन सिंह** (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या श्रीमती गुलाबदेवी पत्नी

(श्री जगमोहन सिंह)
श्री रघुनाथ प्रसाद निवासी करना हेड़ा तहसील बारां को सन् 69–70 में कोई कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा अलाट की गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या इस भूमि पर अलोटी को दखल दिलाने हेतु अब राज्य सरकार कार्यवाही करने जा रही है, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रीमती गुलाबदेवी पत्नी श्री रघुनाथ, निवासी करना हेड़ा, तहसील बारां को ग्राम करना हेड़ा को आराजी खसरा नं. 331 की 25 बिस्वा तहसील बारां द्वारा आवंटित की गई थी ।

(2) ग्राम करना हेड़ा की आराजी खसरा नं. 331 को 25 बि. भूमि का आवंटन मुस. गुलाब देवी को किया गया था, उक्त आराजी चरागाह की थी जिसकी किस्म परिवर्तन परगना अधिकारी बारां द्वारा की गई थी । आदेश किस्म परिवर्तन के विरुद्ध ग्राम वासियों की ओर से राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील पेश होने पर अपील स्वीकार की गई एवं परगना अधिकारी का आदेश किस्म परिवर्तन खिलाफ अधिकार करार देकर मन्सूख कर दिया गया । इसलिए भूमि का आवंटन निरस्त किया गया और अलाटी को दखल नहीं दिया गया । इसके पश्चात् मुस. गुलाबदेवी को अन्य भूमि अलाट कराने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो मुस. गुलाबदेवी ने 22–2–73 को ग्राम करना हेड़ा की आराजी खसरा नं. 331/33 बीघा 5 बिस्वा एवं 334 की 22 बीघा 16 बिस्वा में से भूमि आवंटन कराने का प्रार्थना-पत्र पेश किया । उक्त दोनों नम्बरान की भूमि चरागाह की है जिसकी किस्म परिवर्तन की कार्यवाही चल रही है ।

दुकान का अलाटमेंट

344. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि लालचन्द तनेजा को दुकान नम्बर 63 आदर्श नगर जयपुर उसकी दरख्वास्त दिनांक 22-11-58 के आधार पर डाईरेक्टर रिहेबलिटेशन के पत्र Dr-Const Taneja/JP 3074 dt. 9–5–60 से allot की गई और क्या लालचन्द की इस दरख्वास्त में यह दर्ज है कि रकम दुकान उसके मुआवजा से काटी जावे ?

(2) क्या यह सत्य है कि कलेक्टर (Reh) जयपुर ने अपने पत्र नं. 1647–48 दिनांक 16–9–70 से इस मामले में सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा कि आया ब्याज 30–9–60 तक का लगाया जावे या 3–3–63 तक का ?

(3) क्या सरकार ने कलेक्टर (Reh) को उसके इस पत्र दिनांक 16–9–70 का कोई उत्तर भेजा ? यदि भेजा तो कब और यदि नहीं तो क्यों ? और क्या सरकार शीघ्र इस पर अपना निर्णय लेने और संबंधित पार्टी को सूचित करने की कृपा करेगी ?

(श्री मो. गफ्फार अली)

(4) क्या यह सत्य है कि सहायक सचिव (Reh) ने अपने पत्र नम्बर F. 3(11) R. R 57 Vol II dated 21-1-67 से Secy. Vigilance Commission को यह लिखा "Orders have already been issued to the U.I.T. Jaipur to issue Pattas to all those who have been allotted plots in Adarsh Nagar Colony."

(5) यह आर्डर यू.आई.टी. को कब और किस नम्बर से भेजा गया? तथा यह आर्डर सरकार ने कब और किस तारीख को पास किया था? और इसके बाद यू.आई.टी. ने किन किन को पट्टे इस्यू किये और कलेक्टर (Reh) ने किन किन को No dues certificate issue किये ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि श्री लालचन्द वनेजा को दुकान नं. 63 आदर्शनगर जयपुर में हायर पर्चेज पर आवंटित की गई जिसका पजेशन उन्हें दिनांक 23–8–60 को दिया गया। 22–11–58 की दरख्वास्त अभी उपलब्ध नहीं है परन्तु आगे के प्रार्थना-पत्रों में उन्होंने मुआवजे से रकम काटने हेतु लिखा था। और असल आवंटन आदेश में उनसे पूरी रकम रोकड़ में वसूल करने के आदेश थे किन्तु भारत सरकार की स्वीकृति उनके पत्र संख्या 14(2)/61 एच एण्ड डी दिनांक 14–11–62 से प्राप्त होने पर इस रकम को मुआवजे में से काटी गई रकम से एडजस्टमेंट के आदेश दिये गये।

(2) जी हां। उन्होंने पत्र दिनांक 16–11–70 द्वारा स्पष्टीकरण चाहा था।

(3) अभी स्पष्टीकरण केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुआ अतः पत्र व्यवहार जारी है। केन्द्र सरकार का उत्तर प्राप्त होने पर जिलाधीश को स्पष्टीकरण दे दिया जावेगा।

(4) जी हां।

(5) राज्य सरकार के पट्टे जारी करने के आदेश नगर विकास न्यास को पत्र क्रमांक एफ3–11(23) आर आर/65/पार्ट–11 दिनांक 11–8–66 के द्वारा भेजे गये थे। उक्त निर्णय राज्य सरकार ने दिनांक 8–7–66 को दिया था। इन आदेशों के बाद नगर विकास न्यास ने राजा पार्क कालोनी के लिए 120 व आदर्श नगर के लिए 229 पट्टे जारी किये हैं। सूची संलग्न है। जिलाधीश जयपुर ने इस सम्पत्ति के नो ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील कोलायत में भूमिहीनों को भूमि का अलाटमेन्ट

345. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोलायत जिला बीकानेर में 1 जनवरी, 1970 से लेकर आज

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
तक कितने भूमिहीनों को किस किस गांव में कितने कितने बीघा भूमि अलॉट की गई है ? प्रार्थी का नाम एवं निवास स्थान दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि सीलिंग में खारिज हो चुकी है वही भूमि उन्हीं लोगों के परिवार को अलॉट कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) कुल कितनी भूमि कोलायत तहसील में सीलिंग में आई और किन किन व्यक्तियों को अलाट की गई ? उनके नाम, निवास स्थान को सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

नगर परिषद् जयपुर द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

346. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर):—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नगरपरिषद् जयपुर में जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1973 तक अधीनस्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्त किए गये ? यदि हां, तो नियुक्ति जारी रखने व उनको अनियमित भुगतान के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

ग्रामीण रोजगार योजना

347. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर):—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सरकार ने 1973–74 के लिए कुछ राशि मंजूर की है ? यदि हां, तो कितनी और उसका कहां कहां पर कितना कितना उपयोग किया गया ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी हां । वर्ष 1973–74 के लिये 284.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं । जिलेवार आंवटित राशि एवं 28–2–74 तक जिलेवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)

डूंगरगढ़ नगरपालिका की सीमा

348. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़)–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रेलवे स्टेशन श्री डूंगरगढ़,जिला चूरू, कस्बा श्री डूंगरगढ़ की भूमि में एवं नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ की सीमा में नहीं है ? यदि हां तो, यह किस ग्राम व ग्राम पंचायत की सीमा में है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन जिस ग्राम की सीमा में है

Page No 32

(32)

(श्री लूणाराम)

वह ग्राम नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ में शामिल नहीं है? यदि हां, तो नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ श्री डूंगरगढ़ यात्री (टरमिनल टेक्स) व माल टेक्स किस आधार पर वसूल करती है?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1960 61 के लगभग पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ ने इस आशय का प्रस्ताव पास करके कि रेल्वे स्टेशन श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका सीमा में नहीं है और पंचायत क्षेत्र बाना में है इसलिए यह टेक्स ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, जिलाधीश चूरू व राज्य सरकार को भेजा गया था?

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश चूरू ने यह टेक्स बजाय नगरपालिका के ग्राम पंचायत को देने का सुझाव राज्य सरकार को भेजा था? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई? और नही तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब भी पंचायत को टेक्स दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति रेलमगरा

349. श्री विजयसिंह (माण्डल):— क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति रेलमगरा (जिला उदयपुर) के प्रधान ने मार्च, 1972 से आज तक कितना टी. ए., डी. ए. उठाया? कृपया सूची पूर्ण ब्यौरे के साथ सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति रेलमगरा ने कृषि फार्म के लिये कितनी जमीन किस वर्ष राजस्व विभाग से प्राप्त की है? उससे प्रति वर्ष कितना लाभ होता आ रहा है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के फार्म की पैदावार का गलत उपयोग किया जाता है जिससे कृषि फार्म घाटे में रहा है? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है?

(4) पंचायत समिति के कृषि फार्म पर किस किस मौसम में कौन कौन सी फसलें कितने कितने बीघे में बोई गई और उसकी पैदावार कितनी कितनी हुई तथा बिक्री कितनी हुई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) पंचायत समिति रेलमगरा ने टीन की चद्दरें कुल कितनी खरीदी हैं तथा उनमें से कहां कहां पर लगाई गई तथा कितनी शेष हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधान, पंचायत समिति, रेलमगरा द्वारा निम्न प्रकार टी.ए. व डी.ए. उठाया गया है :—

1.	1972–73	1293.10
2.	1973–74 (फरवरी, 74 तक)	869.87

(पंचायत मंत्री)

(2) पंचायत समिति, रेलमगरा कृषि फार्म के लिए वर्ष 1965–66 में 122 बीघा जमीन प्राप्त की है। प्रति वर्ष के लाभ-हानि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। फार्म से 18,292.77 रुपये का लाभ हुआ है।

(4) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) कुल 753 जी. सी. जी. टिन की चद्दरें खरीदी गई थीं जिसके उपयोग की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पत्ता तेंदू से आमदनी

350. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ की पंचायत समिति, 1 झालरापाटन, 2 बकानी, 3 डग, 4 खानपुर, 5 मनोहरथाना व पिड़ावा में पत्ता तेंदु की आमदनी सन् 70–71 व 71–72 व सन् 72–73 और 73–74, चार वर्ष में कितनी कितनी हुई ? कृपया सूची मय ग्राम पंचायतों के देने की कृपा करें ?

(2) क्या इन चारों सालों में उक्त पंचायत समितियों की विकास पंचायतों ने ठेके पर ही अपने क्षेत्र का पत्ता तुड़वा कर बेचा था ?

उत्तर

(1) केवल पंचायत समिति, झालरापाटन, बकानी, खानपुर व मनोहरथाना के अधीनस्थ पत्ता तेन्दू की आय हुई है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति पिड़ावा एवं डग की ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में तेन्दू पत्तों की पैदावार नहीं होने से ठेके नहीं दिये गये। इन चार वर्षों में पंचायत समिति झालरापाटन, खानपुर, मनोहरथाना एवं बकानी की ग्राम पंचायतों द्वारा तेन्दू पत्तों को अपने स्तर पर तुड़वाकर इनके ठेके नीलाम किये गये थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची

351. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष चयन समिति का गठन केवल दिनांक 1–4–50 से प्रभावशील सहकारी विभाग के निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची ही तैयार करने हेतु किया गया था और उक्त समिति ने इस संदर्भ में 35 निरीक्षक स्थाई एवं उसी के क्रम में 7 अन्य व्यक्तियों को निरीक्षक के पद के योग्य on probation नियुक्त किये जाने हेतु

Page No 34

(34)

(श्री अमृतलाल गहलोत)

चयन किया एवं इस मूल सूची में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जा सकता ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त 35 स्थाई निरीक्षकों के कार्य व कर्तव्य समान ही थे ? यदि हां, तो फिर इन 35 स्थाई निरीक्षकों को समान श्रेणी व समान अवसर प्रदान नहीं कर पांच वर्ष पश्चात् दिनांक 25-7-55 को तीन भिन्न श्रेणियों में किस प्रकार विभक्त कर दिया जब कि सेवा नियम ही दिनांक 18-2-56 को प्रकाशित किये गये ? क्या इस प्रकार का व्यवहार संविधान की भावना के प्रतिकूल नहीं रहा ?

(3) क्या यह सही है कि प्रथम वरिष्ठता सूची में क्रमांक 1, 2, 3, 6, 11, 12, 19, 21, 24 तथा 25 (आडिटर) व 26 नोन मैट्रिक अथवा मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त किये हुए थे और 9 प्रोबेशन लिस्ट में क्रमांक नं. 1 चयन मुत्तलिक eligible थे एवं क्रमांक 4 तथा 14 लिपिक थे व क्रमांक 8 को सहकारी विभाग का कोई अनुभव ही न था ? इन सारी विशमताओं के बावजूद स्थाई निरीक्षक क्रमांक 1 से 10 तक ग्रेड प्रथम 11 से 24 तक ग्रेड द्वितीय, 25 से 35 तक ग्रेड़ तृतीय व प्रोबेशन पर नियुक्ति की सिफारिश वालों को क्रमांक 25 से 35 को पीछे धकेल कर ग्रेड द्वितीय दिया जाना कहां तक न्यायोचित था ?

(4) निरीक्षक क्रमांक 35 विलीनीकरण के वक्त जोधपुर जैसी बड़ी रियासत में सीनियर आडिटर के पद पर थे जिसका न्यूनतम वेतन निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के समकक्ष था मगर उसे एक श्रेणी नीचे (ग्रेड-तृतीय) ही नहीं डाल दिया गया बल्कि उसे प्रोबेशनर्स व दिनांक 1-4-50 के पश्चात् नियुक्त सैंकड़ों आडिटर्स से सदैव के लिए पीछे धकेल रखा जिसके फलस्वरूप दिनांक 31-12-58 तक नियुक्त निरीक्षकों में उसे क्रमांक 217 पर स्थान मिला। क्या विशेष चयन समिति द्वारा तैयार की हुई वरिष्ठता सूची में इस प्रकार हेर फेर वैधानिक है तथा विलीनीकरण के वक्त उच्च श्रेणी कर्मचारी को उससे किसी श्रेणी में रख देना न्यायोचित था ?

(5) मूल सूची के निरीक्षक क्रमांक 35 को दिनांक 1-1-58 को ग्रेड द्वितीय पर पदोन्नत किया गया। मगर इसके पूर्व उसी सूची के कितने निरीक्षक ग्रेड प्रथम व द्वितीय सेवा निवृत्त हो चुके थे तथा ग्रेड द्वितीय के नये पद स्वीकृत किये गये और उनके स्थान पर क्रमांक 25 से 35 तक की पदोन्नति किस कारण रोके रखी ?

(6) चूंकि मूल सूची के (सिवाय क्रमांक 1 से 10 तक जिन्हें ग्रेड प्रथम दे दिया गया) अधिकांश असन्तुष्ट निरीक्षक अब तक सेवा निवृत्त हो चुके हैं, मगर निरीक्षकों की, 23 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी, वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, जिससे अब उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियमित तथा पूर्ण कर, राज्य सरकार मूल सूची के निरीक्षक क्रमांक 11 से 35 तक को, जिन्होंने विभाग की 30 वर्ष से ज्यादा सेवा की है, उन्हें अपने जीवन के संध्याकाल में राज्य सरकार क्या राहत देने का इरादा

(श्री अमृतलाल गहलोत)
रखती है और उसे अमली रूप देने में कितना समय लगेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विशेष चयन आयोग (स्पेशल सलेक्शन बोर्ड) का गठन भूतपूर्व रियासतों के एकीकरण के समय रियासतों के सहकारी विभाग में काम कर रहे निरीक्षकों के चयन करने हेतु किया गया था। यह विशेष चयन आयोग की 35 निरीक्षकों की सूची, सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित उनकी वरिष्ठता को मद्देनजर रखते हुये, राज्य सरकार के पत्र क्रमांक। 4 (4) एस्टी ए–52/0002 दिनांक 22–8–52 के द्वारा प्राप्त हुई थी। इस सूची में 7 निरीक्षक प्रावेशन पद के लिये भी चयन हुये थे। मूल सूची में कोई हेर फेर नहीं हुआ है।

(2) इन 35 निरीक्षकों के कार्य एवं कर्तव्य समान थे परन्तु वर्ष 1955 से पूर्व संबंधित सेवाओं के नियम नहीं थे एवं ये नियम (राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा नियम, (क्लास-फर्स्ट), 1955 से लागू हुये जबकि प्रकाशन दिनांक 18–2–56 को हुआ था। परन्तु इन्हें 1955 से प्रभावशील माना गया है।

नियम बनाते समय राजस्थान के भिन्न-भिन्न रियासतों में भिन्न-भिन्न वेतन शृंखला वाले कार्य कर रहे निरीक्षकों की सेवाओं का एकीकरण करने हेतु यह आवश्यक समझा गया था कि सहकारी विभाग में भिन्न-भिन्न वेतन मानों में निरीक्षकों के स्वीकृत पद निर्धारित किये जावें जिसमें प्रथम ग्रेड, द्वितीय ग्रेड एवं तृतीय ग्रेड का विश्लेषण किया गया। इसीलिये इन 35 चयन किये गये निरीक्षकों को उनकी लम्बी सेवा अवधि के आधार पर भिन्न भिन्न वेतन शृंखला होने के कारण एवं विशेष चयन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही विभक्त किया गया था।

(3, 4, 5) यह सही नहीं है कि 25 से 35 को विशेष चयन आयोग की सूची के अनुसार नीचे धकेल दिया गया है। जहाँ तक आडिटर्स को वरिष्ठ रखने का प्रश्न है इन आडिटर्स के पदों को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1955 में नियम लागू होने के साथ साथ निरीक्षक आडिट द्वितीय ग्रेड के पदों में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार आडिटर्स की वरिष्ठता को उनके पदों की परिवर्तित वर्ष से शुमार की गई। जिन तृतीय ग्रेड निरीक्षकों को जिस वर्ष में द्वितीय ग्रेड निरीक्षक के पद पर राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा नियम, 1955 के क्लास फस्ट–सैकिंड के अनुसार निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति के लिये 5 वर्ष का न्यूनतम सेवा काल आवश्यक होता था, को मद्देनजर रख कर इन्हें वर्ष 1958 तृतीय ग्रेड से द्वितीय ग्रेड में पदोन्नत किया जाकर वर्ष 1958 से द्वितीय ग्रेड निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में स्थान दिया गया था वह नियमानुसार सही था। इसमें सेवा निवृतक एवं नये पद स्वीकृत होने के फलस्वरूप रिक्त पदों के तहत इनको पदोन्नत किया जाना सहकारी सेवा नियमानुसार 5 वर्ष से पूर्व पदोन्नत किया जाना संभव नहीं था।

(6) वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप

Page No 36

(36)

(सहकारिता मंत्री)

दिया जा चुका है तथा विशेष चयन समिति द्वारा चयन किये गये निरीक्षक क्रमांक 1 से 35 तक को पूर्व में ही विभिन्न वर्षों में प्रथम ग्रेड दिया जा चुका था एवं अब कोई असंतुष्ट निरीक्षक नहीं है जिन्हें प्रथम ग्रेड नहीं दिया गया हो। सेवा निवृत्त कर्मचारियों को नियमानुसार अब राहत देने का प्रश्न ही नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-1974)

तहसील सांचोर में म्यूटेशन के मामले

6. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांचोर में अब तक कितने म्यूटेशन भरने शेष हैं? तथा म्यूटेशन कब तक भर दिये जावेंगे?

(2) उक्त तहसील में कितने काश्तकारों को उनको आवण्टित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है और क्यों? तथा अब उनको कब्जा कब तक दिला दिया जावेगा?

(3) उक्त तहसील में नाजायज कब्जों के नियमन के कितने मामले कब से जेर तजवीज हैं तथा सारे मामलों के नियमन कब तक करवा दिए जावेंगे?

(4) उक्त तहसील में लैंन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कितने मामले कब से जेर तजवीज हैं तथा ऐसे मामलों के फैसले कब तक करवा दिए जावेंगे?

(5) काश्तकारों के बाड़ों के नियमन के मामले तहसील सांचोर में कितने फैसले करने शेष हैं, उनको फैसल कब तक करवा दिया जावेगा? गांवों की आबादी के कितने मामले नियमन करने शेष हैं एवं कब तक फैसल करवा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) तहसील सांचोर में नामान्तरण के कुल 63 मामले विचाराधीन हैं. जिन्हें शीघ्र ही निपटा दिया जावेगा।

(2) तहसील सांचोर में नेहड़ क्षेत्र में भूमि आवण्टन का कार्य हुआ है। काश्तकार अपनी आवंटित भूमि पर काबिज हैं। कुछ जगहों पर वास्तविक रकबे से अधिक आवण्टन किये जाने से उस क्षेत्र का सर्वे करा कर अधिक आवंटित भूमि रद्द करने की शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

(3) तहसील सांचोर में नाजायज कब्जों के 133 मामले वर्ष 1971 से जेर तजवीज हैं जिन्हें शीघ्र निपटाये जाने की कार्यवाही उप खण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा की जा रही है।

(4) तहसील सांचोर में इस समय लेंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत 918 मामले जेर तजवीज हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

1.	एक वर्ष से कम	552
2.	दो वर्ष से कम	54
3.	तीन वर्ष से कम	12

इनका निपटारा शीघ्र ही करा दिया जावेगा।

(राजस्व मंत्री)

(5) तहसील सांचोर में बाड़ों के नियमन के 120 मामले शेष हैं जिन्हें शीघ्र ही निपटाने की कार्यवाही की जा रही है। गांव की आबादी के 3 मामले नियमन होने शेष हैं जिन्हें शीघ्र निपटाने की कार्यवाही उप खण्ड अधिकारी, भीनमाल द्वारा की जा रही है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 5–3–74)

राज्य स्तर की सहकारी समितियों में सस्ते सामान की उपलब्धि

28. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) :
श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राज्य स्तर की ऐसी कौन कौन सी सहकारी संस्थाएं हैं जहां से जिलों में सामान व वस्तुएं बाजार से सस्ती दरों पर जनता में उपलब्ध करायी जाती हैं ?

(2) उपरोक्त संस्थाओं ने सन् 1972-73 व 73–74 में कौनसी वस्तुएं व सामान कितनी कितनी मात्रा में खरीदकर राज्य की किस किस सहकारी समिति एवं भण्डारों को कितनी कितनी मात्रा में भेजा या बेचा ?

(3) उपरोक्त एपेक्स सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त सामान व वस्तुओं को रिसीपिन्ट को-आपरेटिव इन्सटीट्यूशन्स द्वारा वितरण व्यवस्था की देखरेख हेतु विभाग द्वारा क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) राज्य स्तर की ऐसी कोई सहकारी संस्था नहीं है जो जिलों में सामान व वस्तुयें बाजार से सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है। केवल राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर व राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि. जयपुर क्रमशः कोनफिसकेटेड गुड्स नियन्त्रित कपड़ा व नियन्त्रित चीनी वितरण करती है।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 12–3–74)

बन्दीगृहों में सजाएं काट रहे बंदी

105. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने प्रकार के बन्दी गृह हैं ?

(2) वर्तमान में कितने कितने बन्दी विभिन्न बन्दीगृहों में सजाएं काट रहे हैं ? सूची बन्दीगृह वार सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से कितने कितने बन्दी दस साल या इससे अधिक की सजा पा चुके हैं तथा उन्हें सरकार ने भविष्य में अच्छे नागरिक बनाने के सम्बन्ध में क्या क्या मदद की ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(4) प्रत्येक श्रेणी के बन्दी पर सरकार क्या रोजाना खर्च कर रही है ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या श्रेणियों का निर्धारण किसी आधार पर किया हुआ है ? यदि हां, तो वह आधार क्या है ?

(6) क्या राज्य में खुली जेलें (बन्दीगृह) हैं ? यदि हां, तो कितनी कहां कहां और उनमें कितने बन्दी रहते हैं ?

(7) क्या किसी बन्दी को छुट्टी लेकर घर जाने की व्यवस्था भी है ? यदि हां, तो कैसे कैसे बन्दी को व किन किन कारणों से ?

(8) क्या इस व्यवस्था का लाभ हर श्रेणी के बन्दी उठा सकते हैं ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं तो क्यों ?

(9) गत दस वर्षों में कितने बन्दियों की बन्दीगृहों में मृत्यु हुई ? उनके क्या क्या कारण थे ?

(10) क्या सरकार पीड़ित अवस्था में हर बन्दी पर स्वास्थ्य लाभ हेतु आवश्यकतानुसार खर्चा कर पूरी पूरी सुविधाएं प्रदान करती है ? यदि हां, तो गत दस वर्षों में विभिन्न बन्दीगृहों में सरकार द्वारा चिकित्सा पर कितना व्यय हुआ ? कृपया विवरण वर्षवार व जिलेवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में निम्नलिखित श्रेणियों की कारागृह हैं :—

1. केन्द्रीय कारागृह
2. जिला कारागृह 'ए' श्रेणी
3. जिला कारागृह 'बी' श्रेणी
4. जिला कारागृह 'सी' श्रेणी
5. विशेष श्रेणी उप कारागृह
6. उप कारागृह
7. खुले बन्दी शिविर

(2) राजस्थान के विभिन्न कारागृहों व उप कारागृहों में दिनांक 1-1-1974 को 5653 बन्दी थे जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है । इन बंदियों में 2959 सजायाब, 2507 विचाराधीन, 11 दीवानी (सिविल) और 176 नजरबन्दी व विदेशी एक्ट के बन्दी सम्मिलित हैं ।

(3) 10 वर्ष व अधिक की सजा पा चुकने वाले बंदियों की संख्या 260 है । बंदियों के सुधार हेतु राजस्थान में निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके :—

(1) कारागृहों में बंदियों को विभिन्न उद्योगों तथा कपड़ा बुनाई, दरी बुनाई, गलीचा बुनाई, निवार बुनाई काष्ठ उद्योग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बन्दी कारागृहों से मुक्त होकर इन उद्योगों के सहारे अपना भरण–पोषण कर सकें ।

(2) राजस्थान की विभिन्न केन्द्रीय कारागृहों एवं आदर्श कारागृह, अजमेर बंदियों को विभिन्न कपड़ों की कटाई,

(कारागृह मंत्री)

छंटाई व सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे मुक्त होने पर इस प्रशिक्षण के आधार पर आसानी से आजीविका कमा सकें।

(3) बाल सुधार गृह, उदयपुर के बंदियों को साईकिल व स्कूटर की मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है।

बंदियों के ज्ञान में वृद्धि एवं मानसिक विकास की दृष्टि से कारागृहों में औद्योगिक शिक्षा देने के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विश्व विद्यालयीन शिक्षा तथा विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की सुविधा है। बन्दियों को बुरे विचारों से बचाने के लिए समय समय पर कारागृहों में सामाजिक, नैतिक व धार्मिक विषयों पर भाषण दिये जाने की व्यवस्था है। बन्दियों को सांस्कृतिक कार्य का आयोजन व खेलकूदों में भाग लेने की सुविधा है, इसके अतिरिक्त बन्दियों के मनोरंजन के लिये राज्य की बड़ी कारागृहों में रेडियो, हारमूनियम, ढोलक, मजीरे आदि की व्यवस्था है। अवकाश के समय बन्दी पुस्तकालय व वाचनालय से पुस्तकें व समाचार-पत्रों का उपयोग करते हैं।

बन्दियों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास की दृष्टि से पंचायतें स्थापित की गई हैं। बन्दियों को कारागृहों में केन्टीन सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

अच्छे आचरण वाले बन्दियों को गर्मी की ऋतु में सोने, सजा की अवधि में छूट (रेमीशन) सी. एन. डब्लू., सी. ओ. व सी. डब्लू. के पद पर नियुक्त, पेरोल पर छोड़े जाने, परिवार वालों को पत्र लिखने व उनसे मिलने, खुले शिविरों में भेजने, खुले शिविरों पर अपने परिवार के साथ रहने की सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त बंदियों को जेल बैण्ड में कारागृहों से बाहर भी भेजा जाता है और बैण्ड की आय में से आधी आय बैण्ड में काम करने वाले बन्दियों को पारिश्रमिक रूप में दी जाती है।

(4) सरकार 'ए' व 'बी' श्रेणी के प्रत्येक बन्दी पर प्रतिदिन रु. 6.66 तथा साधारण बंदी पर प्रतिदिन रु. 2.08 व्यय करती है जिसमें भोजन, वस्त्र व अन्य सुविधाएं सम्मिलित हैं।

(5) राजस्थान प्रिजन्स रूल्स, 1951 के पार्ट–15, सेक्शन 1 के नियम 2 (ए) के अनुसार विचाराधीन बन्दियों की दो श्रेणियां हैं तथा 'स्पेशल क्लास' व 'आर्डिनरी' क्लास, एवं नियम 2 (बी) के अनुसार सजायाब बन्दियों की श्रेणियां हैं 'ए' 'बी' व 'सी' क्लास।

विचाराधीन बन्दी को 'स्पेशल' क्लास व सजायाब बन्दियों को 'ए' व 'बी' क्लास न्यायालय व राज्य सरकार द्वारा उनके सामाजिक व शैक्षणिक स्तर को दृष्टि में रख कर दिये जाने का प्रावधान है।

(6) बंदियों के खुले शिविर हैं जो सांगानेर, दुर्गापुरा, मंडोर और सूरतगढ़ में स्थित है, इनमें क्रमशः 22,9,5 और 59 बन्दी हैं।

(7) राजस्थान कैदी कारावासकालीन अवकाश नियम, 1958 के अन्तर्गत कारागृहों में अच्छे आचरण को प्रोत्साहन देने के

(कारागृह मंत्री)

लिए रियायत के रूप में बन्दियों को उनके घरेलू मामलों में छुट्टी लेकर घर जाने की सुविधा है।

(8) जी हां, इसके लिये उसे राजस्थान कैदी (कारावास कालीन) अवकाश नियम 1958 के अन्तर्गत, जेल अधीक्षक को आवेदन-पत्र देना होगा, यह सुविधा अच्छे आचरण वाले नियमों के अन्तर्गत पात्र बंदियों को ही उपलब्ध है।

(9) इस अवधि में विभिन्न बन्दी गृहों में 130 बंदियों की भिन्न-भिन्न बिमारियों से मृत्यु हुई।

(10) जी हां, गत दस वर्षों में विभिन्न जेलों में जिले वार व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह व्यय चिकित्सा विभाग के बजट से होता है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

स्थगित प्रश्न

दिनांक–15–3–75

गत अकाल के समय विभिन्न संस्थानों को खाद्यान्न वितरण हेतु दिया गया कमीशन

176. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में गत अकाल के समय कितना कितना खाद्यान्न कितने कितने मूल्य का किस किस राज्य से किन किन संस्थाओं या व्यापारिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से मंगाया गया ?

(2) उक्त खाद्यान के वितरण हेतु विभिन्न संस्थानों व प्रतिष्ठानों को कितना कितना कमीशन दिया गया ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग एक, की सूची में अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और निरन्जननाथ आचार्य सदस्य विधान सभा की ओर से बून्दी के साप्ताहिक पत्र दकाज के सम्पादक श्री घनश्याम लाडला पर गत 16 मार्च को हुए हमले के विषय में। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

2. श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर सिरेमिक उद्योग के श्रमिकों और व्यवस्थापकों में समझौता होने के बावजूद भी उसे अमल में नहीं लाये

(श्री अध्यक्ष)

जाने के विषय में। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और माननीय सदस्य यदि चाहें तो श्रम विभाग से सम्बन्धित बजट की मांग के समय इस पर चर्चा उठा सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री मूलचन्द सामरिया और श्री प्रतापसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से घाटगेट जयपुर की दुकान नम्बर 91 पर अखाद्य गेहूं के वितरण के सम्बन्ध में। राशन की दुकानों पर वितरण किये जाने वाले गेहूं के सम्बन्ध में सदन में पूर्व में चर्चा हो चुकी है और स्थगन प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया जा चुका है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से।

1. कोका कोला की बिक्री पर 8) रुपये प्रति केरेट भावों में वृद्धि कर देने के विषय में। यह विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है और अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

2. राज्य में करीब 6 हजार सैकेण्ड्री के छात्रों को कम उपस्थिति होने के कारण परीक्षा में न बैठने देने के विषय में। दिनांक 18 मार्च को इसी विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जा चुका है। अतः मैं इसे स्वीकृति करने में असमर्थ हूं।

5. श्री केशरीमल और श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से सावित्री गर्ल्स कालेज, अजमेर में व्याप्त अनियमितताओं के विषय में। यह प्रश्न का विषय है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस गर्ल्स कालेज के बारे में यहां स्थगन प्रस्ताव दिया है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम शिक्षा मन्त्रीजी की तवज्जह एक बार नहीं अनेक बार दिला चुके हैं कि निजी शिक्षण संस्थायें हैं उनमें कई प्रकार के घोटाले हैं, उनमें गबन है और मर्जी तरीके से खर्च किये जा रहे हैं और राज्य सरकार उनको 95 प्रतिशत एड देती हैं तो सरकार की आखिरी नीति क्या है और किस प्रकार से निर्धारित कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह हाल है कि पहले लाल बहादुर शास्त्री कालेज के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था वहां पर जिसको चाहे हटाते हैं और जिसको चाहें रखते हैं। अजमेर में सावित्री गर्ल्स कालेज ही एक मात्र गर्ल्स कालेज है और अजमेर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर होते हुए भी राज्य सरकार की ओर से कोई गर्ल्स कालेज नहीं चलाया जा रहा है। एक निजी शिक्षण संस्था है। उद्योगपति श्री गौरीशंकर हैं वासनीवाल हैं वे इसके अध्यक्ष हैं। उनके

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
भाई बसके सेक्रेटरी हैं और अपने लड़के के वकिंग कमेटी का मेम्बर बना रखा है। आडिटर गये तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि यहां पर गलत तरीके से रुपया मिस यूज हो रहा है। वह रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज दी गई है। सेकेट्री साहब, डाइरेक्टर साहब या मंत्री महोदय जिम्मेदार हैं तो बतायेंगे। किसी तरह भी इनके दिमाग पर इस बारे में कोई असर पड़ जाय तो अच्छा है। हम बार बार तवज्जोह दिलाते हैं कि ऐसी संस्थाओं को आप टेक ओवर कीजिए। 95 प्रतिशत एड आप देते हैं। कालेज में अनियमिततायें चल रही हैं। वह यह है कि लड़कियों से चन्दे लिए जाते हैं, फीस की शक्ल में लिए जाते हैं। हिसाब में नहीं दिखाये जाते हैं। पैसा उनकी जेब में रहता है इसका चाहे जैसा उपयोग वे करें डिफाल्मेशन के, गबन के केसेज है छोटी छोटी बच्चियां पढ़ने जाती हैं उनके परिवारों का शोषण किया जाता है। हजारों रुपये की फीस ले ली जाती है। क्या नजरे इत्तेफाक है यह तो बताइये? जब एजुकेशन की डिमान्ड पर बहस हो रही थी तो झूठे सच्चे आश्वासन दे दिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी खत्म करता हूं। यह संगीन प्रश्न है, कई बार उठाया जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये और भी कई माध्यम हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सरकार के शिक्षा मन्त्री जी की ओर से न मालूम क्यों ढिलाई बरती जाती है। हमारी समझ में नहीं आता है कि आखिर किस प्रकार इसको कैसे पेश किया जाय। मैं मोटिव इम्प्यूट नहीं करता हूं। जो मिनिस्टर कमजोर हो उसके इस प्रकार का इन्जेक्शन लगाना चाहिए ताकि स्पिरिट पैदा हो वरना पैरेलाइज होकर रह जायेगा।

श्री माणकचन्द सोगानी : ओन ए पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सर।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर पोइन्ट ओफ इन्फरमेशन नहीं होता है।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में यह सिरैमिक उद्योग चल रहा है वहां पर मजदूर 60 रुपये माहवार में काम पर लिये जाते हैं। 60 रु. में श्रमिक द्वारा अपना पेट भरना और काम चलाना मुश्किल है। उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने की ओर लगातार प्रयास किया कि पैसा बढ़ाया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : समझौते का जो पोईन्ट है उस पर ही प्रकाश डालें। इसी पर आइये आप।

श्री केशरीमल : समझौता, मालिक मान नहीं रहे हैं। और जिन्होंने समझौता कराया उसको लागू नहीं करवा रहे हैं। मजदूरों ने तीन महीने की तनख्वाह की मांग की और उन्होंने तालाबन्दी कर दी। मजदूर वर्ग का कमाया हुआ पैसा न दे और मजदूर मांग करे और शाला बन्द कर

(श्री केशरीमल)

दे, कारखाने का मालिक। ऐसे कारखाने को फौरन हाथ में लेना चाहिये। यही नहीं इस कारखानेदार ने फैक्टरी एक्ट में जितनी सहूलियतें मजदूरों को देनी चाहिये वह भी नहीं दीं। कायदे कानून का सरकार अमल नहीं करा सकती। मैं आपके जरिये से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कारखाने को जल्दी से जल्दी खुलवाइये। मजदूरों को वेजेज दिलवाइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृपा पूर्वक 'दकाल' के सम्पादक के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव रखा उसको जानकारी के लिये भेजा। करणीदानसिंह उप सम्पादक के सम्बन्ध में भी स्थगन प्रस्ताव रखा गया और उसको भी जब जानकारी के लिये भेजा गया तब इस बीच में उस सम्पादक की पिटाई हुई। यदि चार दिन इसमें लग गये तो इस सम्पादक को भी यही खतरा है। इसलिये चार दिन पहले ही इसकी पिटायी न हो जाय। एक दो दिन में ही पिटायी न हो जाय। और सम्पादक की जान के खतरे से फैले हुए विक्षोभ को मिटाने के लिये माननीय मन्त्री महोदय आज ही वक्तव्य दे दें या कल दे दें। पुलिस को सतर्क कर देवें और जानकारी भी इस बीच में कर लेवें। प्रिवेन्टिव मेजर्स लेकर सम्पादक को जान को बचाया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, 'दकाल' के सम्पादक के घर को 14 तारीख को गुंडों ने घेर लिया सारी रात घेरे रखा था। यह पहली घटना नहीं है कि जो पत्रकारों के ऊपर घटित हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव में लिखा नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लिखा है। 14 तारीख को घेरे रखा और आज तक किसी प्रकार 'दकाल' का सम्पादक अपने आपको बचा पाया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और बड़ी मुश्किल से बच पाया है। कोई पता नहीं जब हम यहां बोल रहे हैं या एक दो दिन में ही ऐसी घटना हो जावे। आज सूरजभान की घटना और करणीदान की हत्या की घटना ताजा ही है। आज जब आप कालाबाजारियों और मिलावट खोरों की धर पकड़ कर रहे हैं तो आपकी ब्यूरोक्रेसी जो इनकी पार्ट और पार्सल बनती जा रही है वह बौखला गई है। पत्रकार को आवाज आज प्रजातन्त्र की आवाज है। अगर उस पत्रकार का मुंह सी दिया जावेगा, उसकी आवाज को इस तरह से दबा दिया जावेगा तो यह प्रजातन्त्र की पीठ में छुरा भोंकना होगा। प्रजातन्त्र की यह हत्या का प्रयास होगा। जन प्रतिनिधियों की हत्या का प्रयास होगा।

घटना बड़ी तेजी से घटती जा रही है। दकाल का सम्पादक कई वर्षों से लगातार पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाता आ रहा है। जमाखोरों और मिलावटियों के साथ इस पुलिस प्रशासन की सांठ गांठ का भंडाफोड़ करता

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

आ रहा है। इस कारण आज पुलिस प्रशासन उनकी जान का ग्राहक स्वयं बन बैठा है। गुंडों को उसका पूरा संरक्षण मिला हुआ है। लोकल पुलिस उनके खिलाफ है। सूरजभान मारा गया लोकल पुलिस की वजह से। हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर दिये हैं कि इसमें एस.पी. का हाथ है। करणीदान की हत्या में लोकल पुलिस थाना व एस. पी. का हाथ है। एस.पी. मौन रहा। मौके पर नहीं गया यही स्थिति दकाल के सम्पादक के साथ बनती जा रही है। लोकल पुलिस आज किसी न किसी तरह से उसकी आवाज को दबा देना चाहती है। क्योंकि वह बहादुरी से भ्रष्टाचार से लगे हुए सरकारी तन्त्र और जमाखोरों के खिलाफ आवाज बुलन्द करता जा रहा है। दब नहीं रहा है।

इसलिये में गृहमन्त्रीजी से प्रार्थना करूं। बड़े अदब से कि इस घटना की फिर से पुनरावृत्ति न हो, नहीं तो यह राजस्थान में भयंकर विस्फोटक स्थिति पैदा करेगा, जनता में घोर अशान्ति पैदा करेगा।

मैंने और आचार्यजी ने चेतावनी के रूप में यह प्रस्तुत किया है। जैसे करणीदान के वक्त प्रस्तुत किया था। अगर इसके बावजूद यह दुर्घटना घटित हो जाती है, जिसकी कि पूरी सम्भावना है अगर आपने तुरन्त एक्शन नहीं लिया तो, राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज नहीं है यह मानने के लिये हमें बाध्य होना पड़ेगा। आप इस पर आज ही स्टेटमेन्ट दें। राजस्थान पत्रिका के नाम दकाल के सम्पादक का पत्र आया है, टेलीग्राम आया है टेलीफोन आया है। वे काफी चिन्तित हैं। गुंडों को मोबीलाइज कर रक्खा है पुलिस ने। इसलिये यह ऐसा प्रश्न है कि किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

सरकार तुरन्त वायरलेस से कन्टेक्ट करके फौरन सारी हालत का पता करके दकाल के सम्पादक के जीवन की रक्षा का फौरन पूरा प्रबन्ध करे। इसके बाद भी अगर आक्रमण होता है और सदन में यह प्रश्न आ जाने के बाद भी अगर यह होता है और सदन भी अपनी ××× ही चाहता हो तो सदन की ××× उसका अपमान तो पहले भी हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी ने इस सदन की ××× है।

श्री उपाध्यक्ष : इस शब्द को एक्सपन्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की तो ×× गई है इस ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। अगर यों कहलवाना चाहते हैं तो मैं इन शब्दों में कह दूंगा। करणीदान के बारे में सदन में जानकारी दी गई थी और इसके बाद भी उसका जीवन नहीं बचाया जा सका तो इस तरह से इस ब्यूरोक्रेसी ने सदन की ××× में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। अब अगर इस सदन को ××× कोई नहीं माने तो न माने। अगर इस बार भी सूचना देने के बाद भी दकाल के सम्पादक की जान इस ब्यूरोक्रेसी के हाथों जाती है तो इससे बुरी बात कोई

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
नहीं होगी । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आज ही सदन में गृहमन्त्री अपना स्टेटमेन्ट दें ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी के तौर पर निवेदन करूं कि 16 मार्च को साधक के घर गुंडे गये मान्यवर । पुलिस को इत्तला दी गई पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की । अब उसने राजस्थान पत्रिका को लिखकर सूचना दी है कि उनको किसी समय मौत के घाट उतारा जा सकता है । तो इस बारे में सरकार का स्टेटमेन्ट आज ही आ जाना चाहिये ताकि उनके जीवन की रक्षा का प्रबन्ध किया जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार को भेज दिया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : : उपाध्यक्ष महोदय, भेज दिया इतना ही नहीं, इस सरकार को आप कह दीजिये कि आज ही वे सूचना दें इस बारे में ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नट सारे ही ढीले हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोका कोला फैक्टरी के बारे में । इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है । इसकी खाली बोतलों पर सरकार को जो सेल्स टैक्स मिलना चाहिये वह इस कम्पनी ने नहीं दिया है । उसे इस कम्पनी से वसूल किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव आपका नहीं है । सेल्स टैक्स की चोरी का नहीं आपका तो रेट बढ़ाने का है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही मैं निवेदन करने जा रहा हूं । कोका कोला पेय पदार्थ है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इसका ज्यादा नाम लेते हैं तो ज्यादा प्यास पैदा होती है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 1967 में यह कम्पनी यहां आई । उसको देखकर व्यापारियों ने खाली बोतलें कानपुर और दूसरी जगह की पार्टियों से खरीद ली और उसके बाद आज स्थिति यह है कि और दूसरी कम्पनियों ने तो रेट नहीं बढ़ाई जैसे गोल्ड स्पाट है, लिम्का है, और इस ने अपनी रेटें बढ़ा दी, खाली बोतलें भरने का और अतिरिक्त चार्ज करने का । इस तरह से इसने बारदाने पर रेट बढ़ा दी । इसने दिल्ली, यू. पी. में बारदाने पर रेट नहीं बढ़ाई । केवल यहां बढ़ाई है । चण्डीगढ, मध्यप्रदेश और मद्रास में नहीं बढ़ाई । यहां मनमानी की जा रही है ।

श्री केशरीमल : एक पिकेटिंग इसके खिलाफ भी कर दो ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : डेबिट नोट बनाकर इसने व्यापारियों से काट लिया और कह दिया कि बाकी का डिपोजिट करावें । फरवरी में दस और मार्च में 15 कर दिया । इसी तरह से पूरे क्रेट की रेट फरवरी में 18 और मार्च में 23 कर दी । और आगे भगवान् जाने कितनी रेट

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

बढ़ावेगा। मेरा निवेदन है कि प्रति क्रेट के हिसाब से 8) वृद्धि का यह कम्पनी ले रही है आज राजस्थान में लोगों के पास 3 लाख के करीब खाली क्रेट्स हैं और 8 रुपये के हिसाब से 24 लाख रुपया की यह कम्पनी मुनाफाखोरी करना चाहती है व्यापारियों से।

यह सीजन की शुरुआत है। आज उसने सप्लाई उन व्यापारियों को बन्द कर दी है। वे सब बेकार हो गये हैं। उनका सामान सब बेकार हो गया है। ऐसा लगता है राज्य सरकार इस कम्पनी वाले को नाजायज संरक्षण देना चाहती है इसलिये इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। सरकार इन बड़े बड़े सेठों को प्रोत्साहित करने में गरीब व्यापारियों को प्रोत्साहन देना नहीं चाहती। खाली बोतलों पर ही इस कम्पनी को जितना सेल्स टैक्स देना चाहिये वह भी इस कम्पनी ने राज्य सरकार को दिया नहीं है। दो मामले इसमें हो गये हैं। एक तरफ तो राज्य सरकार के सेल्स टैक्स की चोरी हुई दूसरी तरफ आज के इन गर्मी के दिनों में जनता को ठंडा पेय पदार्थ नहीं मिल रहा है। जनता इससे वंचित है। इस के लिये यह स्थगन प्रस्ताव मेरा है।

दूसरा विद्यार्थियों के बारे में है। 6 हजार विद्यार्थी आज सेकण्डरी की परीक्षा में बैठने से रोके जा रहे हैं यह कह कर कि बालकों की उपस्थिति 75 प्रतिशत नहीं हुई है।

मैं निवेदन करूं कि इसमें विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं है। कामर्स वालों की उपस्थिति गिनने में भेद-भाव बरता जा रहा है। उनकी उपस्थिति गिनी जा रही है 22 अगस्त से जबकि अन्य छात्रों की जुलाई से गिनी जा रही है। यह भेदभाव क्यों? जब कि इस वर्ष इन दिनों में भयंकर मलेरिया टाइफाइड फैला और इसका असर इन बच्चों पर पड़ा। उन्होंने मैडिकल सर्टीफिकेट भी दिये। पर वे मान नहीं रहे हैं। इस तरह से इन छः हजार विद्यार्थियों का एक साल का भविष्य अन्धकारमय होने जा रहा है।

फिर एक बात और है। राजस्थान में 45 दिनों तक हड़ताल रही कर्मचारियों की। उस समय स्कूल कालेज भी बन्द कर दिये गये थे। कर्फ्यू लगा। कहीं-कहीं 144 धारा लगी थी। जयपुर का जीवन अस्त व्यस्त था। प्रत्येक जिले में अशान्ति थी। लाठी चार्ज अश्रु गैस का चारों ओर तांडव नृत्य सरकार कर रही थी। तो ये 45 दिन का गेप भी इनका वेव किया जाना चाहिये था वह भी नहीं किया गया। यह और भी अन्याय है इनके साथ। इनके जीवन के साथ यह खिलवाड़ सेकण्डरी परीक्षा बोर्ड करने जा रहा है। शिक्षा मन्त्रीजी को इसमें दखल देना चाहिये। हस्तक्षेप करना चाहिये।

75 प्रतिशत हाजिरी करने के लिये। इसी प्रकार निवेदन करूंगा उनके गार्जियन्स को सूचना दी जा रही है कि कुछ छात्रों की 75 प्रतिशत अटेन्डेन्स नहीं हुई इसलिये परीक्षा में नहीं बैठाया जा रहा है। मैं समझता हूं यह सूचना पहले ही दी जानी चाहिये। अब देने से गार्जियन्स क्या कर सकते हैं। विद्यार्थियों से परीक्षा फीस और अन्य फीसें ले ली गईं तो फिर उन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित करने का कहां सवाल रह गया। पिछले साल जो बालक फेल हो गया था उनका राइट है, उनको भी कहा जा रहा है तुम्हारी भी 75 प्रतिशत अनुपस्थिति हुई है और तुम भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा। राजस्थान के 6 हजार विद्यार्थी, राजस्थान सरकार की गलत नीति के कारण, टाईफाइड के कारण, मलेरिया के कारण, राजस्थान राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 6 हजार विद्यार्थियों के जीवन को अन्धकारमय नहीं बनायें वरना ये विद्यार्थी सड़कों पर घूमेंगे, फिरेंगे और देश का समय बरबाद करेंगे इसलिये मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्री जी और बिक्री कर में जो घोटाले हो रहे हैं, राजस्थान की जनता को ठण्डा पेय नहीं मिल रहा है सम्बन्धित मंत्री महोदय से कहूंगा जो उपभोक्ता हैं, उसको कम्पनी से राहत दिलवायें और राजस्थान की जनता को ठंडा पेय उपलब्ध करायें और जो राज्य सरकार गलत नीतियों को प्रोत्साहन देना चाहती है उससे उनको राहत दिलवायें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये थे एक कान्ति कुमार पोद्दार को राजस्थान विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि दिये जाने के संबंध में और दूसरा भरतपुर की जो जाली फर्में थीं, ब्लेक लिस्ट हो गई थी, उनको पुनः परमिट देने की···

श्री उपाध्यक्ष : आज आपका यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी के पास विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भरतराम- चरतराम को डाक्टरेट की उपाधि दी गई और अब कान्ती कुमार को डाक्टरेट की उपाधि देना चाहते हैं जिसके खिलाफ इस सदन में स्ट्रक्चर पास किये गये हैं, जिसके खिलाफ इस सदन में चार्जेज लगाये गये हैं···

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया माननीय अध्यक्ष जी के पास विचाराधीन है। आपको सूचना दे दी जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, दो कम्पनियां जो एक्जिस्ट नहीं करती हैं उन्होंने 5–7 लाख का कोटा उठा लिया लक्ष्मी कम्पनी और होस्टर कम्पनी दोनों मामले गंभीर हैं। राजस्थान की युनिवर्सिटियां सारे भारतवर्ष के इजारेदारों को डाक्टरेट देने की जिम्मेदारी उठा ली हैं। चाहे वे जेल में रहते हों, चाहे उनके प्रति ब्लेक के केसेज हों, चाहे उनके खिलाफ चोरी के मामले हों···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्षजी के पास विचाराधीन हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था होनी चाहिये।

आय-व्ययक पर अग्रेतर विचार

मांग संख्या 36

श्री उपाध्यक्ष : आयव्ययक 1974–75 पर विचार।

माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,34,57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 38

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,61,91,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुई।

मांग संख्या 36 व 38 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): 1. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज के भाव उसकी लागत को देखकर तय नहीं किये जाने से कृषकों को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।)

2. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति के लिये जयपुर जिले की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 505– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर यूरिया खाद व उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद वितरण की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में पशु–चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालकों की स्थिति की ओर राज्य सरकार का अधिक ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

8. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों के देय अग्रिम पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोसवा बोर्ड को

Page No 49

(श्री दीपंकर)

बचाने के लिये राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये)।

10. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305— के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे काश्तकारों को कृषि उत्पादन के लिये आसान ब्याज पर समुचित ऋण की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305— के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय न होने से कृषि विकास की गति मन्द पड़ने के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा करने के लिये)।

20. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305— के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त के सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म की असफलता पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305— के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के ख्याति प्राप्त पशु मेला तिलवाड़ा में पशुपालन विभाग द्वारा मेले के समय स्वच्छ जल, रोशनी आदि की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन हेतु पशुपालकों को ऋण की कोई योजना नहीं होने पर उनमें व्याप्त असंतोष है इस पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायें (बाड़मेर जिले में सघन पशु विकास योजना के लागू करने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विख्यात पशु मेला बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा के विकास में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के हैडक्वार्टर बाड़मेर नगर में जिला पशु चिकित्सालय के भवन के लिए राज्य सरकार द्वारा भवन के निर्माण में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में पशुपालन विभाग की ओर से राजकीय थरपारकर ब्रीड का फार्म स्थापित करने में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

19. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान वर्ष में राजस्थान में केमिकल फर्टीलाइजर की उपलब्धि में अत्यन्त कमी एवं वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था के प्रचलन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य में कृषि उत्पादन को अधिकाधिक एगमार्किंग करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित चाबन ग्राम में डेरी फार्म की दोषपूर्ण व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

22. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु चर्चा के लिये)।

23. श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग की शिथिलता और अवैज्ञानिक स्वरूप पर चर्चा के लिये)।

25. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि की वर्तमान प्रणाली में सुधार न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन के व्यवसाय को वैज्ञानिक आधार पर चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

27. श्री प्रवीण सिंह (टोंक) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यूरिया का वितरण ठीक न होने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज वितरण में हुए घोटाले व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अच्छे सांडों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक शहर में ऊन वर्गीकरण केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये)।

(51)

31. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शीतलहर से फसल नष्ट होने पर चर्चा के लिये)।

32. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बल्लभनगर कृषि फार्म पर निर्माण कार्य के लिए दिये गए सहायतार्थ अनुदान सम्बन्धी अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

33. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विश्वविद्यालय बनाने के विषय में चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि अनुसंधान कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व उदयपुर विश्वविद्यालय को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

35. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के क्षेत्र में आई शीतलहर के कारण फसलों के नष्ट होने पर चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने में बाधक किसानों को समुचित सुविधा—यथा कृषि कुओं के लिए सीमेन्ट आदि की कमी, फ्यूजमाइल, डीजल, खाद, बीज आदि देने में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

37. श्री नाथूराम (बागीदौरा) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में कृषि की स्थिति को देखते हुए कृषकों की परेशानियों पर चर्चा के लिए)।

38. श्री भाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर में वितरित बीज से हुई कृषि की क्षति के सम्बन्ध में व रसायनिक खादों में ब्लेक के संबंध में चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रति हैक्टर उत्पादन में लक्ष्य से कम वृद्धि के संबंध में चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में मिट्टी व पानी की जांच का अलग से प्रावधान करने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालकों को देशी घी उत्पादन के लिए अनुदान के रूप में फतहपुर तहसील के लिये अलग से प्रावधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री झाबरमल सूंडा)

42. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन को खेती के साथ साथ कम ध्यान में रखने तथा इसके लिए धन की विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर के गांव कूदन में एक पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

44. श्री करणसिंह (डीग): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालयों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

46. श्री केशरीमल (ब्यावर): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग में फैली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

47. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय पर रसायनिक खाद व बीज वितरण में की जा रही धांधली से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

48. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों में सब प्रकार की सुविधाएं यथा बीज, खाद आदि किसानों को दे दी जावें तो कृषि में पूर्णरूपेण उन्नति हो सकती है इस पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों में पशुपालन की योजना बनाने पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये पशुपालन योजनाएं बनाई जाकर उन्हें लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

52. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा समय पर बीज खाद की व्यवस्था न करने से हुई हानि पर चर्चा के लिये)।

(श्री शंकर सिंह रावत)

53. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के पास खरपतवार तथा पौध संरक्षण की दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग की मनमानी व लापरवाही से पशुओं में व्याप्त रोगों को समाप्त करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

55. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में कृषि विकास कार्यकलापों के बारे में चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसलों में बीमारियों की रोक थाम के बारे में कृषि अन्वेषण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कृषि फर्मों के संचालन में होने वाले घाटों पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाई ब्रीड बीजों का समय पर वितरण न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि केन्द्र सेवाओं के विस्तार के बारे में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में तहसील सांचोर में कृषि ऋणों की सुविधा के लिये विशेष पैकेज स्कीम के अभाव पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस वर्ष सांचोर में गेहूं की फसल में गेरू की बीमारी के कारण होने वाले कुल नुकसान पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसल में गेरू की बीमारी के उपचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर एवं आहोर स्थानों पर कृषि मण्डियों की शीघ्र स्थापना करने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मण्डी भीनमाल के अन्तर्गत सांचौर में एक सब मण्डीयार्ड की शीघ्र स्थापना करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

65. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मण्डियों के विकास हेतु इन मण्डियों के लिए एक अलग बैंक की स्थापना करने पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मण्डियों के योजनाबद्ध विकास के लिए केन्द्रीय कृषि मण्डी बोर्ड की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मण्डियों के योजनाबद्ध विकास के बारे में चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों के हित में फसल बीमा योजना शीघ्र लागू करने के बारे में चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर मोबाइल अस्पताल की जीप काफी अर्से तक रिक्वीजीशन होने से समुचित इलाज न होने से पशुओं की मृत्यु पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील में मोबाइल यूनिट में स्टाक मैन की खाली जगहों पर शीघ्र स्टाक में न लगाने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में गत बाढ़ में पशुधन की हुई क्षति के बारे में चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में पशुनस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन केन्द्र एवं फार्म की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन रक्षा के लिये सांचोर तहसील में अधिक पशु चिकित्सा स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर की विलेज स्कीम हटाकर पाली ले जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालकों की कठिनाइयों को दूर करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पशुपालन सुधार बोर्ड के गठन पर चर्चा के लिए)।

76. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के

(श्री सज्जनसिंह)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में अच्छा बीज उपलब्ध नहीं कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए)।

77. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में खाद व पौध संरक्षक)।

78. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के पशुपालकों को बाढ़ के समय और उसके पश्चात् रोग निवारणार्थ विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

79. श्री रामचन्द्र पटेल (हनुमानगढ़): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को खाद व उर्वरक उचित मात्रा में उचित मूल्य पर न मिलने पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को उन्नत किस्म का बीज समय पर उचित मूल्य पर न मिलने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मजदूरों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि शिक्षा की कमी पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नांगल राजावतान तहसील दौसा व ग्राम मानपुर तहसील सिकराय में पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में चर्चा के लिए)।

84. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को खाद व उर्वरक उचित मात्रा में उचित मूल्य पर न मिलने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को उन्नत किस्म का बीज समय पर व उचित मूल्य पर न मिलने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचन के बाद भी अनिश्चितकाल के लिए गजट नोटिफिकेशन के अभाव में कार्य प्रारम्भ न कर सकने पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मजदूरों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

88. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि शिक्षा के अभाव व सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को खाद बीज समय पर न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को ऋण मुक्त कराने हेतु सरकार द्वारा प्रयास न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (राज्य में कृषि विकास पर विभाग द्वारा अत्यधिक ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में विशेषकर, दौसा, लालसोट व चाकसू तहसील में शीतलहर से फसल को भारी क्षति के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट, दौसा व चाकसू तहसीलों में यूरिया खाद की अत्यधिक कमी के कारण कृषि को भारी क्षति हुई इस पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भांडारेज तहसील दौसा में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

95. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गेहूं की प्रति एकड़ पैदावार को बढ़ाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार खाद, बीज के बंटवारे में समुचित व्यवस्था करने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

97. श्री रामकिशन (वैर) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गेहूं की प्रति एकड़ पैदावार को बढ़ाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार खाद, बीज के बंटवारे में समुचित व्यवस्था करने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

99. श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी (बयाना) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में बाढ़ से नष्ट हुई भूमि को कृषि योग्य बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

100. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील के पावटा ग्राम में कृषि विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा खाद व कूड़ आयल की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में बड़ा पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

103. श्री बनवारी लाल (धौलपुर): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग की अकर्मण्यता से कृषकों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

105. श्री शंकरलाल जाट (कपासन): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध नहीं होता है इस पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन की ओर सरकार द्वारा कम ध्यान देने पर चर्चा के लिये)।

107. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र में कृषि विकास हेतु कोई योजना बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

108. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा (जिला झालावाड़) क्षेत्र में कृषि के विकास के उद्देश्य से बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री भैरूलाल)
कम कर दिया जाय (पंचायत समिति मनोहरथाना (जिला झालावाड़) क्षेत्र के पशुपालकों को मालवी नस्ल के बछड़ों के विकास हेतु सरकार की ओर से सबसिडी दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति मनोहरथाना (जिला झालावाड़) क्षेत्र में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रजनन केन्द्र कस्बा अकलेरा–मनोहरथाना में स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये)।

111. **श्री महेन्द्र कुमार** (पाड़वा) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर मे कृषि की हालत को सुधारने व बर्ती गई अनियमितता को सुधारने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में पशुपालन की दुर्दशा को सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

113. **श्री रावतराम आर्य** (छापर) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (असिंचित क्षेत्रों में भी कृषि को विशेष प्रोत्साहन देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में पशुपालन धंधे को उचित प्रोत्साहन न दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

115. **श्री मोहनराज** (बाली) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र में गत खरीफ व रबी की फसल की बुआई के अवसर पर बीज व खाद दिलाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र के आदिवासी इलाके–बेडा–ना.ा में पशु चिकित्सालय हेतु आवश्यक प्रावधान न करने पर चर्चा के लिये)।

117. **श्री नारायणसिंह चौधरी** (दांतारामगढ) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समय पर खाद, बीज व कीटनाशक दवायें दिलवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

118. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी राजस्थान में कृषि उपज बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को आधुनिक खेती के औजार आदि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री लूणाराम)

120. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के लिए कृषकों को समय पर बीज खाद्य, तकाबी व सीमेंट आदि उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को बीज खाद्य तकाबी जो दी गई की उसकी एक साथ वसूली न करने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सम्वत 2030 फसल खरीफ की फसल के लिए बाजरा तथा अन्य प्रकार का जो बीज वितरण किया गया उसका मूल्य भी अधिक था तथा वह नहीं उगने वाला था-इस गड़बड़ी की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़, सूडसर, बिग्गा, मोमासर में कृषि उपज मंडी स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिक चिकित्सालय पश्चिमी राजस्थान में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी राजस्थान में अधिक कृत्रिम गर्भाधान खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की श्री डूंगरगढ़ में स्थापना करने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु क्षेत्र व चूरू जिले में मोमासर, सूडसर, बिग्गा में पशु चिकित्सालय स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालयों में दवाओं के अभाव व उनका उचित लेखा नहीं रखने पर चर्चा के लिये)।

129. श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में समय पर खाद, क्रूड आयल का न मिलने पर चर्चा के लिये)।

130. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

131. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन पर यथोचित ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 312 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मत्स्य उद्योग के प्रभावी विकासशील प्रयोगों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 38 मुख्य शीर्षक 312 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मत्स्य पालन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षित एवं अनुभवी अधिकारियों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

134. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डोन): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज व यूरिया खाद समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं इस पर चर्चा के लिये)।

135. श्री हरीसिंह (वेगूं): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के कृषि अनुसंधान को सरकार द्वारा समुचित दिशा निर्देश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के दक्षिणी जिलों में सरकार द्वारा पशु नस्ल सुधार को समुचित महत्व नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

137. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट व चाकसू तहसीलों में समय पर उन्नत बीजों का वितरण करने में विभाग को विफलता पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट व चाकसू में समय पर खाद वितरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कृषि विकास पर विभाग द्वारा अधिक ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में विशेष कर दौसा, लालसोट व चाकसू तहसील में शीत लहर से फसल को भारी क्षति के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट, दौसा व चाकसू तहसीलों में यूरिया खाद की अत्यधिक कमी के कारण कृषि को भारी क्षति हुई इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री मीठालाल मीणा)

142. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट व चाकसू तहसीलों में बछड़ों की नस्ल सुधारने हेतु अच्छे सांडों की व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की लालसोट व चाकसू तहसीलों में स्थित पशु चिकित्सालयों में दवाइयों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण तथा चिकित्सालयों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

144. श्री जेठमल बग्बड़ (परबतसर): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये आवश्यक साधन उपलब्ध कराने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 3· मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर पशु मेले के पूर्ण विकास तथा नये पशु औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

146. श्री शंकरलाल (पाली): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उत्पादन को बढ़ाने हेतु समय पर बीज व खाद दिलाने पर चर्चा के लिये)।

147. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): मांग 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में खाद बीज के वितरण की व्यवस्था के बारे में उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

148. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को सीमेन्ट, क्रूड आयल, खाद व बीज पर्याप्त मात्रा एवं उपयुक्त समय पर विभाग द्वारा उपलब्ध न कराने से सम्बन्धित विषय पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय न होने से संबंधित समस्या पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मंडी समिति औ उ के पदाधिकारियों की चुनाव प्रणाली त्रुटिपूर्ण होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

151. श्री रामगोपाल (किशनगंज): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में कृषि कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रामगोपाल)
कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में कृषि क्षेत्र में विकास पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की पशु विकास हेतु कोटा डिवीजन की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)

154. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केलवाड़ा जिला कोटा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद में पशुओं की संख्या को दृष्टिगत रखकर पशुओं की उचित देखभाल में विभाग की सफलता पर चर्चा के लिये)।

156. श्री सत्यासिंह (नदबई): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में कृषि विकास पर सरकार के ध्यान की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशु नस्ल सुधार के अभाव पर चर्चा के लिये)।

158. श्री गौरीशंकर (खानपुर) मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर तहसील में कृषि विकास हेतु विद्युत् प्रसार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

159. श्री विजयसिंह राठौड़(मांडल): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा कृषकों की समस्याओं के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा समय पर बीज नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (कृषि विभाग द्वारा नहीं ऊगने वाला बीज देने पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमान्त कृषकों के उत्थान हेतु बनी परियोजना का पूरा लाभ नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमान्त कृषकों को ऋण वितरण में पक्षपात एवं रिश्वतखोरी पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन

(श्री विजयसिंह राठौड़)
विभाग में होने वाली फिजूल खर्चों पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की बीमारी की चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या अपर्याप्त होने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी-पालन को बढ़ावा न देने पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेटरीनरी साइन्स ग्रेज्युएट्स को कम वेतन देने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भैंस पालन हेतु पशु-पालकों को अपर्याप्त साधन देने पर चर्चा के लिये)।

170. श्री चेतराम (टोड़ाभीम): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय कृषि के लिए सिंचाई, बीज, खाद, खेती के औजार आदि की प्राप्ति न होने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन की बिगड़ती दशा को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने व दूध देने वाले सभी पशुओं की नस्ल सुधारने पर चर्चा के लिये)।

172. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान में तहसील वैर, जिला भरतपुर के किसानों का कृषि उपज मंडी समिति में प्रतिनिधित्व न होने पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कार्य प्रणाली की जटिलता की वजह से कृषि कार्य के लिये ऋण चाहने वाले किसान को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्यान्न के उत्पादन के लिये सघन कृषि कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या, 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर में डेरी पशुओं के विकास के कार्यक्रम में गतिशीलता प्रदान करने बाबत चर्चा के लिये)।

Page No 64

(६५)

176. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशव रायपाटन में समानता के आधार पर खाद वितरण न किये जाने से अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खाद की भारी कमी की अव्यवस्था से कृषकों को समय पर खाद न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में समय पर खाद्य नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 38 मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के पशु चिकित्सालयों में व्याप्त अव्यवस्था एवं दवाइयां न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशवरायपाटन के कस्बा लाखेरी एवं बगान में नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने से भारी कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

181. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेहूं की खरीद की कीमत उचित न मिलने से किसान गेहूं के बजाय दूसरी फसलें उगाने लगा है तथा उससे उत्पादन घटने लगा है इस पर चर्चा के लिए)।

182. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रबी की फसल को शीत लहर से बचाने के उपायों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

183. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोबर को जलाने के बजाय कम्पोजड खाद बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि अधिकारियों की लापरवाही से गेहूं की फसल में रोली से हुए नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

185. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि फसलों की बीमा योजना चलाये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

186. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना जिला नागौर में अलग से कृषि उपज समिति मण्डी स्वीकृत करवाने के लिए चर्चा के लिए)।

Page No 65

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

187. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेहूं, व बाजरे के सुधरे हुए (हाइब्रीड) बीज के उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा के लिए)।

188. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर खाद, क्रूड आयल, डीजल आइल उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

189. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

190 मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ पालकों को सरकार द्वारा उचित संरक्षण न दिये जाने के लिए)।

191. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (नागोरी नस्ल के सांड उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर पशु मेला के विकास की ओर राज्य सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में अधिक दूध के लिए पशुओं की नस्ल सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान से बाहर चरने जाने वाली भेड़ों व भेड़ पालकों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अच्छी क्रास ब्रीड नस्ल तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

196. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डी पदमपुर में कृषि विभाग द्वारा रूई श्रेणीकरण केन्द्र न लगाये जाने पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को मण्डियों में अपनी कृषि उपज बेचने पर आढ़तियों द्वारा कमीशन, तुलाई की वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 205 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में किसानों को सस्ते भाव पर कृषि यंत्र न दिलाने पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

कम कर दिया जाय (उर्वरक भूमि प्रयोग शाला का गंगानहर शहर में न होने पर चर्चा के लिए)।

200. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में किसानों को सूरजमुखी व सब्जियों के बीजों के वितरण का कोई प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिए)।

201. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 304, 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति पदमपुर में किसानों को फलदार पौधों का कोई वितरण न होने पर चर्चा के लिए)।

202. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पदमपुर को मंडियों, पदमपुर, गजसिंहपुर करणपुर में भण्डारण का प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिए)।

203. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में किसानों को कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण देने का कोई प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिए)।

204. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में कृषि विभाग द्वारा उन्नत बीजों का वितरण नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

205. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को स्प्रेयर (दवा छिड़कने वाला यन्त्र) सस्ते भाव पर न देने पर चर्चा के लिए)।

206. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, पदमपुरा में कीटनाशक दवाओं का वितरण न करने पर चर्चा के लिए)।

207. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में रुई की अधिकतम उत्पादन योजना के नहीं चलाये जाने पर चर्चा के लिए)।

208. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, पदमपुर में फाउन्डेशन सीड्स का वितरण न होने पर चर्चा के लिए)।

209. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, पदमपुरा में खाद के वितरण में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

210. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में गेहूं, रुई व राया के हाई ब्रीड बीजों के वितरण नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

211. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपय

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में कृषि विभाग द्वारा हाईब्रीड बीजों का वितरण नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

212. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की मंडियों में मंडी समितियों द्वारा बेचे गये माल पर जो 25 पैसे शुल्क वसूल किया जाता है उस पर चर्चा के लिए)।

213. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर कृषि उपज मंडी समिति का चुनाव न कराने पर चर्चा के लिए)।

214. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर में डेरी पशुओं का संकरण द्वारा सुधार का प्रबन्ध नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

215. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालय पदमपुर में औषधियों की कमी पर चर्चा के लिए)।

216. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 312 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर क्षेत्र में जहां पर हर गांव में जोहड़े हैं मछली बीज उत्पादन का कार्य चलाये जाने पर चर्चा के लिए)।

217. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खुलवाये जाने पर चर्चा के लिए)।

218. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर में गहन कुक्कट विकास परियोजना विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से संचालित नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

219. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि ऋण समय पर उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए।

220. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन की सुरक्षा के अभाव पर चर्चा के लिए)।

221. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोखा में कृषि उपज मंडी में स्थान की कमी पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में काश्तकारों को ट्रैक्टर देने में पक्षपात किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

223. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं से सिंचाई की जाने वाले बीकानेर जिले के काश्तकारों को यूरिया खाद नहीं दी जाने पर चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बीज खरीदने में हुए घोटलों व काश्तकारों को ऊंची दर पर बीज दिया गया इस पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में फोडर व घास आदि खरीदने में किए गए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशुओं की नस्ल सुधारने पर चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केमल फार्म जोड़ बीड़ बीकानेर के ऊंट व सांडों को सही ढंग से चारा खुराक नहीं खिलाया जा रहा जिससे पशुओं का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और पशुओं के लिये दी जाने वाली धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की राठी नस्ल की गायों को रखने के लिए काश्तकारों को सरकार द्वारा सब्सीडी व लोन दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में आई. सी. डी. के सुचारु रूप से चालू करने पर चर्चा के लिये)।

230. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा): मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसल को दैव्य दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति के लिए फसल की बीमा योजना शुरू किए जाने पर चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा तहसील व छीपाबड़ोद तहसीलों में कृषि उपज मंडी कायम किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा व छीपाबड़ोद में रबी फसल को शीत लहर से हुई भारी क्षति पर चर्चा के लिये)।

233. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
कम कर दिया जाय (केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत गेहूं अभिजनन योजना की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

234. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समकक्षी योजना नई फसलों एवं जल प्रयोग पर अन्वेषण हेतु दी जाने वाली राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

235. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा उन्नत किस्म के खाद्यान्नों के बीज कृषकों को उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये) ।

236. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुधरे कृषि औजारों को लोकप्रिय बनाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये) ।

237. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन व्यापार योजनाओं से उचित लाभ प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

228. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

239. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मूल ग्राम योजना की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

240. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 365 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति हेतु किसानों को साधन उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये) ।

241. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं व उनके द्वारा पशुओं की चिकित्सा न करने पर चर्चा के लिये) ।

242. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन मेला कार्तिक चन्द्रभागा में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं व सरकारी रकम का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

243. मांग संख्या 38 मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ के जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के धन दुरुपयोग एवं अपनी ड्यूटी सही अंजाम न देने के बारे में चर्चा के लिये) ।

244. श्री शिवनारायण (बारां): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत

(श्री शिव नारायण)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि की उन्नति हेतु साधन उपलब्ध न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालकों के लिये अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध कराये जाने एवं उपयुक्त चारे चरनोट की सुविधा के संबंध में चर्चा के लिये)।

246. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)। मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पौध संरक्षण के कार्य में राजस्थान सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

247. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीब कृषकों को ऋण देने में सरकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शीत लहर द्वारा फसलों की हुई क्षति पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि अनुसंधान में व्याप्त शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के कृषि इन्जीनियर्स को रोजगार देने में कृषि विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषकों को उचित प्रशिक्षण के अभाव पर चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मजदूरों पर होने वाले अन्यायों पर चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में उर्वरक के वितरण में हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उर्वरक के वितरण में हुये पक्षपात और भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार के अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

257. श्री हरीकिशन (राजगढ़): मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास तथा अधिक अन्न उत्पादन के कार्यक्रम के लिए राजगढ़ तहसील के ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर कृषि कूपों को बिजली उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि क्षेत्र में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए राजस्थान में जिन जिलों में कुओं से सिचाई होती है उन जिलों में सरकार द्वारा स्पेशल बजट मंजूर किया जाकर कृषि विभाग के माध्यम से बिजली दिलाने की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों का समस्त फर्टीलाइजर का कोटा बजाय प्राइवेट डीलरों को देने के क्रय विक्रय सहकारी समितियों को अलाट करके वितरण कराने की व्यवस्था करने की चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 36. मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूर्वी राजस्थान के जिला अलवर में कृषि महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में प्रगतिशील किसान युवकों व किसानों को निःशुल्क कृषि विधान व कृषि से सम्बन्धित मशीनों का अल्पकालीन प्रशिक्षण दिलाने के लिए जिलेवार प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाकर व्यवस्था करने की चर्चा के लिए)।

262. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा पशु चिकित्सालय को विकसित करने हेतु चर्चा के लिये)।

263. श्री देवीलाल (सराड़ा): मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय जिला उदयपुर तहसील सराड़ा के पशुओं को बिमारियों से बचाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा गांव झाड़ोल में पशुओं को सुरक्षा के लिए पशुओं का औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

265. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): मांग संख्या 310 38, मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत मांग म से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में राठी नस्ल की गायों की नस्ल के व दूसरे दुधारु पशुओं के नष्ट होने से बचाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री देवीलाल)
कर दिया जाय (सघन पशु विकास योजना बीकानेर की विफलता पर चर्चा के लिये)।

267. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के बांये किनारे पर पशुपालकों की कोलेजेज आबाद करने, चारागाह, पशु नस्ल सुधार एवं विपणन की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310, के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिय जाया (लूणकरणसर क्षेत्र में इन्टेंसिव जीप डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान वूल डवलपमेण्ट बोर्ड के गठन पर चर्चा के लिये)।

270. श्री किशन मोटवानी (अजमेर, पश्चिम): मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर अण्डा उत्पादन में आगे है वहां पर पूरे राजस्थान के लिये मार्केटिंग सेंटर खोलने में प्रायरिटी देने पर चर्चा के लिये)।

271. श्री हनुसहाय (बैराठ): मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम गुलाब बाड़ी, ओतेला मनोहरपुर में पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

272. श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू): मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन वर्गीकरण केन्द्र का चूरू जिले में अभाव पर चर्चा के लिये)।

273. श्री भोपालसिंह (जैसलमेर): मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310, के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिला से भेड़ व ऊन विभाग द्वारा ए. आई. केन्द्र को उठाने पर वहां की जनता में भारी असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लाठी, जिला जैसलमेर से भेड़ व ऊन विभाग द्वारा ए. आई. केन्द्र हटाने संबंधी चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं खाद्य मंत्रीजी का ध्यान कुछ प्रमुख बातों की ओर दिलाना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: खाद्य मंत्री... कृषि के सम्बन्ध में है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: कृषि के सम्बन्ध में है, कार्यालय निदेशक है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इनके अन्तर्गत बहुत से विषय आते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: एक विज्ञप्ति प्रसारित हुई, एक टेण्डर विज्ञप्ति निकाली गई 1 जून, 1973, वह थी अल्प कालीन

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

सूचना, अल्पकालीन सूचना जिसके अनुसार राज्य सरकार कुछ सामग्री खरीदना चाहती थी और वह चाहती थी 27428 क्विन्टल बाजरा, 18900 क्विन्टल ज्वार 8400 क्विन्टल मक्का, 1950 क्विन्टल मूंग, 11225 क्विन्टल मोठ, 8950 क्विन्टल तिल एवं 11500 ग्वार क्रय करने हेतु उन्होंने नवज्योति में, एक तो नवज्योति में एक अलवर से साप्ताहिक पत्र निकलता है जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा है और केवल 50 प्रति निकालते हैं, ऐसे पत्र को जो अलवर से निकलता है और केवल 50 प्रति ही निकालता है और नवज्योति को जिसका कोई और सरक्युलेशन नहीं है टेंडर निकलवा दिया और टेण्डर निकालकर यह कहा गया कि 7 जून, 1973 को प्रातः 10 बजे टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं और आमंत्रित किये गये टेन्डर के अनुसार, 7 जून को जो टेण्डर आमंत्रित किये गये उसके अनुसार 10 फर्मे हैं जिन्होंने अपना एक पूल बना कर बाजार भावों से अधिक टेण्डर दिया था। वह राजस्थान सरकार ने स्वयं उन टेण्डर्स को स्वीकार कर लिया और स्वीकृत भावों पर यह सारा माल क्रय किया जाय-यह बात कह दी और यदि राजस्थान सरकार ने इन टेण्डर्स के भावों पर खरीदने की बात की तो राजस्थान सरकार को 40 हजार का नुकसान होगा यदि बाजार भाव में और जो फर्म ने टेण्डर दिया उसमें खरीदने की बात है। निदेशक, कृषि विभाग को सूचना दे दी। हमारे दल के नेता श्री भैरोंसिंहजी ने माननीय परसराम जी मदेरणा को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद आज हालत यह है कि व्यापारियों के कई टेलीग्राम राज्य सरकार के पास गये, उन लोग के पास गए व्यापारियों में बड़ा असन्तोष है लेकिन इस कम्पनी ने किसी प्रकार का टेण्डर भरा था और उन्होंने शर्त लगाई कि उत्तर प्रदेश से बाजरा लाने की अनुमति दी जाय और पंजाब सरकार से मक्का लाने का परमिट दिया जाय, यह शर्त रखी। उपाध्यक्ष महोदय, परमिट मिलने पर यह माल देगा और 40 हजार का लाभ उठायेगा और यह इस प्रकार के टेण्डर स्वीकृत हो गये कि मुझे अनुमति दी जाय उत्तर प्रदेश से बाजरा लाने की और पंजाब से मक्का लाने का परमिट दिया जाय और कोटा से ज्वार लाने के लेवी में छूट देने की मांग कर ली।

परिणाम यह हुआ मक्का, ग्वार के लिये तो राज्य सरकार ने अपना विचार स्थगित कर दिया। हम यह तो नहीं खरीदेंगे लेकिन मूंग, मोठ, तिल ऊंची दर पर खरीदने के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने मेरी जानकारी के आधार पर 10 तारीख को सारा सामान न खरीदने का निर्णय लिया था 10 जून को। लेकिन आश्चर्य की बात है 12 जून को खरीदने के आदेश पुनः प्रसारित हो गये। 10 को ना मंजूरी, 12 को फिर आज्ञा प्रसारित कर दी। इसलिये इस राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप हैं और पहला आरोप यह है कि लगभग डेढ लाख से सम्बन्धित जो टेण्डर है, मेरी किसी अखबार वाले से द्वेषता नहीं है पर नीति के आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं केवल नवज्योति में अल्प कालीन टेण्डर का प्रकाशन हो और एक महिला, कौन महिला है, मैं नहीं जानता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अखबर से प्रकाशित होती है साप्ताहिक पत्रिका जिसकी केवल 50 प्रतियां निकलें उनमें टेण्डर आमंत्रित हो यह दिखता है कि राजस्थान के जो श्रीमान भट्ट साहब हैं पब्लिसिटी के इन्चार्ज यह उनकी मिली हुई साजिश है। राजस्थान के इतने और पत्र हैं मैं समझता हूं कि जितने दैनिक पत्र राजस्थान में प्रकाशित होते हैं, साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते हैं, अंग्रेजी के पत्र प्रकाशित होते हैं, हिन्दुस्तान में उन सबको इस सारे के बारे में टेन्डर्स आमंत्रित करने के बारे में सूचना देनी चाहिए थी क्योंकि यह 5 रुपये का प्रश्न नहीं, 10 रुपये का प्रश्न नहीं, 100 रुपये का प्रश्न नहीं, यह 1।। करोड़ रुपये की खरीद से संबंधित प्रश्न है। इसलिए जो डाईरेक्टर साहब हैं श्रीमान् भट्ट साहब जिनको हटाने के बारे में मुखाड़िया जी ने भी कहा और स्वर्गीय बरकतुल्ला साहब ने भी कहा और जोशी जी का पता नहीं कि वह प्रसन्न हैं या नहीं लेकिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कभी जीप का घोटाला, कभी कागजों का घोटाला लेकिन फिर भी राजेन्द्र शंकर जी भट्ट डाइरेक्टर बने रहेंगे। चाहे मुख्य मंत्री जी कहते रहें। हटा दिया और फिर रख लिया। मैं समझता हूं कि ऐसे डाईरेक्टर जिनको कि समान रूप से अखबारों में प्रकाशन देना चाहिए था और नहीं दिया और राजस्थान की जनता के साथ राजस्थान के जनधन के साथ और वह भी 1।। करोड़ के धन के साथ भट्ट साहब ने धोखा किया है। मैं समझता हूं कि भट्ट साहब को आज ही मुख्य मंत्री जी को तुरन्त निलम्बित करने की घोषणा करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि नवज्योति में दे दिया, महिला को भी दे दिया लेकिन और पत्रों में क्यों नहीं टेन्डर्स आमंत्रित किये और यह मेरा सरकार पर गम्भीर आरोप है और मुख्य मंत्री जी को आज ही घोषणा करनी चाहिए कि भट्ट साहब को हमने आज से हटा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करूंगा कि टेन्डर्स आमंत्रित करने के लिए 7 दिन का समय रखा गया। 7 दिन का समय क्यों रखा गया ? स्वस्थ व्यापार के आधार पर प्रतिस्पर्धा के व्यापार के आधार पर, अन्य व्यापारी आपको टेन्डर्स दे नहीं सके इसलिए मैं समझता हूं कि 7 दिन का समय रखा गया। यदि आप अधिक समय रखते और सारे अखबारों में इस प्रकार का टेन्डर का प्रकाशन होता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह घोटाला फिर नहीं चलता जो कि बाजार में भाव कम और ऊंचे भाव पर फर्म अनाज बेचना चाहती है वह घोटाला नहीं चलता। इसलिए दूसरा आरोप यह है कि टेन्डर्स आमंत्रित करने के लिए जो 7 दिन का समय रखा गया जिससे समस्त व्यापारियों में स्पर्द्धा के आधार पर टेन्डर्स आमंत्रित करने का समय नहीं मिले।

तीसरा आरोप मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि बाजार के भावों का उस समय ध्यान नहीं रखा गया। राजस्थान की सरकार जिसके पास सी. आई. डी. विभाग और अन्य विभाग हैं उसको यह पता नहीं, रोजाना रेडियो पर आता है, अखबारों में भाव छपते हैं और राजस्थान सरकार को नहीं मालूम था कि बाजार भाव क्या हैं और लगभग 6 लाख या 8 लाख रुपये की

75

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
सरकार को हानि हुई और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय में जनरल फाइनेन्शियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स में लिखा हुआ है कि टेन्डर्स आमंत्रित करने और स्वीकार करने के संबंध में एक निर्धारित प्रक्रिया है। मैं आरोप लगाता हूं और तीसरा आरोप मेरा यह है कि टेन्डर्स आमन्त्रित करने और उनको स्वीकार करने के लिए जो जनरल फाइनेन्शियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स में प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया, क्योंकि कुछ व्यापारियों को और अपने चहेतों को लाभ देना था।

चौथा आरोप यह है कि बीज की किस्म के बारे में विचार किया जाने वाला था उसके लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि कैसा बीज होगा लेकिन एक बात टेन्डर में लिखी हुई थी कि बीज का नमूना प्राप्त कर दुर्गापुरा प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जायेगा। जब तक बीज की उपजाऊ शक्ति का नतीजा नहीं आता विभाग के पास माल रहेगा। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार दुर्गापुरा फार्म से जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही वह टेन्डर स्वीकार कर लिए गए। आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी? जब दुर्गापुरा फार्म पास में ही है और जब वहां से जानकारी आ जाती कि अच्छा है या बुरा तब खरीदना था लेकिन अपने चहेतों को लाभ देने के लिए यह कृत्य राज्य सरकार द्वारा किया गया।

पांचवां आरोप यह है कि मूंग की किस्म कैसी होगी। इसमें सीकर अथवा नागौर वाली का उल्लेख है जब कि व्यापारियों ने मूंग सप्लाई करने हेतु चूरू व जोधपुर से क्रय किया। जहां का मूंग होना चाहिए या वहां का नहीं था। इसी प्रकार से मोठ सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू का होने की शर्त थी परन्तु मोठ जोधपुर और जयपुर का खरीदा गया। इसी प्रकार से तिल की किस्म जो होनी चाहिए थी वह मेड़ता, पाली अथवा स्थानीय निर्धारित है परन्तु तिल खरीदा गया जोधपुर से। गवार होनी चाहिए थी सीकर, झुंझुनूं अथवा नागौर वाली लेकिन अधिकांश गवार गंगानगर से खरीदी गयी। इसी प्रकार से बीज सप्लाई जो किया गया है उसमें निवेदन यह है कि उसमें किस प्रकार का बीज होगा यह भी बात टेन्डर में नहीं। इसके बाद बात यहां तक है कि जो पैसा दिया जायेगा माल प्राप्ति के 15 दिन बाद इसके तुरन्त भुगतान की व्यवस्था की जायेगी, यह उसमें लिखा है। परन्तु हुआ क्या कि व्यापारियों के किये हुए समझौते के अनुसार यह शर्त थी लेकिन उसमें क्या हो गया माल प्राप्त होने पर, चाहे खराब आ जाये, 90 प्रतिशत माल का भुगतान तुरन्त कर दिया जायेगा। जब शर्त थी कि 15 दिन में होगा, चाहे अच्छा होगा या बुरा होगा जांच करलेंगे, बहुत जल्दी आपने की और जल्दी करके व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने 90 प्रतिशत माल का भुगतान तुरन्त कर दिया जायेगा—यह शर्त उस टेण्डर में लिख दी। इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ी हुई दरों पर माल लेना और तुरन्त भुगतान 15 दिन की शर्त का उल्लेख करना, पैसा दे देना इससे राज्य सरकार की बेईमानी की नीयत, बड़े बड़े व्यापारियों से मिली होने की नीयत

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और ऊंचे भाव से ख़रीद की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है और इसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह शर्त है कि जो आदमी टेन्डर देगा वह आयकर व सेल्स टैक्स अधिकारियों के क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट देगा लेकिन वह भी सर्टीफिकेट उन कम्पनियों के द्वारा नहीं दिया गया। मेरा निवेदन करना यह है कि इन व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर यह निर्णय लिया गया राज्य सरकार के प्रभाव के कारण।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को आखिरकार यह विचार करना चाहिए कि यदि हम मंहगे भाव पर बीज खरीदेंगे तो किसान तो आज चतुर है और होना चाहिए, यदि उसको बाजार में वह बीज सस्ते भाव पर मिलता है तो मंहगे भाव पर खरीदे हुए बीज को और घोटाले वाले बीज को कृषक नहीं खरीदेगा तो और भी सरकार पहले घाटे में क्योंकि मंहगे भाव में खरीदा हुआ है फिर किसान सस्ते भाव पर खरीदेगा और सस्ते भाव पर राज्य सरकार बेचेगी तो और हानि। यह डबल हानि वाला तरीका राज्य सरकार ने किया। इसके बाद आज हालत यह है कि किसान या तो खरीदेगा नहीं या बीज पड़ा रहेगा और इसके कारण बीज बिलकुल निकम्मा हो जायेगा और अन्त में उस निकम्मे बीज को सस्ते भाव पर बेचना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय जो कलेक्टर थे उन्होंने भी राज्य सरकार को सलाह दी कि कम से कम इस मंहगे भाव पर बीज सरकार को नहीं खरीदना चाहिए और बीज खरीदने के लिए जिला स्तर पर सस्ते बीज को खरीदने के लिए राज्य सरकार से कलेक्टर्स ने अनुमति मांगी लेकिन राज्य सरकार को तो बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ देना था और राज्य सरकार को व्यापारियों का ध्यान था कि यह हमारे व्यापारी हैं और उनको लाभ पहुंचाना है तो न तो कृषक की भावना थी और न जनता की भावना थी और न भट्ट साहब को टोका कि आप क्यों नियमों का उल्लंघन करते हैं। वह उल्लंघन हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिरकार राज्य सरकार को बीज चाहिए थे कृषि विभाग को बीज चाहिये थे तो बीज चाहिए था तो एकदम बीज खरीदने की क्या आवश्यकता थी, क्या तत्परता थी। यह कृषि विभाग की कर्मण्यता है, कृषि विभाग निकम्मा विभाग है। कृषि विभाग को अगर बीज खरीदना था तो समय पर क्यों नहीं खरीदा, आपको बीज चाहिए था तो समय पर तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन समय पर खरीदने की तैयारी नहीं, बीज समय पर खरीदने वाली बात नहीं। समय पर बीज लिया नहीं, इसलिए कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाली बात थी। मेरा कृषि विभाग के अधिकारियों पर सीधा आरोप है कि उन्होंने ऊपर के प्रभाव में आ करके प्रशासनिक आधार पर निर्णय लिया और प्रभाव में आ करके निर्णय लेना यह विभाग की अकर्मण्यता है। उनकी अकर्मण्यता के आधार पर समय पर बीज नहीं खरीदा जा सका और इसकी वजह से राज्य सरकार को लाखों का नुकसान हो गया। मैं समझता हूं कि यह इस प्रकार की नहीं कि जिसको साधारण तौर पर लिया जा सके। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 20 जून को व्यापारियों को प्रचुर मात्रा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में जो बीज खरीदने वाली बात थी, उनको उस तारीख तक बीज देना चाहिए था लेकिन यहां पर तो चूंकि उनको लाखों का फायदा पहुंचाने वाली बात थी इसलिए मान न मान मैं तेरा मेहमान, आप उनका समय बढ़ा रहे हैं। तुम इस टाइम तक नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, टाइम बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से भयंकर घोटाले हुए हैं। इस समय मैं और बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय जनसंघ के हमारे माननीय नेता श्रीमान भैरोंसिंहजी शेखावत ने बरकत साहब को पत्र लिखा, खाद्य मंत्री को पत्र लिखा, राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया तो सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की थी। कमेटी मुकर्रर की थी आपने तारीख 22-6-73 को आज्ञा सं. एफ. 7(40) ओ ए/डी आर/73 दिनांक 22-6-73 इस तारीख का आपने जांच कमेटी मुकर्रर की उसमें लिखा है :

Governor is pleased to constitute a Committee comprising the following officers to conduct an enquiry into the contracts placed by the Department of Agriculture for purchase of seeds for supply to the farmers during the current Kharif season.

फाइनेंस कमिश्नर इसके कन्वीनर, फूड कमिश्नर इसके मेम्बर, ला सेक्रेट्री इसके मेम्बर और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया वह है:

The terms of reference would be as under:—

(i) Whether the rules and procedure for inviting and finalising the tenders for the purchase of various kinds of seeds were observed. In particular whether adequate publicity was ensured for the Tender inquiry.

यह जो मैंने आपसे निवेदन किया महिला के अखबार का, उसमें सात दिन का समय दिया गया।

Whether the accepted tender rates were higher than prevailing market rates for the various kinds of seeds.

यह जो आपने अधिक मूल्य पर बाजरा और ज्वार इस किस्म की होनी चाहिए थी वह भी नहीं थी, समय पर बांटने वाली बात थी वह हुई नहीं, पेमेंट आपने 90 परसेंट कर दिया, उसके बारे में लिखा है :

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

If the answer to the point (ii) is in the affirmative, whether there was adequte justification for accepting the higher rates ?

चौथा :

What was the rule of directorate of Public Relations in providing publicity for the tender notice ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप में जरा भी सत्यता है तो माननीय मंत्रीजी आप एकदम खड़े हो जायं, और खड़े होकर कहें कि यह रिपोर्ट आ गई और डायरेक्टर ने इस प्रकार से अन्याय किया है। आप खड़े होकर कहें कि मैं मंत्री रहूं, या नहीं रहूं या तो राजेन्द्रशंकर भटट् डायरेक्टर रहेंगे या मैं रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। यदि आप ईमानदारी को दबाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है :

To fix individual responsibility for lapses, if any.

फिर लिखा है :

Suggestions, if any for making such purchases in future.

इसमें अन्त में लिखा है; यह देख लीजिये यह कमेटी 22–6–73 को बनी है, अभी हाल की बात नहीं है। इसमें लिखा था :

The Committee shall submit its report within a week.

अब यह 22–6–73 से अब तक 'विदिन ए वीक' की परिभाषा कौनसी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज मैं अन्य बातों पर कुछ नहीं कहना चाहता कि क्या मूल्य आपने निर्धारित किए हैं, किसानों को बीज नहीं मिलता, किसानों को खाद नहीं मिलता, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, किसानों की परेशानियां हैं, लेवी की रेट जो रखी गई है वह वाजिब नहीं है, मैं आज इन बातों पर नहीं जाकर मैं आज तो आपसे यह चाहूंगा कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उस कमेटी की रिपोर्ट को आप सदन में खड़े होकर प्रस्तुत करें कि यह कमेटी की रिपोर्ट है। कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन आप अपने अधिकारियों को बचाने के लिए, राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए, आपके काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए आप यदि उस समिति की रिपोर्ट को यहां पर प्रकाशित नहीं करते हैं तो फिर सदन में बैठने का आपको कोई हक नहीं है, मुझे यहां बैठने का कोई हक नहीं है। आप वाहवाही लूटने के लिए यहां पर वही रटे रटाये आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि इतना कृषि का विकास हो गया इतना कृषि उत्पादन बढ़ गया, मैं यह वाहवाही लेने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त खड़े होकर कहें कि यह रिपोर्ट रही। राजेन्द्रशंकर भट्ट का पक्षपात केवल एक दैनिक के साथ ही नहीं है बल्कि एक महिला वाला अखबार जिसकी 50 कापियाँ छपती हैं, अलवर से और जो वीकली अखबार है जिसकी 50 कापियां छपती हैं, उसको इसका एडवरटाइजमेंट देकर इस प्रकार का उन्होंने पक्षपात किया है। सभी अखबार वालों को टैन्डर नहीं देकर छपने के लिए और पूरा समय नहीं देकर नियमों का पालन नहीं किया, टेंडर जितने दिन का होना चाहिए, वह टाइम दिया नहीं, बाजार भाव से अधिक भाव पर माल खरीदा गया, समय पर पहले भुगतान कर दिया।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

सारी बातों में पक्षपात किया है और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के भयंकर घोटाले, मैं समझता हूं कि इन घोटालों के बारे में आप यदि सदन में खड़े होकर इस समय नहीं कह सकते कि मैं यह कहता हूं कि यह रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और राजेन्द्रशंकर भट्ट को हटा दिया है। राजेन्द्रशंकर भट्ट के खिलाफ यह रिपोर्ट दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपमें हिम्मत नहीं है कि आप यहां सदन में खड़े होकर कह सकें कि यह रिपोर्ट आ गई है तो मैं समझता हूं कि इस सदन में मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे दल के लोगों को, आपकी वाहवाही सुनने के लिए कि कृषि में इतना विकास हो गया है, इतना प्रोडक्शन बढ़ गया है इसके विपरीत किसानों की क्या हालत है, यह किसी से छुपा नहीं है, किसानों को बिजली नहीं मिलती, किसानों को पानी नहीं मिलता, बीज खाद और यूरिया नहीं मिलता और राष्ट्रीयकरण के बाद बाजार में गेहूं की क्या हालत है, मै इन बातों में नहीं जाता हुआ यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और मेरे जो अन्य साथी हैं उनके लिए यहां बैठना, आज की तारीख में आपके सामने बैठना अपमानजनक है जब तक कि आप यह घोषणा नहीं करते कि रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यह वह रिपोर्ट है, राजेन्द्रशंकर भट्ट ने यह पक्षपात किया है और हम यह कार्यवाही करने जा रहे हैं, क्योंकि आप यह घोषणा करना नहीं चाहते इसलिए मैं सदन का वाकआउट करके जा रहा हूं मेरे दल के साथियों के साथ।

(सर्व श्री गिरधारीलाल भार्गव एवं श्री अजीतसिंह द्वारा बहिर्गमन)

(समय 12.46 म.प.)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव कृषि, पशुपालन और पंचायत सम्बन्धी हैं और मै संक्षेप में उन्हीं पर प्रकाश डालूंगा। कृषि के बारे में इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान के निर्माण होने के बाद इस लोककल्याणकारी राज्य ने काफी प्रगति की है और इस राजस्थान के बंजड़ इलाके को उपजाऊ इलाके में परिवर्तित करने में काफी प्रगति की है और जिस तरह से राजस्थान कैनाल और कोटा में प्रगति की है वह तो सराहनीय है ही परन्तु साथ ही साथ यह राजस्थान भूजल मण्डल ने सर्वे करा कर कुछ लघु

(12.47 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

सिंचाई योजनाओं को प्रारम्भ किया है।

मैं नागौर जिले की लघु सिंचाई योजना के बारे में निवेदन करूंगा जिसमें लाडनूं में एक लघु सिंचाई योजना बनाई गई है और उससे राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं उनकी एक कमेटी आई थी बम्बई से, उन्होंने भी उसे मान्यता देने के लिए यहां स्पेशल सेकेट्री, एग्रीकल्चर से सिफारिश की और कृषि वित्त निगम ने भी सिफारिश की परन्तु उस स्कीम को कार्य रूप नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है। इसलिए उस लघु सिंचाई योजना को शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना चाहिए। वहां एक स्कीम भूजल मण्डल की भी चल रही है जिसके तहत जिस काश्त-

(श्री दीपंकर)

कार के पास जमीन है वह वहां बेरा खोदता है और उसी के आधार पर जो लघु सिंचाई योजना डीडवाना और लाडनूं में है उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। पहले एक्सपेरीमेंटल तौर कुआ खोदना तय किया गया लेकिन वह स्कीम न मालूम किस कोल्ड स्टोरेज में पड़ी है इसलिए जनता को लाभ नहीं हो रहा है। आशा है इस स्कीम को कार्य रूप, मंत्री महोदय, दिलाने की कोशिश करेंगे। कुओं के बाबत भी बड़ी भारी दिक्कत है। एक गांव में बेरा खोदा जा रहा है, दूसरे नजदीकी गांव में जहां पानी है, अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट है कि बेरा खोदा जाना चाहिये और जो निजी कुए हैं उन पर भी खुदाई करनी चाहिये लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने से किसानों को निराश होना पड़ता है, इसलिए इसमें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए, और करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

जहां तक उपज का सम्बन्ध है, जो भी काश्तकारों की उपज है वह बिचौलियों के बिना बाजार में लेकर बेचे जाने के लिए मार्केटिंग सोसायटियां हैं या कृषि उपज मंडियां हैं। उनकी उपज को अगर सही तरीके से ध्यान देकर, राष्ट्रीयकरण गेहूं का किया उसमें किसानों को विश्वास में लेकर किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो झगड़ा दुकानदारों के साथ सरकार का हुआ और सरकार को फेल करने की कोशिश की और काश्तकारों को बहकाया और एक स्थिति बनी कि जरूरतमन्दों को धान नहीं मिला भाव बहुत बढ़ गए, वह स्थिति आयन्दा पैदा नहीं हो इसके लिए मार्केटिंग सोसायटी और कृषि उपज मंडी को विश्वास में लिया जाना चाहिए। कृषि उपज मंडियों का जो निर्माण हुआ है उसमें कई तहसीलों को शामिल कर दिया इसलिए लोगों को है दिक्कत इसलिए जहां उपज ज्यादा है या कम है, अगर उनका अलग अलग तहसील वाइज निर्माण किया जाये तो काश्तकारों को ज्यादा लाभ होगा और एक तरह से यह अच्छा भी होगा कि लोगों को समय पर अनाज मिले। मार्केटिंग सोसाइटीज की यह हालत है कि उनको मकानात बनाने के लिए पैसा नहीं मिलता है। एक दौर गुजरा, जिस में सोसाइटी को मकान बनाने के लिए पैसा मिला। बाकी जो दूसरी सोसाइटियां हैं वे आज कागजों में पड़ी हुई हैं। वे चाहती हैं कि उनको भी मौका मिलता चाहिये तो इस तरीके से उनको मौका मिलना चाहिये।

रेडियो से काश्तकारों को कृषि के सम्बन्ध में जो सूचना दी जाती है, वह अच्छा कार्यक्रम है। किस तरह से काश्त को बीमारी लगती है, उसे कैसे बचाया जा सकता है और कैसे उसको अच्छे रूप में रखा जा सकता है। परन्तु जब हम देखें, प्रेक्टिकली इसको देखें कि काश्त एक तरह से बीमार हो रही है, उसको बीमारी लग रही है, तो उसको रोक थाम के लिए जितनी तत्परता से दवा आनी चाहिये, वह नहीं आ पाती है। इसलिए काश्तकारों को नुकसान होता है। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए अभी तक सोचा ही नहीं किया गया है। नागौर जिले में

(श्री दीपंकर)

बाजरे की फसल में एक ऐसी ही भयंकर बीमारी लगती है और वह आधे से ज्यादा काश्त को खराब कर देती है। उस बीमारी से बाजरे को बचाने के लिए विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यदि हो सकें तो आप हर साल बीज को बदल दीजिए। आखिर यह बीमारी क्यों है, इसका अनुसन्धान होना चाहिये। हमारे यहां काश्त में प्रमुख बाजरा है, जो कि खाने के काम आता है और उसकी बीमारी की रोकथाम के लिये उचित प्रबन्ध होना आवश्यक है।

शहरों में छोटे छोटे फार्मों में सब्जियां पैदा की जाती हैं। हम यह देखते हैं कि इनमें भी लाल रंग के छोटे छोटे जानवर, कीड़े लग जाते हैं और ये कीडे जितनी भी सब्जियां हैं उनको नष्ट कर देते हैं, पौधे को खराब कर देती है। इसलिये इस जानवर, कीडे को नष्ट किया जाये और विभाग द्वारा इसका अनुसंधान किया जाये और किसी दल द्वारा समय पर वहां दवाइयां छिड़की जायें ताकि ये कीडे पैदा न हों और इन पौधों को बचाया जा सके।

सहकारी समितियां गठित की गई है काश्त को सामूहिक रूप से करने के लिये जिस तरीके से अच्छे बीज को डाला जाये किस तरह से काश्त को बढावे। परन्तु ये सारी सहकारी समितियां कागजों में हैं। किसी भी सहकारी समिति के साथ में कृषि विभाग का विशेषज्ञ नहीं है और नकोई राय ही इनको दी जाती है और न किसी प्रकार से इनको प्रोत्साहित ही किया जाता है। हम सहकारी समितियों को किस तरीके से उन्नत बीज, खाद और साधन दें, यह अभी तक नहीं हो पाया है इसलिए ऐसी कई जगह जहां भी सहकारी समितियां गठित हो गई है या रजिस्टर्ड हो गई है, वे नाम मात्र की न रह कर इन सहकारी समितियों में कैसे ऊपज के लिए एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये, कैसे अधिक उत्पादन हो, इसकी तरफ भी सरकार को या उसके विभाग को ध्यान देना चाहिये। कृषि समितियां इस तरह से पड़ी हैं प्रभावशील व्यक्तियों ने इस विचार से सोसाइटी बनायी थी, उनको उन से दूर रखने की कोशिश की जाती है और सी. ओ. लोग जो चुनाव करा देते हैं उसमें बहुत कोशिश करने के बाद भी सही लोग नहीं आ पाते हैं। इस प्रकार सही आदमी सोसाइटी में नहीं आते हैं और मनमाने चुनाव करा कर कोर्ट से स्टे ले आते हैं और वर्षों तक सोसाइटी बंद रहती है। मूल पूंजी को इधर-उधर आने जाने में खर्च कर देते हैं। जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा नहीं करते हैं।

जहां तक पंचायती राज का सवाल है। पंचायती राज और सामुदायिक विकास एक अच्छा महकमा था। गांधी जी ने कहा था हमारा हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। हर गांव में एक पंचायत हो। आज पंचायतों की क्या हालत है। पंचायत समिति किस तरह से गांवों का सामुदायिक विकास कर रही है इससे माननीय सदस्य परिचित हैं। उनके पास इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। न पंचायतों के पास

(श्री दीपंकर)

में कोइ पढ़ा हुआ सेक्रेटरी है और पचायतों द्वारा काई निर्णय लिया जाता है तो उसको पटवारी मानने को तैयार नहीं है। पंचायत समिति अपने किसी निर्णय को कार्यरूप देना चाहती है तो मजिस्ट्रेट उसमें सहयोग नहीं देता है। सिवाय मास्टरों को तनख्वाह देने के अलावा पंचायत समिति के पास में कोई काम नहीं है। सामुदायिक विकास का मतलब सामूहिक रूप से सभी वर्गों के लोगों को, सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास से है। इसके लिए यह आवश्यक है हमारे निर्णय कार्यरूप में आवें तो उस क्षेत्र में एक्सपर्टस को वहां पर बिठायें और उसके साथ ही साथ कार्यों का निरीक्षण हो। गांव वालों का सहयोग लेकर उन कार्यों का पूरा करवाया जाये तब तो यह कह सकते है कि यह सामुदायिक विकास है अन्यथा आज तो सामुदायिक विकास न हो कर सामुदायिक विनाश हो रहा है। न ही वहां पर पशुधन के बारे में सलाह देने वाला कोई है और न किसी तरह से समय पर बीज वहां पर पहुंचता है और न किसी तरह से खाद पहुंचता है और, जहां कहीं लोगों ने अपने पास से बैरे खुदवा लिए हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था है। पंपिंग सेट आज कई जगहों पर बंद पड़े हैं। कितना प्रोडक्शन पर असर हो रहा है। इस असुविधा को दूर किया जाना चाहिये। इसके लिए ऐसी किसी मशीनरी की तजबीज की जाए कि हर साल हमारे उत्पादन न घटे। जहां उत्पादन करने के लिए लोग तत्पर हों और साधन चाहते हों वहां पर उनको साधन मिलने चाहिए परन्तु उनको ये साधन समय पर नहीं मिलते है।

राजस्थान का, जहां तक बीज का सवाल है यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार के पास में इतना बीज उपलब्ध नहीं होता है कि राजस्थान में जहां कहीं भी लोग बीज की आवश्यकता महसूस करते हैं, उनको समय पर बीज दिया जा सके। सभापति महोदय, इस बीज के लिए हम दूसरे प्रान्तों से पत्र व्यवहार करते हैं और वहां से मंगाने की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। इसके लिए टेन्डर आमंत्रित करते हैं जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा इसलिए इस काम के लिए राजस्थान में क्यों नहीं व्यवस्था करें। यह हो तो अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ सकता है। इस दिशा में हम काम कर सकते है। जहां तक बीज पैदा करने का सवाल है, सीकर के पास एक स्थान है जहां पर यह लिखा हुआ है बीज उत्पादन केन्द्र। बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। बहुत बड़ी जमीन भी है और स्टाफ लिए क्वार्टर्स भी। परन्तु वहां एक साल तो कहीं बीज का उत्पादन हुआ होगा, अब नहीं हो रहा है। हो सकता है कि किसी के ध्यान में नहीं रहा हो। फिर उस जमीन पर कृषि विभाग के बजाय काश्तकारों को काश्त करने दी जाती। मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं, सभापति महोदय, कि जो स्थान कृषि विभाग के पास है, विशेष तौर से बीज उत्पादन के लिए, विशेष पौधों के उत्पादन के लिए जो जगह नियत कर ही दी गयी है, उनका निरीक्षण करावें और उन जगहों का सही मायने में इसी कार्य के लिए उपयोग करावें और वहां से बीज का उत्पादन करा कर काश्तकारों को दें और उनसे बराबर रिपोर्ट ले तो यह एक एक

(श्री दीपंकर)

उपयोग होगा और काश्त में भी बढ़ोतरी होगी। यह नहीं होगा तब तक उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं होगा।

पंचायत समिति का सवाल है। पंचायत समितियों को किसी प्रकार के फण्डस नहीं दिए जाते हैं। केवल अध्यापकों की तनख्वाहे वे दे रही है। जिस तरह की हालत है उसमें मियाद बढ़ाना या न बढ़ाना समय बर्बाद करना है। लोग इनसे निराश हो चुके हैं पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायतों के सरपंच, इनसे निराश हो चुके हैं और गांव वाले इन लोगों से निराश हो चुका हैं। गांवों में कोई जमाना था जब भी सार्वजनिक काम करने का सवाल आता है चाहे वह तालाब बनाने का हो, कोई रास्ता बनाने का सवाल हो, उसके लिए सभी गांव वाले सहयोग देते। जबसे सामुदायिक विकास का महकमा, पंचायती राज का दफ्तर खुला, विकेन्द्रीकरण को योजना लागू हुई लोगों ने सोचा अब हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार सहयोग मांगेगी तो हम सहयोग करेंगे। सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता यह माना कि इस तरह के एक्सपर्ट चाहे वे काटेज इन्डस्ट्री के हों, चाहे किसी तरीके के हों उनको हटा दें और यह कहा कि जन-प्रतिनिधि इस लायक नहीं हैं कि वे इस महकमे को समझें। इस प्रकार से सब महकमें के प्रतिनिधियों को हटा लिया और राजस्थान की जो पंचायत समितियां हैं वे बिल्कुल खाली पड़ी हैं और वहां पर एक विकास अधिकारी है और अमूमन राजस्थान में सूखा पड़ता है इसलिए अमूमन पंचायत समितियों में जो विकास अधिकारी हैं वे आपके पशु-पालन विभाग के हैं। पशु-पालन विभाग का विकास अधिकारी विकास क्या करेगा। उसका स्वयं का पशुवत् जीवन बन जाता है। वह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। आज सबसे ज्यादा तो फेल्योर यदि अधिकारी है तो वह पशुपालन विभाग का अधिकारी है जो विकास अधिकारी बना हुआ पंचायत समितियों में बैठा हुआ है। वह किसी योजना को समझता नहीं है और दूसरे महकमें के अधिकारी है वह उस योजना को कार्य रूप देना चाहते हैं तो देने नहीं देता है। यदि हमने पंचायत समितियों को सामुदायिक विकास के साथ जोड़ा है और इनके जरिये से गांवों का विकास करना चाहते हैं, इनके जरिये से काम करवाना चाहते हैं, पंचायतों की समस्या को हल करवाना चाहते हैं, शिक्षा में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो जरूरी है कि लोगों में नया उत्साह पैदा करके इसके लिए पैसा दिया जाय, और एक्सपर्ट उनको दिये जायं। जन-प्रतिनिधि अपने अच्छे और बुरे को जानते है। जन-प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आने पर सरकारी अधिकारियों की पूछ क्या होगी इसलिए जन-प्रतिनिधियों को बाहर निकाल दिया। इस तरह की रिपोर्ट तैयार की, इस तरह का षड़यन्त्र किया गया है उसकी वाकिफकार सरकार है। चुनाव कुछ दिनों के बाद कराये और हो सकता है कि समय कुछ और आगे दें, लेकिन गांवों में लोग लम्बी-चौड़ी आशाएं लगाकर बैठे हैं। जितना जल्दी चुनाव हो सके उतना अच्छा है। चुनाव से नई योजनाएं आयेंगी, नये अधिकारी

(श्री दीपंकर)
आयेंगे और नई प्रेरणा मिलती है। यह लोग आशा लगाये हुए हैं। गांव इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं। यहां पर सामुदायिक विकास महकमा बना हुआ है और बहुत बड़ा अमला जयपुर में बैठा हुआ है तो वह केवल किसी सरपंच की शिकायत सुनने के लिए, किसी सरपंच को सस्पेण्ड करने के लिए, किसी पंच के बारे में सुनने के लिए, यह सामुदायिक विकास का महकमा बैठा हुआ है। आज जो काम चल रहा है उससे काम नहीं चलाने वाला है किसी के कहने से किसी मास्टर की बदली कर दें, यह सामुदायिक विकास के महकमे की पूर्ति नहीं है।

अब मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं थोड़ा सा पशुधन के बारे में। खेती के बाद दूसरा कोई काश्तकारों का आधार है तो वह पशु है और पशुओं में यह एक विशेष बात है कि जो उपयोगी पशु हैं उनका वे संरक्षण बराबर करते हैं, अपने बच्चों की तरह से उनका पालन करते हैं। उनके लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं, लेकिन सरकारी योजना का उपयोग एक काश्तकार को, एक पशु-पालन को पूरी तरह से मिल सके इसमें कुछ कमियां हैं। भेड़ के लिए एक बहुत बड़ा महकमा हैं। इसके लिए प्रजनन केन्द्र भी खोले गये हैं, नस्ल-सुधार के केन्द्र भी खोले गये हैं, परन्तु मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिस इलाके में भेड़ें हैं उनको निकालकर और ऐसी जगह पर किसी के कहने के आधार पर प्रजनन केन्द्र खोलें और दूसरी जगह पर खोलकर बाहर से वहां पशु भेजें यह कोई अच्छी नीति नहीं है। राजस्थान में जो भी नस्लें हैं उन नस्लों में चोखला ब्रीड है इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान की सबसे बढ़िया नस्ल है। इसके संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा उपाय करना चाहिए, और इसके लिए बाकलिया में एक भेड़ प्रजनन केन्द्र खोला है। उसके लिए उतना पैसा उस काम में नहीं लिया जा रहा है जितना कि बिल्डिगें बनाई जा रही हैं जिनमें शानोशौकत से अफसर रह सकें। जितने भी भेड़ पालक काफी तादाद में उनको देखने आते हैं तो वहां पर नुमायश के तौर पर बाहर से लाये हुए दो मेंढ़ें रख छोड़े हैं। इसके अलावा उन भेड़-पालकों को अच्छी नस्ल की भेड़ें पैदा करने में इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए। ठंडे मुल्क में रहने वाले इस तरह के जानवर आप लाये हैं और उनसे नस्ल सुधरवाना चाहते हैं और उनके चारों तरफ डाटे लगे हुए हैं और उनसे मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे भेड़ों का कोई विकास नहीं होगा। इसके बजाय यह जरूरी है कि हम भेड़ पालकों को पैसा दें ताकि वह अच्छी नस्ल की भेड़े ज्यादा तादाद में पैदा करें।

भेड़ पालकों की जो सबसे बड़ी समस्या है वह चरागाहों की है। गांवों में भेड़-पालकों के लिए चराने की जगह मुकर्रर रहती है कि अमुक चरागाह में गायें चरा सकते हैं या दूसरे मवेशी चरा सकते हैं, लेकिन भेड़ नहीं चरा सकते हैं। वह कहते हैं कि यह नीचे से उखाड़ देती हैं अंकुरों को। इसलिए इससे बड़ा झगड़ा होता है। तो इसके आधार पर ऐसी व्यवस्था की

(श्री दीपंकर)

जानी चाहिए जिससे चरागाह की उनके लिए व्यवस्था हो । इसके लिए भेड़ पालकों को कुछ सब्सिडी दें ताकि उससे भेड़ पालक इससे जमीन खरीद लें या किसी से ले लें या सरकार के पास हो तो उसको दिया जाय ताकि अच्छी तरह से उनको खाना दे सकें । अन्यथा भेड़ों को बड़ी मुश्किल होती है। गधों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है उसी तरह से भेड़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर अकाल पड़ गया तो मध्य प्रदेश की तरफ चले गये और उधर से इधर आ गये।

इनमें जो बीमारी फैलती है वह बीमारी बड़ी भयंकर होती है । एक एक गांव में 200 से 400 भेड़ें रखने वाले हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनमें बीमारी होती है तो उनके पास में और पंचायत समितियों के पास में साधन नहीं हैं, दवायें नहीं होती है । दवाइयां समय पर नहीं दी जाती हैं तो एक-एक समय में एक-एक व्यक्ति की 10, 20 भेड़ें मर जाती हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादे से ज्यादा पैसा इन बीमारियों की रोकथाम के लिए पंचायत समितियों को दिया जाय ताकि भेड़ों को बीमारी के टाइम बचाया जा सके । वह पूरा नहीं देते हैं और उसके साथ-साथ जो कुछ भी देते हैं विकास अधिकारी पशु-पालन विभाग का होता है वह उनको ले जा कर बाजार में बेच देता है । इसके बारे में उनकी कई शिकायतें सामुदायिक विकास महकमें में पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती ? कोई जांच नहीं होती है । ड्रग इन्सपेक्टर उन दवाइयों के बारे में समझता भी कम है । पशुओं की दवाइयां जो टाइम बार्ड हैं उनके लेवल हटाकर बेच देते हैं और उनका पता नहीं हो सकता है कि यह टाइम बार्ड हैं । वह बाजार में बेच देते हैं और पशु पालकों से कहा जाता है कि बाजार से ले आओ जितने दवाई विक्रेता हैं पंचायत समितियों की दवाइयों को खरीद लेते हैं और उनको भेड़ पालकों को, दूसरे लोगों को बेच कर पैसा कमाते हैं । इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह ऐसी गड़बड़ न कर सकें ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

थोड़ा सा ।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कर दें ।

श्री दीपंकर : गौ वंश का जहां तक सम्बन्ध है, पशुओं में यह मनुष्य के लिये बहुत ही उपयोगी पशु है । इसके लिए व्यवस्था करें । छोटे कस्बे हैं उनमें गौशालाएं बना रखी हैं। अलग से भी लोग पालते हैं, लेकिन अलग से पालने वाले जो लोग हैं उनकी ऐसी हालत है कि जब तक दूध देता है रखते हैं और दूध नहीं देती है तो चाहे बड़ा आदमी हो वह गायों को छोड़ देते हैं तो बिल्कुल ही बेकार हो जाती और भ्रष्टा खाने लग जाती हैं तो उनकी नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिये कोई जो है ऐसा नियम लगाया जाय कि जो जनपयोगी पशु हैं उनको रखने वाला आदमी उनको किस तरह से रखें । गौशालाएं इस तरह की है उनमें ऐसी बेकार

(श्री दीपंकर)

गायों को छोड़ देते हैं तो पुरानी हैं, बूढ़ी हैं। वे इनको पालने का ही धन्धा करती है। सरकार गोशालाओं को एड देती है ताकि वे अच्छी किस्म के बछड़े पैदा करें, अच्छी किस्म की दुधारू गायें तैयार करें, लेकिन बहुत कम तादाद में वे रख पाते हैं। इसलिए दूध की बड़ी समस्या है। गोशालाओं में अलग से इस तरह की स्कीम चलाई जानी चाहिए कि गांवों की आवश्यकताओं को देखते हुए जो व्यक्तिगत तरीके से लोग दूध बेचते हैं तो उसके बजाय में गोशालाएं अच्छा दूध दे सकती हैं। तो यह व्यवस्था करना चाहिए ताकि गौवंश बचा रहे और उसकी नस्ल में सुधार हो सके। इसकी नस्लों में नागौरी नस्ल अच्छी होती है जिसके सांड भी अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ उस नस्ल के बैल जो हैं वह मध्य प्रदेश और आधे उत्तरी भारत में हल चलाते हैं और काम करते हैं। उसके लिए सरकार की ओर से उस नस्ल का संरक्षण और बचाव करने के लिए कोई विशेष बचाव नहीं किया है। इसलिए वह प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए।

इस प्रकार का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए ताकि खास तरीके से इस नस्ल को बचाने के लिए यह आवश्यक हैं। हमारे यहां इतने ट्रैक्टर नहीं आ पाये हैं जिससे कि पूरी खेती हो सके। इसलिए इन बैलों से काम लेते हैं। उपयोगी पशुओं के बारे में मेले भी लगाये जाने चाहिए, जिससे कि उनके उपयोग के बारे में अच्छी जानकारी किसानों को दी जा सकती है। नागौर, परबतसर और मेड़ता में पशुओं के मेले लगते हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इन मेलों को पंचायत समितियों और जिला परिषदों को देना चाहिए। इन मेलों की व्यवस्था सरकार के हाथ में नहीं हो। सरकार इन मेलों की आय अपने हाथ में न रखकर, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को दे देना चाहिये। इससे इनकी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसी तरह से जैसे ऊंटों का सवाल है। यह रेगिस्तानी इलाकों में सभी जगह पाया जाता है। इसकी कई नस्लें पाई जाती हैं। इन ऊंटों को भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इनके लिए चिकित्सालय तहसील हैडक्वार्टर पर ही खोले गये हैं। ऊंटों के लिए एक चलता फिरता दवाखाना होना चाहिये। इससे उनका अच्छी तरह से इलाज हो सकता है। पोषाहार केन्द्र जो खोले गये हैं, वह इसलिये कि आज अन्न की इस स्थिति में आहार को आवश्यक मात्रा पहुंच सके। जैसे हरी सब्जी आदि है इसके लिये जो पंचायतों में गार्डन हैं, उनकी यह स्थिति है कि पंचायतों के लिये जो जमीन एलाट हुई है, और स्कूलों के पास कोई ऐसी जमीन नहीं है। यह ठीक है कि कुछ स्कूलों के पास फावड़े वगैरह आ गये हैं। वहां वह किसी भी उपयोग में नहीं आते हैं। उनका सदुपयोग में नहीं होता है। उनका दुरुपयोग होता है। जो ऊंचे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वह मांग कर ले जाते हैं? इस प्रकार से उनका दुरुपयोग होता है।

इसी प्रकार से बहुत से लोग मुर्गी पालन का धन्धा करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास रकम होती नहीं है। सरकार को इसमें सहायता देकर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मछली पालन का सवाल यहां

(श्री दीपंकर)

तक है, जहां जहां नदियां हैं; वहां पर मछली पालन किया जा सकता है। कई पंचायत समितियों में तालाब बना दिये हैं। अगर यह किया जाये तो इस तरीके से भी आय हो सकती है। लेकिन यहां स्थिति यह है कि कोई भी महकमा यह सिखाने के लिए भी तैयार नहीं हो सकता है। यह प्रोग्राम जिस प्रकार से वह करते हैं, उनके पास एक गाड़ी है और एक ड्राईवर है। उसको लिये घूमते रहते हैं। महाराष्ट्र में मैंने जाकर प्रत्यक्ष देखा है। वहां गांवों का विकास हुआ है। वहां लोगों को पम्पिंग सेट देते हैं, पीने के पानी की योजना पूरी होती है। हमारे यहां नाम की योजना रखी है। एक जगह पूरा नहीं हो पाता है। दूसरी जगह भेज देते हैं। इस प्रकार का प्रयत्न नहीं करते है कि एक्सपर्ट जाकर अच्छी तरह से एग्जामिन कर सकें। उनको बजट मिल सके। ऐसी सरकार व्यवस्था कर सके ताकि सामुदायिक विकास को लाभ मिल सके। अन्यथा ऐसा सम्भव नहीं है। आने वाला समय इस प्रकार का है कि पंचायत समितियों को धीरे धीरे आप समाप्त करते जा रहे हैं। उनका इलेक्शन होता नहीं है। पं० जवाहरलाल नेहरू के हाथों नागौर में जिसकी ज्योति जलाई गई थी, जिसके लिए पं. नेहरू ने बम्बई की चोपाटी पर जाकर यह कहा था कि राजस्थान वह पहला प्रान्त है जिसने जनतन्त्र की दिशा में यह कदम उठाया है। उस समय में चीफ सेक्रेटरी भी गावों में घूमते थे। जो अच्छा काम करता था उसको इनाम देते थे। आज तो कोई ओलमा भी नहीं देता है। इस तरह से पंचायत समितियां मृत प्राय हो गई हैं। सरकारी मशीनरी और रैड टेपिज्म लगाकर यह खत्म किया गया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री दीपंकर : अभी समाप्त करता हूं।

इसके लिए गिरधारीलाल व्यास समिति बनाई गई। उसने अपने सजेशन दिये हैं। आज हमारी यह हिम्मत नहीं कि उसके सुझावों को मानें। आगे भी यह प्रयत्न करें तो खर्चा बचा सकते है। एक प्रधान के लिए 400/500 आदमियों को बढ़ाते फिरें। प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। उसको कोई देखता नहीं है। प्रधान का डायरेक्ट इलेक्शन होता तो खर्चे से बचा जा सकता है। यह कहकर विरोध करना कि एक आदमी 4 वोट देगा तो भूल जायगा। कृषि उपज मण्डी में चार चार और छः छः वोट लोग देते हैं। गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट का कार्य में लेने पर ही यह ध्यान में आयेगा।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन। (अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे दो कटमोशन कृषि पर हैं, और एक पशुपालन पर है यह जो पशुपालन विभाग की रिपोर्ट आई है, वह अंग्रेजी में छपी हुई है। सभी सदस्य इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें डेयरीज के बारे में उल्लेख नहीं है। जब यह संयुक्त था तो कुछ नहीं था।

(श्री अमृत लाल गहलोत)

भेड़ ऊन विभाग के बारे में जो रिपोर्ट मिली, उसके बारे में बधाई देता हूं। भविष्य में आप ऐसा करें कि 4 विभागों में बारे में हिन्दी में छपकर मिले तो हमें भी मालूम पड़े कि क्या क्या उपलब्धियां हुई है। पिछले 4 वर्षों के कृषि उत्पादन के आंकड़े देखें तो मूलभूत कमजोरी के बारे में ज्ञान हो जायेगा। 1970-71 में खाद्यान्न की पैदा जो बताई गई 88 लाख टन खाद्यान्न। 1971-72 में 63 लाख टन। 1972-73 में 51 लाख टन और 1973-74 में 71 लाख टन। इस तरह से 70-71 और 72-73 में 42% खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आई। 73-74 में 40% उत्पादन में 72-73 से 40% बढोतरी हुई। कमी आई है। इन 4 साल में 42% गिर सकती है। हमें मालूम पड़ता है कि हमारी कमजोरी कहां पर है। हमारी कमजोरी इन्द्र भगवान की कृपा पर होती है। उनकी कृपा होती है तो बढ़ जाता है। कृपा नहीं होती है तो गिर जाता है। अतः हमको ऐसी योजना बनाकर क्रियान्वित करनी चाहिए कि जिससे इन्द्र भगवान का कृपा बनी तो रहे परन्तु ज्यादा आश्रित नहीं रहे।

पानी आता सारा बरसात से है। बरसात जितनी हो, हमारे लिए उतना ही पानी होता है, ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। जो पानी जमीन पर आ गया है उसमें से काफी एवेपोरेड होकर उड़ जाता है, कुछ जमीन में समा जाता है, कुछ नदी नालों के जरिये या तो हमारे बांधों में जाता है नहीं तो वह समुद्र तक पहुंच जाता है। इसके अलावा हमें पानी उपलब्ध हो सकता है, पास पड़ौस की नदियों से पास पड़ोस के राज्यों से हमने पानी प्राप्त किया सतलज से, गंग नहर के द्वारा, राजस्थान कैनाल का भी पानी आया है, यमुना से भी पानी आता है, माही से भी पानी आता है, नर्बदा से भी पानी आता है, चम्बल से भी पानी आता है। यह बड़ी बड़ी नदियां हमारे यहां पर काफी मात्रा में पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराती हैं। परन्तु एक योजना भारत सरकार के भूतपूर्व सिंचाई मंत्री ने रखी है, गंगा-कावेरी लिंक योजना। मैंने इस योजना को आउट लाइन की तरह देखा है। उस योजना से पानी गंगा का पटना के पास से कावेरी तक पहुंचाया जायगा, कहीं लिफ्ट करेंगे, फिर बहाव आयेगा, फिर लिफ्ट करेंगे, फिर बहाव आयेगा। उसमें राजस्थान का उल्लेख नहीं है। गंगा का पानी कावेरी तक पहुंच सकता है, तो मैं समझता हूं, गंगा कावेरी लिंक योजना है, उसको आप केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय से मंगायें और देखें, कि राजस्थान के लिए उसका क्या उपयोग हो सकता है?

बड़े बांध, छोटे बांध और माइनर इर्रिगेशन के अन्तर्गत बांध बनते हैं, अब योजना बना रहे हैं, भूतल में जो पानी है उसको उपयोग में लेना है। मैं समझता हूं, भूतल में पर्याप्त पानी है। इन सब योजनाओं को लागू करने के बाद भी अधिकांश क्षेत्र सूखा रहेगा। इसलिए यह आवश्यक होता है कि जो पानी जमीन तक पहुंच रहा है, उस पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। इसके लिए आपको नये वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। इजराइल इसके अन्दर मार्ग-दर्शन कर सकता है, स्प्रिंकलिंग इर्रिगेशन और ड्रिप इर्रिगेशन का उल्लेख

(श्री अमृतलाल गहलोत)

किया जाता है, इसमें पानी का उपयोग होता है। चान्दना में मैंने देखा है, कहते हैं कि नये तरीके से इर्रीगेशन वहां शुरू किया है, जो फायदा ज्यादा पहुंचा सकता है और कम पानी से ज्यादा इन्टेंसिव इर्रीगेशन के लिए पानी उपलब्ध कर सकते हैं। नये तरीके से इर्रीगेशन अपने यहां हो शीघ्राति-शीघ्र, जो नये तरीके इजराइल ने अपनाये हैं। आपने एक स्पेशल सैल बनाया है, जिसने योजना बना कर दी है, उसको लाभप्रद समझा जाय और लाभदायक ऐसे क्षेत्रों के लिए हो तो वहां इसको लागू किया जाय। एक वैज्ञानिक तरीके के इर्रीगेशन की छान-बीन की जाय, योजना बनाई जाय, पायलट योजना बनाई जाय क्योंकि ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जायेंगे, त्यों त्यों पानी के सदुपयोग की ओर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पानी सीमित है और भूमि सीमित नहीं है, भूमि खाली रहेगी और पानी अपर्याप्त रहेगा।

दूसरी चीज फर्टीलाइजर के बारे में कहना चाहता हूं। कल मोड मिला, उसमें देखा कि नई योजना बनी है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि आपने पीपुल रिप्रेजेन्टेटिव को इन्वाल्व किया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि फर्टीलाइजर का दुरुपयोग न हो सके।

बोज के बारे में, गोदामों के बारे में एक बात कहनी है, हमारे देश में खाद्यान्न का फाल्टी स्टोरेज होता है, उसमें दस पर्सेन्ट अनाज नष्ट हो जाता है। इसके बारे में पकी कुछ कानून भी बनाने पड़ेंगे। जो व्यापारी वर्ग है, वह मर्जी आये जैसे अपने गोदामों में अनाज रखता है, और किसान भी अनाज को दबा कर रखता है। उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वह वैज्ञानिक तरीके पर निर्माण किये हुए गोदामों में अनाज रखें, नहीं तो किसान और व्यापारी का नुकसान तो होता ही है राष्ट्र का भी नुकसान होता है।

फूड अडल्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ कार्यवाही की जा रही है, लेकिन वह क्या है, वह केवल प्यूनिटिव है, इसको पहुंचा कर लोगों को सारे बाजार में निकालने से आप इसे कम नहीं कर पायेंगे। इससे तो रिश्वतखोरी बढ़ेगी और आतंक फैलेगा। अपने यहां प्रदेश में दो तीन ऐग मार्किंग लेबोरेट्री हैं, लेकिन वह काम नहीं कर रही हैं। वह क्यों नहीं काम कर रही हैं। मेरा निवेदन है कि व्यापारी के लिए यह आवश्यक हो कि ऐग मार्किंग लेबोरेट्री से ऐग मार्किंग करवाये। यह कम्पलसरी बन जाता है तो खाने-पीने की चीजों के ऊपर ऐग मार्किंग हो सकता है और रैडी पैकिट मेड अलग अलग साइज के मिल सकते हैं। इसके अन्दर आपको विचार करना पड़ेगा। इसमें कृषि उपज मण्डी का भी उल्लेख किया गया है। कृषि उपज मण्डी है, इनका लाभ किसानों को नहीं मिला है। जबकि रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर था, उसने अपना जो प्रतिवेदन किया था, उसमें किसानों के लिए लाभ के लिए था, उसको इम्प्लीमेंट करें तो किसानों को लाभ हो सकता है और फूड अडल्ट्रेशन को रोका जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि खाद्यान्नों का अडल्ट्रेशन होता है, उसका बहुत बुरा

(श्री अमृतलाल गहलोत)

असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जन जीवन के लिए एक खतरा बन गया है। अतः मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय, शीघ्रातिशीघ्र खाद्यान्नों के लिए यह व्यवस्था कर दें कि खाद्यान्नों पर ऐग मार्किंग करायें। ऐग मार्किंग होगा, इससे क्वालिटी कंट्रोल होगा और लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा की जा सकेगी।

इसके अलावा केवल हम फर्टीलाइजर पर डिपेन्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो फर्टीलाइजर आता है, वह हमारे देश में जरूर बनता है परन्तु रा-मैटीरियल अधिकतर विदेशों से आता है। नाइट्रोजन फर्टीलाइजर तीन तरीके से बनता है, एक तो बिजली, जो नांगल में बनता है, दूसरे पेट्रोलियम प्राडक्टस से, गैस और नाफ्था से, तीसरे कोयले से। कोयले से बनाने की विधि का तलचर में कारखाना बन रहा है, लेकिन कब बन पायेगा यह फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया का है। हमें सोचना पड़ेगा कि किसानों का किस विधि से उत्पादन अधिक हो और किस प्रकार के फर्टीलाइजर का वह काम में लें। एक किस्म है। वह है फार्म कम्पोस्ट की, वह है ग्रीन मन्योर की। और एक भाग में शहरी प्रतिनिधि होने के नाते निवेदन कर दूं, मेरे शहर में सेनिटेशन की हालत बहुत खराब है। म्यूनिसिपल कौंसिल वाले जहां कचरा डाल देते हैं, गन्दी चीजें डाल देते हैं—उसका उपयोग नहीं किया जाता है और उसके कारण से बीमारी फैल जाती है। पचास हजार टन जोधपुर शहर अकेला टाउन कम्पोस्ट दे सकता है। जयपुर शहर एक लाख टन टाउन कम्पोस्ट दे सकता है। राजस्थान के सारे शहर हैं, यह तीन चार लाख टाउन कम्पोस्ट दे सकते हैं। यदि अच्छी तरह से योजना बनाई जाय तो राजस्थान में 10 लाख टन टाउन कम्पोस्ट मिलने की गुंजाइश है। इससे दोहरा फायदा होगा, जो शहर का वेस्ट होता है, वह न्यूसेन्स का कारण बन जाता है, इनसेनिटेशन सबसे ज्यादा करता है, वह हट जायगा और उससे कम्पोस्ट बनेगा, उस कम्पोस्ट के जरिये उत्पादन बढ़ जावेगा आप 10 लाख टन टाऊन कम्पोस्ट का लक्ष्य रखते हैं और एक लाख का प्रावधान करते है और एक लाख से दस लाख टाउन कम्पोस्ट को तैयार करते हैं तो राजस्थान में दस लाख टन कम्पोस्ट पैदा करने की क्षमता हो जायेगी। इससे दूसरा तरफ जो वस्ट हो रहा है, जिससे जनता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वह नहीं होगा और दूसरी तरफ जो लोगों का खाद नहीं मिलता है वह मिल जायेगा। इसके अलावा जो मेंगनी है, जो भी गोबर है, उसकी कीमत आज एक ट्रक की एक हजार रुपये तक पहुंच चुकी है, आर्गेनिक मेन्योर की कीमत एक हजार रुपये ट्रक तक पहुंच चुकी है। उसका सप्लीमेंट करने के लिए यह टाउन कम्पोस्ट हो, और इसकी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से की जाय। आज जो सीवेज वाटर शहरों में वेस्ट जा रहा है, उससे कम्पोस्ट बनाने के लिए आप धनराशि प्राप्त करें, एल. आई. सी. से वह प्राप्त की जा सकती है। उसके जरिये फार्म का निर्माण किया जाय और उस फार्म से मेन्योर मिल सकेगा और अच्छा पानी भी मिलेगा—ऐसी मेरी मान्यता है। इस

(श्री अमृतलाल गहलोत)

ऊपर विचार किया जाय और शहरों में योजना लागू की जाय।

पशु पालन के सम्बन्ध में एक चीज कहनी है। पशु पालन विभाग अच्छी ब्रीड के लिए प्रयास कर रहा है, दूध के लिए प्रयास कर रहा है मिल्क प्राडक्ट के बारे में प्रयास कर रहा है। इनके प्रयासों को सफल बनाना है तो हमारे यहां जो डेयरी डवलपमेंट प्रोग्राम, वह बना सकता है। यह गांवों में दूर दूर जाकर दूध कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पशु विकास की योजनायें हैं वह भी जोड़ दें, इनमें प्रोपर कार्डीनेशन कर दें, जैसे आनन्द में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोआपरेटिव व यूनियन लि. है। आश्चर्य की बात है, 1946 में सरदार वल्लभ भाई ने जो 707 पाउंड दूध आनन्द बम्बई भेजी, वह विकास करते करते पचास करोड़ की दूध की सामग्री तैयार होने लग गई। यहां जो डेयरी स्कीम बनी है, वह उसी के पेटर्न पर है, उस पेटर्न को अच्छी तरह से देख कर लागू करें तो फायदा होगा।

मेरा एक कटौती प्रस्ताव है, चान्दना के केटल फार्म के बारे में। गत वर्ष में एस्टीमेट कमेटी के साथ जैसलमेर गया था। वहां उसे देख कर मुझे निराशा हुई, सौ गायें है वह बहुत कम दूध देती हैं। एक लाख का फार्म पर घाटा है। पता नहीं अच्छे सांड पैदा होते हैं या दूध पैदा करते हैं। स्कीम का पता नहीं, एक लाख के घाटे की बात सुन कर मैं चकित रह गया यदि सार्वजनिक क्षेत्र की डेयरी केटिल फार्म में एक लाख का घाटा दिखाया और यह चलता गया, स्थिति सुधरी नहीं तो लोगों पर बुरा असर पड़ेगा।

मैं कृषि शिक्षा के बारे में कहूंगा कि हाई स्कूल और बी. एस. सी. (कृषि) के बीच में कोई लेविल नहीं है। वैसे कृषि का विषय हाई स्कूल व हायर सैकेन्डरी स्कूलों में पढ़ाया जाता है लेकिन मेरे शहर में कोई पाठशाला नहीं है जहां कृषि का विषय पढ़ाया जाता हो। हर किसान का पुत्र खेती की ओर आना चाहता है लेकिन वह बी. एस. सी. (एग्री.) नहीं ले सकता। उद्योग शिक्षा में आपको दो पेटर्न मिलेंगे। एक आई. टी. आई. सर्टीफिकेट और दूसरे डिप्लोमा पोलिटेक्निक्स। इसी तरह कृषि के लिए भी कोई आई. टी. आई. या डिप्लोमा कोर्स नहीं है आप आगे के लिए कम से कम आई. टी. आई. लेविल का कृषि का कोर्स बनायें जिससे किसान वह शिक्षा ग्रहण कर सके। यदि उसको यह भी मालूम नहीं कि नाइट्रोजन क्या होता है; कृषि मशीनरी क्या है, बीज क्या है। एक किसान यदि मैट्रिक के बाद पढ़ने के लिए अपने पुत्र को भेजना चाहे तो कोई न कोई कोर्स होना चाहिए ताकि जो बेसिक चीजें हैं, एग्रीकल्चरल मशीनरी, फर्टीलाइजर्स इत्यादि के बारे में उसको मालूम पड़ सके। इसलिए आप किसान की खेती शिक्षा के लिए आई. टी. आई. लेविल का कोर्स तैयार करवायें और उसके ट्रेनिंग सेन्टर्स जारी करें।

भेड़ व ऊन विभाग के बारे में हमारा लक्ष्य 84 लाख भेड़े हैं और सवा लाख क्विन्टल ऊन पैदा करते हैं जो देश का

(श्री अमृतलाल गहलोत)

40 प्रतिशत है। भेड़ ऊन विकास की योजना लागू कर रहे हैं और साथ में अच्छा मूल्य प्रदान करने के लिए खरीद भी करते है, यह सौभाग्य की बात है कि जो बोर्ड घाटे में चल रहा था उसने 41 लाख रुपए 1972-73 में कमाया, 51 लाख 1973-74 में अनुमानित राशि है। परन्तु सवा लाख क्विटल ऊन जो प्रदेश में पैदा होती है उसमें भेड़ ऊन विभाग केवल 8 हजार क्विटल ही खरीद पाता है और आश्चर्य की बात है कि घाटे से तो मुनाफे में चले गए परन्तु विकास नहीं हुआ। पर्सेन्टेज उत्पादन का केवल 6 प्रतिशत है। 6 प्रतिशत उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में आए और कई वर्ष के अनुभव के बाद में आशाजनक लक्ष्य नहीं है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में केवल मुनाफे की ओर न जायें, मार्केटिंग करें परन्तु उसके साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा पर्सेन्टेज उत्पादन की है वह सार्वजनिक क्षेत्र में आए जिससे हम जो उत्पादक हैं उनका मार्ग दर्शन कर सकें।

एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के बारे में मुझे अपने शहर के बारे में निवेदन करना है। 4 साल पहले जब माननीय बैद साहब अध्यक्ष थे तो उन्होंने जोधपुर शहर की जमीन ट्रैक्टर के कारखाने के लिए रिजर्व की। वह फ्रांस गए उन्होंने रिनोल्ट कम्पनी से वार्ता की लोगों से कहा गया कि जोधपुर में विशेष रिनोल्ट बनेगा। पिछले वर्ष स्वर्गीय मुख्य मन्त्री ने मुझसे कहा था कि कारखाना जरूर लगेगा। सुनते थे कि उसके बाद जर्मनी से बात चली; उसके बाद रशियन ट्रैक्टर की बात चली, उसके बाद में माननीय चन्दनमल बैद ने पिछले साल मुझसे कहा कि वह आस्टिन की बात चला रहे हैं। मैं जब जब भी स्वर्गीय मुख्य मन्त्री से बात करता था तो वह कहते थे कि कारखाना जरूर लगेगा। मगर इस वर्ष 8 जनवरी, 1974 को जब वर्तमान मुख्य मन्त्री जोधपुर पधारे और मैंने उनके सामने इस समस्या का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है हम नहीं लगा सकते। यह निराशाजनक बात है। राजस्थान में ट्रैक्टर का उपयोग नहीं होगा तो केरल में होगा ? जितनी बड़ी जोतें हमारे पास हैं और कहीं नहीं हैं। यह बिल्कुल डिफीटिस्ट व्यू है, यह आत्म हत्या के बराबर होगा कि जो राजस्थान का ट्रैक्टर का कारखाना जोधपुर में लगने वाला था, उसको हमेशा के लिए बन्द कर दिया जाए। ट्रैक्टरों की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और जब देश के दूसरे राज्य अपने अपने ट्रैक्टर का निर्माण करने जा रहे हैं, आप योजना को अलमारी में बन्द करने जा रहे हैं, यह कौनसा प्रगतिशील कदम है आपका ?

मुझे ओईल के सम्बन्ध में एक बात और कहनी है। दुर्भाग्य की बात है कि अरब इसराइल युद्ध के बाद में अरब देशों ने अपना रुख बदला। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर डिवीजन के जालोर जिले में अपने देश का सबसे एल. डी. ओइल कन्ज्यूम होता है। इस वर्ष भाव तो बढ़ गए परन्तु उन लोगों को एल. डी. ओ. नहीं मिल रहा है। इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं समझता हूं कि जो पैट्रोल में कमी आ गई है, भविष्य

(श्री अमृतलाल गहलोत)
में जब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे वह भी निर्भर करता है कि देश में कहीं तेल हो तो हमको मिलेगा तो जो आवश्यक चीजें किसान के काम में आने वाली हैं उनमें एल. डी. ओ. मुख्य है इसलिए आपको स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल करना पड़ेगा वितरण के बारे में। यह मैन्यूफैक्चरिंग है रिफाइनरी से आता है या इम्पोर्ट होता है। कम्पनियों के पास आता है तो बेचारे किसान को शोषण करने के लिए व्यापारियों के भरोसे छोड़ दिया यह उचित नहीं है। आपने जैसे फर्टीलाइजर्स की स्कीम दी है उसी तरह से भविष्य में एल. डी. ओ. की भी बनायें।

श्री सभापति : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : सभापतिजी, अब माननीय गहलोत साहब बोल रहे थे तब मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी बोलना है और यह भी विचार कर रहा था कि आखिर मंत्री महोदय के हाथ में क्या है, वह नियंत्रण कर सकेंगे? राजस्थान में ही नहीं देश के हर भाग के मुकाबले में यहां के किसान की स्थिति बहुत खराब है और आज हर बात के लिए अगर सरकार को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो वह प्रत्यक्ष या परोक्ष किसान से लेती है लेवी के संबंध में तो वह किसान पर हावी हो रही है चाहे शीत लहर से हो लेकिन किसान पर हावी होकर लेवी के रूप में ज्वार, बाजरा वह भी कम रेट पर सरकार ले रही है लेकिन किसान को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको एक भी चीज सस्ती नहीं मिलती है और उसका सबसे बड़ा धंधा निजी खेती है उसके लिए खुद वह दोनों हाथ आपके सामने फैला रहा है और आप उसको क्या दे रहे हैं? आप उनको नए औजार नहीं दे रहे हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से बुलडोजर्स नहीं दिला सकते, सिंचाई के लिए साधन नहीं हैं, बिजली का सामान नहीं, शतप्रतिशत किसान पैसा दे फिर भी बिजली नहीं, कुएं के लिए सीमेंट नहीं और उसके बाद में भी किसान की फसल तैयार होती है उस समय आप उनसे कहते हैं कि आपकी उपज का बाजार में चाहे 150) प्रति क्विंटल रेट हो लेकिन हमने आपको 22) प्रति क्विन्टल ही देंगे, बाजार में बाजरा 110) के हिसाब से बिकेगा लेकिन आप 65–70 रुपए के हिसाब से उसको देंगे नहीं तो उसको 6 महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी किसान की स्थिति यह है कि वह आज सबसे पिछड़ा हुआ है, देश में अगर सबसे गिरा हुआ है तो किसान ही है।

सभापति महोदय, आज किसान के पास पहनने को कुछ नहीं हैं सिवाय एक लूंगी के। फटे कपड़े पहने हुए है रहने के लिये उसके पास मकान नहीं फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत पैदा करता है उसको राज्य सरकार छीन रही है। उसके ऊपर चारों ओर से गिद्ध की तरह सरकार मंडरा रही है। तो यह तो सरासर अन्याय है। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं खाद के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा वैसे खाद से संबंधित मामले को राज्य सरकार यह कह कर टाल देती है कि यह तो केन्द्र से संबंधित मामला है। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिये मैं राज्य

(९५)

(श्री मीठालाल)

सरकार से आपके मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे यह डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसान बिना खाद के और बिना सीमेन्ट के परेशान होकर अन्त में जहां भी खाद के और सीमेन्ट के कारखाने अपने राजस्थान में है उसके आस पास के गांवों के लोग दुःखी होकर जबरदस्ती खाद और सीमेन्ट उन कारखानों से लूट लें। फिर आपकी यह लाठी और गोली धरी की धरी रह जायेगी। यह लाठी चार्ज और गोलियां चलाने की बात गुजरात पर और बिहार पर कोई असर नहीं कर सकी उसी तरह यहां पर भी जनता जबरदस्ती अपनी मांग को पूरी करके रहेगी। सभापति महोदय, आज हमारे यहां पर खाद और सीमेन्ट कारखानों में पैदा होती है वह राजस्थान के बाहर जाती है। उसकी मात्रा जो राजस्थान के बाहर जाती है, उसमें भारी अन्तर है। बाहर ज्यादा खाद जाती है। इसके अलावा जयपुर जिले की मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जयपुर जिले को बहुत ही कम खाद दी जाती है और गंगानगर को खाद बहुत अधिक मात्रा में जाती है?

श्री केदारनाथ : क्या कहा गंगानगर में अधिक खाद जाती है?

श्री मीठालाल मीणा : यह बात बिलकुल सही है आप चाहें तो आंकड़े देख सकते हैं। हमारे जिला अधिकारियों ने शिकायत भी की है इसके लिये आप चाहें तो सरकारी रेकार्ड देख सकते हैं। खाद का बहुत ज्यादा भाग गंगानगर को दिया जाता रहा है। इसके अलावा आपने जो खाद वितरण कमेटी बनाई है वह क्या करेगी। हमारे जयपुर जिले में खाद वितरण कैसे हो सकता है जब एक ग्राम पंचायत के हिस्से में तीन कट्टे खाद हाथ आयी है तो आप भी सोचें, सभापति महोदय, तीन कट्टे खाद से क्या हो सकता है। इसके अलावा हमने राजस्थान सरकार से खाद बाहर से मंगाने के लिये निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि बम्बई से खाद आ रही है ऐसा कृषि राज्य मन्त्री ने बताया था। हमने उनसे कहा कि हम पैसे देने को तैयार हैं आप हमें इसको रेलगाड़ियों से नहीं मंगाकर ट्रकों से मंगवाये अन्यथा रेल से काफी समय लग जावेगा। क्योंकि, सभापति महोदय; रेलगाड़ियों की हड़ताल चल रही थी। हमने कहा कि हम अतिरिक्त पैसा दे देंगे आप हमें ट्रक से मंगवा दे ताकि जल्दी खाद आ जाय। वक्त निकलने के बाद तो एक काश्तकार को क्या फायदा होगा जब कि फसल होने के बाद तैयार होकर कट जावेगी। सभापति महोदय, हमने अतिरिक्त भाड़े के लिए कहा है कोई फ्री नहीं मंगवा रहे थे लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इस प्रकार की जो आज अव्यवस्था है उसे ठीक कराने की आवश्यकता है। आप चाहे पैसे थोड़े अधिक ले लें। लेकिन काश्तकार को समय पर खाद तो दिलावावें इसके अलावा सभापति महोदय आज खाद के मामले में काफी भ्रष्टाचार फैल रहा है। सभापति महोदय, यह खाद और सीमेन्ट की वितरण प्रणाली में भयंकर भ्रष्टाचार है इसके बारे में मैने कई बार सदन का ध्यान आकर्षित किया है और इसमें विशेष तौर पर यह दर्शाया कि इसमें भ्रष्टाचार अधिक है

(श्री मीठालाल)

साथ में यह भी है कि समय पर खाद और सीमेन्ट काश्तकार को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है जिससे काश्तकारों में भयंकर असन्तोष है। आप किसानों को खाद नहीं दिलाते, सीमेन्ट नहीं दिलाते हैं आप किसी प्रकार की सहायता के लिए कर्जा उन्हें देने को तैयार नहीं है आप सदन में घोषणा बहुत कर देते हैं संपूर्ण मामले में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि काश्तकारों को बहुत ही परेशानी हो रही है चाहे आप कर्जा मत दो लेकिन काश्तकार को समय पर सीमेन्ट और खाद तो दें। अगर आप इ मामले में कुछ नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा शर्म की बात राज्य सरकार की क्या हो सकती है। आपको क्या हक है कि काश्तकारों को बिना सुविधायें दिये हुए आप उनसे किसी भी प्रकार की लेवी वगैरह लें। सभापति महोदय, अब सिचाई के लिए भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां सिचाई विभाग का अन्य विभागों से आपस में विशेष तालमेल नहीं है। समय पर विद्युत नहीं मिलती है। पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं मिलता है, खाद की जरूरत होती है तो खाद नहीं मिलती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो तीन दिन तक विद्युत भी नहीं मिलती है और फसल को काफी नुकसान होता है क्योंकि बिना बिजली पानी नहीं आ सकता तो मेरा यह निवेदन है कि इन सभी विभागों से तालमेल होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज कई जगह ऐसी है कि वहां थोड़े जंगल है और वहां पर जमीन के अन्दर पानी भी है। इसके लिये मैं यह नहीं कहता कि आप जंगलात को खतम करके वहां जमीन किसानों को दो लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कुए बनवाने के लिये आप इजाजत दे दें तो वहां कुए खोद कर किसान दूर तक खेतों में पानी ले जा कर दे सके। लेकिन जंगलात वाले मानते नहीं हैं और इससे काश्तकारों को काफी परेशानी होती है। आज कई लोगों ने कुए ऐसी तलहटी में बना भी लिये हैं और उनके लिये मुकदमें चल भी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जंगलात महकमें का इस बारे में हिदायत दे दें कि अगर ऐसी जमीन पर काश्तकार कुए बनवाते हैं तो वह उन्हें बना लने दें। उसके लिये इजाजत दे दें ताकि उन खेतों में पानी पहुंच सके इससे काश्तकार को भी फायदा होगा, फसल अधिक होगा, और राज्य सरकार का भी होगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज कृषि उपज समितियों द्वारा कई मंडियों व गावों के विकास के लिये सड़के बनवाने के लिये या अन्य विकास के लिए एक प्रतिशत टैक्स लगाया जा रहा है पर इसमें ऐसा होता है कि वह एक रुपया फी सैंकड़ा जहां जहां कृषि उपज समिति का माल तो है वह लगता रहता है इससे काफी अधिक भार काश्तकारों व उपभोक्ताओं पर पड़ जाता है। मेरा यह निवेदन है कि यह कृषि उपज समिति दर प्रथम बिन्दु पर एक ही बार ही लगाया जाय और जिस तरह सेल्स टैक्स प्रथम बिन्दु पर ही लगता है उसी प्रकार लगाया जाय ताकि कई मंडियों में अलग अलग रुपया सैंकड़ा,

(श्री मीठालाल)

टैक्स के नहीं दिया जाए इसके अलावा जैसा कि माननीय सदस्य श्री अमृतलालजी गहलोत ने कहा कि हमारे यहां ऐसा होता है कि जब वर्षा अच्छी होती है तो फसल होती है और हमारी सरकार यह कह देती है कि इसमें ईश्वर का नहीं हमारी हरित क्रान्ति का परिणाम है और अगर फसल कमजोर होती है, बरसात नहीं होती है या कोई प्रकार से फसल को नुकसान हो जाता है तो कह देते हैं कि भगवान हम पर राजी नहीं होने से यह हुआ। तो इसमें भगवान भी आपका साथ नहीं दे सकता। आपको अपने साधन भी बढ़ाने चाहिये।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं नेशनल सीड कारपोरेशन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय मैं मिलावटों क और जमाखोरों के खिलाफ में हूं मैं इनका हामी नहीं हूं लेकिन आज राज्य सरकार की भ्रष्टाचार पूर्ण दूषित वितरण प्रणाली की वजह से काफी काश्तकारों को नुकसान होता है। आज वहां से बीज आता है उसमें काफी कमी होता है और इसमें मिलावट अधिक होती है। अभी गत साल जो शंकर बाजरा के बीज दिये गये थे उसमें कई बाजरा की थैलियों में मिलावट भी तथा कई थैलियां कोनों पर फटी हुई थी। उनमें से बीज निकाला हुआ था। इसके लिए किसानों द्वारा सभी जगहों से शिकायतें आई हैं। आप चाहें तो उन शिकायतों पर जांच कराव। आपके पास शिकायतें आई भी होंगी। यह भी आपने देखा होगा कि जिस शंकर बाजरा से काफी अधिक बाजरा ऊपजता था वह अब उतना पैदा नहीं हो रहा है इसका कारण यही है कि उसमें मिलावट हो गयी है। बीज असली नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो लोग इनमें मिलावट करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा राज्य सरकार को देनी चाहिये। इसके अलावा यह भी है कि प्राय: हमेशा बीज समय पर नहीं दिये जाते हैं। यह बीज चाहे मोटे अनाज का हो या चाहे अन्य अनाजों का वह समय पर हाथ नहीं आता है तो फिर काश्तकार दूसरी जगह से बीज लाता है उसके बाद समय निकलने पर गाड़ियों की गाड़ियां भर के बीज आता जाता है वह फिर आपकी पंचायत समितियों में पड़ा रहता है जहां पर वह खराब हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्तकार को सही समय पर अच्छा बीज मुहैया कराया जाना चाहिये ताकि नुकसान नहीं हो।

इसके अलावा, सभापति महोदय, आज आपका राजस्थान कृषि उद्योग निगम किसानों को भूमि सुधार हेतु या बुल डोजर दे दे तो काफी काश्तकारों को फायदा हो सकता है। इसके लिये हमने कृषि राज्य मन्त्री महोदय, से यह निवेदन किया था कि अगर आप एक महीने के लिये लालसोट तहसील को बुल डोजर दे देते हैं तो असमतल भूमि समतल हो सकती है और हजारों एकड़ भूमि खेती के लायक हो सकती है। आज हमारे जयपुर जिले में हजारों एकड़ जमीन-ऊबड़–खाबड़ है वह खेती के लायक हो सकती है आप एक महीने के लिये हमें बुल डोजर दे दें। सभापति महोदय, हमारे यहां पर पानी की कमी नहीं है। पानी काफी है आर अगर

(श्री मीठा लाल)

बुल-डोजर देते हैं तो हम जमीन को समतल करके उसे खेती के लायक बनवा कर खेती करने की व्यवस्था कर लेंगे इससे उपज भी बढ़ेगी और राज्य सरकार को भी लाभ होगा। अभी आपकी राजस्थान भूतल जल मंडल की रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर आपने विकास के बारे में योजना बनाई हैं। आपने यह भी बताया कि इसके लिये बम्बई से रिपोर्ट मांगी है अब पता नहीं कब तक रिपोर्ट आयेगी और कब आप उसकी व्यवस्था करावेंगे। इसके अलावा आज काश्तकार को क्रूड आईल की बहुत कमी है आप कह देंगे कि यह तो हमारी हाथ की बात नहीं है तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार का भी यह दायित्व है कि वह काश्तकार को क्रूड आईल दे ताकि काश्तकार को लाभ हो।

(1.50 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा पशु चिकित्सालयों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य सरकार द्वारा गांवों में पशु चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं वह सभी फैल हो गये हैं। आज गांवों की जनता का विश्वास उन पर से उठ गया है। आज उन अस्पतालों में पशुओं की जो अन्दरूनी बीमारी होती है उसका इलाज नहीं होता है। सिर्फ उनके फोड़े फुन्सी का इलाज होता है। आपके डाक्टर लोग उनके इलाज में शतप्रतिशत फैल हो गये हैं। और उनसे उन जानवरों का इलाज नहीं हो पाता। इसलिये विशेष तौर से डाक्टरों को हिदायत दें कि पशुधन की विशेष देखभाल करें।

आप कृत्रिम गर्भाधान के जरिये पशुओं की नस्ल सुधारना चाहते हैं। मैं समझता हूं आपने आज तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। चानन में गोशाला मैंने भी देखी है। प्रतिवर्ष वह घाटे में जाती है। बियावान जंगल में यह बनाई गयी है। वहां पर इतना घास भी पैदा नहीं किया जा सकता कि उनके लिये पूरा हो। ऐसी गोशाला तो हानिकारक ही रहेगी।

पशुधन के लिये जो चरागाह हैं उनके सम्बन्ध में कोई तालमेल राजस्व विभाग से बिठाना चाहिये। माननीय मंत्रीजी को भी मालूम है और प्रश्न काल में प्रश्न भी उठते रहते हैं कि चरागाहों पर किसानों का नाजायज कब्जा हो गया है, चरागाह समाप्त हो गये हैं। वे पशु कहां जावेंगे? पहले के जो चरागाह बने हुए थे उन पर नाजायज तौर से लोगों ने कब्जा कर लिया फिर पशुओं के लिये कहां से चरने के लिये चरागाह आवेंगे इसलिये इस प्रश्न पर आप राजस्व विभाग से बात करें और कोई इसकी सही व्यवस्था बिठाने की व्यवस्था करें।

इसके अतिरिक्त डेयरी फार्म के विषय में भी निवेदन करना चाहता हूं। पहले सरकार ने घोषणा की थी कि बहुत बड़ा डेयरी का विकास करने जा रहे हैं। प्राइवेट संस्थायें भी डेयरी फार्म का धन्धा करना चाहती हैं वे आपसे जमीन आदि मांगते हैं तो आपके कानून इतने उलझे हुए हैं कि उनको जमीन आदि सुविधायें वर्षों तक

(श्री मीठा लाल)

नहीं मिल पाती। इसका सरलीकरण करके ऋण जमीन आदि की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र हो जाय ऐसी व्यवस्था करना चाहिये।

लालसोट तहसील के लिये निवेदन करूंगा कि विद्युत् मंत्रीजी से कह कर बिजली भी दिलवा दें और जमीन समतल करवा दें तो जयपुर जिले के लिए सारा का सारा गल्ला हमारे यहां से मिल सकता है। कृपा करके इनकी ओर आप ध्यान दें तथा लालसोट तहसील को खाद, सीमेंट, बीज आदि समय पर उचित मात्रा में दिलवाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्त सिंह नाहर।

श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं मांग संख्या 36 कृषि तथा मांग संख्या 33 पशुपालन के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

कृषि तथा पशुपालन राजस्थानियों की जीविका के दो मुख्य आधार हैं परन्तु विधि की ऐसी विडम्बना है कि आज राजस्थानी बच्चों को भरपेट खाना तथा पौष्टिक आहार समय पर नहीं मिल पाता है आज हम दृष्टिपात करें तो यह पता चलेगा कि देश की 70 परसेन्ट जन-संख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है फिर भी अन्न हम बाहर से मांगते हैं। क्या कारण है? जब कि ऐसे देश जैसे जापान, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान वहां पर कुछ जनसंख्या ही कृषि कार्य करती है परन्तु फिर भी वे देश निर्यात करते हैं।

हमारे देश में 19 कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। कृषि के बारे में नयी नयी खोजें कर रहे हैं फिर भी पीछे क्यों है? इस ओर दृष्टिपात करें तो सारी स्थिति का पता लग जावेगा। आज कृषि विकास की योजनायें और उपलब्धियां उसके बीच में बहुत बड़ी खाई है। यह खाई क्यों है? इसके बारे में हमें जरूर देखना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हममें कृषि विकास की बातें बहुत अधिक है। हरित-क्रान्ति की बातें भी की हैं। निःसन्देह कृषि में निरंतर विकास हो रहा है। वैज्ञानिक रूप से कृषि का विकास हुआ है, पर समृद्ध किसानों को उसका लाभ मिला है। आज लघु कृषक और सीमांकन कृषक को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। लघु कृषक वह है जिसके पास 1 से 3 हैक्टर तक जमीन है और सीमांकन कृषक वह है जिसके पास 1 हैक्टर से कम है। वास्तव में लघु कृषक और सीमांकन कृषक को कृषि विकास का लाभ नहीं मिल पाया है। यह योजनाएं जो बनायी वह ठीक ढंग से नहीं बनायी। योजनाओं के क्रियान्वयन में त्रुटि दिखायी देती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ योजनायें बनायी जाती हैं वे भौगोलिक एवं आर्थिक आधार पर नहीं बनायी जाती हैं राजस्थान की कृषि भूमि को चार भागों में बांटा जा सकता है। शुष्क, अर्द्ध शुष्क,

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

सिंचित तथा पहाड़ी। अब इन चार प्रकार की भूमियों पर हमने वैज्ञानिक तरीके से कार्य किये हैं या नहीं किये हमें इनका अवलोकन करना होगा।

मान्यवर, शुष्क कृषि जो है वह राजस्थान के पश्चिमी इलाके में अधिकतर होता है। वहां शुष्क भूमि है और वहां पानी बहुत कम गिरता है और उसका कारण यह है कि वहां पेड़ पौधे काट दिये गये। वहां रेत के कण सारे के सारे वायुमंडल में पहुंच कर इतनी अधिक गर्मी पैदा कर देते हैं कि वहां पर बादल ठहर नहीं पाते हैं। परिणाम यह होता है कि कई वर्षों तक वहां पर पानी के दर्शन नहीं होते हैं। क्या उसके विकास के लिए पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिये? मान्यवर, यदि कृषि की योजनाओं को सफल बनाना है तो खास कर जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है वहां पर पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम हमको बड़े पैमाने पर हाथ में लेना होगा। यद्यपि कागजों में हमने बहुत कुछ किया है कि रेगिस्तानी इलाकों में विशाल पैमाने पर पेड़ पौधे लगायें जायं, रेत की टीले हैं उनका समीकरण किया जाय। क्या ही अच्छा होता, मान्यवर, कि ये कागज पर बनायी गयी योजनायें वास्तविकता में परिणित हो जाती। मान्यवर, शुष्क भूमि पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। कृषि सम्बन्धी और भी तरीके इस्तेमाल किये जा सकते है। इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है। वहां पर रेतीली जमीन को कितनी अच्छी अधिक उपजाऊ वाली बना लिया गया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? शुष्क जमीन पर कृषि के सम्बन्ध में कई नयी विधियां निकाल दी गयी हैं। उनमें से कुछ विधियां ये हैं कि शुष्क जमीन को मूल्यवान कृषि में परिणत करने के लिए पालिथिन में तम्बुओं में हवा भर कर फसल उगा सकते हैं। पर फसल विशाल पैमाने पर नहीं हो सकती किन्तु फिर भी इन तरीकों को काम में लेकर कुछ तो किया ही जा सकता है। इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

अर्द्ध शुष्क जमीन के बारे में भी जिसे बारानी जमीन कहते हैं जो 17 परसेन्ट है उसको छोड़ कर सारी जमीन इस तरह की है। 17 परसेन्ट में सिंचाई की व्यवस्था है। बारानी और अर्द्ध शुष्क जमीन की ओर ध्यान देना होगा। प्रयोगात्मक तौर पर इस भूमि में कई फसलें उगाई जा सकती हैं। ऐसे एक्सपेरीमेन्ट किये गये हैं। लेटिन अमेरिका में अफ्रीका एशिया के ऐसे कई प्रदेशों में शुष्क खेती के लिये कई प्रयोग किये गये हैं। आज हमारे यहां जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय भी इस बारे में अन्वेषण कर रहा है। पर सामान्य कृषक तक हम इन चीजों को अभी तक नहीं पहुंचा पाये हैं।

जबलपुर में आज एक प्रकार से राई और गेहूं के सम्मिश्रण से एक नई प्रकार की किस्म निकाल ली गई है जो बहुत जल्दी उपज देती है और जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। इसे ट्रिटिफेल कहते हैं।

इसी तरह से बारानी जमीन में बहु फसलें ली जा सकती हैं। मक्का के साथ सन फ्लावर बोकर मक्का के बाद दूसरी

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

फसल सन पलावर ली जा सकती है। इस प्रकार के कई कार्यक्रम वहां चल रहे हैं। यह सब हमारे यहां होगा भी क्यों ? हमारा उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय निष्क्रिय पड़ा है इस दिशा में। यहां प्राध्यापक ही आपस के लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं। वी. सी. और प्राध्यापकों के बीच द्वन्द चलता रहता है। ऐसी स्थिति में उनका ध्यान कृषि अन्वेषण की तरफ नहीं जा रहा है। झगड़े निपटाने में भी उनकी शक्ति समाप्त हो रही है। वल्लभनगर का कृषि फार्म आज जिस स्थिति में है उसके घोटाले की क्या चर्चा करूं। उस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हम कृषि के क्षेत्र में किस तरह से तरक्की कर पावेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

जब जो 17 परसेन्ट का हमारा सिंचित क्षेत्र है उस ओर भी दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि इस दिशा में भी हम बहुत अधिक प्रगति और विकास का काम नहीं कर पाये हैं। एक तो सिंचाई की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, न समय पर खाद मिलता है, न ऋण उपलब्ध होता है, न मिल पाता है समय पर बीज ही। तो ऐसी स्थिति में उस सिंचित क्षेत्र से अधिक लाभ नहीं मिल पाता। उसमें भी आशा के अनुरूप प्रगति हम नहीं कर पाये हैं। हरित क्रान्ति की बात बहुत अधिक कही गई। इसे हरित क्रांति न कह कर गेहूं क्रान्ति कही जा सकती है। क्योंकि मैंने विकास की ओर ही अधिक ध्यान दिया। दूसरी फसलों के बारे में अन्वेषण हमने नहीं किये। परिणामतः वे कम होते जा रहे हैं जैसे दालें हैं और हैं। गन्ना है। हमें गेहूं पर ही नहीं और भी सभी फसलों पर अपना ध्यान देना चाहिये।

सिंचाई की सुविधाओं के लिये नहरी एरिया में हालत आज यह है कि इतना अधिक पानी व्यर्थ जाता है कि फसलें अच्छी होने के स्थान पर क्षार उसमें पैदा होने लग गया है और इसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। कोटा का उदाहरण आपके सामने है। चित्तौड़गढ़ में भी यही स्थिति है। यहां अगर ये नहरें पक्की नहीं की गई तो सीपेज से यह इलाका सारा खराब हो जावेगा।

दूसरी बात, हम रासायनिक और दूसरे उर्वरक किसान को समय पर नहीं दे पा रहे हैं। कीमतें बढ़ रही हैं। पर इसके बाद भी समय पर और ठीक मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। एक उर्वरक के लिये किसान कितना परेशान होता है कि कितना समय उसका नष्ट होता है यह वही जान पावेगा जो वास्तव में उनके सम्पर्क में आता है। कार्यालय आज निष्क्रिय हैं। वे तो अपनी छुट्टियों का ध्यान रखते हैं। पर खेती कार्यालय की छुट्टियों को नहीं देखती। वह तो टैक्निकल तरीके से ही चलती है। खाद समय पर उसे मिलनी ही चाहिये नहीं तो सब व्यर्थ है। समय पर नहीं मिला तो बाद में उसका उपलब्ध होना कोई अर्थ नहीं रखता। आपकी सारी कृषि योजनाएं अगर समय अपेक्षित नहीं होंगी तो अधूरी रह जावेंगी।

इसके साथ ही बीज के बारे में निवेदन करूं। इसकी हालत भी बद से बदतर है।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

बीज में भी उपयुक्त समय पर उपयुक्त किस्म का नहीं मिल पाता। कई बार एन. एस. सी. के मार्फत यह बीज दिया जाता है। इस विभाग में घोटाले ही घोटाले हैं। इसमें यहां तक होता है कि गलत लेबल लगा दिया जाता है। फिर ठीक फसल के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि आज कृषक को ऋण की भी आवश्यकता होती है। इसमें भी किसान को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कार्यालयों के कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। हमें यह ऋण की व्यवस्था सरल करनी होगी। इसके लिए मेरा सुझाव है कि इसके लिये चलते फिरते कार्यालय कायम किये जावें। बजाय इसके कि किसान चक्कर लगावें ये कार्यालय स्वयं उनके पास जावें और ग्राम सेवक, पटवारी या सहकारी समिति आदि जिस किसी से जो भी उसे जानकारी लेनी हो तुरन्त लेकर तुरत फुरत निर्णय करके किसान को ऋण उसके स्थान पर ही मिल जावे।

दो फसलों के लिये मिट्टी की किस्म की जांच करवाना भी आवश्यक है। इसके लिये दुर्गापुरा में लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। पर उसने अभी तक क्या काम किया है इसका रिकार्ड देखेंगे तो वह अधिकतर कार्यालय में कागजों में ही हमें मिलेगा। मिट्टी का परीक्षण करने कोई भी परीक्षक मेरे क्षेत्र में नहीं देखा। अब जो स्थिति मेरे क्षेत्र में है, मैं समझती हूं, वही सब जगह होगी तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों का कार्य क्षेत्र कार्यालयों से हटा कर फील्ड में क्षेत्रों में ले जाया जाय तब तो इस विभाग का लाभ किसान को मिलने वाला है, नहीं तो सरकार का इस पर खर्च करना व्यर्थ है। अब परीक्षण के बिना ही दो फसलें लेने की किसान ने चेष्टा की तो फसल तो खराब होगी सो होगी, धरती की उर्वरा शक्ति खराब हो जावेगी। सुधरने के बजाय बिगाड़ आ जावेगा।

कीड़े मकोड़े और दूसरी बीमारियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि इन पर विशेष तौर पर परीक्षण नहीं किया गया है। इसके लिये जिला स्तर पर कृषि प्रसार अधिकारी की नियुक्ति की गई है। पर ये अपने कार्यालयों को छोड़ कर क्षेत्रों में नहीं जाते। अपने पेन्टों की क्रीज का ध्यान छोड़ कर ये लोग उस भूमि को छुएंगे जो सोना उगलती है तभी विकास का काम कर पायेंगे।

अब मैं चौथे पहाड़ी क्षेत्र में खेती के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। इन क्षेत्रों में आदिवासी लोग अधिकतर निवास करते हैं। पुराने समय का शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानान्तरित ये लोग करते थे। आज स्थानान्तरण की पद्धति तो हट गई है। पर आज भी उनका तरीका वही पुराना प्रीमेटिव है। आदिम तरीका है। हमारे विश्वविद्यालयों को इस ओर देखना चाहिये कि इन इलाकों के लिये कौनसी किस तरह की काश्त उपयुक्त होगी और यह हम किन साधनों से कर पावेंगे।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

तो इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से देख कर जमीन की किस्मों के बारे में जांच करना प्रारम्भ कर दें तो हम कृषि के क्षेत्र में विकास की तरफ बढ़ सकेंगे। मैं इस बारे में भी अपना सुझाव देना चाहूंगी कि कृषि के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन अब तक कृषक के पास नहीं पहुंचा है तो क्या हम शैक्षणिक स्तर पर कृषि जैसे विषय को लागू नहीं कर सकते ? क्या इसको प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जा सकता ?

परन्तु हम केवल इसको स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाते हैं। इसकी व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर करनी होगी तभी हम विकास की ओर बढ़ पायेंगे। मान्यवर, पशुपालन के बारे में संक्षिप्त निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि आपका रुख मुझे बैठाने का हो रहा है खेती और पशुपालन एक दूसरे के निकट रूप से सम्बन्धित हैं। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। हमारे राजस्थान के बहुसंख्यक लोग लघु कृषक या सीमान्त कृषक की अल्प बेरोजगारी को दूर करने के लिये पशुपालन को बहुत आगे बढ़ाना होगा। हम मान्यवर, बहुत पिछड़े हुये हैं। हम हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति को नहीं भुला सकते हैं और इसे नहीं भूलेंगे तभी विकास का काम आगे बढ़ पायेगा। राजस्थान में पशुओं के सम्बन्ध में बहुत अधिक कार्य है। राजस्थान में परम्परागत रूप से राठी, मालवी, थारपारकर और नागौरी किस्म की जो गायें हैं बहुत अधिक उपयुक्त हैं, बहुत अच्छी हैं लेकिन हमने इनके लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किये हैं।

मान्यवर, डेयरी के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाये। आज डेयरी के सम्बन्ध में दूसरे प्रांतों में हिमाचल प्रदेश और बंगलोर में काफी बड़े बड़े डेयरी फार्म स्थापित किये गये हैं लेकिन हमारे यहां कोई विशेष फार्म्स इस प्रकार के स्थापित नहीं किये गये हैं। राजस्थान की पशु धन की कमी को दूर करने के लिये चार मुख्य बातें हैं, उचित नस्ल, ऋण की सुविधा, चरागाह और चौथे रोगों की रोकथाम करना। इनमें जब तक तीव्र गति नहीं होगी तब तक जो डेरी कार्य हैं, उनको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इसलिये सबसे प्रमुख काम नस्ल को सुधारा जाय। दूसरे ग्रामीण व्यक्तियों तक ऋण की उचित व्यवस्था करने की ओर हमने बहुत कम ध्यान दिया है, आज भी डेयरी स्थापित करने वालों को बहुत अधिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है इसलिये ग्रामीण क्षेत्र में हर अंचल में ऋण की सुविधा देनी होगी। तीसरे, चरागाह को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाना होगा। चरागाह की कौनसी किस्म अच्छी होती है, दूसरे पहाड़ी स्थान पर कौनसी चरागाह की व्यवस्था हो सकती है। इसलिये इसका सुचारु रूप से अध्ययन करना होगा तथा बीज, चारे का मुफ्त में वितरण करना होगा। चौथे रोगों की रोकथाम के लिये 224 चिकित्सालय आपने कायम कर दिये हैं, यह बहुत खुशी की बात है लेकिन सारे चिकित्सालय या तो तहसील हैड क्वार्टर पर हैं या जिला हैड क्वार्टर पर हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनके लिये खेती को छोड़कर आना बड़ा मुश्किल होता है।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार सुझाव दिये हैं और फिर कहना चाहूंगी एक चलता फिरता पशु चिकित्सालय कायम करना होगा जो पशुओं के रोगों को देखे, उनकी बीमारियों का उचित समाधान करे और पशुओं के निरोधक टीके लगाये जायं तभी जो हमारे पशु हैं, जो काल के गाल में जकड़े जा रहे हैं, उनको बचाया जा सकता है और रोगों की रोकथाम की जा सके।

मैं संक्षिप्त में ही भेड़ व ऊन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूँ। ऊन के सम्बन्ध में काफी कुछ किया है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जहां 40 प्रतिशत भारत की ऊन प्राप्त होती है। परन्तु इसे ग्रामीण स्तर तक बढ़ाना है। आज बड़ी बड़ी शीप-ब्रीडिंग फार्म कायम हैं किन्तु उनमें बहुत घोटाले हैं और सुचारु रूप से काम नहीं कर पा रही है। जो रेगिस्तानी इलाके में लघु कृषक हैं और सीमान्त कृषक हैं उस तक यह व्यवस्था पहुंचानी होगी तभी इसका अधिक विकास सम्भव हो सकेगा। मान्यवर, इसलिये सुझाव देना चाहती हूं ऊन जो हमें प्राप्त होती है वह राजस्थान से बाहर भेज देते हैं। बीकानेर में यद्यपि ऊन का कारखाना लगाया है परन्तु कुटीर उद्योग के रूप में, कालीन उद्योग के रूप में जैसा मिर्जापुर, जौनपुर और वाराणसी में कालीन बनते हैं उसी प्रकार का प्रशिक्षण ग्रामीण स्तर तक दिया जाय। ग्रामीण इस उद्योग को आसानी से चला सकते हैं और इससे अपनी जीविका के साधनों को बढ़ा सकते हैं यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा और दूसरे राजस्थान से जो ऊन बाहर जाती है वह यहीं खप जायेगी, कई लोगों को रोजगार देगी।

अब मैं मान्यवर, पशुपालन के सम्बन्ध में, कुक्कुट विकास के बारे में पोल्ट्री फार्म के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। जापान की शान्ति सेना ने इस पोल्ट्री फार्म को बहुत अधिक विकसित किया है और सहारा भी अधिक दिया है, परन्तु यहां मुर्गी पालन के लिये जो फीड दिया जाता है वह बहुत मंहगा हो गया है। जिन लोगों ने पोल्ट्री फार्म स्थापित किये हैं अब वे इस समय अपनी मरणासन्न स्थिति में पहुंच गये हैं। बहुत से लोगों ने तो बन्द कर दी है। सघन कुक्कुट विकास के बारे में जो पशुपालन का पेम्फलेट निकाला है तो मैं निवेदन करना चाहती हूं सघन कुक्कुट विकास क्या है। कुक्कुट सम्बन्धी जो पोल्ट्री फार्मस हैं वह बन्द हो रहे हैं तो कम से कम उनके फीड के लिये कोई व्यवस्था की जाय जिससे प्रगति को ओर बढ़ सकें, इस ओर पूरा ध्यान देना होगा अन्यथा यह बढ़ते हुए प्रगति के कदम पीछे न हट जावें।

मान्यवर, मत्स्य पालन से 20.50 लाख की राज्य कोष में आमदनी होती है। परन्तु कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको उद्योग के रूप में चला सकते हैं। उस ओर ध्यान देना होगा। खास तौर से जो नदियां हैं बनास, गम्भीरी नदी उनमें व्यक्तिगत रूप से किया जाय तो दो लाभ मिल सकते हैं एक तो राज्य की आय बढ़ेगी और दूसरा ग्रामीणों को पौष्टिक आहार सस्ती दर पर मिल पायेगा। आज राज्य सरकार ने फीड तैयार करने का अवश्य काम किया है 2–3 स्थानों पर, रामगढ़, सेट और बारेठ में लेकिन इसका विकास किया जाना चाहिये। आप इस काम को करना चाहते हैं तो, मान्यवर यह ऐसा

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

धन्धा है जो 6 महीने में तीन हेक्टेयर की दर से बढ़ती है। रोहू, कटला और मृगाल की गति आगे बहुत जल्दी बढ़ती है और इस उद्योग में उन कृषकों को लगाना होगा जो सीमान्त कृषक हैं या लघु कृषक हैं जो अल्प बेरोजगारी से छुटकारा पा सके। अन्त में निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि और पशु पालन गहरे रूप से सम्बन्धित हैं। इन दोनों की ओर ध्यान देना होगा तभी जाकर हमारे प्रान्त की गरीबी और खास तौर से सीमान्त कृषक की और लघु कृषक की दूर हो सकती है, उनकी बेरोजगारी कम की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. केदारनाथ।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : मान्यवर खेती बाड़ी का सम्बन्ध हमारी सिर्फ रिलायन्स आत्म निर्भरता पर है। मैं यह मानकर चलता हूं केवल फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के द्वारा अगर खेती बाड़ी आइन्दा इसके विकास के बारे में सोचें। उन्नति के बारे में सोचें यह काफी नहीं होगा। राजस्थान जैसे प्रदेश में मेरी यह मान्यता रही है कोई पर्सपेक्टिव प्लानिंग नहीं होगा, कैसा इसका प्लानिंग हो कहां कहां प्लानिंग किया जाय ऐरिड जोन, डेजर्ट जोन कमान्ड ऐरिया, नन कमान्ड ऐरिया तब तक एग्रीकल्चर के प्रति वफादार साबित नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं यह मानकर चलता हूं एक साल पहले हम मोट हुये थे। फिफ्थ प्लान का यह पहला साल है। इसके बीच में बड़ा फर्क है। मगर चूंकि 74 का साल ऐसा क्रिटिकल साल है कि खेतीबाड़ी की अहमियत बढ़ जाती है। बफर स्टाक चाहे आप वर्ल्ड के लेवल पर रख लें, प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है और 74 के अन्त तक का स्टाक कायम कर लें कि सारी एग्जिसटेन्स को मिलकर कर सके, आगे क्या फसल होगी कह नहीं सकते हैं। मौजूदा टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है सिद्धान्ततः हम इस बात को भी मानते हैं शार्टेज का दोष हो सकता है, शार्ट-फाल का दोष हो सकता है। हिन्दुस्तान की सरकार रिलेक्स करने जा रही है। क्या इससे शार्टेजेज बन्द हो जायेंगे? क्या प्राइस का स्पाइल होना बन्द कर पायेंगे? क्या डोमेस्टिक लेवल पर आम आदमी को खाने की चीज दे पावोगे? हम तो यह सोचते थे कि राज्य सरकारें केन्द्र से मिलकर मोटे अनाज को भी अपने हाथ में लें और आईल सीड्स को भी अपने हाथ में ले और हम चाहते हैं कि दरअसल देश के अन्दर कीमतों में स्थिरता आये और काश्तकारों को अच्छी कीमत मिले कास्ट आफ प्राडक्शन के लिहाज से और कन्ज्यूमर्स को भी कम मार्जिन से चीजें मिलती रहें। अगर मान्यवर यह लिंक आप करना चाहते हैं इकानामी का तो मैं सोचता था कि यह चीजें एक साल के अन्दर केन्द्र से मिलकर आगे बढ़ेंगी लेकिन नहीं बढ़ीं। आज हमारे सामने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, हमारे सामने डाक्टर बारलो की रिपोर्ट है और केन्द्र के भी हमारे पास आंकड़े हैं। इसको हम कैसे फेस करने जा रहे हैं। इस समय मान्यवर, हमारी खेतीबाड़ी की अहमियत और बढ़ जाती है। मैं सोचता हूं कि इसमें शक नहीं कि हमारी राज्य सरकार ने खेती बाड़ी के मामले में काफी प्रगति की। प्राडक्शन बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं है और मान्यवर जो,

(श्री केदारनाथ)

एग्रीकल्चर के नये मिनिस्टर बने हैं जिनकी अपनी आइडियालाजी है, अपना अलग से बैक-ग्राउण्ड है मैं उनसे आशा करता हूं कि आप इसको तरीके से हैंडल कीजिए। किस पैटर्न पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या पैदा करती है, टीचिंग और रिसर्च का कैसे आप इन्टीग्रेशन करने जा रहे हैं, शिक्षा के लेवल पर, डिपार्टमेंट के लेवल पर और यूनीवर्सिटी के लेवल पर इन तीन चार इश्यूज को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। यह इस-लिए निवेदन करता हूं कि यह बहुत अहम मसला है।

जैसे मान्यवर, राजस्थान कैनाल का मसला है अगर इसी के बारे में आप पर्स-पैक्टिव प्लानिंग नहीं बनायेंगे जैसे हमारी ग्रासी लैण्ड कितनी हो, कितनी पाश्चर लैण्ड हो और भेड़ों के लिए, गाय और भैंसों के लिए चराई के लिए कितना एरिया रिजर्व कर दें-यह चीजें आप नहीं करेंगे तब तक, आपका प्लानिंग पूरा नहीं होगा। कहां काटन का एरिया हो, कहां आंइल सीड का एरिया हो राजस्थान कैनाल में भूमि अलाट-मेंट हो रहा है, जमीन का अलाटमेंट हो गया लेकिन आपके पास प्लानिंग नहीं है इस लिए जो ग्रासी लैण्ड थी और जहां घास पैदा होती थी वह एरिया कम होता जा रहा है। फारेस्ट का एरिया कम होता जा रहा है और वह आहिस्ता आहिस्ता खेती बाड़ी में बदल रहा है। मान्यवर, जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है तो फिर यह किस चीज का प्लानिंग हुआ? जैसे जैसे एनी-मल्स की गिनती बढ़े और कितनी घास पैदा हो, फारेस्ट का एरिया कम नहीं हो और खेती बाड़ी के मामले में आप इन्टेन्सिव कल्टीवेशन शुरू कर दें ताकि सिचुएशन को कोप कर सकें। लेकिन यह प्लानिंग हमारा डिफेक्टिव है। तो मान्यवर, मैं राजस्थान कैनाल की बात कर रहा था कि जब पोंग डैम बन कर तैयार हो जायेगा और राज-स्थान कैनाल में पूरा पानी मिलने लगेगा तब 30 लाख रकबे में काश्त होगी शायद इर्रीगेशन से। मैं सोचता हूं कि अगर पाश्चर लैण्ड रिजर्व कर दें, अभी से यह तय कर लें कि ग्रासी लैण्ड बनानी है और जो काश्तकार पशुधन के ऊपर जिन्दा हैं उसको परचेजिंग पावर बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी। मैं सोच रहा हूं कि बहुत बड़ी चीज जो कि रूरल इकानामी में कमी है कमी इस बात की है कि हालांकि दस बारह सालों में हमने ईर्रीगेशन से, बिजली से हरित क्रांति पैदा की है ठीक है मैं मानता हूं कि इससे पैदावार बढ़ी है, फायदा हुआ है लेकिन थोड़ा सोचें कि किन को फायदा हुआ है। बड़े बड़े किसानों को इससे फायदा पहुंचा है और उनकी पैदावार बढ़ी है। लेकिन क्या इन थोड़े से बड़े कृषकों से आप सैल्फ सफीशियेन्सी की स्टेज पर पहुंच पायेंगे। आज स्माल काश्तकारों का बहुमत है और जो चीजें हमने पैदा की वह उनके पास कहां तक पहुंच पाई हैं, कितना लोन उनके पास पहुंच पाया है, कितना पानी उनके पास पहुंच पाया है और कितने ट्यूबवैलों से बिजली का फायदा उनको मिला है तो स्माल और मार्जीनल फार्मर्स और लैण्डलैस यह तीन तबके जिनको फायदा ज्यादा हो उनके ऊपर हरित क्रान्ति का असर नहीं पड़ा। इसलिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, आप आइन्दा

(श्री केदार नाथ)
फाईव ईयर प्लान में कैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। आपने स्माल फार्मर्स को काफी कुछ करने का कहा है लेकिन आज एड-मिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है जिनका उनमें विश्वास नहीं और जिनकी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं और आइन्दा यह कहते हैं कि हम पंचायत समितियों की मार्फत और क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी की मार्फत रुपया बांटेंगे। उसमें वही लोग हैं जो कि वेस्टेड इन्टरेस्ट्स के लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर यह आज हावी हैं। तो इनके मार्फत अगर आप चाहते हैं कि हरित क्रान्ति का फायदा पहुंचे और वह काश्तकार जमीन पर ज्यादा पैदावार कर पाये, उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा बढ़ पाये मुझे इसमें, मान्यवर, शक है। तो मान्यवर, जब तक हम स्माल फार्मर्स की बैकबोन मजबूत नहीं करते और उसको पूरी सहूलियतें नहीं देते तब तक सैल्फ रिलायन्स की स्टेज नहीं आ सकती। तो गुस्सा और नाराजगी इस बात की है कि जिनको लाभ होता है वहां साथ ही साथ में डिस्पैरिटी भी बढ़ती है। एक तरफ तो छोटे काश्तकारों के एम्प्लायमेन्ट के पीरियड कम हो गए, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गयी, आहिस्ता आहिस्ता जमीन उसके हाथ से निकलती जा रही है क्योंकि कम्पीटीशन पर नहीं स्टेण्ड कर पाता, न वह ट्यूबवेल बना पाता है, न फर्टीलाइजर खरीद सकता है, न ट्रैक्टर ले सकता है उसकी इतनी काश्त होती है और न होल्डिंग ही कर पाता है। चारों तरफ से डिस-कन्टेन्टमेन्ट की पोजीशन में होने के नाते स्माल फार्मर्स की पोजीशन बहुत खराब है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपका पर्सपेक्टिव इन तीनों एजेन्सीज की मार्फत कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसा होता है, कैसे आप हालात पैदा करते हैं कि खेतीबाड़ी के हिसाब से ज्यादा फायदा पहुंचे और इनकी परचेजिंग पावर बढ़े तो मैं कहना चाहता था कि हमारी जो मौजूदा शिक्षा है हम स्कूल और कालेजेज में देखें कि खेती का सबजेक्ट बहुत कम है। एक पाइन्ट या दो पाइन्ट से ज्यादा ट्स्डेन्ट्स नहीं पढ़ते हैं। अब हम लिंक कैसे करें खेतीबाड़ी और पैदावार को।

हमारी उदयपुर यूनीवर्सिटी है वह केवल खेतीबाड़ी के लिए बनाई गई। आपको मालूम है मान्यवर, यहां सदन में बिल पास हुआ। वह केवल एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के नाम से बनी थी और फोर्ड फाउन्डेशन से इस नाम से पैसा मिल गया और आहिस्ता आहिस्ता जब वह आपकी आब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाई तो मल्टी फैकल्टी बना दिया इतना काफी नहीं है। एक खेतीबाड़ी की यूनीवर्सिटी और उसको केवल टीचिंग का काम दे दें और मल्टी फैकल्टी टीचिंग दे दें और यह यूनीवर्सिटी खेती बाड़ी युनिवर्सिटी के लायक नहीं रही। तो उस समय मान्यवर, हमने कई बार कहा कि इसे फण्डामेन्टल रिसर्च का काम दो। जब तक आप टीचिंग को, रिसर्च को और एक्सटेन्शन सर्विसेस को इन्टीग्रेट नहीं करते तब तक उसका रिजल्ट नहीं होता। मैं मानता हूं कि खेतीबाड़ी डिपार्टमेन्ट के पास जितने साइन्टिस्ट्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं मगर यह एडाप्टेड साइन्स का इस्तेमाल करना तो

(श्री केदार नाथ)

आपके हाथ में हैं और बाकी तो फिर फण्डमेन्टल रिसर्च है वह यूनीवर्सिटी को देनी पड़ेगी। यह हो सकता है कि ट्रान्जेक्शन पीरियड में एक अपेक्स बाड़ी आप बना दें जिसके चेयरमैन मिनिस्टर साहब हों, इसमें वाइस चान्सलर यूनीवर्सिटी का हो, डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर मेम्बर बने, एनीमल हस्बेन्डरी का बने, फिशरीज का बने, डवलपमेन्ट कमिश्नर उसका मेम्बर बने—इस तरह की एक नयी अपेक्स बाडी बनाई जाये ताकि रिसर्च के काम को कोआर्डीनेट कर पाये लेकिन यह काम तब होगा जब आप इसको आज से शुरू करें। आज हमें मालूम होता है कि उदयपुर यूनीवर्सिटी में गड़बड़ियां हैं और वहां जिनके हाथ में रिसर्च था प्रोफेसर श्रीवास्तव वह आज सस्पेन्डेड हैं, मैं उनके केस के मैरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं जाना चाहता हूं तो वहां कौन सही है और कौन गलत है। यह तो हम जब यूनिवर्सिटि एजूकेशन पर बहस होगी, उस वक्त बोलेंगे। मगर रिसर्च को देते वक्त आप सारे मामलात को एश्योर्ड कर दीजिए, सारी ऐसी गारण्टी मिल जाय कि यह रिसर्च डिपार्टमेंट सौंपने से यूनिवर्सिटी की हालत सुधरेगी। यूनिवर्सिटी अपने ओब्जेक्टिव को पूरा कर पायेगी, इसके लिए पहले से तैयारी करने की जरूरत है।

अब, मान्यवर, हालात जो वहां पर देखते हैं सारे देश में और यहां पर, मैं यह मान कर चलता हूं कि जो प्राईमरी स्कूल, जो मिडिल स्कूल और हायर सैकेण्ड्री एज्यूकेशन है, अब यह सब्जेक्ट बच्चों को कौन पढ़ाता है। जो शहरों के लोग हैं उनका इंटरेस्ट केवल सर्विस से है और जो लो देहातों में हैं उनमें एलाइड के पढ़ते हैं, बड़े तबकों के बच्चे पढ़ते हैं जिनका इससे कोई फंशन नहीं है, कोई डेडीकेशन नहीं है कि पैदावार कैसे बढ़े। वे काम करने में गुरेज करते हैं। हर एक आदमी इसमें हिस्सा ले, हर एक आदमी का यह सब्जेक्ट नहीं हो, तब तक खेतीबाड़ी में आप प्रोग्रेस नहीं कर पायेंगे। इसलिए हायर सेकेण्ड्री लेवल पर आप इन्ट्रड्यूज कीजिए। एक फुल सब्जेक्ट हायर सेकेण्ड्री तक रखें, इस ढंग से ओरियण्टेशन करें कि मास पार्टीसिपेशन हो विद्यार्थियों का, उनकी दिलचस्पी इसमें हो जिससे सेल्फ रिलायन्स और सैल्फ सफिशियेंसी की स्टेज और इसका स्ट्रक्चर पैदा हो जो इकोनोमी को री-जनरेट करने में अपना पार्ट प्ले कर सके यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अब मान्यवर, हमारे यहां सूरतगढ़ में सैंट्रल मकेनाइज्ड फार्म है और जैतसर में एक फार्म बनाने जा रहे हैं। हमने यह फार्म सैंट्रल को दे दिया। बहुत बड़ा रकबा इसमें है, करीब पचास हजार बीघा भूमि है इसको। अब उसके पास इतना पानी नहीं है जिससे बाकी जमीन फालतू रहती है। अब वहां सीड का अच्छा काम है, मुनाफे में चल रहा है। तो राज्य सरकार को उसको अपने हाथ में लेकर के यहां सीड की प्रोड्यूज करने का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। वहां पर आप किसानों को विशेष ट्रेनिंग दें रैफ्रेशिंग कोर्स हो जिस तरह से लुधियाना को यूनिवर्सिटि करती है। वहां पर रिसर्च सैंटर बनायें तो आप राजस्थान केनाल को फीड कर पायेंगे और उस सारे एरिया को

(श्री केदारनाथ)

रिलीफ दे पायेंगे, ग्राम काश्तकारों को ट्रेनिंग दे पायेंगे, सीड अच्छा दे पायेंगे, पाश्चर लैंड ग्रौर काटन सीड्स का एरिया डवलप कर पायेंगे अगर ये दोनों फर्म आपके हाथ में हों। अभी ये फार्म केन्द्र के हाथ में हैं, केन्द्र का कण्ट्रोल जरूर है लेकिन केन्द्र के अफसर वहां पर न तो फिक्वेंटली आते हैं, न उसकी देखभाल करते हैं, न उसका इन्तजाम करते हैं न देखभाल करते हैं और न उनकी दिलचस्पी है। इसलिये जब लेबर ट्रबल पैदा हो राजस्थान सरकार को कूदना पड़ता है, ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाय तो राज्य सरकार को इण्टरफियर करना पड़ता है। इसलिये ये दो फर्म ग्रौर आयन्दा एक ग्रौर फार्म जो ग्राप क्रियेट करने जा रहे हैं, राज्य सरकार यह तय कर दे कि केन्द्र के हाथ में ये नहीं रहें ग्रौर आप उनको अपने हाथ में लें। मशीनरी उनके पास काफी है, जमीन काफी है अब केवल पानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे वहां ट्यूबवेल कैसे लगेंगे ग्रौर उस जमीन का किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, यह आपका काम हो। मान्यवर, एक हमारे इलाके में सांगरिया में खेतीबाड़ी का कालेज है वहां पर केवल टीचिंग है, वहां पर रिसर्च क्लासेज नहीं हैं, केवल टीचिंग के लिये खेतीबाड़ी की कालेज रखना काफी नहीं है। यह इस इलाके के साथ इन्साफ नहीं है उस इलाके के अन्दर कैसे कृषि का स्कोप बढ़े ग्रौर कैसे ज्यादा फायदा हो, इलाके को कैसे डवलप कर पायें इसके लिए आपको री-थिंकिंग करनी पड़ेगी।

मान्यवर, जब हम यह मान कर चलते हैं कि काश्तकारों को अपनी काटन, काटन कोर-पोरेशन यहां पर अक्टूबर से देगी कपास जिसको अमेरिकन कपास कहते हैं जापान के अलावा हमारे यहां का ही मार्केट है जहां हजारों टन काटन का अराइवल होता है। अब काटन कोरपोरेशन एक महीने के बाद आपरेशन में आता है अब वहां पर लूट होती है। दो सौ ढाई सौ रुपये में किसानों से खरीद कर उसी माल को व्यापारी तीन सौ, साढ़े तीन सौ में काटन कोरपोरेशन को देकर इतने मार्जिन का फायदा उठाते हैं। इसलिये आपका यह फर्ज हो जाता है, यह ठीक है कि यह सेंटर से गाईडेड हैं, सेंट्रली स्पोंसर्ड है सारी खरीददारी, लेकिन मान्यवर, राज्य सरकार का भी फर्ज है कि सीजन आने से पहले फूड कारपोरेशन ग्रौर फूड कोरपोरेशन के साथ आपके अधिकारी बैठ करके जो इसके पहले बैक ग्राउण्ड पैदा करनी चाहिये, वह तय करना चाहिये ताकि काश्तकारों को पूरी कीमत मिल पाये। मंडियों को आप इस तरह से कण्ट्रोल कर पायेंगे। अभी आपने जो मार्केटिंग एक्ट है कृषि विभाग का उसके सेक्शन 37 के अन्दर एक एडमिनि-स्ट्रेटिव आर्डर निकाल दिया कि जो कमीशन लेते हैं जो कच्चे आढ़तिये कमीशन लेते हैं वह कमीशन 1 80 पैसे होता है, आपने इसके लिये एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर दे दिया कि जो परचेज करेगा, सेलर से नहीं, परचेजर से कमीशन काटा जाएगा। अब आपसे चूंकि उसको आर्डीनेंस के रूप में नहीं लाया, एक्ट में अमेंडमेंट नहीं किया तो उसको चेलेंज कर दिया गया ग्रौर हाई कोर्ट में वह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर स्टक

(श्री केदारनाथ)

डाउन हो गया। अब फिर वह पैसा काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है। इसलिए इस समय असेम्बली चल रही है, सिम्पल सा एक अमेंडमेंट होगा और हम सब लोग मिल कर उसको पास कर देंगे, जो कास्ट आती है उसके ऊपर जो कमीशन है वह परचेजर से वसूल किया जाय न कि सेलर से यह आप कर दें।

दूसरा, मान्यवर, कृषि उपज समिति के चुनाव के बाद कम से कम डेढ़ साल चेयरमैन के इलेक्शन में लग जाते हैं। आप मेंडेटरी प्रोविजन कर दें कि दो महीने में गजट नोटिफिकेशन हो जाय और एक महीने में चेयरमैन का चुनाव हो जाय और वर्किंग शुरू कर दिया जाय। अब उनके दफ्तर के लिए जगह नहीं है, आफिस कहां हो इसी में समय लग जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लोकल बोडीज के साथ मिल कर तय करना चाहिए कि उनका दफ्तर कहां हो, कौनसी साइट हो, क्या कीमत हो। बिल्डिंग के लिए उनके पास पैसा है। हमारे यहां की कृषि उपज मन्डी के पास कम से कम नौ-दस लाख रुपया जमा है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। दफ्तर आप दे दीजिए उनको बता दीजिए कि यहां पर दफ्तर होगा। चार साल से लगातार लोकल बोडीज और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में झगड़ा चल रहा है लेकिन दफ्तर नहीं मिला उनको। मैं निवेदन करता हूं मान्यवर कि ऐसी जो छोटी 2 चीजें हैं जिसके अन्दर कृषि विभाग का इन्टीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए।

अब, मान्यवर, अन्त में यह कहना चाहता था खेतीबाड़ी के अलावा जो ऊन का सवाल है, बीकानेर में ऐक वूलन मिल बनकर है, इसके स्पिन्डल्स भी बढ़ाये हैं। इसकी पैदावार बढ़े, इसके साथ साथ वहां पर जितने छोटे 2 व्यापारी हैं उनका संगठन आप जब तक नहीं बनायेंगे, उनका फायदा नहीं कर पायेंगे। अगर बड़े व्यापारियों के हाथ में दे दिया तो फिर प्राब्लम्स आपके सामने रहने वाला है। इसलिए छोटे 2 व्यापारियों का संगठन बनाकर अगर आप उनको लोन देते हैं, क्रेडिट लिमिट बढ़ा दें तभी जाकर वूल की पैदावार बढ़ा पायेंगे।

मैं अन्त में खेतीबाड़ी की अहमियत के बारे में आपको ध्यान में रखते हुए आज के युग में जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटि है इसको प्लानिंग के साथ में, कैसे आयन्दा राजस्थान में कृषि की उपज बढ़े, कैसे ड्राई फार्मिंग हो, कैसे पाश्चर लैंड का डवलप्मेंट हो, कैसे राजस्थान कैनाल को फीड कर पायें, इनके बारे में मंत्री महोदय जब रिप्लाई देंगे, हमारे सामने रखेंगे कि कैसे क्या करने जा रहे हैं।

फर्टीलाईजर के बारे में आपने एक कमेटी बनाई और डी. डी. ओ. के द्वारा इनकी बिक्री करवा कर गल्ती कर दी। अब इसको कन्ट्रोल करने के लिए सोसायटीज के बिकवाने की बात की है और उनको कन्ट्रोल करने के लिए पंचायत लेवल पर कमेटी का सुझाव दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

Page No 110

(११७)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री सभापति : आप पहले बोलना चाहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जी हां, सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा : सभापति महोदय, कृषि मन्त्री और पशु मंत्री ने मांग संख्या 36

श्री रामकिशन : क्या पशु मंत्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जी हां, पशु मंत्री।

श्री रामकिशन : तब तो बड़ी प्रोग्रेस की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : कृषि मंत्री ने 4,34,57,000 रु. की मांग और पशु विभाग के मंत्री ने करीब 6,61,91,000 की राशि 31 मार्च, 75 तक के लिये मांगी है। हमें बहुत प्रसन्नता होती यदि वह, राजस्थान जिसका मुख्य धन्धा पशु पालन और कृषि है और जिसकी आमदनी का 40 प्रतिशत रेवेन्यू का कृषि से आता है आता है और जिसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा परसंटेज बहुत कम पैसा खर्च करने पर पशुपालन और कृषि से आता है और पशुपालन के अन्दर सारे विश्व के अन्दर अपना स्थान रखता है, न केवल भारतवर्ष में हां जहां पर भारतवर्ष को 40 प्रतिशत भेड़ केवल राजस्थान के अन्दर ही होती हैं या दूसरे पशु भी ले लीजिये, जो दूध देने वाले पशु हैं, उसकी स्थिति में भी सारे भारतवर्ष में एक विशिष्ठ स्थान रखता है और जहां राजस्थान केनाल जैसी विश्व की सबसे बड़ी योजना बन रही है हमें प्रसन्नता होती यदि वे इस मद में अधिक रुपया मांगते। लेकिन इस मद में बहुत कम रुपया मांगा है, इसलिए इससे सारी स्थिति उभर कर सामने आती है कि कोटि कोटि लोग जो गांवों में रहते हैं, उनके बारे में राजस्थान सरकार क्या कर रही है। यह उसकी स्थिति है। जहां ग्रोथ आफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सारे भारतवर्ष में केवल 3 परसेन्ट के ऊपर अंतर आया है और ग्रोथ आफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राजस्थान अन्दर के इससे नीचे के स्तर पर आ गयी है।

(2.41 म.प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

वहां पर इतना कम पैसा, इतना कम परसेन्टेज अगर इस दिशा के अन्दर खर्च किया जाएगा तो मैं राजस्थान सरकार की प्लानिंग को डिफेक्टिव मानूंगा। थर्ड प्लान में जहां आपने एग्रीकल्चर में 46.60 करोड़ और 19.23 करोड़ खर्च किया था, तो वहां फोर्थ प्लान में हमने इसके ऊपर 102 करोड़ रुपया खर्च किया। केवल 23. 4 परसेन्ट और अब फिफ्थ प्लान के अन्दर हम 7.8 करोड़ स्टेट प्लान से और 32.48 करोड़ सैन्ट्रल प्रोग्राम से यानि कुल 40 करोड़ के आसपास खर्च करने जा रहे हैं। इसका परसेन्टेज 725 करोड़ की योजना के अन्दर एक परसेन्ट से भी

(नोगेन्द्रनाथ हाण्डा)

नीचे को चला जाता है। यह एक स्थिति को स्पष्ट करता है। सभापति महोदय, वैसे तो राजस्थान के अन्दर 73 परसेन्ट कृषि और पशुपालन पर अपना जीवन यापन करते हैं और बाकी 27 परसेन्ट आबादी दूसरे धन्धे पर जीवित है और आज गरीबी सब से ज्यादा, सब से अधिक प्रचंड है तो वह गांव के आंचल में है। गांव के आंचल में जो गरीबी है, उसमें आज 50 परसेन्ट लोग स्टारवेशन की रेखा से भी इधर हैं, उधर नहीं हैं। और वह लैन्ड होल्डिंग का प्रश्न देखें तो 40 परसेन्ट ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई लैन्ड नहीं है और 60 परसेन्ट ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ या दो एकड़ लैन्ड है। इसका अर्थ यह है कि आज राजस्थान के अन्दर जहां पर एवरेज होल्डिंग 15 बीघा आता है, वहां आपके उत्पादन के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े दरिद्र की दरिद्रता को और भी ज्यादा गहरा करते हैं। उनकी स्थिति को और भी अधिक उभार कर रखता है। ये भूपति और राजा-महाराजा अधिकांश भूमि को दबाये बैठे हैं। इतना अधिक होल्डिंग एवरेज होने के बाद आज गंगानगर जिले में सब से अधिक खेतिहर मजदूर है और सारे भारतवर्ष में सब से अधिक भूखंड है वे गंगानगर जिले में हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिए राजस्थान की रेट आफ एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह निश्चित बात है, सभापति महोदय, जहां करोड़ों हाथ बिना काम के हों और जहां धरती का केन्द्रीयकरण किसी न किसी रूप में चाहे गश्त गिरदावरी के रूप में, चाहे शिकमी काश्तकार के रूप में हो, बड़े भूस्वामियों, जागीरदारों के अंदर केन्द्रित है जहां पर कि ठाकुर साहब 40 हजार एकड़ के अन्दर अपने घोड़े पालने का केन्द्र चलाना चाहते हैं। जोधपुर के राजा साहब अपनी हजारों एकड़ जमीन के अलावा राजस्थान केनाल के सिंचित क्षेत्र में 5000 एकड़ जमीन रखते हैं। तो वहां पर रेट आफ एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या होगी? यह स्वाभाविक बात है और बड़ी हास्यास्पद बात है। रेट आफ ग्रोथ से और भी कई नतीजे निकलते हैं।

इसके साथ साथ आज कृषि के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए हमें उसके उन पहलुओं पर बात करनी होगी। आज यहां यह चर्चा की जाती है कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन किया जाना चाहिये या एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन किया जाना चाहिये. कौनसा इसमें अधिक सफल है। सारे विश्व के अन्दर केपिटलिस्ट वर्ल्ड की आज उर्वरकों के ऊपर मोनोपोली है। मोनोपोली होने के बाद यह बात चल रही है कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन हो या एक्स्टेन्वि कल्टीवेशन हो। कुछ लोग लाजिक से इन्टेन्सिव को जस्टिफाइड करते हैं और दूसरी ओर एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन की दलीलें भी उभर कर सामने आ रही हैं। सभापति महोदय, जरा आप कम्पाउन्ड ग्रोथ आफ रेट देखिये। मैंने इसको दो सूत्रों के अन्दर बांटा है। एक तो 1952–53 से लेकर 1962–63 तक और दूसरा 1962–63 से लेकर 1970–71 तक इसका टोटल है यह फूड ग्रोथ और नान फूड ग्रोथ के सम्बन्ध

(योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

में है। इसके प्रोडक्शन के आंकड़े भी हैं और इसके एरिया के आंकड़े भी हैं। प्रोडक्टिविटी आंकड़े भी है। अगर आफ फूड ग्रेन के सम्बन्ध में आंकड़े लेंगे तो 52-53 में जहां प्रोडक्शन 2.39 परसेन्ट था वहां एरिया 3.42 परसेन्ट था, प्रोडक्टिविटी 1.0 थी। इसके बाद 62-63 और 70-71 के दौर में प्रोडक्शन 5% था, एरिया ग्रोथ एक थी और प्रोडक्टिविटी 4 थी। अगर अब आप इनको नान फूड क्राप्स के सम्बन्ध में लें जहां प्रोडक्शन 52-53 में 3.78 था, वहां एरिया 3.56 परसेन्ट था और प्रोडक्टिविटी 0.35 थी। इसके बाद 62-63 से 1970-71 तक प्रोडक्शन माइनस 0.9 थी, एरिया माइनस 1.83 की फीगर थी और प्रोडक्टिविटी 1.20 थी। बड़े विचित्र आंकड़े हैं। इसमें से कई इन्फरेन्स निकलता है। कीमती इन्फरेन्स निकलता है। इसका टोटल देखियेगा। पहले सूत्र के अन्दर 52-53 से 62-63 तक प्रोडक्शन 2.65, एरिया 3.44 और प्रोडक्टिविटी 0.99। इसके बाद 62-63 के दौर से लेकर 70-71 दौर में 3.70 प्रोडक्शन में, 0.70 एरिया में और प्रोडक्टिविटी 2.81 है। एरिया कम हो गया है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गया है। इसके लिए हमारी इम्प्रूव्ड हाई ब्रिड वेरायटीज जिम्मेदार हैं। इसके लिए इन्फरेन्स यह निकलता है इन्टेन्सिव कल्टीवेशन इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार है। पहले सूत्र के अन्दर जहां पर आपको प्रोडक्शन 2.05 बढ़ा है वहां पर एरिया केवल 3.44 बढ़ पाया है। इतना बड़ा एरिया बढ़ने के बावजूद प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्टिविटी माइनस में चली गयी है। इसलिए इन्टेन्सिव कल्टीवेशन का क्वश्चन सामने आता है। इन्टेन्सिव कल्टीवेशन क्लीअरली इन फीगर्स के लिए जिम्मेवार है। इसके साथ-साथ अगर आप इन्पुट्स की स्थिति को भी देखिए तो सभापति महोदय, वह बहुत ही गंभीर है और बड़ी शोचनीय है। हमारे राजस्थान के अन्दर 83 प्रतिशत हमारी लैन्ड और हमारा किसान रेनफाल पर डिपेन्ड करता है। यह बड़ा परसेन्टेज है आल इंडिया के ऊपर जहां कि 12 परसेन्ट से 20 परसेन्ट तक का आंकड़ा है कुल सिंचित क्षेत्र का और इसमें इर्रीगेटेड क्षेत्र के अन्दर हमारा 12 प्रतिशत का आंकड़ा है इस दिशा के अन्दर। और इन्पुट्स की स्थिति क्या थी, वह गंभीर है। इन्पुट्स की स्थिति में, हाई वेराइटी प्रोडक्शन के ऐवरेज टारगेट हम एचीव नहीं कर पाये फोर्थ प्लान के अन्दर। हम कोई भी टारगेट एचीव नहीं कर पाए हैं। केवल एक-दो का टारगेट एचीव कर पाए हैं। हर टारगेट के अन्दर हमारी स्टी। शार्टफाल उभर कर सामने आती है। हमारा टारगेट 1.70 लाख हैक्टेयर का था और फोर्थ प्लान हम ने क्लोज कर दी, फिफ्थ प्लान का पहला वर्ष हम आरंभ करने जा रहे हैं और एचीवमेन्ट आफ टारगेट 12.29 लाख हैक्टेयर का है। फर्टीलाइजर की स्थिति देखिये तो नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटास, इन तीनों को लीजिए। जहां हमारा टारगेट 1.10 था फोर्थ प्लान में जहां हमारा टारगेट एचीवमेन्ट 0.58 है। फासफोरस का टारगेट 3.20 था और एचीवमेन्ट है 1.1, पोटास का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

टारगेट हमारा 0.09 था और एचीवमेन्ट है 00.05. प्लान्ट प्रोटेक्शन जहां हमें 50 लाख हैक्टर्स के अन्दर करना था हम 45 लाख हैक्टर्स में ही कर पाये हैं। माइनर ईरिगेशन के अन्दर हमने थोड़ा सा डेवलप किया है, और इसी प्रकार साइल कन्जर्वेशन के अन्दर हमने डी. पी., ए. पी. और सी. एस. आर. ई. के प्रोग्राम्स के तहत कुछ एचीवमेंट्स किये हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान की स्थिति के अन्दर यहां पर 40 पर्सेन्ट एरिड जोन है, टोटल डेजर्ट एरिया है। बात यह है कि इस डेजर्ट एरिया में 6 पर्सेन्ट इर्रिगेटेड एरिया है, और हमारा जो रेनफाल का एरिया है जहां पर 50 सी. एम. तक रेनफाल होती है वह एरिया 53 पर्सेन्ट और इर्रीगेशन 27 पर्सेन्ट है। इसलिए हमें, सभापति महोदय, वन-टेन्थ ऐसा एरिया है जहां 60 से 70 पर्सेन्ट तक इर्रीगेशन एचीव होती है। कुल मिलाकर सारे राजस्थान के अन्दर इन एरियाज में हम काफी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाये हैं जिसके अन्दर कि हम पेरिनियल इर्रिगेशन के जरिये हम हाई ब्रीड वेराइटीज को डेवलप कर सकें। वैसे राजस्थान को इस बात का गौरव है कि राजस्थान ने हाई ब्रीड वेराइटीज के अन्दर किसी भी स्टेट से कम एचीवमेंट नहीं किये हैं। डा. एम. पी. भटनागर पर हमें नाज है जिनको स्पेशल मेरिट के प्राइजेज मिले हैं जिन्होंने आर एस 31 जैसा फार्मी गेहूं, उस जैसा इम्प्रूव्ड व्हीट क्रियेट किया है। डा. एस. एम. गांधी ने भी कुछ कम काम इस दिशा में नहीं किया है। उन्होंने लाल बहादुर, राजस्थान 911, राजस्थान 821 के अन्दर एचीवमेंट किया है, लेकिन वह जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि चाहे यू. एन. ओ. के प्रोग्राम्स हों या और इम्पोर्टेन्ट मेजर्स के अन्दर हम उनको कैसे पार्ट विध कर सकते हैं। आज राजस्थान का कन्ट्रीब्यूशन स्वामीनाथन् के स्टेटस को तो नहीं पहुंचा है लेकिन दावे के साथ हम कह सकते हैं कि सीड का जहां तक एचीवमेंट है चाहे वह बार्ले के अन्दर हो, चाहे व्हीट के अन्दर हो, वह काफी अच्छी एचीवमेंट है। इतना ही नहीं राजस्थान के अन्दर कुछ अनपढ़ किसानों ने भी इम्प्रूवमेंट किया है। बलवन्त सिंह ने कृषि पंडित की उपाधि हासिल की है और इंडिया के सारे रेकार्ड को तोड़ा है। जो गंगानगर से आते हैं जिन्होंने 122 क्विंटल पर हैक्टर की प्रोड्यूस की है। आज हम मुन्शी को भी नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने चौमूं के अन्दर अपनी वेराइटी इन्वाल्व की और गंगानगर के अन्दर भी एक वेराइटी इन्वाल्व की है। लेकिन सरकार की नीति के कारण सारी की सारी रिसर्च लेबोरेट्रीज के अन्दर कन्सेन्ट्रेट हो जाए, और प्रेक्टिकल फार्मर्स की रिसर्च को एपियर नहीं कर पाई है। वह बलवन्त सिंह जिन्होंने कृषि पंडित की उपाधि एचीव की है उन्होंने कौन सी वेराइटी आफ व्हीट यूज की है। यह जानकारी हम जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इम्पार्टेन्ट एग्रीकलचर के इश्यू के ऊपर हम केवल फेमीन की बात कहकर उसको सेट एसाइड नहीं कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की नीति एग्रीकल्चर के प्रति काफी दुर्लक्षपूर्ण है। एग्रीकल्चर के अन्दर काफी स्कोप हुआ है। आज पोलिटिकल टेक्टिक्स के अन्दर सारी की सारी नीति फस गई है। रिसर्च दुर्गापुर लेबोरेट्री करे या उदयपुर में रिसर्च का वर्क हो, आखिर यह पोलिटिक्स क्या है। हमें तो एचीवमेंट देखना होगा। सभापति महोदय, ऐसी-ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि एक डिसीज के सिलसिले के अन्दर मैंने एक पेम्फलेट पढ़ा है एग्रीकल्चर कालेज जोबनेर का और वह पेम्फलेट था वह बिल्कुल ही मिसगाइडिंग पेम्फलेट था। एक व्हाइट ग्रेब करके बीमारी होती है जो कि सेन्ट पर्सेन्ट नुकसान करती है। वह बाजरा, मक्का और ज्वार आदि खरीफ की फसलों में लगती है और उनको सारी की सारी को जड़ों से तबाह कर देती है। एग्रीकल्चर कालेज जोबनेर जो कि उदयपुर युनिवर्सिटी के अन्दर है वह एक पेम्फलेट इश्यू करता है कि यह डिसीज सोइबोर्न है। सभापति महोदय, एक टेक्निकल आदमी, एक स्पेशियेलिस्ट एक कालेज इस तरह से पेम्फलेट इश्यू करे कि यह सोइबोर्न डिसीज है। यह क्या है? सभापति महोदय, उदयपुर युनिवर्सिटी को सुमेरपुर का काम सौंपा गया; दूसरा काम सौंपा गया। क्या उनके एचीवमेंट्स हैं? अथवा इसी आधार पर कि वह एक युनिवर्सिटी है, लेकिन वह युनिवर्सिटी....

श्री हरिसिंह (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, कोरम नहीं है इसलिये घन्टी बजाई जाय।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह युनिवर्सिटी ऐसी है जो पोलिटिक्स के भंवर में पड़ी हुई है। वह युनिवर्सिटी फेकल्टी युनिवर्सिटी नहीं घोषित की गई थी, मगर सन् 62 के अन्दर....

(गण पूरक घंटी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

....इसी सदन के अन्दर क्या यह चैलेन्ज नहीं किया गया था कि उदयपुर युनिवर्सिटी एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के लिए उचित स्थान नहीं है। क्या श्रीमाली कमीशन के सामने यह बात दोहरा कर सामने नहीं आई है कि केवल राजनैतिक कारणों के कारण इसको एक युनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया गया है। एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी एक टेक्निकल युनिवर्सिटी है, लेकिन यह एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी नहीं है। एग्रीकल्चर और इन्जीनियरिंग की बात ठीक है, वेटरिनरी की बात ठीक है। उसके बाद ला कालेज, ह्यूमेनिटीज, आर्ट्स यह सारे के सारे इस युनिवर्सिटी के अन्तर्गत आते गये और यह युनिवर्सिटी एक मल्टीपल फेकल्टी यूनिवर्सिटी बन गई, और मल्टीफेकल्टी युनिवर्सिटी बनने के बाद इस युनिवर्सिटी की स्थिति और भी गम्भीर हो गई जिसके वाइस चान्सलर के खिलाफ मध्यप्रदेश विधान सभा के अन्दर बाकायदा गवर्नर की स्पीच के अन्दर, रिपोर्ट के अन्दर 70 लाख को पेस्टीसाइड्स की खरीद के अन्दर घोटाले का मामला आया है। उदयपुर युनिवर्सिटी की क्या स्थिति होने वाली है। फिर आपका कोई भी काम हो, जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उदयपुर युनिवर्सिटी को दे दीजियेगा उस काम के अन्दर आपको घोटाले ही घोटाले मिलेंगे, जैसे कि एक बस गर्ल्स कालेज के अन्दर खरीदी जाय तो 25 हजार रुपया एडवान्स ही उस बस के लिए दे दिया गया, लेकिन आज तक वह बस वहां पर आकर खड़ी नहीं हुई, और तीन साल के बाद और चार साल के बाद उसका चेसिस बने 14 हजार के अन्दर और आज तक वह बस उसके बाद भी सप्लाई नहीं करती है। और चाहे वहां की पायलेट मिल्क सप्लाई प्रोजेक्ट ले लीजियेगा उदयपुर का यह प्रोजेक्ट उदयपुर युनिवर्सिटी के अन्दर इन्स्टाल किया गया और 5000 लीटर्स पर डे पास्चुराईजेशन आफ मिल्क के लिए वह इन्स्टाल किया गया। और, सभापति महोदय, इस प्रोजेक्ट ने जनवरी सन् 1964 के अन्दर काम करना शुरू कर दिया। इसका इनीशियल आउट ले 5,49,000 रुपये का था, और इसका एरिया 62 किलोमीटर का था, लेकिन सभापति महोदय, यह कभी भी अपनी पास्चुराइजेशन की मशीन को पूरा फीड ही नहीं कर पाया है सारे का सारा प्रोजेक्ट अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं कि इसने कितना मिल्क कलेक्ट किया तो वह आश्चर्यजनक होगा। 64-65 के अन्दर पर डे 1270 से 90 लीटर तक यह मिल्क कलेक्ट कर रहे हैं और 1970-71 में केवल 16500 लीटर्स ही कलेक्ट कर सके। और फिर उसने एरिया आपरेशन 150 किलोमीटर कर दिया। दूध का भाव 65 नये पैसे लीटर कर दिया। उस वक्त मार्केट में 1 रु. में प्राप्त हो सकता था। तो यह सारा का सारा कन्ट्रैक्टर पर डाल दिया। कोआपरेटिव सोसाइटी से आपरेट करने की बात की तो उसने आपरेट नहीं किया। 42 लाख रु. का घोटाला किया गया है। 16 लाख रुपया राजस्थान सरकार की जेब से दिया गया है। यह तो इनकी स्थिति है। 6 लाख लीटर मिल्क कलेक्ट किया गया है 70-71 के अन्दर, उनमें से 1 लाख लीटर मिल्क का कल्टियर होगा। कोई इन्जीनियरिंग प्लान्ट नहीं है। बायलर है, मशीन आउट माडर्न हो गई है। वह फंक्शन नहीं कर सकती। सारा का सारा 42 लाख रु. घाटे में चला गया है। सभापति महोदय, मैं उसके प्रोडक्शन पर नहीं जाना चाहूंगा। क्योंकि मुझे और कई चीजें रखनी हैं।

सभापति महोदय, यह एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी की बात कर रहा था। आज केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, हिन्दुस्तान के लिए यह गर्व की बात होती। यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के बजाय बीकानेर रेंज के अन्दर होती इसलिए कि सबसे बड़ा सूरतगढ़ फार्म वहां फंक्शन कर रहा है। करोड़ों रुपयों की वहां पर मशीनरी है। दूसरी ओर 16 हजार एकड़ में 73 के अंदर फंक्शन करना शुरू कर दिया। हर किस्म की मशीनरी है। हर किस्म की सहूलियत वेराइटी आफ सोइल है। सभापति महोदय, एनीमल हसबेण्डरी में लासेस की शिकायत है। लुधियाना ने पंजाब के अन्दर सबसे बड़ा प्रोडक्शन किया है। इस रिसर्च के लिए जैसा डवलप्मेन्ट चाहते हैं। टैक्नीकल आदमी वह लुधियाना को प्राप्त हैं। लेकिन बलवन्तसिंह ने यह सिद्ध कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

(गण पूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: सभापति महोदय मैं अब कुछ दुर्लक्ष्य पूर्ण स्थिति बताना चाहता हूं। इनपुट के बारे में हमारी क्या स्थिति है। यहां पर कृषि मन्त्री जी मौजूद हैं। हमारे सामने 4 प्लान निकल गये। 5वां प्लान का टारगेट मौजूद है। इन पुट्स की स्थिति ठीक नहीं होने जा रही है। सोइल केमिकल एनलासिस को लीजिये। गरीब आदमी को लाभ मिलने वाला नहीं है। आज राजस्थान केनाल में कोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। दूर दराज के एरिया में 25 बीघा तो हरिजनों को जमीन देते हैं। इनपुट नहीं देते है। इनपुट का इम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। आप फाइनेंस नहीं देते हैं। तो आपका यह हरिजन उद्धार सारा का सारा खोखला हो जाता है। सारा का सारा आपका बल कृषि उपज मण्डियों पर आ गया है। गंगानगर, एक केवल जोधपुर कृषि मार्केट की बात नहीं करता हूं, सारी की सारी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जितने लोग डिफाल्ट हैं, सारे के सारे आज बाकायदा कुर्सी पर बैठे हैं। भूपति होने के नाते वर्ग विशेष होने के नाते गंगानगर में मोनोपाली बनाये रहते हैं। डिफाल्टर रहे हैं। वह हटे नहीं। जब सदन में हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, तब हटे। रायसिंह नगर के चेयरमैन बाकायदा डिफाल्टर हैं। पता नहीं कौन सी पालिसीज हैं जिनसे उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। जब से कृषि उपज मण्डी बनी है, तब से उसका इलेक्शन नहीं हुआ है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे और भी बातों पर बोलना है। वह डिफाल्टर बाकायदा जमे बैठे हैं। कृषि उपज मण्डी रायसिंह नगर को ले लीजिये। मार्केटिंग सोसाइटी को ले लीजिये। उनके लोन्स को ले लीजिए। कुल आकड़े प्रस्तुत कर दूं। लेण्ड मार्टगेज बैंक को ले लीजिये। सरकारी लोन का गरीब किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। कोआपरेटिव लोन का फायदा गरीब किसान को नहीं पहुंचा है। सारा का सारा फायदा भूपतियों के द्वारा लिया गया। धनी किसानों तक पहुंचा है। गरीब को सेटिल करने के लिए कुछ नहीं हो पाया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। काफी समय हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप के टारगेट एण्ड एचीवमेंट्स ये हैं। इर्रीगेशन के अन्दर, आर. सी. पी., माइनर इर्रीगेशन, फ्लो वर्क, से होता है। ग्राउण्ड वाटर से नहीं होता है। एक्सप्लोरेशन को आप पीछे हटाते हैं। आर.सी.पी. का 1.07 लाख हेक्टर होता है। डवलपमेंट हुआ है, जहां 2.03 हो जायेगा। यह भी डवलपमेन्ट कोई साइजेबल नहीं है, एप्रीसियेबल डवलपमेन्ट नहीं है। ग्राउण्ड वाटर का 2.09 लाख हैक्टर का अचीवमेंट था फोर्थ प्लान के एण्ड के अन्दर, वह टार्गेट 1.30 लाख हैक्टर है। इतनी नेगलीजेंस है ग्राउन्ड वाटर एक्सप्लोरेशन के अन्दर। एक तरफ जहां 30 किलोवाट के कन्जम्प्शन की बात फाइनेन्स मिनिस्टर कहते हैं कि पर केपिटा कन्जम्प्शन 40 किलोवाट हो गया है और तेजी से आल इंडिया टार्गेट की तरफ बढ़ रहे हैं; दूसरी तरफ कुओं को बिजली सप्लाई करने की स्थिति दुर्लक्षपूर्ण है और यह आपकी घोषणाओं की व्यर्थता को साबित करती है और आपकी गलत नीतियों को उभार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
कर सामने लाती है।

इसी प्रकार से अगर आप लैंड डवलपमेंट के टार्जेट देखें तो ड्राई लैंड के डवलपमेन्ट के लिए जहां हमारा अचीवमेंट 5.11 लाख हैक्टर था बाई द एण्ड आफ फोर्थ फाइव ईअर प्लान, अब पांच लाख हैक्टर ही रखा है। जहां पाश्चर लैंड 2.75 लाख हैक्टर था, वह अब 1.50 लाख हैक्टर है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं, एग्रीकल्चर की यह सारी दिशायें आपके सामने प्रस्तुत की हैं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वह पाश्चर लैंड की बात है। पाश्चर लैंड की बात अपने अन्दर गम्भीर बात है। पाश्चर लैंड का हमारा कुल अचीवमेन्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर, वह यह है, करीब चार फार्म्स एक एक हजार एकड़ के हैं और 9 फार्म दो दो हजार एकड़ के खोले हैं। आज लिफ्ट इर्रीगेशन के अन्दर राजस्थान केनाल से जो नहर निकलती है वह 520 क्यूसेक की नहर है, जिसको कोलायत तक ले जाने की बात है और सात लाख एकड़ हम उससे इरिगेट करना चाहते हैं। उसकी कोस्ट आफ इर्रीगेशन देखें तो प्रजेन्ट कोस्ट के अन्दर 350 कोस्ट आफ इर्रीगेशन चली जाती है। अगर हम इसको स्प्रेड करें सारे केनाल एरिया में, तो सारे केनाल एरिया में इर्रीगेशन की पर एकड़ कोस्ट 60 रुपीज से ज्यादा चली जाती है। यह अनइकानामिक इर्रीगेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन जहां किया, वहां अब वाइट रिवोल्यूशन करने की बात करते हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सारे विश्व के अन्दर राजस्थान ऐसा स्थान है जो एनीमल डवलपमेन्ट के हिसाब से अपनी स्थिति रखता है। यह बात दूसरी है कि भाखरा की मंडियां आज तक डवलप नहीं हुई हैं, आज तक डवलपमेन्ट का नामोनिशान नहीं है। अब राजस्थान केनाल की मंडियां डवलप हो जायेंगी ऐसी सम्भावना नहीं है। राजस्थान केनाल एरिया में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सत्तर मील से आबादी में पहुंचना पड़ेगा, और एक क्विन्टल अनाज की पिसाई, दस-पन्द्रह-बीस रुपये तक लग जाती है। ऐसी स्थिति के अन्दर सारे लिफ्ट एरिया में ह्यूज पाश्चर लैंड के अन्दर डवलपमेंट करें। हमारे यहां थोड़ा पशु धन नहीं है, हम अपने पशु धन को देखें। यह ठीक है कि फेमिन के कारण हमारा पशु धन के आंकड़े हैं वह वहीं खड़े हैं जहां 1966 के अन्दर खड़े थे। आज चाहे आप गाय पशु को ले लें या टोटल पशु संख्या को ले लीजिये, जो पहले 374 लाख थी, वह आज 1971 की सेंसस के बाद भी वहीं खड़ी हुई है, उससे बढ़ी नहीं है, और कई माइनों में वह उससे पीछे हट गई है। जो गाय पशु 131 लाख थे, वह 1971 से घटकर 124 लाख हो गये, भेड़ भी डिमनिस हुई हैं। जहां पहले 88 लाख थीं, वह संख्या घटकर 83 लाख आ गई है। इस प्रकार रिडक्शन

(श्री योगेन्द्र नाथ हण्डा)

हुआ है। ऊंट के सिलसिले में तो बहुत बड़ा रिडक्शन हुआ है। सभापति महोदय, यह स्थिति है, आज इस सारे एरिया के पाश्चर लैंड के अन्दर डवलपमेन्ट करें, माडर्नाइजेशन आफ एनीमल हस्बेन्ड्री करें। मैंने यूरोपियन कन्ट्री का टूर किया, जी. डी. आर. का टूर किया तब इस सब्जेक्ट को स्टडी किया था। हमारा जो डेजर्ट रीजन है उसमें पर मील बसावट है, वह सबसे कम है, भारतवर्ष में सबसे कम है। यह वह क्षेत्र है, जिनमें ह्यूज पाश्चर लैंड ग्रो कर सकते हैं, अपने सारे के सारे पशु धन को इन एरिया में कन्सेन्ट्रेट कर सकते हैं, और माडर्नाइजेशन आफ एनीमल हस्बेन्ड्री आप कर सकते हैं, और इस सारे एनीमल हस्बेन्ड्री को आप एक इन्डस्ट्री में डवलप कर सकते हैं। आज यह कन्सेन्ट्रेटेड नहीं है। मिल्क डेअरी फार्म बनते हैं, पाश्चर लैंड का डवलपमेंट होता है और मिल्क के बाई प्राडक्ट बनाये जाते हैं तो कितना डवलपमेंट हो सकता है। इसका आप एनेलेसिस कर लीजिये। मैं जब जी. डी. आर. में था, भारत सरकार के एक एक्सपर्ट थे, उनसे सारा इकानामिक का मामला डिस्कस किया था। यह प्राजेक्ट इतना बड़ा प्राजेक्ट है जिसके लिए कन्सेन्ट्रेटेड ह्यूज पाश्चर लैंड की आवश्यकता है। आप केवल 4 पाश्चर लैंड और 9 पाश्चर लैंड की बात करें उससे कुछ नहीं हो सकता। हमारी अपनी इकानामी के लिए, पशु धन के लिए यह हमारी बहुत बड़ी नीड है। हमारे जो पुराने चरागाह थे, वह नष्ट होते जा रहे हैं। हमने जो फोडर बैंक की बात की थी, वह फोडर बैंक हम क्रियेट नहीं कर पाये हैं। इस स्थिति के अन्दर हम फोडर बैंक क्रियेट नहीं कर सकते हैं। सारे लिफ्ट इर्रीगेशन एरिया के अन्दर इकानामिकल कोस्ट आफ इर्रीगेशन को खत्म करने के लिए साइन्टीफिकल कन्सेप्ट के साथ, हम ह्यूज लैंड को पाश्चर लैंड में कन्वर्ट कर सकें तो ग्रीन रिवोल्यूशन, ह्वाईट रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हो सकता है, और राजस्थान के करोड़ों किसानों का लोगों का पेट भर सकते हैं, और केवल हम राजस्थान का नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष को अन्न इस राजस्थान कैनाल को पूरी तरह से डवलप करके दे सकते हैं, पूरे देश की जनता को खाद्यान्न दे सकते हैं। इस प्रकार के सारे प्राजेक्ट को पूरा कर लें तो हम ह्वाइट रिवोल्यूशन में अग्रणी हो सकते हैं, सबसे आगे राजस्थान को ले जा सकते हैं...

श्री सभापति : देट इज आल। बहुत टाइम हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खाद के प्रश्न पर दो मिनिट लूंगा। खाद के डिस्ट्रिब्यूशन के विषय में एक नोट सप्लाई किया गया है, इस नोट में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, उन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि इसके अन्दर कमेटी का निर्माण किया गया है, उसमें मुख्यतः उत्तरदायी कोपरेटिव सोसाइटी हैं, वह इस डिस्ट्रिब्यूशन के लिए जिम्मेदार है। मैं कहना चाहता हूं, अनूपगढ़ के अन्दर खाद स्केण्डल हुआ, सतर्कता आयोग के कमिश्नर ने जाकर पकड़ा है। उन्होंने स्पष्ट देखा कि किस प्रकार चन्द लोगों के हाथों से हजारों बोरियों का डिस्ट्रिब्यूशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर और डाइरेक्टर हैं मि. घुट, इन्होंने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सारी की सारी ओपनली परमिट बीस रुपये 30 रुपये की दर पर सेल आउट किया है। खाद के अनेक छापे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मारे गये। अनूपगढ़ में दो सौ बोरियां, विजयनगर में 200 बोरियां, अनेक जगह बोरियां बरामद कराई गई। लेकिन उनमें कोई केस आज तक नामजद नहीं हुआ है। खुद कमिश्नर की मौजूदगी में एक भूपति के यहां पर छापा मारा गया, खाद तो नहीं, लेकिन सौ बोरी सीमेन्ट की मिल गई। उसने कहा कि हनुमानगढ़ से आयी हैं। एक नोट सर्क्यूलेट हुआ था, उस समय मैं पंचायत मिनिस्टर से मिला था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से नहीं मिल पाया। मेरा कहना था, जहां राजस्थान कैनाल के अन्दर 2.52 लाख हैक्टर का टोर्जेट फिफ्थ प्लान में लेकर बैठे हैं और आप कहते हैं कि आठ नौ लाख हैक्टर...

श्री सभापति : फिर रिपीट कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां जहां पंचायत नहीं हैं, वहां जहां मंडियां नहीं है, राजस्थान कैनाल एरिया में एक भी मण्डी डवलप नहीं हुई है। आबादी और मण्डी का डवलपमेंट जिस तरह से आप कर रहे हैं, उससे डवलपमेंट नहीं होने वाला है क्योंकि आज एक एक पंचायत की आबादी पच्चीस हजार तक पहुंच चुकी हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कोपरेटिव सोसाइटी वहां है नहीं। जो कोपरेटिव सोसाइटी से कवर नहीं होता है एरिया वहां फर्टीलाइजर के डिस्ट्रिब्यूशन का क्या तरीका निकालेंगे?

श्री सभापति : देट इज आल!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे स्थान पर जनता की कमेटी को निर्मित करके खाद के डिस्ट्रिब्यूशन की एजेंसी वहां कायम कीजिये।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा, सतर्कता आयोग ने करप्ट आफिसर के खिलाफ जो नोट दिया है, जो केस रजिस्टर किये हैं और बड़े बड़े लोगों की जो लम्बी लिस्ट है-वह मैं खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सप्लाई कर दूंगा। सबसे लज्जा की बात तो यह है कि उन आफिसरें को सस्पेंड नहीं किया गया है।

श्री सभापति : देट इज आल!

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : बहुत बहुत धन्यवाद!

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री चिम्मन सिंह!

(अनुपस्थित)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव!

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम!

(अनुपस्थित)

श्री करण सिंह!

(अनुपस्थित)

श्री सांवरमल मोर!

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : लोगों की बोलने की तैयारी नहीं है तो उनका समय मुझे दे दें।

श्री सांवरमल मोर : मेरे कृषि व पशु पालन की मांगों पर कटौती प्रस्ताव हैं। यह कृषि प्रधान देश है और कृषि यहां का मुख्य धंधा है लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आप और हम सब देख रहे हैं, आपने दो तीन बार कोरम की घंटी बजा दी। आज किसान को बड़ी मुश्किल से अनाज पैदा करना पड़ता है उसकी दिक्कतों को सबसे पहले लेना पड़ेगा। आज गांवों में जायं सबसे बड़ी मुश्किल उन किसानों के सामने बीज की थी, फिर खाद की आई अब बिजली की है एंजिन लगे हुए हैं, वहां डीजल और क्रूड आइल भी हैं। एक तरफ आप और हम सब मिलकर कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं, किसान मेहनत करता है, वह ज्यादा से ज्यादा खेती करके इस बात को प्रोत्साहन देना चाहता है लेकिन आज इस बात को मानकर चलिए कि मैं स्वयं जिस जिस इलाके से चुनकर आया हूं रात को मैं वहां था, और आज सुबह भी था, लोगों की बुरी हालत हो रही है, खेतों को 15–15 दिन तक बिजली के अभाव में पानी नहीं लग रहा है। सभापति महोदय, आप मंत्री महोदय से कहें कि वह अधिकारियों से कहें कि अगर समय पर आप उनको बिजली नहीं देंगे, उनके खेतों को पानी नहीं पहुंचायेंगे तो 15 दिन बाद न आपकी बिजली काम आएगी न पानी काम आएगा। अधिकारियों के पास जाते हैं तो दो टूक जवाब मिलता है कि हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। श्री माधोपुर क्षेत्र में रींगस के पास में एक बड़ा बिजली का स्टेशन बनाया जा रहा है। अगर वह आज से 15 दिन पहले चालू कर दिया जाता तो उस इलाके के किसान हजारों मन अनाज पैदा करते और समस्या हल हो सकती थी लेकिन आज भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको बहुत गहराई से लें और इस पर तत्परता से ध्यान दें जिससे उनको बिजली मिल जाय और 15 दिन का समय जो किसानों के सामने है वह बहुत परिश्रम का है, वह आसानी से निकल जाए।

मैं खाद के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो वितरण प्रणाली है वह तो काफी दूषित है ही लेकिन इतना ब्लेम खाद के मामले में हुआ है जिसकी आप शायद कल्पना नहीं कर सकते। हमारे जिले में यह काम पहले जिला कृषि अधिकारी के जिम्मे था। शिकायतें कीं, कलेक्टर सीकर ने भी उस अधिकारी के लिए लिखा, 6–7 साल से वह अधिकारी सीकर में काम कर रहा है, ट्रांसफर हुए लेकिन किन्हीं कारणों से अपना ट्रांसफर रुकवा लेता है। कितनी शर्मनाक बात है? जिसके बारे में स्पष्ट आ गया कि वह व्यक्ति ब्लैक करता है, किसानों के साथ धोखादड़ी करता है, किसानों को समय पर बीज व खाद नहीं मिलता, फिर जयपुर आकर अपनी ट्रांसफर रुकवा लेते हैं।

खाद के मामले में हम लोग काफी समय से इस सदन में चर्चा करते आए हैं कि सालदीपुरा में खाद का कारखाना होना चाहिए, काफी बड़ी मात्रा में पाइराइट्स वहां मिले हैं, संसद सदस्य भी यह जगह देखकर गए हैं, उपयोगिता की दृष्टि से अगर यह कारखाना सालदीपुरा में स्थापित होता है तो सीकर

(श्री सांवरमल मोर)
जिले को ही नहीं, झुंझुनू जयपुर, नागौर, चूरू सारे जिलों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ऐसी उपयोगी जगह जहां की उपयोगिता को संसद सदस्यों ने भी माना है, आपको ऊपर उठ कर और राजनीति से परे होकर इस कारखाने को स्थापित कराने में योग देना चाहिए जिससे खाद की जो कमी हमारे सामने है उसका निश्चित रूप से निपटारा हो सकता है और हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है।

कृषि विभाग की ओर से फलसाना में करीब 4—5 लाख रुपये लगाकर एक कृषि फार्म खोला गया, 6—7 साल का समय हो गया पिछले 3—4 साल से बिलकुल बेकार पड़ा है। राज्य सरकार के लाखों रुपए ऐसे फार्मों पर खर्च कर दिए जाते हैं जिनका उपयोग नहीं, जिनके बारे में सरकार और सरकारी अधिकारी सचेष्ट नहीं, आखिर जनता का पैसा मेहनत से आता है और उस पैसे का अपव्यय होता है और इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद पता नहीं जमीन बेकार पड़ी है, मकान बेकार पड़ा है मशीनरी बेकार पड़ी है, आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है? जिस किसी की लापरवाही हो उसके खिलाफ तत्काल कदम उठायें और इस बात को गहराई से देखें कि अगर इस तरह की बड़ी रकम खर्च करके भी फार्म बेकार पड़ा रहता है तो इससे क्या फायदा होने वाला है?

उत्पादन की दृष्टि से सीकर जिले में 4 हजार कुओं का निर्माण कराया गया, अकाल को जब चर्चा होती थी इस बात की चर्चा आती थी कि राजस्थान के लोग उत्पादन कार्य नहीं करते लेकिन पिछली बार 4 हजार कुओं का जो काम सीकर जिले में किया गया वह कार्य अपने आप में एक अद्भुत था और राष्ट्र के हिसाब से नई देन थी लेकिन जिन किसानों ने कुओं को मेहनत से खोदा, वह राज्य सरकार ने जिस सहानुभूति से सहायता दी और बैंकों से ऋण लिया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन उनको आज बिजली नहीं मिल रही है। आप अंदाजा लगायें अगर इन कुओं को बिजली दी जाती है तो बहुत बड़ा काम उत्पादन का हमारे जिले में हो सकता है और अनाज जिसके लिए सारे देश में काफी तंगी आ रही है, त्राहि मच रही है, उसकी पूर्ति में सहायक हो सकती है।

जयपुर में दो करोड़ की लागत से डेयरी चलाई जा रही है। स्वेडन से औजार मंगाए गए, वे औजार खराब पानी की वजह से खराब हो रहे हैं। आज करोड़ों रुपये के औजार जो आप मंगवाते हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है, तो फिर आप डेयरी का साइट क्यों नहीं चेंज कर लेते हैं जिससे इस योजना का काम सफलता पूर्वक चलाया जा सके। हमारा जिला दो भागों में विभक्त है। एक भाग वह है जहां पशुपालन का काम किसान ज्यादा मात्रा में करता है, एक क्षेत्र ऐसा है जहां खेती के काम को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। फतेहपुर में राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रजनन केन्द्र खोल कर बहुत भला काम उस क्षेत्र के लिए किया है। इसके लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम इस काम को तेजी से करें, तो इससे काफी गति आयेगी। इस क्षेत्र के किसान को काफी लाभ होगा और वहां के जो काश्तकार हैं जो कि पशु

(श्री सांवरमल मोर)

पालन का धन्धा करते हैं उसमें काफी तेजी आ जायेगी। पशु धन का काफी विकास होगा। जिससे कि वहां के क्षेत्र को नयी दिशा मिलेगी। आज जो सभापति महोदय, आस्ट्रेलिया से हमने भेड़ें और मींढ़े मंगवाये हैं और वहां पर उनके लिये प्रजनन केन्द्र जो बना है उसे काफी लाभ होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा पशु चिकित्सालयों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे देहातों में आपने पशु चिकित्सालय खोल रखे हैं। लेकिन वहां पर ठीक तरह से इलाज नहीं होने की वजह से गांवों के किसानों को काफी दिक्कत पेश आ रही है। आज आपने पंचायत समिति में बी.डी. ओ. की पोस्ट पर इन पशु चिकित्सालयों के जो डाक्टर थे उन्हें बना दिया है। आज वह लोग डाक्टरी तो करते हैं नहीं बल्कि वह लोग आज आफिसर बन कर बैठ गये हैं। वह लोग पशुओं की बीमारी वगैरहा देखते नहीं जिससे कि आज राजस्थान में लाखों की तादाद में पशुधन समाप्त हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार आपने एलोपैथी अस्पताल वगैरहा दूसरी जगह पर खोले हैं उसी तरह और पशुओं के लिये अस्पताल खोलें। ताकि गांवों में काश्तकारों के पशुधन की रक्षा हो। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज पशुओं के नाम पर आपने लाखों एकड़ जमीन राजस्थान में गोचर भूमि के नाम पर छोड़ रखी है लेकिन आज वह सारी की सारी जमीन बेकार पड़ी है। पशु वहां पर गोचर भूमि में क्या चरे वहां पर तो कोई चारा ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कृषि मन्त्री को मेरा निवेदन है कि वह उस गोचर भूमि में ज्यादा से ज्यादा घास पैदा कराया जाय। ताकि वहां पर चर सके। सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को ऋण की व्यवस्था की जाय वह सुविधा से मिले ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। आज आपने ऐसे नियम बनाये हैं कि किसानों को ऋण बडी मुश्किल से मिलता है। इसलिये आप नियमों में सरली-करण इस तरह करें कि किसानों को समय पर बिना दिक्कत ऋण प्राप्त हो सके। इस प्रकार सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह बेंगू।

श्री हरीसिंह (बेगूं) : सभापति महोदय मैंने दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। एक तो है कृषि अनुसन्धान के विषय में और दूसरा कटौती का प्रस्ताव मेरा पशु पालन विभाग के बारे में है। सभापति महोदय, पहले मैं कृषि के विषय में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जैसा कि अभी सदन में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और उसमें कुछ देशों के उदाहरण भी दिये गये। सभापति महोदय, यहां पर इन्फा स्ट्रेक्चर और साधन उपलब्ध होते हुए भी किस प्रकार उत्पादन घट रहा है भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी जितनी उन्नति हमको करनी चाहिये थी उतनी उन्नति हम नहीं कर सके। एग्रीकल्चर हमारे देश के अन्दर अनादिकाल से की जा

(श्री हरी सिंह)

रही है । इसी कारण से ऊपरी शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और उसका महत्व हमारे देश में बहुत अधिक है। आज जो भी मानव सभ्यता हमारे समक्ष है वह कृषि की ही देन है अगर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । सभापति महोदय, हमारे देश के अन्दर आज उत्पादन की दृष्टि से अनाज का उत्पादन दस करोड़ टन की आवश्यकता है । और आने वाले 10-12 सालों में इसकी आवश्यकता और भी बढ़ने वाली है और वह 10-12 वर्षों में करीब 15 करोड़ टन तक होगी। और उसके भी आगे आने वाले 25 वर्षों में यानि सन् 2000 तक इसकी आवश्यकता करीब 20 करोड़ टन तक हो सकती है। यानि कि करीब दुगुनी आवश्यकता होगी । लेकिन अभी हम अगर प्रोडेक्शन की तरफ देखें तो उसका ट्रेन्ड इरेटिक है। हमारे प्रदेश में एग्रीकल्चर का रिकोर्ड प्रोडेक्शन सन् 70—71 में हुआ था जिसमें करीब 88 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ। उसके बाद में सन् 71—72 के अन्दर वह कम होकर वापिस शार्टफाल हुआ । और इस प्रकार 71—72 में सिर्फ 63 लाख टन भी अनाज का उत्पादन हुआ। इसके बाद में 72—73 में और कम हुआ यह करीब 51.02 लाख टन ही हुआ। सन् 73-74 के आंकड़े तो अभी उपलब्ध नहीं हैं लेकिन ऐसी सम्भावना है कि करीब 71 लाख टन के करीब उत्पादन होगा । चूंकि इस वर्ष फरवरी में शीतलहर आ गयी और अगर यह कोल्ड वेव नहीं आती तो काफी उत्पादन बढ़ सकता था। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वह मानसून पर डिपेन्डेन्ट है। और मानसून हमारे यहाँ पर ट्रेन्ड देखते हुए हमें यह कहना पड़ेगा कि मानसून और वैदर दोनों बहुत से इरेटिक नेचर के हैं। सभापति महोदय, हमारे यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन ने जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बताया उसमें तो हमने यही ध्येय रखा कि हम प्रोडेक्शन को द्रुत गति से बढ़ावें उसे किसी प्रकार तीव्र गति से बढ़ायें। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा दृष्टिकोण यह था कि हमारा जो प्रोडेक्शन हो उसको बेलेन्स रखना था। उससे हमें कई अनुभव हुए। उसके अनुसार थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्तर्गत हमने कई नये कार्य शुरू किये। जैसे आई.ए.पी., आई.ए.डी.पी. आदि 2 इसमें हमारा ध्येय एग्रीकल्चर को काफी इन्टेन्सिव करने का था। उनसे काफी अच्छे रिजल्ट हुए। उसका व्यापक असर हुआ उत्पादन में। इसके फलस्वरूप हमारा एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन बढ़ा। इसमें काफी अनुसन्धान भी किये। एवं मेक्सीकन गेहूं से खेती की। लेकिन आज भी और अधिक कृषि अन्वेषण की जरूरत है। इसके लिये मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित इस बात के लिये करना चाहूंगा और इसके लिये पहले भी मैंने इस बारे में सदन में निवेदन किया था। मैंने यह कहा था कि हमारे यहाँ पर जो कृषि अनुसन्धान हो रहे हैं वह इन्ट्रीग्रेटेड मेनर में होने चाहिये। और इसके अन्दर हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इनवोल्व करना चाहिये तथा साथ ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को चाहिये वह इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। लेकिन सभापति महोदय, ऐसा नहीं हुआ। आज हमारे यहां पर जो उदयपुर यूनिवर्सिटी है जो कि पहले एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनने को थी दुर्भाग्य

(श्री हरीसिंह)

से उसे अब मल्टी फेकेल्टी यूनिवर्सिटी बना दिया। यह इसका स्वरूप क्यों दिया गया। यह तो राज्य सरकार ही जाने पर मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही मानता हूं। इसके लिये मैं कृषि मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर राज्य सरकार को पुनः विचार करना चाहिये और उदयपुर यूनिवर्सिटी को सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही रखा जाय। और वहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च का सम्पूर्ण काम उस उदयपुर यूनिवर्सिटी में ही रखा जाय। इसके लिये मैंने सन् 70 में कुछ सुझाव राज्य सरकार को दिये थे और उसके एक वर्ष बाद सभापति महोदय, राज्य सरकार का मैं इस बात के लिये स्वागत करता हूं कि उन्होंने सम्पूर्ण एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क को कृषि विभाग से खतम करके वह उदयपुर यूनिवर्सिटी के पास भेज देने का निर्णय किया कृषि विभाग ने यह निर्णय ले लिया कि कृषि अनुसंधान का काम पूर्ण रूप से उदयपुर यूनिवर्सिटी के पास रहेगा कृषि विभाग के पास नहीं रहेगा। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही रही कि जिस रूप में मैंने यह प्रस्ताव रखा था और उसके पीछे जो भावना थी और देश और विदेशों के अन्दर हम रिसर्च में जो स्पेक्टेक्लर रिजल्ट्स देख रहे हैं उसे नहीं समझ कर जो फैन्ड मेनर में रिसर्च का ट्रांसफर करके बिलकुल ही उल्टा कर दिया है। मैं वर्तमान कृषि के डाइरेक्टर महोदय को पूरी तरह इसके लिए उत्तरदायी नहीं मानता हूं परन्तु उस समय के जो डाइरेक्टर रहे हैं, उस बारे में बराबर मेरी उनसे शिकायतें रही हैं। जो सुव्यवस्थित रिसर्च फार्म है उन्हें यूनिवर्सिटी को देने से हम यह सोचते हैं कि डिपार्टमेंट का महत्व कम हो जायगा और दुर्गापुरा फार्म के चले जाने से रिसर्च में कमी आ सकती है सोचना दोषपूर्ण होगा।

किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, में टीचिंग एक्स्टेंशन और रिसर्च एक दूसरे के अविच्छिन्न एवं अभिन्न अंग हैं। जब तक इन तीनों फेजेज को इन्टीग्रेटेड मैनर में नहीं लिया जाता, तब तक इसकी फिलोसफी को, इसके इम्पेक्ट को नहीं समझा जा सकता। मैं समझता हूं, राजस्थान में वर्तमान में कोई मौलिक रिसर्च नहीं हो रहा है। युनिवर्सिटी में फन्डामेंटल के नाम से रिसर्च हो रहा है। हम यहां डिपार्टमेंट में अप्लाइड रिसर्च में लगे हैं। ट्रांसफर आदि प्रशासनिक बातें करते हैं। रिसर्च को आपस में कोओर्डिनेट करने का तरीका नहीं है। हमारे प्रदेश में राज्य स्तर की कोई ऐसी कमेटी भी नहीं है, हाई लेवल की कमेटी नहीं जो इन्डियन कौंसिल ओफ रिसर्च एवं इन्डियन एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट आदि ये जो हमारे देश में रिसर्च संस्थायें हैं उनसे तालमेल बिठाने के लिये राज्य स्तरीय लेवल पर कोई हाई लेवल कमेटी ओर्डिनेट करने की हमारे यहां नहीं है। उसके परिणामस्वरूप आज जो कुछ रिसर्च हो रहा है वह हम दूसरी जगह से इम्पार्ट कर रहे है, चाहे एक दो वैराइटीज दुर्गापुरा फार्म में निकाल दी हों, मैं यह नहीं कहना चाहता कि रिसर्च हमारे यहां हो ही रहा है। यहां दुर्गापुरा में पैथोलोजी सैक्शन है, सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, और कई नई वैराइटीज भी निकाल दी हैं, soil conservation आदि यहां पर काम हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जितना उपयोगी रिसर्च होना

(श्री हरीसिंह)

चाहिये वह नहीं हो रही है। आइसोलेटेड रिसर्च हो रही है। जिसका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है यह एक ज्वलन्त समस्या राजस्थान की है। हमारा प्रदेश जहां कि देश का 11 प्रतिशत भूभाग है और इसमें भी 65 परसेन्ट हमारी स्टेट का भूभाग डेजर्ट और सेमीडेजर्ट केटेगरी में आता है और उसका भी जो शेष हिस्सा है उसमें 47 परसेन्ट काफी शुष्क है, एरिड जोन समझना चाहिये। शेष 53 परसेन्ट में से करीब 27 परसेन्ट में सिंचाई के साधन हैं। ऐसी जहां की स्थिति हो वहां पर एक तरह से हमारी समस्या को, कृषि के उत्पादन के प्रोग्राम को एक युद्धस्तर पर लेकर [रक करना जरूरी है। हमारे प्रदेश में इस प्रकार के रीजन्स हैं जहां पर कई प्रकार की समस्यायें हैं जैसे डेजर्ट को इम्प्रूव करने की, वाटर कन्जरवेशन करने की, सैलाईन प्रोबलम्स, ब्लेकिश वाटर प्रोबलम्स और ऐसी कई समस्यायें हैं, जिनको वैज्ञानिक आधार पर ही टैकिल किया जा सकता है। इसी प्रकार से जहां पर अतिवृष्टि की स्थिति हो, जैसे कोटा का क्षेत्र है, वहां जल स्राव की अलग ही समस्या है। सीपेज की समस्या है। वहां की समस्या यही रही तो साल्ट पैटा पर आकर फैल जायगा। पंजाब के अन्दर लाखों एकड़ में यह समस्या बन गयी और उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया है। वैसी ही स्थिति यहां पर भी हो सकती है। इसके लिए हम शीघ्रता से कुछ करें तब ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं।

रिसर्च में जो हमारी नीति रही है, यद्यपि उसका ढंग से निर्धारण किया गया है और रिसर्च की नीति को हमने एक डिग्री तक ठीक तरह से बनाया है लेकिन उसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वह बिल्कुल ही दोष पूर्ण है ऐसे ऐसे प्रोबलमेटिक फार्म्स हैं और उनके ऐसे रिजल्ट्स आते हों, जैसे बांसवाड़ा का फार्म है जिसे युनिवर्सिटी को देकर हम उनसे उम्मीद करें कि अच्छे रिजल्ट्स दें यह कैसे सम्भव है। उनका कोरिलेशन बैठता नहीं है। ऐसे प्रोबलमेटिक फार्म देकर समस्या को उलझाना होगा और पोलिसी को ही फोरफिट करना होगा। और इससे हास्यास्पद ही रिजल्ट्स निकलेंगे।

राजस्थान में हमारी कृषि की रिसर्च को, गवेषणा को, सही दिशा देना चाहते हैं तो यह आवश्यक होगा कि रिसर्च के जो विभिन्न आस्पेक्ट्स हैं उनको एक ही संस्था को एक साथ देना होगा। वरना डुप्लीकेट रिसर्च होता रहेगा। उदाहरण स्वरूप कई बार उत्पादन बढ़ता है वह अक्सर वेदर और रेनफाल की फेवरेबल कन्डीशन्स से बढ़ता है और यदि हम यह मान लेते हैं कि इनपुट व इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से उत्पादन बढ़ा है तो हास्यास्पद ही होगा। कौनसा फैक्टर प्रोडक्शन में सीधा सम्बन्ध रखता है इसका इवेल्युएशन तो होता नहीं। केवल पटवारी के उत्पादन के आंकड़ों पर जो भी वह एक जगह बैठ कर गांव में अलग अलग कृषकों से सूची प्राप्त करके जो भी पर हैक्टीयर या पर एकड़ आंकड़े दे देता है उसी पर आप उत्पादन मान लेते हैं और हम यहां असेम्बली में उसका विश्लेषण करते रहते हैं। यह हास्यास्पद स्थिति ही है।

उदाहरण के तौर पर भारत में किसी वर्ष में जन संख्या बढ़ती है और एक विशेष

(श्री हरी सिंह)

वर्ग में हम यह देखते हैं कि इतने लाख बच्चों ने यहां जन्म लिया और उसी वर्ष के अन्दर किसी विदेश में इस्पात का प्रोडक्शन भी बढ़ गया हो और अगर हमारे यहां पर आंकड़ों के सम्बन्ध में कोई बहस छिड़ जाती है तो वहां पर यह कह देते हैं कि यहां पर जन्म दर बढ़ गयी है इसलिये इस्पात का प्रोडक्शन भी बढ़ गया है तो इस हालत में भी रिलेशन तो होगा। यह रिलेशन हास्यास्पद ही है। बहुत से आंकड़े इस तरह से जोड़ देना चाहते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ आंकड़ों को जोड़ देते हैं यह विषय के साथ न्यायपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होगा।

मैं एनीमल हस्बैन्डरी के बारे में केवल एक एस्पेक्ट के ऊपर निवेदन करना चाहता हूं। हमारा जो पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम है . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल एक आस्पेक्ट पर निवेदन करूंगा यह शंकर प्रजनन प्रणाली है हालांकि मैं कोई जेनीटिशियन तो नहीं हूं। परन्तु राजस्थान में जो देखने को मिलता है शंकर प्रजनन द्वारा उससे यह प्रतीत होता है कि आज हम किस दोषपूर्ण दिशा में जा रहे हैं। चार पांच वर्ष पूर्व जयपुर अजमेर में यह शंकर प्रजनन का काम शुरू किया गया। हो सकता है फोरन कन्ट्रीज में क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम, जरसी ब्रीड आदि का प्रोग्राम अच्छा हो सकता है। वहां वह 40।45 पौंड तक दूध दे सकती है। पर राजस्थान को इस बात का गौरव प्राप्त है कि जहां ऐसी ब्रीड है जो भारत भर में कहीं नहीं है जैसे थारपर कर, हरियाणा, गिर, माल्वी आदि जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इन नस्लों में आज क्रास ब्रीडिंग द्वारा भयंकर रूप से ह्रास पैदा किया जा रहा है। इसे बन्द किया जाना चाहिये। हमारे यहां के शुद्ध नस्ल की क्षमता को घटाया जा रहा है इस शंकर प्रजनन द्वारा।

क्रास ब्रीडिंग का रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। इसकी गाय 10।12 या 13।14 किलो से ज्यादा दूध नहीं दे सकती। ज्यादा तर तो दस बारह किलो ही देने वाली दिखाई देती हैं। जबकि हमारी शुद्ध नस्ल की गायें इतनी क्षमता तक दूध आज भी देने में सक्षम हैं। अगर इनकी शुद्ध नस्ल को ही शुद्ध रखा जाय और इसी को प्रोत्साहन दिया जाय और इन्हीं में सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाय तो स्वतः ही अधिक मात्रा में दूध मिल सकता है। क्रास ब्रीड करके फिर इस हमारी शुद्ध नस्ल को क्यों बिगाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। आपने अपने आंकड़ों में 22 हजार बछड़े बछड़ियां क्रास ब्रीड द्वारा पैदा होना बताया है सन् 70–71 में उनके बछड़ों को भी मैंने देखा है। उनकी हालत यह है कि वे हाईब्रीडिंग रोग से ग्रस्त हैं। और जो इकाई ग्रैफ्टिंग आदि का काम तो दूर रहा थोड़ी देर अगर उनको धूप में भी खड़ा कर दें तो बुरी तरह हांफने लगते हैं। हम इस प्रकार अपनी अच्छी ब्रीड को क्रास ब्रीड के नाम पर बिगाड़ने जा रहे हैं और वह भी हजारों की संख्या में। हम जरसी आदि बाहरी मुल्कों की बुल ब्रीड को यहां लेकर आते हैं जिनको ठंडे वातावरण में रखना पड़ता है। यहां की जलवायु वे सहन नहीं कर पाते। अपनी अच्छी नस्ल में फोरिन नस्ल का खून डालकर उसे बरबाद कर रहे हैं।

(श्री हरीसिंह)

हम इस प्रकार उन नाकारा पशुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं और अपने यहां की शुद्ध नस्ल को घटा रहे हैं। फिर एक तथ्य और है। क्रास ब्रीडिंग आगे जनरेशन में धीरे धीरे जाकर डिटिरियोरेट होती है और जबर्दस्त ह्रास उसमें भी आता है। इस दृष्टि से क्रास ब्रीड के पहले चरण में जब हम केवल 10। 2 किलो दूध ही ले पा रहे हैं तो आगे जाकर तीसरी चौथी या पांचवीं जनरेशन में चार पांच किलो दूध भी मुश्किल से ले पावेंगे। फिर हमारी शुद्ध नस्ल ही क्या बुरी है?

आज हम शंकर बाजरा की बात करते हैं। मक्का है शंकर। इनको सीड के लिये क्यों नहीं काम लेते हैं? इसका भी यही कारण है। यह जनरेटिंग का अहम मसला है। मन्त्री महोदय स्वयं इस विषय को समझने और टेकल करने में पूर्ण सक्षम हैं। कई विभाग आपने सम्भाले हैं। उनको मैं क्या निवेदन कर सकता हूं। वे स्वयं खुले दिमाग से इन बातों पर सोचें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीधे पशुपालन से और कृषि से सम्बन्ध रखते हैं। समयाभाव के कारण अधिक कुछ नहीं कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आशा है मन्त्री महोदय अपने उत्तर में इन प्रश्नों पर अवश्य प्रकाश डालेंगे।

श्री सभापति : श्री जयकिशन। सात मिनिट केवल।

श्री जयकिशन लाल तोसावडा (फागी): आज सदन में दो प्रकार की मांगे प्रस्तुत हुई हैं। एक पशु सम्बंधी और दूसरी कृषि संबंधी। ये समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं। हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारी आज भी आर्थिक स्थिति का मूल आधार कृषि और पशु हैं चाहे फिर वह व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, या मजदूर वर्ग हो। आज सारा समाज इन दो पर निर्भर है।

प्राचीन समय में तो कृषि पशुओं पर निर्भर थी। आज यह निर्भरता कम हुई है। कुछ वैज्ञानिक उपकरण निकल आये हैं आज। पर आज भी इन दोनों का सम्बन्ध आपस में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

आज किसान के सामने कई समस्याएं हैं। जैसे खाद, बीज, क्रूड आइल, डीजल और विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद। ये आज सही समय पर सही मात्रा में किसान को नहीं मिल पाते। हालांकि मैं पूर्ण रूप से महसूस करता हूं कि हमारे देश में इनकी कमी है और ये विदेशों से मंगाने पड़ते हैं। पर समय पर उपलब्ध नहीं होने से किसान को इसका लाभ नहीं मिल पाता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान को इस दृष्टि से एक सर्वेक्षण कराया जाय कि किस क्षेत्र में किस समय किसान को इन में से किस किस चीज की आवश्यकता होगी। इसके लिये फिर एक समिति बनाकर यह काम उसको सौंप दिया जाय कि वह वे चीजें उन उन हिस्सों में किसान को उस उस समय उपलब्ध करा दें इससे किसान को राहत मिल सकती है और कृषि उपज में भी आशातीत सफलता मिल सकती है।

फिर मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार किसानों को शिक्षित बनाने के लिये कृषि विश्व विद्यालय स्थापित किये गये हैं उसी

Page No 128

(128)

(श्री जय किशन लाल)

प्रकार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले जावें जिनमें चुने हुए किसानों के समूह भी अध्ययन करने की दृष्टि से भेजे जा सकें जिसका खर्चा या तो स्वयं सरकार वहन करे या सम्पन्न कृषक स्वयं वहन करें। वहां अध्ययन करके अपने क्षेत्र के छोटे छोटे किसानों को भी दे शिक्षित कर सकते हैं। इससे कृषि के क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी।

मेरा दूसरा निवेदन यह भी है कि इस वर्ष हमारे देश में कृषि प्रति उन्नत अवस्था में थी लेकिन प्रकृति के प्रकोप के कारण शीत लहर के कारण वे किसान जो अपने लहलहाते खेत देखकर प्रसन्नता और आनन्द की नींद ले रहे थे आज उनकी वह नींद हराम हो गई है। लगातार पांच वर्षों के अकाल के बाद तो यह अवसर उनको मिला और वह भी चला गया हम अब क दूसरे देशों की तरफ मुंह जोये खड़े थे किस समय किस देश से सहायता मिले। यदि ऐसी स्थिति है तो मेरा निवेदन है कि उनकी सही रूप से जांच करवा करके कितनी खराबी है, कितनी फसल किसानों की नष्ट हो गई है वास्तविकता को देखकर पैदावार को देखकर लेवी लगाई जाय तो वास्तव में किसान का भला हो सकता है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार पौध संरक्षण की स्थिति है जिस प्रकार की विभिन्न फसल बोई जाय, विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाये जाते हैं लेकिन समय पर उनको संरक्षण नहीं मिलता है। कभी कीटाणु पैदा हो जाते हैं और कीटाणुओं के आक्रमण से जिस प्रकार की उत्पत्ति होती है वह नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार पौध संरक्षण की नीति है कृषि के लिये भी लागू करें। कृषि के अन्दर पौध संरक्षण की नीति सही रूप से गठित की जाय तो किसानों को लाभ मिल सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन है समय समय पर राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान भर के किसानों के लिये मेले लगाये जाय और उसमें कृषि के उन्नत बीज, खाद, साधारण प्रकार के पौधे आदि की प्रदर्शनी लगाई जाय और किसानों के समक्ष इस प्रकार की शिक्षा दी जाय कि इस प्रकार उन्नति करने से पैदावार बढ़ती है तो किसानों में जागरुकता आयेगी। इसलिये मेले और प्रदर्शनी द्वारा किसानों की समस्या का समय समय पर ध्यान दिया जाय तो किसानों को पूर्ण रूप से लाभ पहुंच सकता है। वे मेले चाहे पंचायत समिति के आधार पर हों चाहे जिले के आधार पर हों। मेरा निवेदन है तहसील हैड क्वार्टर पर यदि इस प्रकार के मेले और प्रदर्शनी लगाई जाय तो किसान वास्तव में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले समय में काफी उन्नति कर सकते हैं।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि समय समय पर किसानों की जो शिक्षित किसान हैं जिनके पास अच्छे फार्म हैं उनकी एक टोली बनाकर विदेशों में प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनको भी भेजें चाहे इसमें सरकार का खर्चा हो चाहे स्वयं के खर्चे से किसान जायें। ऐसी योजना बना दी जाय तो दूसरे देशों में किस प्रकार की खेती बाड़ी की जा रही है····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री जयकिशनलाल)
हमारे यहाँ किस प्रकार की कमी आ जाती है। दूसरे देशों से किस प्रकार सहायता लेकर किस प्रकार उन्नत किया जा सके तो किसानों का भला हो सकता है। दूसरा मेरा निवेदन अकाल के समय एक मेड़ बन्दी का निवेदन है। मेरे क्षेत्र में जमीन इस प्रकार की है पानी खारा है, अन्डर ग्राउन्ड पानी प्राप्त होता नहीं इसलिये मेड़ बन्दी कर दी जाय और विशेष योजना चलाई जाय। जो छोटे छोटे किसान जो खेती को लेकर बैठे हुये हैं अपने खेती में काम करते हैं लेकिन समय पर वर्षा न होने से या अधिक वर्षा होने से खेती नष्ट हो जाती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इसलिये भू-संरक्षण योजना बनाई जाय और मेड़ बन्दी योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की राहत दी जाय और किसान अपनी कटती हुई जमीन को बचाकर पूर्ण रूप से सुरक्षित कर सकता है। यदि इस प्रकार की योजना चालू कर दी जाय तो साधारण किसान को पूर्ण रूप से लाभ पहुंच सकता है (पुनः समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सभापति महोदय अभी 10 मिनिट हुये हैं····

श्री सभापति : दो मिनिट और बोल लें····

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : इसलिये जिन किसानों के पास, छोटे छोटे किसानों के पास जमीन है लेकिन सही रूप से रक्षा नहीं कर पाते हैं इसलिये मेरा निवेदन है छोटे तबके के किसानों को राहत दी जाय, चाहे ब्याज सम्बन्धी हो, चाहे बीज सम्बन्धी हो, चाहे जोत सम्बन्धी हो, किस किस प्रकार की समस्या आती है उनको दूर किया जाय। क्योंकि किसान गरीब है, उनको समय पर पैसे नहीं मिलते हैं और समय पर पैसे नहीं मिलने के कारण सब प्रकार के साधन नहीं जुटा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से, इस प्रकार की समिति बना दी जाय और आदेश दे दिये जायं। गरीब तबके के लोग महाजन से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्जे लेते हैं। अकाल या भयंकर अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण फसल जल जाती है और ऋण ज्यों का त्यों रहता है इसलिये मेरा निवेदन है योजना बनाई जाय और योजना के अन्तर्गत सहकारी समिति के अन्तर्गत किसानों को बैंकों के द्वारा ऋण दिलाया जाय तो पूर्ण रूप से खेती को जोत सकता है।

मेरा निवेदन यह भी है कि सन् 1972 में अकाल की बड़ी भयंकर स्थिति आ गई थी तो उसमें पहले सड़कें मंजूर की गई थी। सरकार के दिमाग में और जन प्रतिनिधियों के दिमाग में इस प्रकार की बात आई कि इस प्रकार की सड़कें बनाकर किसानों का भला नहीं हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटा)

केवल दो-तीन मिनिट और। सभापति महोदय, दो-तीन पाइन्ट हैं बोलने दीजिए। तो मेरा निवेदन यह है इस प्रकार की योजना और बनाई जाय और कूप निर्माण योजना से छोटे छोटे किसानों का भला हो सकता है। हर स्थान स्थान पर कुओं का निर्माण कर

(श्री जयकिशन लाल)

दिया जाय। किसान इन छोटे छोटे कुओं से अपनी जमीन को अच्छी तरह से सिंचित कर सकता है और अपनी रोजी-रोटी कमा सकता है इसलिए मेरा निवेदन है इस प्रकार की योजना इस वर्ष प्रारम्भ कर दी जाय। जैसे अकाल में ढाई हजार दिये गये थे ढाई हजार मुफ्त और ढाई हजार लोन यदि इस प्रकार की सुविधा इस वर्ष भी कर दी जाय तो छोटे छोटे किसानों को लाभ मिल सकता है। इस प्रकार की स्थिति हम किसानों के साथ रखें तो पूर्ण रूप से लाभ हो सकता है। खारी जमीन जिसे राजस्थानी भाषा में खारड़ा कहते हैं ऐसी जमीन का सर्वेक्षण किया जाय और जहां खार पैदा होता है, किस प्रकार का किटाणु है और किस प्रकार उसको नष्ट किया जाय तो बहुत सारी लम्बी चौड़ी धरती पर पैदावार हो सकती है। उसको मिटाकर यदि खेती बोई जाय तो खेती में बहुत ज्यादा उन्नति हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक निवेदन है पशु पालन के सम्बन्ध में। दो मिनिट में रख देता हूं। पशु पालन बहुत आवश्यक है। हम एक तरफ हरित क्रांति लाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ श्वेत क्रांति की आवश्यकता है। हरित क्रांति खेती के सम्बन्ध में और श्वेत क्रांति जो पशुओं का दूध है उस सम्बन्ध में।

(4.9 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मेरा निवेदन है केवल हरित क्रांति से ही आज भला नहीं हो सकता है बल्कि साथ साथ में श्वेत क्रांति लानी चाहिए और वह तभी जाकर हमारे समक्ष आ सकती है। जब श्वेत क्रांति लाने वाले साधन उपलब्ध हों, उनकी नस्ल सुधारने के लिये, खाने पीने के लिये, जो पशु कमजोर हो जाते हैं इस प्रकार की योजना बनाकर सही रूप से सही समय में संरक्षण पहुंच जाय तो पशुधन उन्नत हो सकता है और बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि चाहे वह गाय हो, भैंस हो भेड़ हो या किसी प्रकार का भी पशु हो वह समाज के लिये उपयोगी है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि मनुष्य जब तक जिन्दा रहता है तब तक ही काम में आता है लेकिन पशुधन ऐसा है कि जिसके मरने के बाद उसकी चमडी, हड्डी और उसके द्वारा बनी हुई खाद हमारे लिये सभी चीजें उपयोगी हैं। इसलिये मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि पशुधन का संरक्षण ठीक तरह से किया जाये तो जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की कमियां हैं वह आसानी से दूर की जा सकती हैं।

आप भेड़ को ही ले लें। इसके चमड़े से बहुत लाभ होते हैं। यह विदेशों भी जाता है और इस देश में भी इसकी खपत होती है। इसकी हड्डी से खाद बनती है और इसकी ऊन तो बहुत ही उपयोगी होती है। जैसे ही सर्दी आती है हम गरम कपड़ों की ओर अग्रसर होते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि स्थान पर जो भेड़ पालक हैं उनको विशेष प्रकार से अनुदान दिया जाये और उसके आधार पर यदि पशुओं की नसल सुधारने की

(श्री जयकिशन लाल)

व्यवस्था भी ठीक तरह से की जावे तो साधारण व्यक्ति जो कि भेड़ें पालकर जीवन यापन करते हैं वह अपना जीवन ठीक ढंग से चला सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजनायें बनाकर कि भेड़ की ऊन को किस प्रकार से काटा जाय और किस प्रकार की चीजें बनाई जायें जिन्हें विदेशों में भेज सकें और उसके बदले में हम कौन कौन सी चीजें उपलब्ध कर सकते हैं यह देखना चाहिये। हमारे हिन्दुस्तान में जो ऊन पैदा होती है उसका 40 प्रतिशत ऊन राजस्थान में पैदा होती है और राजस्थान में भेड़े जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर साइड में रहती हैं लेकिन आप स्पष्ट जानते हैं कि ऐसे पशुओं के चराने के लिये स्थान उपलब्ध नहीं है। भेड़ पालक आये दिन जैसे ही बरसात या सर्दियां खतम होती हैं अपनी भेड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भटकते रहते हैं और उनको संरक्षण नहीं मिलता है। जगह जगह झगड़े और परेशानियां होती हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। यदि भेडों में कोई बीमारी आ जाती है तो समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने से कई भेड़ पालकों की भेड़े वहीं मर जाती हैं और वह वापिस अपने प्रदेश में लौट आते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान जगह जगह केन्द्र खोलकर सरकार को कर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, गाय भी ऐसा ही पशु है क्योंकि इससे दूध, घी वगैरह मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर क्षेत्र में अच्छी नसल के सांड छोड़ दिये जायें। यदि ऐसा होगा तो उनकी सन्तति अच्छी पैदा होगी और अच्छे बछड़े भी पैदा होंगे जो कि खेती करने के लिए किसानों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जहां बिजली के साधन नहीं है, इंजिन के साधन नहीं हैं क्योंकि सारे किसान इंजिन नहीं खरीद सकते, डीजल प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए उनके पास में एकमात्र साधन खेती करने के लिए बैल रहता है। बैल इतना उपयोगी पशु है कि जिसको हर साधारण किसान अपने काम में लेता है। एक गांव से दूसरे गांव में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जाने के लिए भी उसको उपयोग में लेता है। कृषि और पशु का निकटतम संबंध है और दोनों ही चीजों से सारे समाज को अत्यन्त ही लाभ पहुंचता है इसलिए मेरा निवेदन यह है कि दोनों चीजों के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाये तो हमारे राजस्थान की उन्नति आसानी से हो सकती है खेती और पशुओं के द्वारा बस यही निवेदन करता हूं कि दोनों चीजों की ओर ध्यान देकर विशेष रूप से इनके लाभ के लिए और इनकी सुविधाओं के लिए यदि कोई योजना बनाई जाये और इसके पश्चात् उसके लिए ठोस कार्यक्रम बनाया जाये तो दोनों चीजों की उन्नति हो सकती है। यही विचार मैं आपके सामने पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के ऊपर और पशुपालन विभाग के ऊपर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए मैं अपने जिले की ओर माननीय मन्त्री,

(श्री अजीतसिंह)
महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो अब की बार गयी साल कि अन्दर कृषि विभाग का भ्रष्टाचार के अन्दर हमारे जिले में टाप स्थान रहा है। इतना भ्रष्टाचार कि कभी देखने को नहीं मिला, न डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार हुआ जितना अब की बार इसमें देखने को मिला। उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह रही कि काश्तकार को हर दृष्टि से अब की बार बुरी तरह से लूटा गया—चाहे वह खाद हो, बीज हो, सीमेंट हो, बिजली हो, डीजल हो या दवाइयां हों। जो कुछ भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया सब में भ्रष्टाचार है और फिर इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह रही कि जितना उत्पादन हुआ उसका बेचना भी दूभर हो गया। मण्डियां बन्द हो गई। जो भी काश्तबाजार में लाये उसको उन्होंने बेचने की कोशिश की। गलियों गलियों में बेचान शुरू करवा दिया सरकार ने और वहां पर भी लोग पीछे पड़ गए। किसी ने जाकर दुकान लगाई तो लूटने को तैयार हो गए। अगर किसी की दुकान पर रख दिया तो वहां छात्र आन्दोलन हुए और वहां भी जबरदस्ती प्रेस करके माल को बिकवा दिया। जैसी हालत अब की बार देखने को मिली वैसी कभी नहीं मिली। आखिर मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है। आपने यह विभाग सम्भाला है तो मैं चाहूंगा कि सभी दृष्टि से इसको देखें तो इसकी उन्नति के लिए कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय, देखने में बड़ा अजीब लगता है कि मन्त्री महोदय ने जो डिमाण्ड रखी है वह बहुत कम है और इस विभाग को देखते हुए तो लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। इससे क्या सुधार होगा कृषि का, मेरी समझ में तो नहीं आता। फिर भी मेरे जिले की खास बातें हैं उनकी ओर समयाभाव के कारण ध्यान दिलाऊंगा कि उनको ध्यान में रख कर हमारी दिक्कतों को मिटाने की कोशिश करें।

सबसे बड़ी दिक्कत बीज की है। उसमें मिलावट आती है। शंकर बाजरा में दूसरे बीज को मिलाते हैं। बाजरे के बीज में भ्रष्टाचार हुआ। मैंने गये सेशन में भी अर्ज किया था कि इसमें मिलावट कर देते हैं और इस तरह से काश्तकारों को लूटते हैं और यह तब मालूम पड़ता है जबकि वह बीज बड़ा होता है और बाल आने लगती है। तब मालूम पड़ता है कि यह शंकर बाजरा नहीं है, मिक्स्ड है और इस स्टेज पर फिर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसके बाद पंचायत समिति में बीज बांटा जाता है तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो व्यवस्था ठीक हो इसकी ओर आप ध्यान दें।

दूसरे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीज की व्यवस्था जिला स्तर पर ही करवा दें तो बड़ा उत्तम रहेगा। वहां किसी को जिम्मेदार तो ठहराया जा सकता है कि किसी के खेत का या फार्म का बीज है। जाने कहां का बीज कहां आता है और उसका कोई जिम्मेदार नहीं बनता है। आपके हमारे जिले में कई फार्म्स हैं। 2 बीज तो बिल्कुल ही बेकार पड़े हैं। यह फार्म डिग्गी, मालपुरा और टोंक के अन्दर हैं। और माननीय मंत्री महोदय आप हमारे जिले का ट्यूर करें तो

(श्री अजीतसिंह)
देखें कि ट्रैक्टर खड़े हैं, बंगले बने हुए हैं, सारी व्यवस्थायें हैं और सारे फार्म के अन्दर जंगली पेड़ खड़े हैं, बवूल खड़े हैं या आकड़े खड़े हैं। तो इन फार्म की ऐसी दुर्दशा करने से क्या फायदा ? या तो फिर आप इनको किसी को लीज पर उठा दें। प्रथम तो यह निवेदन करूंगा कि इसमें जो बीज तैयार होता है वह करवायें। अगर नहीं करवा सकते हैं तो लीज पर दे दें। उसको बेकार पड़ा रखने से कोई सैन्स नहीं है। तीन में से दो डिग्गी और टोंक के फार्म की हालत ज्यादा खराब है। पलासिया का फार्म है वह भी खराब है। यहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं, बांध बांध रखा है उससे पानी भर जाता है और बड़ी हालत खराब है। तो या तो आप फार्म की प्रथा को बन्द कर दें और यदि नहीं करते हैं तो ठीक ढंग से उनको चलायें। यही हालत पंचायत समिति फार्म्स की हैं इसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। पंचायत समितियों के फार्म और बोझ बने रहते हैं। या तो आप इनको कैंसिल करवा दीजिए या इनकी ठीक तरह से सार सम्भाल होनी चाहिए और इसके अलावा मोडल फार्म होने चाहिए जिससे काश्तकारों को सुविधा हो। चाहे यूनिवर्सिटि में कितने फार्म आप डवलप कर दें लेकिन इससे वास्तविक डवलपमेंट होने वाला नहीं है। जब तक आप मोडल फार्म के रूप में नहीं दिखायेंगे काश्तकारों को, तब तक काश्तकार तो अनपढ़ होते हैं, सामने देखकर ही कापी करना चाहते हैं, किताबी ज्ञान के अभाव में कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मोडल फार्म तैयार किए जायें ताकि उनसे सीख कर लोग कुछ कर सकें।

इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि कृषि उद्योग है और उद्योग की दृष्टि से ही अगर आप इसको चलावें तो ज्यादा उपयोगी होगा। जब आप उद्योगों को इतनी सुविधाएं देते हैं, सीमेंट देते हैं, बिजली देते हैं, उद्योगों के लिए शेड्स बनाए हैं, उनको कच्चा माल दिया जाता है और इस दृष्टि से उद्योगों को सभी प्रकार की सुविधाएं देते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं तो कृषि जो इतना बड़ा उद्योग है जो हमारी जिन्दगी से पेट भरने का साधन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको इस तरह से नेग्लेक्ट करना और इतना कम रुपया रखना उचित व्यवस्था नहीं है। तो इनके लिए निश्चित रूप से आवश्यक चीजों की ओर ध्यान देते हुए व्यवस्था करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

दूसरा कृषि मंडियों की हालत बहुत खराब है। मेरे जिले में कोई कृषि मंडी नहीं है। मंडी के अभाव में काश्तकारों को बड़ी परेशानी है। काश्तकारों को गांव में जाकर माल बेचना पड़ता है और मनमाने तौर पर व्यापारी घर बुला कर लूट लेते हैं। कृषि मंडी के अभाव में कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे तो टेम्प्रेरी व्यवस्था है उसके अन्दर ऐसी जगह नहीं है कि खड़े भी हो सकें, जिसकी वजह से लोग अपने घर पर जाकर तुलवा लेते हैं और जो भाव उनको मिलने चाहिए, वे मिल नहीं पाते हैं। इसलिए कृषि मंडी की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है।

इसी तरह से जो इनके चुनाव होते हैं वे भी बहुत डिफेक्टिव हैं। यह क्या तरीका है कि सात सात वोटों से जीत जावें। मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें

(अजीतसिंह)

ईमानदारी से चुनाव होने चाहिए और ऐसे लोगों के हाथ में इसका काम आवे जो इंटरेस्टेड हों जिससे फायदा हो।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और बनास की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी, बनास के अन्दर कई तरह के फल पैदा होते हैं जैसे खरबूजा है, तरबूज है, पेठा है, कद्दू है और बहुत सी चीजें पैदा होती हैं और यह बड़ी भारी इंडस्ट्री है जिससे हजारों गरीब आदमी पलते हैं। इसके डवलपमेंट पर आप ध्यान दीजिए। बाकी दुर्गापुरा फार्म पर कुछ किया है लेकिन इतने से काम से पूरा होने वाला नहीं है। यह बड़ी इंडस्ट्री है और लाखों की आमदनी होती है काश्तकारों को और आपको भी होती है और लोगों को भी काफी फल प्राप्त होते हैं और ये ऐसे फल हैं जो मौसम के ऊपर सबको लोकप्रिय हैं। इसलिए आप इसकी क्वालिटी, इसकी उत्पत्ति और इसकी गवर्नमेंट को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए जिसकी ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया है

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर सब्जी सुखाने का प्लांट आपकी तरफ से लगे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है। जैसे मिर्चें और दूसरी तरह की सब्जियां हैं उनको अगर प्लाण्ट में सुखाया जाय तो सरकार को काफी आमदनी हो सकती है। ऐसा कोई प्लाण्ट राजस्थान में नहीं है इसलिए अगर यह प्लाण्ट आप सब्जियां सुखाने का लगावें तो कारगर हो सकता है। राज्य सरकार को भी आमदनी हो सकती है और काश्तकारों को भी काफी आमदनी होगी।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यहां शीड भण्डार नहीं हैं। जैसे आलू का बीज है, अण्डा है और दूसरे बीज हैं इनको रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यहां पर शीड भण्डार होना बहुत आवश्यक है। भण्डार के अन्दर बीज के अलावा और फल वगैरा भी रख सकते हैं और इससे काश्तकारों को समय पर उपज का पूरा पैसा मिल सकता है। मैं समझता हूं कि अगर आप शीड भण्डार की व्यवस्था करेंगे तो यह घाटे में नहीं जायेगा, आप इन्वेस्टीगेशन करवा लें। अगर शीड भण्डार की व्यवस्था आप करेंगे तो कृषि में भी काफी विकास हो सकता है।

अब मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान पशु पालन की ओर दिलाना चाहूंगा। आपने जर्सी नश्ल की गायों का ब्रीडिंग करवा रखा है जो उचित नहीं है। मेरे पास इसके दो सांड हैं जो यों ही खड़े हैं। गर्मी में वे जा नहीं सकते। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बारे में कहा है कि वे खेतों में खड़े हुए उनका कन्धा छोटा होने से जूडा झेल नहीं सकते इस तरह से करते जायेंगे तो एक दिन पशु धन नष्ट हो जाएगा मैं समझता हूं कि इसको आप तुरन्त बन्द करवा दें तो बड़ी कृपा होगी। यूरोप में इनको काफी खाते हैं लेकिन यहां पर तो इनका कोई उपयोग नहीं है और उल्टे खड़े खड़े चारा और खाते हैं, लोगों के गले में चारे का खर्चा और बंध जाएगा और पशु धन भी नष्ट हो

(श्री अजीतसिंह)

जाएगा । इसलिए आप इसको बन्द करदें तो बड़ी कृपा होगी ।

यही हालत भेड़ों की भी है । भेड़ों में भी कौन कौनसी नस्लें आपने कर दी है कि उनके बच्चे जिन्दा ही नहीं रहते । इस क्लाइमेट को वे सहन नहीं कर पाते हैं और उनके बच्चे जिन्दा नहीं रहते जिससे इनका कोई लाभ नहीं हो रहा है । इसलिए मेहर-बानी करके इन दोनों को आप बन्द कर दे तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इनसे कोई फायदा ही नहीं है । इनको अगर आपको डवलप करना है तो हमारे यहां की जो नस्ले हैं, और फिर आप एक निश्चित नस्ल बना दें और उसी को डवलपमेंट करें तो उपयोगी होगा । आप यूरोप की भेड़ें लाकर यहां जो दे रहे हैं उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है उल्टे मुसीबत में फंस रहे हैं । भेड़ों के अन्दर वूल के साथ साथ दूध की ओर भी ध्यान दे क्योंकि हमारे यहां पर लोग इनके दूध की भी इच्छा रखते हैं ।

एक आवश्यक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जो भेड़ों के बच्चे होते हैं उनको जो आप कत्ल करवा देते हैं, इस तरह से कतल होने लगे तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी । आज होता क्या है कि लोग भेड़ों के बच्चों को क्योंकि कीमत अच्छी मिलती है और तुरन्त आमदनी हो जाती है इसलिए बेच देते हैं और फिर वे जाकर काट दी जाती हैं । इसलिए आप इस कतल को भी रोकिये और इस तरह की पाबन्दी लगा दीजिए कि भेड़ों के बच्चों का कतल नहीं हो ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दो मिनिट और । अब मैं आपके सामने मुर्गी पालन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा मुर्गी पालन टोंक का विशेष उद्योग है लेकिन गर्मियों में हालत ऐसी बन जाती है । यह बात सही है कि इसका काफी विकास हुआ है लेकिन आर्थिक दृष्टि से मुसलमान महि-लाएं पर्दे में रहती हैं और उनको इससे आमदनी जरूरी हो जाती है लेकिन उनको गर्मी के अन्दर कीमत नहीं मिल पाती । शीत भण्डार की व्यवस्था हो जाय तो यह उद्योग भी काफी पनप सकता है । उनके आहार की भी व्यवस्था नहीं है मुर्गी का आहार है उसको अगर और तरीके से जंगली बीज आते हैं उसमें किसी तरह से कोई चीज मिलाकर तैयार किया जाय तो मैं समझता हूं कि उनका आहार बन सकता है कम कीमत में और आप लोगों को कम कीमत में मुर्गीयों का आहार उपलब्ध करा सकते हैं । इस पर इन्वेस्टीगेशन करके आप आहार की दिक्कत को दूर कर सकते हैं । इस इस आप रिसर्च करवायें तो अनाज के अलावा भी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर मुर्गी पालन चल सके तो ज्यादा उपयोगी होगा ।

इसके अलावा मत्स्य पालन के बारे में एक निवेदन और है कि छोटे छोटे बांधों के अन्दर अगर पाँच पांच साल का ठेका देंगे तो मोटी मच्छी पकड़ सकेंगे । जब आप एक साल का ठेका देते हैं कि ठेकेदार जितने छोटे 2 बच्चे हैं उनको भी पकड़ पकड कर बेच देते हैं और इससे उनके डवलपमेंट का सिलसिला नहीं रहता इसलिए माननीय मंत्री जी कृपा करके ऐसी व्यवस्था कीजिए कि

(श्री अजीतसिंह)
इनके डवलप ट की ओर भी ध्यान दिया जा सके। अगर आप पांच पांच साल का ठेका देंगे तो ठेकेदार भी इसके डवलपमेंट की ओर ध्यान देगा और बड़ी बड़ी मच्छियों को ही पकड़ेगा क्योंकि उसको एक साल बाद में भी मच्छियां मिल सकेंगी, वरना वह अपने ठेके टाइम में बच्चों को भी पकड़ कर बेच देता है और इससे उनका डवलपमेंट खत्म हो जाता है और फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो छोटे छोटे बांध हैं उनका ठेका भी पांच साल के लिए दें तो मच्छी का काफी डवलपमेंट हो सकता है। इतना ही कह र मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की डिमांड्स के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। खेती से उपज के लिए किसान को जमीन के अलावा चार बातों की आवश्यकता होती है, पानी की, बिजली की, खाद की और सुधरे हुए बीज की। वैसे अभी जो अपने यहां पर खेती के बारे में काफी चर्चाएं हुई और सारी बातें सामने आई हैं उसमें चम्बल की बात है चम्बल की केनाल के आसपास, नहर के आस पास डवलपमेंट हुआ हो लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई तरक्की नहीं हुई। झालावाड़ जिले के सम्बन्ध में और मेरे क्षेत्र के बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो साधन उपलब्ध हो जावे कुओं के जरिए, बिजली के द्वारा और अच्छे बीज के द्वारा उन्नति कर सकते हैं। हमारे झालावाड़ जिले में चार योजनाएं माईनर इरीगेशन की इस वक्त चालू हैं। एक झालरापाटन में, ए पिड़ावा में और ए खानपुरा में और गुनेल की तरफ है। इन चार योजनाओं में बोरिंग मशीन नहीं होने से नल कूप नहीं बनाए जा रहे हैं जिनकी वजह से ये योजनाएं दो साल से पेंडिंग हैं।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि ये योजनाएं तभी सरसब्ज हो सकती हैं जबकि वहां पर बोरिंग मशीन की व्यवस्था हो। बोरिंग मशीनों की व्यवस्था न होने के कारण जो थोड़े बहुत कुएं बन रहे हैं उनके सामने जो कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं। जो कुए के लिए लोन देने का प्रोसीजर है वह भी बड़ा पेचीदा है। प्रशासनिक दृष्टि से लोगों के सामने काफी परेशानियां हैं। विकास विभाग की तरफ से, तहसील की तरफ से, भूमि विकास बैंक की तरफ से, उनको परेशानियां होती हैं। देर से लोन मिलता है और बरसात का मौसम आ जाता है। लोन मिल जाता है तो समय पर सीमेन्ट नहीं मिलती है। इस प्रकार अधूरे काम बहुत पड़े हैं। थोड़े थोड़े काम हो रहे हैं। इन योजनाओं पर कुल 15 लाख रुपया खर्च हो पाया है जब कि 50 लाख खर्च हो जाना चाहिए था। काश्तकार को हर प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद उनको वक्त पर नहीं मिल पाता है। खाद के बारे में भी निवेदन कर देना चाहता हूं। वहां पर राठी एण्ड ब्रदर्स, भवानीमंडी वहां पर खाद का वितरण करती है। श्रीराम

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

फर्टीलाइजर से उनको मिलता है। वह तमाम खाद में से लगभग आधा वहां पर वितरण करने के बजाय भवानीमंडी से मध्यप्रदेश को भेज देती है और वेची है तो 60 रुपयों की बोरी 100 रुपयों में। इसके बारे में कईबार शिकायत की है कि लाइसेन्स केन्सिल कर दिया जाय। जो जिला कृषि अधिकारी हैं, उनसे भी निवेदन किया झूठे खाद के परमिट भी पकड़वाये लेकिन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जो छोटा डीलर है वह भी खाद को ब्लेक करता है। इस प्रकार काश्तकारों को खाद नहीं मिलती है। सीमेन्ट नहीं मिलती है, जिसके कारण उनके कुए अधूरे पड़े हैं। जिला कृषि अधिकारी, कलेक्टर समय पर बीज का वितरण नहीं करा पाते हैं। ये कृषि के अन्दर मुख्यतः बाधाएं हैं। लघु सिंचाई योजनाओं पर काम हो रहा है परन्तु इसके अन्दर बोरिंग मशीन की आवश्यकता है। इसका जो प्रोसीजर है उसके अन्दर चेन्जेज लाए जाएं तो कृपा होगी।

कृषि ऊपज मंडी झालरापाटन में नहीं है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा। वहां की मण्डी अच्छी है। दो सौ गांव की जितनी भी फसलें होती हैं वे यहां पर आकर बिकती हैं। इसके बारे में पहले भी निवेदन किया है इसलिए वहां पर कृषि मंडी होनी चाहिये। इसी प्रकार झालावाड़ जिले में आपके जो फार्म हैं, जय निवास, छत्र निवास, अकलेरा और खानपुर में हैं। खानपुर में जो फार्म है वह 100|150 बीघा का है परन्तु वहां पर कोई सिंचाई का काम नहीं हो रहा है जबकि वहां पर नलकूप लगा हुआ है। उससे पानी नहीं दे सके हैं। यह वहां की हालत है। जब कि नलकूप पर 35 हजार रुपया लगाने के बाद कोई उपज नहीं हो रही है। कोई न कोई बहाना लेकर काम शुरू नहीं किया गया है जब कि उससे 40|50 एकड़ में सिंचाई हो सकती थी। जय निवास में घास पैदा हो रही है परन्तु यह भी पता नहीं है कि यह घास कितनी हो रही है। झालावाड़ के पास ही छत्र निवास है यहां की भी हालत यही है। इतना खर्चा हो रहा है और उससे आमदनी कुछ भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि वहां पर काम क्यों नहीं हो रहा है।

पशुपालन के सम्बन्ध में भी मुझे निवेदन करना है। नस्ल सुधारने का काम पशुपालन विभाग करता है। यह खुशी की बात है कि पशुपालन विभाग नस्ल सुधारने का कार्य कर रहा है परन्तु हमारे यहां तो मवेशियों के इलाज करने का भी प्रबन्ध नहीं है। जो पशु पालन अधिकारी झालावाड़ में हैं उसकी शिकायतें पहले भी आपके सामने रखी है। वे केवल इधर उधर का दौरा करते हैं और जो पैसा इस मद में आता है उसको खर्च करते हैं। यों कहना चाहिए कि अनियमितताए ही अनियमितताएं हो रही हैं। इसके बारे में पहले भी निवेदन किया है। इसी प्रकार पंचायत समितियों में जो कम्पाउन्डर रहने चाहिये वे भी नहीं रहते हैं। दवाइयों का कोई इन्तजाम नहीं है। दो सौ गांवों पर एक डिस्पेन्सरी है परन्तु वहां दवाई का कोई इन्तजाम नहीं है। वहां दो तीन महीने पहिले चेचक की बीमारी

Page No 138

(138)

(श्री रामप्रसाद वोहरा)
आ गई थी और करीब 300 मवेशियां इनकी लापरवाही के कारण मर गईं। इसकी जांच करने के बाद यह मामला सही पाया गया परन्तु सम्बन्धित डाक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाये। पंचायत समिति में दवाइयों का भी इन्तजाम किया जाए। डेयरी की योजना झालावाड़, कोटा और बूंदा के लिए बनायी गयी है। झालावाड़ में किसी को भी पता नहीं है कि वहां वर डेयरी है। तब वे इसका क्या उपयोग कर सकेंगे और इसके द्वारा क्या फायदा उठा सकेंगे।

एक बात और रखना चाहता हूं। झालरापाटन में कार्तिक और वैशाख में पशु मेला लगता है। इस.ो जितनी आमदनी होती है, उसके रूप में 25 हजार रुपया सरकार नगरपालिका को देती है कम्पेनसेशन के रूप में। इस साल के मेले के बारे में शिकायत रखी थी। कुल आमदनी हुई 43 हजार रुपये और 18 हजार रुपया का खर्चा हुआ। जिसमें 4100 रुपया केवल पेट्रोल पर खर्च हुआ है, जबकि जिला अधिकारी वहां पर केवल 4 मील पर ही रह रहे हैं। तो 4100 रुपये का पेट्रोल किस प्रकार से खर्च किया है। इसके बारे में जांच करनी चाहिए। मजदूरों के 9800 रुपये खर्च किये हैं जबकि मजदूरों के नाम नहीं है, कहां का रहने वाला है, यह भी नहीं लिखा है। इस प्रकार बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। आपको पच्चीस हजार की बचत होती है और 25 हजार ही कम्पनसेशन का देना होता है। इसके अलावा जिले के बाहर के अधिकारी वहां पर जाते हैं। जयपुर जोधपुर से डाक्टरों को वहां पर भेजा जाता है। स्टाफ का टी. ए. और डी. ए. पर खर्चा होता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और पहले भी हमने मंत्री महोदय से यह मांग की थी कि यह जो मेला नगरपालिका से आपने ले लिया है, उससे आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है और उधर नगरपालिका भी आर्थिक संकट में पड़ गयी है। सारी आमदनी आपकी खर्चे में चली जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह मेला नगरपालिका झालरापाटन को वापिस दे दिया जाये तो बड़ी कृपा होगी। यह विचारणीय बात है कि जो मेला वहां पर लगा था उसमें एक कमला सर्कस आया था उससे केवल 800/ रुपये किराये के लिये गये हैं जबकि उसको 150×150 जमीन दी गयी थी। 50×50 का किराया अलग और है। जो जमीन उसके पास थी वह ज्यादा थी और उसका किराया 2500) 3000) रुपये के करीब होता है जबकि उससे वसूल किया गया है केवल मात्र 800) रुपया। इस प्रकार के वहां पर गोलमाल हुए हैं। इसके बारे में निवेदन भी किया गया है। इसकी चिट्ठी एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को भी गयी है। आप जांच करवायें तो वहां आज भी साइट पर डिमारकेशन मौजूद हैं। इसको आप वहां जाकर देख सकते है और यह मैं साबित कर सकता हूं। परन्तु दो महीने हो गये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जो 18 हजार का खर्च हुआ है और आमदनी को देखें तो उसमें 7–8 हजार का घोटाला है और इतनी कम वसूली हुई है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
कि आप मेहरबानी करके यह वापिस नगरपालिका झालरापाटन को देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन नहीं तो जीवन नहीं कृषि और हमारा जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। हम चाहते हैं कि कृषि उपज बढ़े, किसान भी चाहता है और कृषि विभाग भी परन्तु दोनों की कार्यप्रणाली में 36 का समझौता है और इस कारण यह गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, इस प्रकार हम भूल भूलैया में घूम रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आज किसान चाहता है कि उसकी जमीन सुधारी जाय। वह यह भी चाहता है कि उसे समय पर बीज मिले, अच्छा बीज मिले, उसको खाद मिले, ऋण मिले। परन्तु ये सारे कार्य या तो होते नहीं और अगर होते हैं तो समय गुजर जाने के बाद वह जिस रूप में चाहता है कि सुधरा हुआ, अच्छा और सस्ता बीज उसको मिले परन्तु ऐसा बीज, जिसको बीज नहीं कहना चाहिए वह बीज के रूप में खाद्यान्न उसको मिलता है, और ऐसा बीज जो उस जगह के लायक नहीं है, ऐसा बीज उसको मार्केट रेट से भी अधिक रेट पर दिया जाता है। तो यह है हमारे कृषि विभाग का हाल।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूं कि कि हमारी पंचायत समिति श्री डूंगरगढ में बीज के लिए एक दुकानदार से कोई पांच सौ से ज्यादा क्विन्टल खरीदकर दी जो मंडियों से खाद्यान्न के लिए लाई गई थी और पुरानी थी जिसका वे दूसरे मोठ गुवार आदि अन्य बीज दिए गए थे और भाव तेज थे के बारे सरपंचों मुखियाओं ने जिलाधीश चूरू कृषि विभाग व मंत्रीजी को यह लिखकर दिया कि बाजरी पुरानी है और नहीं उगेगी तथा सब ही बीजों के भाव बहुत ज्यादा हैं। जैसा उन्होंने लिखा वैसा ही हुआ बाजरी जिस किसी ने बीज दी वह नहीं उगी बाकी लोगों ने तो भूख के कारण लेकर खाद्यान्न के काम में ली और बीज के लिए और जगह से लाए उस पर कृषि सचिव महोदय ने कृषि संचालक को जांच के लिए लिखा था लेकिन आज तक जांच नहीं हुई।

आज कृषि विभाग की प्रगति की रिपोर्ट देखने में आई हैं। उसमें योजना नाम की कोई चीज नहीं है। उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि हमारे क्या लक्ष्य थे किस किस मामले में और कितनी कितनी हमने उनमें उपलब्धि की है और कितनी नहीं की। रिपोर्ट में तो सिर्फ यह संकर बीज पैदा किया और यह संकर बीज पैदा करेंगे यह बताया है। इस संकर के नाम से तो गीता के अन्दर भी अर्जुन ने इस मामले से भय खाकर युद्ध की इच्छा को त्यागने का विचार भगवान कृष्ण के समक्ष रखा था। इस संकर बीज के अलावा और रासायनिक खाद के अलावा उसमें और कोई बात नहीं कही गई है, इस प्रगति रिपोर्ट के अन्दर। रासायनिक खाद से हम हमारी भूमि की क्या गति करने जा रहे हैं और क्या गति होगी यह तो भविष्य ही बतायेगा और उस समय को हमें भूलना नहीं चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं चाहते हैं कि हम यहां पर सारे के सारे रासायनिक खाद पर निर्भर रहें। हमारे वहां पर सूखे का इलाका है और जिस जमीन

(श्री लूणाराम)

के अन्दर लकड़ी का हल चलता है तो उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वह बार बार उससे सख्त जमीन को तोड़ सकें, और वह अधिक पैदावार कर सकें। जिन किसानों ने उस जमीन को तोड़ा है ट्रैक्टर से उसके अन्दर उन्होंने देसी खाद दिया है और दुगनी तिगुनी पैदावार ली है। मगर कृषि विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है और कोई किसानों के साथ सहयोग नहीं करता है। सिर्फ एक ही चीज वह करता है संकर बीज और रासायनिक खाद, और रासायनिक खाद भी वह पूरे रूप में दे पाये तो आश्चर्य की बात होगी।

इस प्रकार से आज हम यह चाहते हैं कि कृषि विभाग अगर काम करना चाहे तो आज क्या नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर पिछले साल सीकर और झुन्झुनूं जिले के अन्दर जो कृषि के कुए खोदे गये यह अपने आप में एक अनूठा चमत्कार है, और जिन किसानों ने ऐसे कुए खोदे हैं वह कम से कम अकाल के समय और कुछ तो नहीं पर वे दूसरों पर भार तो नहीं बन सकते हैं और अकाल का मुकाबला करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। क्यों न इनकी भांति एक अच्छे रूप में योजना बनाकर आप विचार करें और दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जाय।

आज सरकार हमारी सामूहिक ट्यूबवेल की बात करती है और वह आज नहीं करती है, 3–4 साल से करती है, और आज तक यह इस प्रकार के ट्यूब वैल किस जगह पर लगाये गये, किसी जगह पर नहीं लगाये गये। यह सारे के सारे आज अधर पर घूम रहे हैं। यह तो दार्शनिक बातें हैं जो चलती रहेंगी।

इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जहां पर इस प्रकार रासायनिक खाद की एक फसलों में आवश्यकता नहीं है। कम से कम हमारी भूमि जो पैदावार दे रही है और जितनी वर्षा की आवश्यकता है उसके अन्दर कम वर्षा के अन्दर पैदावार दे और अच्छी पैदावार दे, इन सारी चीजों के लिए हम चाहते हैं कि कम से कम सरकारी तौर पर ट्रैक्टर्स से हमारी बन्धी हुई जमीनों को तोड़ दें और उनको तोड़ने व बुवाई कराने के लिए किसानों को रियायती दरों पर ट्रैक्टर उपलब्ध करायें या और तरह की किसानों को रियायत दें।

हमारे यहां के क्षेत्र के अन्दर एक फसल होती है तो वर्षा के अच्छी होने वाले वर्ष में 7–8 महीने कृषि करने वाले और कृषि मजदूर बेकार रहते हैं, तथा बिना बात पूरे साल बेकार रहते हैं। उस खाली समय के अन्दर कृषि विभाग अपने सुझावों पर वहां की भूमि के डेवलपमेंट के काम करा पाये तो काफी काम हो सकता है। आज हमारे वहां पर वृक्षों की कमी है। अधिक वृक्ष हों तो पशुओं को चारा भी मिल जायगा और साथ में जमीनों के अन्दर खाद भी मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए कृषि विभाग प्रयत्न करे।

इसी प्रकार से खेतों की मेढों के लिए जो कार्यवाही की जा रही है वह नहीं के बराबर है अगर मेढ़ पर सरकण्डे लगाये जांय तो किसान की पैदावार बढ़ेगी और इसमें

(श्री लूणाराम)

ग्र ण्ड लगायें जांय तो वह भी ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसी चीजों के लिए विभाग की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, और किसान अपने आप इतने प्रगतिशील नहीं हैं कि वह र पायें।

हम यह भी चाहते हैं कि गोबर का पौष्टिक खाद काम में लायें तो इसके लिए कणाबन्धी होनी चाहिए यानी जो जोहडों की दालर मिट्टी है और पीली मिट्टी है उसको खेतों में डाल दिया जाय जिससे अधिक समय तक वह जमीन बन्धी रह सके। हमारी जमीन रेतीली है तो वह उस रेत को हवा में उड़ाने से रोकेगी। तो इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही हो।

इसी प्रकार से आज हमारे दो जिलों चूरू, बीकानेर के ऊपर एक कृषि अधिकारी है, और वह इतना लम्बा क्षेत्र है कि महीनों तक वह कहीं जिला से बाहर जाकर भी अधिकारी आ जाय तो कोई पूछने वाला नहीं है। यह पता नहीं लग पाता है कि वह कहां पर रहता है इसलिए जिलेवार कृषि अधिकारी की नियुक्ति हो तो उचित रहेगा क्षेत्रफल को देखते हुए।

इसी प्रकार से यह भी मेरा एक सुझाव है इस मामले के अन्दर कि कृषि और पशुपालन इन दोनों विभाग के मिले जुले मेले लगाये जायं जिले के स्तर पर साल में एक बार और उसी आधार पर राजकीय स्तर पर मेले लगाये जायं। तीन तीन दिन का अगर साल भर में एक मेला सम्भव नहीं हो सके तो कम से कम दो साल में तो मेले की योजना करके जिले में लगवाये जायं। इसके बारे में किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं।

किसानों के पास पैदावार हो या नहीं लेकिन लेवी उन पर लागू कर दी जाती है। लेवी लेने में हमें एतराज नहीं है, मगर यह देखना पड़ेगा कि लेवी के हिसाब से पैदावार हुई भी या नहीं।

दूसरी बात यह है कि आज ही एक प्रश्न आया था कि गांवों के अन्दर कणक नहीं दी जायगी। यह एक प्रकार से शहरों और देहातों के अन्दर भेदभाव किया जा रहा है। देहात वाले कमायें और शहर वाले खायें यह नीति चलने वाली नहीं है। यह भेदभाव की नीति घृणा पैदा करती है। यह भेदभाव की नीति है कि किसी से लें और किसी को दें। किसी भागी को खिलाने के लिए लेवी वसूल नहीं होनी चाहिए। देहात वालों से लिया जाय और शहर वालों को खिलाया जाय, लेकिन खिलाने के अन्दर भी देहात में किसी के पास नहीं होता है उन्हें नही देते हैं तो यह अपने आप में भेदभाव प्रकट करता है जो कि उचित नहीं है।

इसी प्रकार से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज कोई भी कन्ट्रोल की वस्तु हो, जैसे क्रूड आइल है, सीमेंट है जो कि किसानों की आवश्यकता की वस्तुएं हैं वह उनको समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। और सब प्रकार की वसूली 4-5 साल की मय माल गुजारी व कर्जा भी एक साथ वसूल करके किसान को रेवेन्यू अधिकारी बर्बाद कर देते हैं ऐसी कार्यवाही करके कि जैसे एक कहावत है, खटीक रोवे खाल ने

(श्री लूणाराम)

बकरी रोवे जान ने। तो यह हालत किसानों की हो रही है। उनके पास कुछ देने के लिए नहीं और सरकार थोड़े दामों में उनको मामूली जो सम्पत्ति है बिकवा कर वसूल कर रहे हैं। इसी रूप में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि-उपज मंडियों का बहुत बड़ा हमारे वहां अभाव है। हम यह चाहेंगे कि कृषि विभाग एक एक कृषि मंडी हमारे यहां पर हर शहर व कस्बे में कायम की जाय ताकि हमारे वहां का भी उसमें योगदान और सहयोग मिल सके।

अब मैं थोड़े से रूप में पशुपालन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे से पूर्व और कई व्यक्तियों ने भी कई बातें कही हैं। यह एक चिन्ता की बात है कि यह पशुपालन कर रहे हैं या उनको खत्म कर रहे हैं। पशुओं को हम 4 तरीकों व मतलब से पालते हैं। एक तो दूध के लिए, मांस के लिए, जोताई के लिए और दुलाई के लिए तो हमारी यह जरसी संकरी गायें व बछड़े किसी काम के नहीं हैं सिवाय एक दूध के बाकी काम के नहीं। हमारे यहां नील गायें हैं। इसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। वह हमारे खेतों को उजाड़ रही हैं। अगर उनका इन्तजाम नहीं किया गया तो गांवों की फसलों की खराब हालत हो जायेगी। हमारा प्रदेश कतई मांस खाने वाला नहीं है। हम उस नील गाय को पवित्र भावना से देखते हैं। तो जरसी गाय के बछड़े व नील गाय में कोई फर्क नहीं क्योंकि उसकी दुई नहीं आगे से पीछे तक समान है। जोत का या दुलाई के काम का वह है नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाना और नागौर में अच्छे पशु होते हैं। उन गायों की नस्ल के बारे में सोचा जा सकता है। अगर संकर क्रोस पैदा करनी है तो

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय। मैं थोड़ा सा और निवेदन करूंगा। आज दूध की कमी हमारे कारण ही पैदा हो रही है। यह नहीं कि हमारी गायें दुधारू नहीं हैं। आज हम अपने पशुओं का पालन नहीं कर पाते हैं। आज पशुओं का खाना तो हमने खाना शुरू कर दिया दूसरे कामों में कम लेने लग गए पशुओं के खाने का जो बिनोला था आज उसका क्या भाव हो गया है। उसका तेल बनाकर घी बनाया जाता है। जो हम खाते हैं गोबर से गैस बनता है इसलिए बिनोला 200) रु. क्विंटल के करीब है। वह पशुओं की खुराक हमने छीन ली है। नतीजा यही होता है कि पशु भूखे हैं। इसीलिए वह दूध नहीं दे पाते हैं। गायें अमेरिका से लाकर आप उनको चावल खिलायें। लेकिन पशुओं को बिनोला व ग्वार नहीं खिला सकते हैं। तो नतीजा यह है कि पशुओं की खुराक खत्म करते जा रहे हैं। दूध कहां से होगा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खेतों में पश्चिमी राजस्थान में तमाम धोरे पड़े हुए हैं। खेतों में वहां पर मूंगफली की खेती करवा सकते हैं और उसका घी बनाया जा सकता है व इससे पशुओं की खुराक पशुओं के ही काम में लाई जा सकती है तो अच्छा रहेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री लूणाराम)

तो मेरा निवेदन यह है कि पशुओं की खुराक का संकट पैदा नहीं करें। दूसरे में ऊंटों के सरकारी टोला के बारे में निवेदन करूंगा। बीकानेर में वह दिन भर तावड़े में बैठे रहते हैं। दिन भर तावड़े में सूखते हैं। कोई देखने वाला नहीं है। राजस्थान कैनाल में ऊंटों का कितना योगदान है। हम यह देखते हैं कि कहीं ऊंट जाति नष्ट नहीं हो जाये। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसका अधिक से अधिक विकास होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं दूध के बारे में निवेदन करूंगा। मैंने भेड़ ऊन विभाग और पशुपालन विभाग की रिपोर्ट देखी है। इन दोनों के अन्दर जो हमारी बकरी है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। बकरी गरीबों की कामधेनु है। मांस के शौकीनों के लिए मांस है। जूता इत्यादि बनाने के लिए खाल है। किसान के लिए खेतों में काम लेने के लिए जरूर है खाद है। उपाध्यक्ष महोदय, कभी कोई बीमारी आती है तो हजारों की तादाद में कमी हो जाती है। बकरी को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसके लिए पशुपालन विभाग योजना बनाकर जमुनापारी बकरी ले आकर सुधार किया जाये। यह गरीबों के लिए डेयरी का काम देगी। दूध की नहर का काम देगी। इसमें कोई कमी की बात नहीं है। मैं कहूंगा कि दूध की कमी नहीं है। इसलिए हर गांव में पशु चारागाह की व्यवस्था की जाये। चाहे वह सरकार दे या विभाग को खरीदनी पड़े। पर प्रगति रिपोर्ट व आपके बजट में कोई योजना न होकर जो 3 आइटम आपके सर्विस के लिए हैं, वेतन भत्ता और चिकित्सा भत्ता। इसके अलावा और योजना कुछ नहीं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि मांगों का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह इतना ही निवेदन है....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं अभी समाप्त कर रहा हूं बस इतना सा ही निवेदन है। सारे मामले को देखते हुए कि जो मांस के बारे में अमेरिका का पशु पाला जाता है तो बीकानेर क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि पहले रियासत के समय तीतर पकड़े जाते थे बाद में उनको एक फार्म गजनेर पर छोड़ा जाता था। इस प्रकार से वहां किसानों के खेतों को नष्ट करते थे; दूसरी तरफ लोग उनके शिकार के लिए लालायित होते थे। यह विभाग जो, बिना कीमत की चीज है, भीतर के जगह जगह फार्म खोलकर इनका विकास करवाये तो बचत की योजना हो सकती है।

इन शब्दों के साथ में विभाग को निवेदन करूंगा कि हिरन जैसी भोली पशु चीज है, इसका

(श्री लूणाराम)
उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ह्रास गांवों के अन्दर हो रहा है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ऐसी चीज को मारने के ऊपर हमेशा के लिए पाबन्दी लगा दी जाय। इसी प्रकार जो नील गाय हमारी खेती को बरबाद करती है, उसके अलग अलग फार्म बनाकर उनको वहां रखा जाय।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल भील (सराडा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशु पालन की डिमाण्ड पर विचार चल रहा है। पशु पालन में पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए मेरा कटौती का प्रस्ताव है। मैं आपके द्वारा उदयपुर जिले की ओर, पहाड़ी क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान चाहता हूँ। मंत्री जी, सराड़ा तहसील में इस वर्ष पशु पालन के लिए एक सहकारी समिति भाडोल में है...

(5.2 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

वहां पशु पालन का काम चालू किया है। इसके अलावा काफी दूध प्राप्त है, वह दूध उदयपुर भेजा जा सकता है। उस इलाके में पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए और दूसरे पशु भी, जो सारे इलाके में उनको स्वस्थ रखने के लिए भाडोल में एक पशु औषधालय खोलने की आवश्यकता है।

दूसरे तहसील के कई बड़े बड़े गांव हैं, जिनमें पशुओं की तादाद काफी मात्रा में है। और केवल एक पशु औषधालय तहसील हैड-क्वार्टर पर है।

तहसील से तीस मील, चालीस मील पर दूसरे गांव हैं उन गावों में एक डाक्टर या एक कम्पाउन्डर भी कहीं पहुंच नहीं पाता है। इसलिए पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए वहां औषधालय की आवश्यकता है। अगर सभी जगह औषधालय नहीं खोले जायं तो इतना अवश्य हो जाय कि पशुओं के इलाज के लिए वहां एक दो कम्पाउन्डर बढ़ा दिये जाय ताकि भाडोल जो बड़ा गांव है, जहां पशुओं की काफी तादाद है, वहां पर उनको रख कर उनका इलाज किया जा सके।

इस वर्ष कई कई बीमारियां वर्षा अधिक होने की वजह से पैदा हुई। उनसे कई मवेशी मर गये हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि पशुओं के इलाज के लिए, पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए औषधालय की जरूरत है, इसलिए कम्पाउन्डर वगैरह बढ़ा दिये जायं।

कई माननीय सदस्यों ने कहा, चलता फिरता औषधालय पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कायम किया जाय। मेरा कहने का मतलब यह है कि चलता फिरता औषधालय भी रखा जाय ताकि पशुओं का ठीक तरह से इलाज हो सके।

दवाइयों की भी कमी है। दवाई के लिए कई लोग जानते हैं पशु औषधालय में तो वहां दवा मिलती नहीं है। कम्पाउन्डर वगैरह एक आध है, तो उसके पास भी दवा नहीं होती है। कोई मांगता है तो भी दवाई पूरी नहीं मिल पाती है। इसलिए दवाइयों की भी व्यवस्था पशुओं के लिए होनी चाहिए।

(श्री देवीलाल भील)

इसके साथ साथ, पशु जिन्दा हैं तो उस इलाके में कृषि भी जिन्दा है। वहां पर खाद डी. एफ. ई. और यूरिया वगैरह मिलती है, उसके साथ पशुओं का खाद जब तक नहीं होगा तब तक यह खाद पूर्ण रूप से काम नहीं देता है और अनाज अच्छी तरह से पैदा नहीं होता है। यह खाद थोड़ी बहुत उसमें मिश्रित होगी तो अन्न उत्पादन में यूरिया वगैरह से फायदा मिलेगा। केवल यूरिया या डी. एफ. ई. खाद दिया जाय तो वह लाभदायक नहीं होगा। कृषि पैदा करने के लिए और अधिक उत्पादन करने के लिए पशु खाद्य की आवश्यकता रहती है।

इस वर्ष वर्षा के अभाव में मक्का की फसल उस इलाके में बिल्कुल समाप्त हो गई, और अगली साल अकाल की वजह से, जो बीज जो और गेहूं का था, वह भी लोग खा गये। इस वर्ष बीज की बहुत कमी रही है, और कमी की वजह से काश्तकारों को बीज मिला नहीं है। लोगों ने महाजन से ब्लेक में, काफी ज्यादा पैसा देकर, दुगुने तिगुने भाव में लिया और बीज बोया है। इस कारण जहां के तहां काश्तकार रहे हैं, उनको दुगुना चौगुना बीज का देना पड़ेगा। उस बीज को लाकर उन्होंने बोया। सरकार से जो बीज मिलता है, उसका इन्तजाम नहीं हुआ। नहीं होने से काश्तकारों को नुकसान हुआ है। काश्तकारों ने दुगने, तिगुने में बीज लिया है और लेकर इस साल बोया है। वह बीज भी फसल से पूरा नहीं होगा।

पानी की सुविधा के लिए भी लोगों को बड़ी अड़चन हुई। जयसमन्द में इस साल काफी मात्रा में पानी भर गया लेकिन नहरों की अवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से किसी किसी स्थान पर एक बार पिलाई हुई, जिससे फसल अच्छी नहीं हुई। नहर का पानी इटाली पाल में नहीं पहुंचा था अभी तक। मुश्किल से इस साल पहुंचा तो इस साल एक ही पिलाई हुई। नहरों की व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण पानी एक बार गया और पानी अच्छी तरह नहीं पहुंचा। हमारे उस इलाके में कृषि की पैदा अच्छी करनी है, काश्तकारों की अच्छी व्यवस्था रखनी है तो नहरों की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। कृषि मंत्री जी, उस इलाके में जो सिंचाई के साधन हैं वह ठीक और व्यवस्थित ढंग से नहीं हैं, उस ओर ध्यान दें तो अच्छा होगा। कृषि पर ज्यादा प्रावधान धनराशि का रख कर कृषि के विषय में ध्यान देकर जो कृषि के साधन हैं वह उनको प्राप्त कराये जाय।

काश्तकार ने कुए काफी खोदे हैं, इस वर्ष पानी अधिक आने से वह ढह गये। इस वर्ष काश्तकार नए कुए बनाने के लिए तैयार हैं लेकिन ढह जाने से वह चाहते हैं कि दीवार पक्की बन जाय। लेकिन सीमेन्ट के लिए दरख्वास्त देते हैं तो दो थैले, तीन थैले, पांच थैले सीमेन्ट मिलती है, कुछ काश्तकारों को, उससे काश्तकार पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाते हैं। जो सीमेन्ट जितनी चाहिए उतनी काश्तकारों को नहीं मिलती है, और ब्लेक में लेने जाते हैं तो 19-20 रुपये ब्लेक में काफी मिल जाती है। इस पर ब्लेक मार्केट करने वालों पर कोई न कोई रोक होनी चाहिए और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काश्त-

(श्री देवीलाल भील)

कारों को चाहिए उतनी सीमेन्ट मिल जाय और ब्लेक में न मिले। ब्लेक में मिल जाती है और काश्तकारों को नहीं मिलती है। इस सारी व्यवस्था को राज्य सरकार ठीक ढंग से करनी चाहिए।

खाद भी काफी ब्लेक में जाती है। जब अस्सी, सौ रुपये काश्तकार लेकर जाता है तो ब्लेक में मिल जाती है। राज्य सरकार की ओर से जो खाद मिलती है, जो सरकारी तरीके से खाद मिलती है वह सहकारी समितियों से मिलती है, वह पचास, पचपन में मिल जाती है और ब्लेक में 80) रुपये में मिलती है। यह व्यवस्था अच्छी नहीं है। काश्तकारों को खाद समय पर मिले नहीं तो ब्लेक में लेकर डाले तो काश्तकार जहाँ के तहाँ रहेंगे। काश्तकारों का दुगुना खर्च हो जाता है और फिर लेवी का सवाल आता है। काश्तकारों को अच्छे साधन नहीं मिलते हैं, पानी नहीं मिलता है। लेवी के लिए वे ना नहीं कहते, लेवी देनी चाहिए। लेकिन काश्तकारों ने जहाँ तहा से ब्लेक से लेकर खाद डाल दिया, बीज दुगने तिगुने में लेकर डाल दिया-यह सारा खर्चा इधर उधर से आया और काश्तकार वैसे ही रहे। उनके पास खाने तक का अनाज नहीं रहा। लेवी दिलाने में हम पूरा सहयोग करते हैं लेकिन यह ध्यान भी रखना चाहिए कि काश्तकारों को खाद समय पर मिल जाय, पानी समय से मिल जाय, जो सारी सुविधा हैं, उनके लिए राज्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ब्लेक में कोई चीज लाकर जब काश्तकार काम में लेता है तो उसको काफी नुकसान रहता है। इसके अलावा जो बीज आता है, वह अच्छा नहीं आता है, कभी कभी खराब क्वालिटी का आता है तो अच्छी खेती नहीं हो पाती है। उसमें भी काश्तकारों को नुकसान होता है।

डेयरी के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि डेयरी गांवों में चल सकती है। इस वर्ष हमको एक अनुभव हुआ है कि सराड़ा तहसील में एक झाड़ोल गांव है वहां सहकारी समितियों द्वारा लोन लेकर 40-50 किसानों ने पैसा लिया है और डेयरी अच्छी चल रही है। ऐसी व्यवस्था सारी तहसीलों में करवायें।

पहाड़ी क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं, उनकी भूमि में पानी पहाड़ों पर नहीं आता है, कृषि मंत्री को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि उस भूमि को समतल किया जाए ताकि वह नमी रह सके, एनीकट्स के रूप बनाया जाए, जहां पानी उपलब्ध हो सकता है वह पानी किसी प्रकार से कुएं खोदकर उससे भी ऊपर उठाकर ऊपर की जमीन को दिया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान करें ताकि काश्तकार उसको ठीक कर सके जैसे मेड़बन्दी का कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्र में लागू होना चाहिए लेकिन उस क्षेत्र में पक्के बंधे छोटे छोटे बनाए जायं ताकि वह भूमि पहाड़ी क्षेत्र मे समतल हो जाए और उसके जरिए कुओं में कुछ पानी रहे। तब तो आदीवासी काश्तकार को फायदा हो सकता है वरना कई वर्षों तक सरकार काम करती रहेगी तब भी पहाड़ी क्षेत्र में अनाज पैदा नहीं हो सकता है। पहले अधिक जंगल थे उनको अब काटकर कुछ पहाड़ों पर वालरा जला

(श्री देवीलाल भील)

खेती करते थे और दूसरे वर्ष दूसरी जगह खेती करते थे। अब कहीं जमीन नहीं रही, संख्या अधिक बढ़ गई, वही जमीन कायम है, अगर वर्षा अच्छी हो तो फसल हो जाती है, नहीं तो वैसे की वैसे जमीन पड़ी रहती है। अकाल आता है तो सरकार उस समय धंधा शुरू करती है उनको मजदूरी देकर उनकी जीविका कायम रखती है तो राज्य सरकार पहाड़ी क्षेत्र के लिए किसी न किसी प्रकार से योजना बनाकर उसका सर्वेक्षण पहाड़ी जमीन में कराकर योजना बनाकर, उन जमीनों को सुधार कर अधिक पैदावार हो वैसी बनाई जावे।

बिजली से सिंचाई के लिए सर्वेक्षण हुआ है लेकिन कुओं पर आज तक बिजली दे नहीं पाए हैं और न लाइन निकाली। इस ओर भी कृषि मंत्री ध्यान दें उस इलाके में जहां भी सर्वेक्षण हुआ है, बिजली के लिए सारी योजना बना कर राज्य सरकार के पास आई है और मेरे खयाल से यह योजना दिल्ली तक भी गई है, वहां से स्वीकृत होकर आई या नहीं यह मुझे मालूम नहीं है उस क्षेत्र में जहां कुए अधिक उपलब्ध हैं, सिचाई की काफी गुंजाइश है उन पर बिजली लग सकती थी।

श्री सभापति : श्री सज्जन सिंह।

श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, कृषि एवं पशुपालन की मांग पर मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करके राज्य प्रशासन के पाली जिले में हुई कई अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा है। सर्वप्रथम तो मैं कृषि विषय पर हमारी पांचवीं योजना के एप्रोच पर जो लिखा गया है वह कृषि मंत्री को याद दिलवा दूं :

> Agriculture accounts for 73% of the total working force in Rajasthan. About 83% of the agriculture even today is rainfed and the requirements of other inputs are always not available as planned.

यह तो हमने एप्रोच की रिपोर्ट में स्वीकार किया। योजना के प्रति दृष्टिकोण जो भारत सरकार द्वारा प्रसारित किया गया उसमें भी एक जगह कहा गया है कि :

"आधारभूत उद्योगों, कृषि और सामाजिक सेवाओं के लिए जिस प्रकार उत्पादन और विकास के स्वरूप का उल्लेख किया गया है, उसके लिए जरूरी है कि प्रशासनिक स्वरूप को बदला जाय। पुराना ढांचा, इसकी धीमी कार्य पद्धति योजना कार्यों को पूर्ण करने में असमर्थ है, अतः नया प्रशासनिक स्वरूप और उसकी कार्य पद्धति को विकसित करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि योजना की चुनौती को स्वीकार कर सके।"

मंत्री महोदय को इस सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत प्रगतिशील उदार विचारक माना है। मेरी भी धारणा है कि वे प्रगतिवादी हैं लेकिन साथ ही साथ यह मानता हूं कि ब्योरोक्रेसी राजस्थान में इतनी हावी है कि कृषि मंत्री फंडामैंटल्स में कोई चेंज ला सकेंगे, इसमें मुझे सन्देह है। दी जनरलिस्ट

(श्री सज्जनसिंह)

इज एगेन्स्ट दी टेक्नोक्रैट, जनरलिस्ट, वर्सिज टेक्नोक्रैट की आज देश में डिबेट चल रही है उसका असर हमारे राजस्थान में भी पड़ रहा है।

मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कृषि के इनपुट्स के सप्लाई के लिए जिम्मेवार आपके विभाग में कौन हैं ? सिंचाई विभाग बन्ध बनाता है लेकिन पानी सप्लाई के लिए जिम्मेवार कौन हैं ? गांवों में विद्युतिकरण का विस्तार हुआ है, आपने टार्गेट्स भी बताये हैं कि हम इस वर्ष इतने कुओं में विद्युतिकरण करेंगे लेकिन क्या आपके विभाग की जानकारी में है कि दिन में 50 बार ट्रिप डाउन होती है, पानी खेत में पहुंचता नहीं, उससे पहले करेंट आफ हो जाता है और जो बिलिंग होता है उसमें काश्तकार को चोर बनाया जाता है लेकिन हमारा आरोप है कि आपका विभाग चोर है, आपके मीटर्स चोर हैं, उनका बराबर फंक्शनिंग नहीं होता। मैंने स्वयं ने कई बार शिकायत की है कि मीटर आपके फाल्टी हैं तो कहते हैं कि फीस जमा कराइए, मीटर टेस्ट के लिए यदि चैंज होगा तब तक आपको एक फिक्स्ड रेट पर मिनिमम चार्ज भरनी पड़ेगी। यह कहां का न्याय है ? इसकी बुनियाद है यह टेक्नोक्रेट वर्सेज जनरलिस्ट। उसमें किसान मारा जाता है। उसमें किसान घाटे में रहता है। राजस्थान का किसान जो इन्टेंसिव स्केल पर मिक्सड फार्मिग करता है, वह अगर इस तरह से लेट डाउन किया जाता है तो नेशनल लोस की जिम्मेवारी किसान की नहीं है, आपके विभाग की है, सरकार की है। इसलिए मैं सुझाव के तौर पर चेतावनी अर्ज करूंगा कि आप इन विभागों को जो कृषि से संबंधित हैं इन्टीग्रेट करें। हम सुनते थे कि आपके यहां प्रोडक्शन सैक्रेटरी हुआ करते थे पता नहीं वह आज है या नहीं लेकिन यह जरूर अनुभव किया है कि कमिश्नर्स की भरमार हो गई, हैड्स आफ डिपार्टमैन्ट्स की भरमार हो गई। आपने पशुपालन को स्पिलट किया जिस तरह से एक परिवार के बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से आपके विभाग के बच्चे आफ-शूट्स शीप एण्ड वूल अलग हैं, क्योर एण्ड प्रवेन्शन आफ डिजीज अलग है। आपने अस्पतालों का विस्तार किया लेकिन दवाइयां मिलती हैं या नहीं, इसके प्रति कौन जिम्मेवार हैं ? एग्रीकल्चर में बीज व खाद के लिए कौन जिम्मेदार है ? समय पर पहुंचता है या नहीं किसानों से मांग एकत्रित की जाती है या नहीं। जहां बिजली का सवाल आता है, वह आपसे सम्बन्धित होनी चाहिए, विद्युत मंडल के पास हम भटकते नहीं फिर सकेंगे। अगर एक तरफ आप हमसे उत्पादन चाहते हैं तो सिंचाई विभाग का वह सैक्शन जो वाटर सप्लाई करता है उसे भी आपको ही नियंत्रित करना चाहिए।

जवाई बांध से इस वर्ष खेती को एक बार पानी दिया गया है, फसल मुरझा रही है। जवाई बांध में इस वर्ष इतना पानी आया था कि 4 बार वह भरा जा सकता था, ओवरफ्लो हुआ, कोई नियंत्रण नहीं, उसने मेरे जालोर इलाके को फ्लड किया। इनन्डेशन किया और उसकी वजह से जालोर जिले में नेक्स्ट प्रोडेक्शन अच्छा हो गया। लेकिन उस वक्त टाइमली मदद नहीं की

(श्री सज्जनसिंह)

गयी। हमारी वहां की पंचायत समिति ने इसके लिये प्रस्ताव पारित किया। सभापति महोदय, मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब काम एक ही मिनिस्ट्री के नीचे होने चाहिये। यह आपको सारे के सारे एक दिन कृषि मन्त्री जी इन्टीग्रेटेड मेतन में एक ही डिपार्टमेन्ट के नीचे, एक ही मिनिस्ट्री के नीजे एक ही कम्युनिटी की सर्विस के लोगों को रखा जाना चाहिये। सभापति महोदय, में अब कुछ सीड के प्रश्न के बारे में निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय पाली जिले के सीड के बारे में मैंने एक प्रश्न भी उठाया था इस सदन में। उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया कि वह सीड खराब था। तथा वह सीड भी पाली जिले के अन्दर समय पर नहीं दिया गया। सभापति महोदय, उसका जवाब हाउस में कृषि मंत्री ने दिया उसके लिये मैंने मुख्य मन्त्री को चेलेन्ज किया मैंने मुख्य मंत्री जी को कहा और चेलेन्ज किया क्या आपने इसके बारे में इन्क्वायरी की क्या? क्या आपने उन सीड्स का जर्मिनेशन टैस्ट कराया क्या एफ. सी. आई. ने जो सीड दिया भूमि में मोइसचर ज्यादा था वह तो जो सीड हमें दिया गया था वह सडा गला सीड था लेकिन वह तो चूंकि उस वक्त बरसात हो चुकी थी इसलिये वह सीड जरमीनेट हो गया। सभापति महोदय, उस सडे गले सीड से हमारे पाली जिले के काश्तकारों को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह क्यों हुआ उसके लिये गवर्नमेंट ने कोई इन्क्वायरी की क्या क्या आपने पता लगाया कि वह सीड किस वेराइटी का था। क्या इसका ऐसेसमेंट आपने करेक्ट कराया क्या? क्या आपने यह पता लगाया कि हमारे पाली जिले में कितने सीड का रिक्वायरमेन्ट थी और कितना सीड मिला, उसकी वैराइटी क्या थी। क्या वह कल्याण सोना गेहूं था, या मेक्सिकन सीड था या लोकल गेहूं था मैं समझता हूं राज्य सरकार ने इसके लिये कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। यह तो पाली जिले के काश्तकारों को बाद में पता लगा था। इसके अलावा सभापति महोदय आज आपके जितने भी राज्य सरकार के प्रोग्राम होते हैं उसमें सीड हमेशा बाद में दिया जाता है जब काश्तकार अपने लिये सीड खरीद लेता है या बीच में होता है। सभापति महोदय को सीड टारगेट सोईंग के पहले आवश्यकता होती है। आज आपके डी. ए. पी. के प्रोग्राम्स होते हैं किस चीज की कब आवश्यकता होती है यह आपके ऑफिसर नहीं जानते हैं। आज फर्टीलाईजर कब दिया जाता है यूरीया फस्ट एण्ड सेरिड वाटर में कब दिया जाता है फसल को यह आपका डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस नहीं जानता है। हमारे यहां पर सीड के वक्त आई. एम. सोरी, वो कोन था मिस्टर माथुर था या कोई स्टोर इन्चार्ज था खैर कोई था, उसके पास सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि उसके पास सरप्लस एपार्टमेन्ट में फर्टीलाईजर पड़ा हुआ था। आपके हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट को पता नहीं था वह सभी से फरटीलाईजर सैण्ड माइसचराइज हो गया। तो मेरा निवेदन यह है कि आपके हैड आफ डिपार्टमेन्ट्स का अपने डिस्ट्रिक्ट लेवर पर आपस में कोरडीनेशन नहीं होने की वजह से वह सब खराब होगया। और वह काम में नहीं लिया गया। जैसा कि मैंने अभी

(श्री सज्जन सिंह)

निवेदन किया कि वह स्टोर में पड़ा पड़ा खराब हुआ। तो मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि अगर वास्तव में राजस्थान गर्नमेन्ट अपने टारगेट को फुल फिल करना चाहती है, वास्त में किसान की हालत को सुधारना चाहती है तो फिर आपको इसके लिये इन सभी चीजों को प्रोपर वे में चैनल एक नये तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको सिंचाई के लिये वाटर सप्लाई टाइम पर करनी होगी, सीड्स इन टाइम पर मिलना होगा। फरटीलाईजर, यूरिया वगैरहा को एक प्रोपर वे में देना होगा। एक नया तरीका देना होगा। इनमें कोर्डीनेशन होना जरूरी है। जैसा कि आपने स्वीकार किया कि कुछ इम्प्यूट्स रह गये थे और समय पर फरर्टीलाईजर और बिजली वगैरह नहीं मिलने से पानी समय पर नहीं मिलने से यह हो गया, यह गलत है। आप अपनी मजबूरी बताते हैं कि फर्टीलाई-जर भा त सरकार द्वारा दियाजाता है वह सप्लाई समय पर नहीं हुआ या जैसा कि आपने कहा कि रेट तय नहीं हो पायी थी अगर आप रेट कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं तो कृषि मंत्री जी

You are not here to supervise the enjoyments of the Beauro-crate but you are to tighten them up.

ये किस कारण से हुआ है। यह इतना घपला कैसे हुआ। इसकी वजह क्या थी। क्या आपने इसके लिये मैजर्स एडोप्ट कर लिये कि भविष्य में यह नहीं होगा। अगर नहीं किया तो आपको कृषि मन्त्री जी इन सभी को सुधारना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी को इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि मन्त्री जी कि कम से कम इतने वर्षों के कटु अनुभव से आप कुछ तो शिक्षा लें। आज आपके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को पता नहीं है कि सैन्ड पेञ्चराइज्ड ज्यादा है या हमारे पाली जिले में कृषि मन्त्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उनको अभी तक यह पता नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में फसल में बीमारियां लगनी शुरू हो गयी हैं गेहूं में रोला बीमारी लग गयी है लेकिन आपके विभाग के अधिकारियों को पता नहीं है कि यह बीमारी लगनी शुरू हो गई है और फसल खराब होना शुरू हो गयी है। इसके लिये काश्तकार जाकर मारा मारा कहता फिरेगा कि हमारे काश्त में बीमारी लग गयी है। क्या काश्तकार डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर को कहेगा।

What are the officers provided there vehicles for......

यह, सभापति महोदय, जब रोग फैल रहा है तो उसको कन्ट्रोल करने का काम आपके डिपार्टमेन्ट का है। आप उसे कन्ट्रोल करिये।

इसके अलावा मैं अब कुछ आपके कृषि फार्मों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। कृषि मन्त्री जी आपके आज जितने मॉडल फार्म हैं चाहे कहीं भी हैं चाहे पाली जिले में हैं या दूसरी जगह क्या आपके मॉडल फार्मों की वजह किसी भी काश्तकार को फायदा हुआ है। क्या उन्होंने काश्तकारों को बताया एग्रीकल्चर के बारे में मैं समझता हूँ कभी नहीं

(श्री सज्जनसिंह)

बताया। आज आपके जितने अच्छे से अच्छे मॉडल फार्म हैं वह सभी लोस में जा रहे हैं। सभी अनआर्थिक हो रहे हैं। तो, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि तो फिर छोड़िये आप मॉडल फार्मिंग। आप फार्मिंग नहीं कर सकते। यह आपके बस की बात नहीं है। यह आपके एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो कि 14 इन्च की मोरी की पैन्ट पहनने वाले लोगों से खेती नहीं हो सकती। यह आपके एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं यह सभी सिनेमा के शौकीन हैं। यह लोग अपर क्लास आफ सोसाइटी के बच्चे हैं वह यह नहीं कर सकते। आप वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेन्ट मनी को इनके ऊपर।

One day they are going to be liability.

सभापति महोदय, यह तो मेरी मान्यता है बाकी आगे आपकी मर्जी की बात है आप मानें या नहीं मानें। सभापति महोदय, मैं कृषि मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं और पहिले भी मैंने कहा था कि इन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को जमीन दीजिये। आज सांडेराव और दुजाणा हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही अच्छी जमीन है हजारों एकड़ पड़ी है। नहरी इलाका है आप इन्हें वहां पर रीहेबिलीटेट करिये। फिर देखिये कि आप कितने कामयाब होते हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप यह करना नहीं चाहते हैं। इसलिये अगर आप मेरे सुझाव दिये अनुसार नहीं करेंगे तो यह लोग They are a liability to the Govt. They are a liability to the nation although they are educated and they have technical education

आप इन्हें पेन्शन देना चाहते हैं इससे यह लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें सावधानी बरतें। आज बेरोजगारी के युग में इन्हें धन्धे लगाइये तो यह लोग खा-मा-खा आपके सिर का हैडेक हो जायेंगे। इनको शहरों में इकट्ठा मत रखिये और घर बैठे इन्हें बेरोजगारी भत्ता मत दीजिये। नहीं तो आपको यह लोग परेशान करेंगे। सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री हरिसिंह बैंगू ने अभी सदन में सुझाव दिये हैं उनसे मैं बहुत ही सहमत हूं अभी आपने जो क्रोसब्रीडिंग के लिये फौरिन से मैरीनो भेड़ें मंगायी हैं इनके लिये मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि एक ए. एच. ई. ओ. को मैंने इनके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मैरीना भेड़ के लिये दो अन्डे सुबह और दो अन्डे शाम को खाने चाहिये और इसके लिये चूंकि यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिये इसको कूलर की जरूरत होती है। तो मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय यह जो मेरीना भेड़ें आपने पंचायत समितियों को दिये उनका खर्चा पंचायत समितियां नहीं उठा सकती हैं।

This is fantastic. I cannot understand. I am told I don't know how far that is correct.

आप राजस्थान जैसे प्रान्त में जो कि उष्ण क्लाइमेट का है वहां पर इन अमेरीकी और यूरोपियन और आस्ट्रेलियन भेड़

(श्री सज्जनसिंह)

क्यों रख रहे है वह यहां जीवित नहीं रह सकते हैं उन पर बहुत भारी खर्चा हो रहा है। इनका फायदा आपको कब मिलेगा, कितने सालों बाद मिलेगा। कितनी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद होगा यह तो आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार ले जो फारेन से आपने ज्यादा दूध देने वाली गायें मंगाई हैं मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी वह गायें चाहे आपके दूध अधिक दे लेकिन उनमें फेट बिल्कुल नहीं है। हमारे यहां गायें दूध देती हैं उनमें सात परसेन्ट फेट होती है और उनमें तीन परसेन्ट ही होता है। ऐसा बताया गया है। फिर फायदा क्या। वह जिस भौगोलिक कन्डीशन्स की हैं वह यहां पर सूट नहीं करती हैं। वह जिन्दा यहां पर ज्यादा नहीं रह सकती आप इनमें सफल नहीं हो सकेंगे।

माननीय सभापतिजी, मैं कृषि मंत्री महोदय को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इंग्लैंड में आम नहीं होते हैं, केले नहीं होते हैं। वहां की क्लाइमेटिक कन्डीशन ऐसी होती है कि फल फूल नहीं होते हैं। इस कारण यहां से, हिन्दुस्तान से ये एक्सपोर्ट होते हैं। हमारे यहां बगायात है लेकिन इस संबन्ध में कुछ नहीं किया। जमीन जरूर आरचर्स के लिए छोड़ी गयी है। साइड्स फ्रूट्स लोगों ने लगाये। आम के प्लान्ट्स कितने सप्लाई किये? डिपार्टमेंट जरूर आकड़े दे देगा। वे डिसेप्टिव हैं और मुगालदा देते हैं।

मेरा यह निवेदन है कि आपको बागायत में विशेषतौर से आम के बगीचों को डेवलप करना चाहिए जो कि आपको फोरिन एक्सचेन्ज दे सके। केला मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए ज्यादा माइसर की आवश्यकता होती है। दक्षिणी राजस्थान में वह हो सकता हो यह मैं नहीं कह सकता।

जो हमारी जोग्राफिकल कन्डीशन्स को सूट करती हों ऐसी स्कीम्स को हमको लेना चाहिये लेकिन लिया जाता है ऐसी स्कीमों को जो हमें बक्शीस में मिलती हैं। राजस्थान का नागरिक भिक्षुक नहीं है। भारत सरकार या प्लानिंग कमीशन के सामने याचक बनकर नहीं जा सकता। हमारी डिमान्ड्स को प्रोपर तरीके से पुटअप करने की सरकार के अन्दर क्षमता होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय आप से आशा करता हूं कि आप इन चीजों को प्रोपर दृष्टि से देखेंगे, प्रोग्रेसिव विचारों के साथ संतुलित प्रोग्राम बनायेंगे, डिपार्टमेंट पर ग्रिप ज्यादा टाइटन करेंगे और ऐसी योजना करेंगे जिससे साधारण किसान को फायदा हो।

मेरे क्षेत्र के लिए एक बात निवेदन कर दूं। जवाई क्षेत्र में बहुत फ्लड आया था। सैंकड़ों पशुपालकों के ढोर बह गये, भेड़े बह गयीं, बकरियां बह गयीं। आपके डिपार्टमेंट ने अभी तक भी असेसमेंट नहीं किया कि कितने करोड़ का, कितने लाख का, कितने हजार का, कितने सौ का पशुपालकों को नुकसान हुआ। आपके डिपार्टमेंट की ओर से प्रपोजल नहीं आये कि उनको सबसिडी दी जानी चाहिये, फाइनेन्शियल एड दी जानी चाहिये ताकि वे पुनः पैरों पर खड़े हो सकें।

राजस्थान के पशुधन की उपेक्षा का एक और उदाहरण देना चाहता हूं। महा-

(श्री सज्जनसिंह)

राणा प्रताप की वीर भूमि का वीर साथी चेतक आपने 1972 के लिये गये स्टेटिस्टिक्स के अनुसार आपने लिस्ट दी है उसमें, शीप, गोट, केमल एन्ड दी अगलियस्ट ऑफ आल आफ देम पिग भी आपने बताया है उसमें लेकिन घोड़े के आंकड़े आपके विभाग ने बताने की तकलीफ नहीं की। जहां एक किसान एक बैल की जोडी पाल सकता है, ऊंट पाल सकता है, घोडा पाल सकता है और घोड़े की नेसेसिटी आज भी हमारे कंट्री में है। मैं माननीय मंत्री महोदय की सूचना के लिए उन्हें निवेदन कर दूं कि मैं एक छोटा सा होर्स ब्रीडर हूं और मैंने अपने घोड़े दस दस हजार रुपये में बेचे हैं। दो साल का बच्चा यदि दस हजार रुपये में बिक सकता है तो आपका किसान अवश्य उसका ब्रीडिंग करेगा और उसको बेच कर फायदा उठाना चाहेगा। लेकिन आपका डिपार्टमेंट इस ओर एपेथेटिक है। पाली जिले में नीम्बा के नाथ का मेला भरा जाता है। आप परवाना दे देते हैं। आप उसको देखते नहीं है। आपके स्टाअिसन्स नहीं है। आरमी में खुद उनके है।

श्री लूणाराम : दफ्तर में रखने नहीं हैं घोड़े।

श्री सज्जनसिंह : अगर हम खुश होते हों हर गांव में हर कस्बे में भवन भी ताज महल बन सकते हैं। गांवों में इतने भवन बनाये हैं पैसा बरबाद किया है, उनमें रहने वाले न मालूम कैसे कैसे पाप करते हैं, कैसे कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे कैसे अनाचार करते हैं और भ्रष्ट तरीकों से काम करते हैं उनका विश्लेषण करने का यह समय नहीं है और समय दिला दो डिटेल्स में निवेदन करूंगा। वट आई डू नोट अन्डरस्टेन्ड वाई दिस फेथफूल सेवायर ओफ दी पिपुल आफ राजस्थान हेज बीन नेग्लेक्टेड बाई दी डिपार्टमेंट आफ राजस्थान। यदि यही हालत रही तो आपको पांच साल के बाद ऊंट भी देखने को नहीं मिलेंगे। ऊंट के एक बीमारी हुआ करती है। उसके लिए एक इन्जेक्शन होता है इन्टोस्पेनिक आई डु नोट नो दी करेक्ट नेम। वह यहां आता नहीं है और न ही यहां मिलता है। ऊंट के अन्दर जो यह बीमारी फैलती है उसके कारण से अनाप शनाप ऊंट मरते हैं। न तो इस इन्जेक्शन का इस देश में प्रोडक्शन होता है और न ही इसके वितरण की व्यवस्था है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि नये अस्पताल खोलेंगे उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। क्योंकि मैं देखता हूं कि आपके अस्पताल में यदि आपका डाक्टर है तो कम्पाउन्डर नहीं है, कम्पाउन्डर है तो डाक्टर नहीं है। जोधपुर में सोजती गेट पर देख सकते हैं किसी पान की दुकान पर कि आप को वहां दस वेटेरिनरी डाक्टर मिल जावेंगे। जोब में इन्ट्रेस्टेड डाक्टर मिल जावेंगे। जोब में इन्ट्रस्टेड नहीं हैं। वे अपने को सिक्योर फील करते हैं। आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कहने के लिए उनके पास सीधा सादा रेडिमेड उत्तर है कि क्या करें। साहब दवाई मिलती नहीं। अस्पताल खोलेंगे और दवाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे वहां। सभापति महोदय, मैं आपको नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको वेटेरिनरी डाक्टर में भी अनएम्पलोयमेंट मिलेगा। एम्प्लोयमेंट नहीं देंगे तो वायलेन्ट मेथड्स अपनायेंगे। 14 इंच मोहरी

(श्री सज्जनसिंह)
के जेन्टलमेनो को नौकरी भी दे देंगे तो विधायक भी परेशान नहीं करेंगे लेकिन ये राष्ट्र का हित क्या करेंगे ? ये गरीब जनता का हित क्या करेंगे। इसमें मुझे सन्देह है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इनको ब्रीडर बना दीजिये। आप इनको लैंड दीजिये, आप इनको लोन दीजिये, एन्ड लेट देम प्रूव देयर ओन वर्थ। तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि वास्तव में उनकी शिक्षा का उपयोग किया गया है मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि वास्तव में जन साधारण को फायदा दिया है और गरीब जनता का मार्ग दर्शन किया है वरना शोषकों की नयी बटालियन तैयार हो रही है। गांव में बैठकर इलाज में समझते नहीं, प्रेक्टिकल नोलेज जिनको है नहीं, बुकिश नोलेज जिनको है, थियोरीटिकल नोलेज लेकर सीधे गांवों में आयगे, न उनकी वहां तबियत लगती है और न ही रुचि लेते हैं काम में और न ही पशुओं को फायदा होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये वेटेरिनरी ग्रेजुएट्स कालेज से निकलते हैं उनको पशुओं के ब्रीडर्स बना दीजिये। शीप में इन्ट्रेस्टेड हैं तो लेट देम बिकम शेपर्ड्स। होर्सेज में इन्ट्रेस्टेड है तो लेट देम बिकम होर्स ब्रीडर्स। एन्ड लेट देम डेवलप देयर ओन ब्रीड्स। आपका डिपार्टमेन्ट होर्सेज में अनसिम्पेथेटिक है और कुछ नहीं करना चाहता है लेकिन मैं कहूंगा देट यू मस्ट अवेकन टू दी नेसेसिटी आफ टाइम आफ ब्रीडिंग होर्सेज इन राजस्थान।

आपको अनापशनाप होस्पिटल्स, सब सेन्टर्स खोलने के बनिस्पत मेडीसिन्स प्रोवाइड करना चाहिये। लोकल कन्डीशन्स को सूट करने वाली मेडीसिन्स सप्लाई करना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय, आप से याचना नहीं करता हूं, आप से भीख भी नहीं मांगता हूं, किन्तु मैं आप से मांग करता हूं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका यह नैतिक कर्तव्य है आपको इसमें सुधार करना चाहिये वरना आपको स्तीफा देकर हट जाना चाहिये। यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान की जनता को समय पर पानी न मिले, समय पर बिजली न मिले समय पर खाद न मिले, समय पर बीज न मिले, समय पर पेस्टिसाइड्स न मिले और आप किस मुंह से लेवी मांगते हैं ? आप पहले उनको ये चीजें उपलब्ध करायें। आपने लेवी लेने के लिये जितना पैसा बरबाद कर दिया यदि किसान को सबसिडाइज्ड रेट देते तो आपके टारगेट फुलफिल होते। यह मैंने आपको लिखित में कम्पलेन्ट की है। पाली जिले में मारकेट वेल्यू और गवर्नमेंट रेट का मार्जिन लोगों से वसूल किया गया और यह सब इसलिये किया जाता है क्योंकि हम लोग खेती करते हैं, गांवों में रहते हैं, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, क्योंकि हम साधनहीन हैं, संगठन नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस सरकार से मोर्चा लेकर इसे बदल नहीं सकते। अगर मैं राज्य कर्मचारी होता और अगर कोई राज्य अधिकारी होता तो एक एसोसियेशन फोर्म करता और इसके लिये मोर्चा लेता। पर किसान आज गरीब साधनहीन और उसमें भी राजस्थान का किसान जो किसी प्रकार का एजीटेशन नहीं कर सकता,

(श्री सज्जनसिंह)

न कभी इस पोजीशन में आया, न आवेगा भविष्य में भी उसकी असफलताओं का, उसकी दुर्बलताओं का और उसकी लाचारियों का फायदा उठाकर अगर उसे इसी तरह से परेशान किया जाता रहेगा तो आगे उसके परिणाम के लिये भी आपको तैयार हो जाना चाहिये। मैं केवल इतनी चेतावनी आपको देना चाहता हूं। इससे अधिक, सभापति महोदय, वैसे मुझे निवेदन तो और भी करना था, पर समयाभाव के कारण, न कह कर आपको धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : सभापति महोदय, मैंने कृषि और पशु पालन पर कटौती प्रस्ताव रक्खे हैं। इनके माध्यम से मैं मेरे जिले की कुछ समस्याओं की ओर कृषि मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें 80।85 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते है। आज तक हम चार योजनाओं से गुजर चुके और पांचवीं योजना में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जितनी अपेक्षा की जाती थी उसके अनुरूप हम खेती के क्षेत्र में प्रगति नही कर पाये। न पशु पालन में ही आगे बढ़ पाये हैं।

इसके कई कारण हैं जिनसे आज खाद्यान्न की भयंकर समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। हमें इन सारी योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता देकर चलना चाहिये था लेकिन हमने दूसरी चीजों के औद्योगीकरण की तरफ ही अधिक ध्यान दिया। इधर ध्यान नहीं दिया। इस दिशा में हमने उपेक्षा बरती इस वजह से आज हमारी दशा यह हो गई है कि जिस देश की अधिसंख्या जनता पहले से कृषि पर निर्भर रहती आई है वह आज खाद्य अभाव की स्थिति में फंस गयी है। आज भी हमें दूसरे मुल्कों से अन्न जैसी वस्तु भी आयात करनी पड रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज हमारी अदूरदर्शी, अकुशल और भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन का फल है। आज भी हम नहीं सोच रहे हैं कि कृषि पर ही हमारा आर्थिक ढांचा निर्भर करता है। अगर इस दिशा में हम अधिक धन नहीं लगावेंगे, इस दिशा में अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करेंगे तो जिन योजनाओं के माध्यम से हम गरीब लोगों को और इस देश को ऊपर उठाना चाहते हैं वह नहीं उठा पावेंगे।

आज खेती की यह हालत है कि समय पर किसान को बीज नहीं मिलता, सीमेन्ट नहीं मिलता कुआ बनने के लिये, सीमेन्ट मिल गयी और कुआ बन गया किसी तरह से तो बिजली नहीं मिलती और अगर नहर है तो पानी नहीं मिलता। अगर इसके बाद भी किसी तरह से किसान हिम्मत और मेहनत करके खड़ा हो जाता है और फसल खड़ी कर लेता है तो संयोग से अगर उसमें कीड़ा लग गया है और कोई बीमारी लग गई है तो उसको दूर करने के लिये समय पर किसी तरह की दवाइयां नहीं मिल पाती।

इस पर एक बात और है। जिन विभागों से आज किसान का भाग्य बांध दिया गया है। उन विभागों में एक दूसरे

(श्री नारायणसिंह)

का कोग्रार्डिनेशन नहीं है। बिजली विभाग में ग्रौर एग्रीकल्चर विभाग में कोग्रार्डिनेशन नहीं, सिंचाई विभाग में ग्रौर दूसरे विभागों में कोग्रार्डिनेशन नहीं। ये सभी ग्रपनी ग्रपनी ढपली ग्रपने ग्रपने ही ढंग से ग्रलग ग्रलग बजाते रहते हैं ग्रौर इसका नजला उतरता है बेचारे गरीब किसान पर उसकी खेती पर। ग्रगर समय रहते सरकार इस ग्रोर से सावधान नहीं हुई ग्रौर इन विभागों में परस्पर में तालमेल नहीं रक्खा गया जो कि किसान ग्रौर खेती की उन्नति के हक में निहायत ग्रावश्यक है तो जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वह कदापि प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह निश्चित है।

ग्राज हमने पंचायत समितियों के माध्यम से कृषि की उन्नति की बात सोची पर पंचायत समितियों की हालत यह है कि वहां का एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ग्राफिसर का काम सिर्फ दफ्तरी काम काज करना मात्र रह गया है। मुख्य धन्धा छोड़ दिया गया है। उसका काम प्राइमरी स्कूल के टीचरों को तनखा देने का रह गया है या कर्मचारियों के टी. ए. डी. ए. पास करना या मैडिकल बिल पास करना रह गया है। ग्राम सेवक ग्राज निष्क्रिय पड़े हैं। ग्राज पंचायत समिति के सामने इसके ग्रलावा कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। उस ग्रधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता चाहे वह कृषि प्रसार के ग्रपने लक्ष्य को ग्रचीव करे या न करे। इस स्थिति में हम यह उम्मीद करें कि कृषि का उत्पादन बढ़ेगा यह किसी हालत में नहीं बढ़ सकता।

मैं निवेदन करूं कि डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी में जो टारगेट तै होते हैं वे सारे के सारे हैड ग्राफ दी डिपार्टमेन्ट से भेजे जाते हैं। कमेटी से यह ग्रपेक्षा की जाती है कि वह बिना सोचे विचारे उनको वैसे ही पास कर दे चाहे वह उसे ग्रचीव कर पावेगी या नहीं। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ग्राफिसर भी यही चाहता है कि यह बात प्रोसीडिंग्स में लिख ली जाय। ग्रचीव करना नहीं करना उसकी चिन्ता नहीं है। इस तरह की जहां हालत हो वहां प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है।

इसके विस्तार में ग्रधिक न जाकर मैं ग्रपने जिले के कुछ इससे सम्बन्धित मुद्दों का ही उल्लेख करूंगा।

जैसा ग्रभी पाली से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिस तरह से कृषि विभाग इस विभाग को चला रहा है ग्रौर जो उसकी हालत है उससे निराशा ही होती है वह ठीक ही है। यही हालत मेरे जिले में है। पलसाना ग्रौर श्री माधोपुर में कृषि फार्म है। पलसाना की मुझे मालूम है। वहां इस फार्म में लगभग तीन लाख रुपया खर्च किया कृषि विभाग ने। वहां ग्रच्छे ग्रच्छे मकान बने। गोदाम बने। तीन कुए बने। उन तीन कुग्रों पर इन्जन लगे। मेरा ग्रनुमान है इस सब पर तीन लाख से ग्रधिक ही खर्च हुग्रा होगा, वहां के स्टाफ की ग्रौर ग्रफसरों की तनखा का खर्चा ग्रलग है। इस फार्म के लिये ग्रासपास के ग्रौर वहां के गरीब काश्तकारों से 350 एकड़ जमीन लेकर उनको बेरोजगार कर दिया। वहां ग्रधिक ग्रन्न उपजाग्रो का ग्रपना करिश्मा दिखाने के लिये यह सब किया गया। कहा गया

(श्री नारायण सिंह):
कि इसके माध्यम से वहां के आस पास के किसानों को खेती के वैज्ञानिक साधनों की जानकारी दी जावेगी। टैकनिकल ज्ञान वाले जो लोग वहां हैं उनके द्वारा कृषकों को अधिक उत्पादन के तरीके बताये जावेंगे। खेद के साथ कहना पड़ता है सभापति महोदय, कि तीन साल तक निरन्तर घाटे में चलने के बाद चार साल से आज वह फार्म बन्द पड़ा है। एक दिन वहां के टैकनिशियनों ने आसपास के किसानों के पास जाकर कृषि उन्नति का एक भी तरीका नहीं बताया। यह तरीका अवश्य बताया कि इतना पैसा लगाने के बाद भी और इतने गरीब किसानों की जमीन हड़प कर किस तरह से उस फार्म को घाटे में चलाकर बन्द किया जाता है। यह जरूर बता दिया। पैसा किस तरह से बरबाद किया जाता है इसकी ट्रेनिंग अवश्य उन्होंने दे दी। उन मकानों की हालत आज भूतखानों जैसी हो गई है। लाखों रुपयों की मशीनें पड़ी जंग खा रही हैं। बरसात धूप में सड़ रही हैं। कोई कुछ पूछने वाला है न ताछने वाला है। कोई उस पर आंसू बहाने वाला भी नहीं है।

इस पर तुर्रा यह कि इन सब की देखभाल के नाम पर निरन्तर आठ साल से वे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफीसर वहीं विराजमान हैं। कई बार सरकार से कहा गया। उनकी शिकायत की गई। कहा गया कि ये एक नम्बर के भ्रष्ट अधिकारी हैं। इनको यहां से उठा लो। पर वे हैं कि अंगद की पूंछ की तरह वहीं डटे हैं। एकाध बार किसी तरह से उनका ट्रान्सफर भी कर दिया गया था पर फिर घूम धाम कर या ट्रान्सफर कैंसिल कराकर किसानों की छाती पर मूंग दलने के लिये उनको परेशान करने के लिये वहीं बैठे हुए हैं। गरीब किसान की कोई सुनने वाला नहीं है।

अब तक कभी भी खाद किसान को देने के नाम पर जो वहां आया वह खाद किसी काश्तकार को एक टका का भी सरकार की निश्चित रेट पर नहीं दिया। या तो उस को सारे को ब्लैक में बेच दिया या ऊंची रेट पर किसान को दिया गया। ये इसी झुंझनू जिले के ही अधिकारी नहीं हैं, सीकर के भी हैं। मौका हाथ लगा तो किसी प्राइवेट वाले को ब्लैक में बेच दिया या दूसरे जिले में लेजाकर बेच दिया ऊंचे दामों पर। काश्तकार को ठीक रेट पर एक को भी नहीं दिया। कलेक्टर ने इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लिखा। पर आज तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे भ्रष्ट तन्त्र में कृषि की उन्नति होगी यह कसे उम्मीद की जा सकती है। इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी से उम्मीद करें कि वे इन काश्तकारों को टैक्नीकल एडवाइस देंगे समय पर और चीजें उनकी जरूरत की दे सकेंगे यह कैसे सम्भव हो सकता है। इस तरह की हालत वहां है।

तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की हालत को जबतक आप नहीं बदलेंगे तब तक उत्पादन बढने की आशा नहीं करें। अगर यह सोचेंगे कि इस ढांचे को जसे चल रहा है चलते रहने दो तो कुछ होने जाने वाला नहीं है।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमारे

(श्री नारायणसिंह)

यहां पिछले साल अकाल के समय कुछ कुएं बने थे। यह काम बड़ा सराहनीय रहा। जो सड़कों पर हमेशा मिट्टी डाल दी जाती थी उसकी अपेक्षा यह अच्छा काम किया गया। इससे थोड़ा बहुत उत्पादन बढ़ेगा यह हम सब मानते हैं। लेकिन आज सीकर जिले की जो हालत है।

उसमें यह मानकर चलें कि कुआ बनाने के बाद ही यह आंक लें उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ रहा है और नाप तौल से यह कहें तो वह हमारी भूल है। आज बड़ी परेशानी है। जिन काश्तकारों ने इंजिन लगा लिये हैं वह सभापति महोदय, इंजिन बन्दकर दिये हैं और लोगों की इतनी दशा खराब हो गई है, पहले तो उनको क्रूड आइल नहीं मिला और बाद में शीत लहर से फसल खराब हो गई और जो बचा था क्रूड आइल के अभाव में वह भी रहा सहा नष्ट हो गया। कैसे अगले साल निकाल सकेंगे। सीकर में लगातार तीन साल अकाल पड़ने के कारण काफी परेशानी काश्तकारों में हो गई है। वर्षा हुई तो अधिक हो गई जिससे खरीफ की फसल नहीं हो सकी और सारे जिले में अकाल की भयंकर स्थिति है। फिर काश्तकारों ने उम्मीद लगाई कि रबी की फसल अच्छी ले सकेंगे और रबी की फसल शीत लहर से 60 प्रतिशत जलकर नष्ट हो गई। 40 प्रतिशत बची जो तेल और क्रूड आइल मिलना चाहिये थे वह नहीं मिला इसलिये लोगों की हालत खराब हो गई।

मैं कुछ दिन पहले सब डिविजनल आफीसर के साथ दौरे पर गया तो कुछ काश्तकार इस हालत में थे, मैंने आंखों से देखा कुये की दीवार के पास बैठे रो रहे थे और कह रहे थे एक साल किस तरह निकल सकेगा। उसके बावजूद भी लेवी का जो कार्यक्रम है, वसूल करने का उनकी इच्छा थी कि लेवी भी अल्टीमेटली अच्छी है कि आज जितना होता है, वह निश्चित रूप से थोड़ा सा हिस्सा दें ताकि संकट में कुछ मिल सकता है, ऐसी उन लोगों की धारणा थी। हमने जिलाधीश महोदय को कहा है उस जिले में कार्यक्रम पहले रखें जहां कुछ फसल हुई है। जहां दाना नहीं हुआ है वहां नहीं रखे। जहां पैसा वसूल करने गये तो किसानों ने स्पष्ट कह दिया यह मेरा घर है, यह मेरा खेत है इसमें अनाज मिले तो आप ले लीजिये, मुझे ऐतराज नहीं है और उसके बाद विवश करेंगे तो जो बाजार से मिलता है, वह ले लीजिये। यदि किसी की हालत ऐसी थी अनाज नहीं होते हुए भी डिफरेन्स के पैसे दिये।

काश्तकार यह चाहता है मैं जितना पैदा करूं किसी कीमत पर वह अपने पास नहीं रख सकता है। काश्तकार की हालत आज यह नहीं है स्टाक रख सके। आज उसको बिजली में पैसे देने की जरूरत पड़ती है, क्रूड आइल में पैसे देने की जरूरत होती है, खाद में पैसे देने की जरूरत होती है बीज में पैसा देने की जरूरत होती है...

श्री राम गोपाल : सभापति महोदय कोरम नहीं है।

(गण पूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात)

श्री नारायण सिंह : इसलिये सभापति महोदय, वह रोक नहीं सकता है। सभापति

(श्री नारायणसिंह)]

महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि खाद की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको हल करने के लिये गवर्नमेंट ने 2–3 जगह खाद कारखाने बनाने की चर्चा राज्यपाल महोदय के भाषण में भी की है लेकिन स्पष्ट नहीं किया है। एक खाद कारखाने की चर्चा की है कि वह कोटा के अन्दर होगा लेकिन हमारे यहां सलेलीपुरा में लगातार 3–4 साल से बात चल रही है। आखिर में सीकर में खाद कारखाना लगेगा या नहीं, यह तो कम से कम बता दें। हमारे यहाँ के लोग बड़े इच्छुक हैं। प्रकृति ने हमें पाइराइट भी दी है और किसी भी आधार पर दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। झामरकोटड़ा का राक-फास्फेट और केवल उसके कारण चित्तोड में लगे तो मैं यह सोचता हूं हमारे जिले के साथ जो पिछड़ा हुआ भी है, न्याय नहीं कर रहे हैं और हमारे जिले के आस पास गंगानगर चूरू, झूंझुनूं और हरियाणा में भी जा सकता है इसलिये खाद की समस्या हल करने के लिये वह सलेलीपुरा में लगना चाहिये ताकि उत्पादन बढ़ सके और बेरोजगार मजदूर हैं, उनको मजदूरी मिल सके।

इसके साथ मैं थोडा सा निवेदन करना चाहता हूं सिवाय कुओं के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है न तो कोई बान्ध हैं, बहुत छोटे छोटे एक आध बान्ध हैं नीम के थाने क्षेत्र में। मुझे जानकारी मिली है गंगा का पानी लाने के लिये कोई सर्वे हो रहा है और उसके लिये झूंझुनूं का सर्वे किया जा रहा है। यदि यह सही है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा हमारे सीकर का जो पश्चिमी हिस्सा है–लक्ष्मणगढ़, फतेहगढ़, रामगढ़ उसको भी उसके अन्दर लिया जाना चाहिये और उसका भी सर्वे कराया जाना चाहिये ताकि जो रेतीला इलाका है उसमें उस योजना से लाभ हो सके। मैं ज्यादा समय न लेकर मेरे जिले की समस्याओं के सम्बन्ध में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री भोपाल सिंह।

श्री भोपाल सिंह (जैसलमेर): सभापति महोदय, मैं भी पशु पालन के सम्बन्ध में खास तौर से जैसलमेर जिले के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जसलमेर जिला वैसे राजस्थान का बहुत बडा जिला होने के साथ 2 बहुत ही पिछड़ा हुआ आर्थिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से है। आजादी के बाद जबसे पाँचों योजनायें शुरू हुई तो वहां की जो प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, उस पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। पहली, दूसरी तीसरी योजनाओं में तो सरकार ने इस संबंध में कुछ सोचा ही नहीं केवल चौथी योजना में इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया और केवल 1.3 आफ दी आऊट ले जो सबसे कम है इसमें लगाया। वैसे कागजों में बहुत सारे कार्यक्रम है, विशेषज्ञों के दिमाग में भी है। मैं जानना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में वे पहुंचेंगे भी कि नहीं। वहां पर पशु पालन का बहुत विकास हो सकता है। जलवायु व सब चीजें उनके लिये मुफीद हैं। सबसे पहले तो जमीन चाहिये, वह उपलब्ध है। वहाँ पर चरागाह का विकास किया

(श्री भोपालसिंह)

जा सकता है और बहुत अच्छी गायों की नस्ल थारपारकर, वह वहां मौजूद है जो milk यील्ड के लिये भी बहुत अच्छी है और जुताई के लिये भी बहुत अच्छी है। अलावा इसके वहां पर पानी बरसात से इतना तो हो जाता है कि घास पैदा हो जाय और उसके अलावा भू-तल जल बहुत बड़ी मात्रा में है, जो लाटीसीरीज के नाम से प्रसिद्ध है और जो सेवण नाम की घास है वह बहुत मात्रा में है। इस कारण डेयरी का विकास हो सकता है। इस गतिविधि में मान लिया जाय कि जो सरकार के सामने कार्यक्रम है उसमें बहुत उन्नति हो सकती है। अभी जो डेरी का निर्माण जोधपुर म किया जा रहा है और मार्केटिंग ग्रिड के जरिये मिल्क का प्लानिंग है उसके लिए जैसलमेर म भी चिलिंग प्लान्ट की बात की जा रही है लेकिन जो चिलिंग प्लान्ट है उसके चारों ओर जितना भी मिल्क साइड एरिया है वहां से प्रक्योर करने की एजेन्सी के बारे म कुछ नहीं सोचा जा रहा है उसमें ऐसे संकेत जरूर है कि अमुल की लाइन पर को-आपरेटिव के जरिये ले जाया जायगा लेकिन इस साल अच्छी बरसात के कारण बहुत भारी मात्रा में दूध उपलब्ध होने की आशा की जा रही है क्योंकि पिछली साल जितनी गायें थीं वह ड्राई थीं अकाल की वजह से और इस साल अच्छी बरसात होने से वह सारी की सारी मिल्क काऊ हो जायेंगी और यह अच्छी शुरुआत का समय है और यदि प्रक्योरमेन्ट की एजेन्सी का ठीक तरह से काम नहीं किया तो सफलता मिलने की गुंजाइश नहीं भी हो सकती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि प्रक्योरमेन्ट एजेन्सी के बारे में तुरन्त कदम उठाकर अगस्त के महिने तक कोई न कोई मशीनरी दूध इकट्ठा करने के लिए तैयार रखी जायेगी।

इसके अलावा मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो, अभी चरागाह मौजूद हैं वह बहुत ही छोटी मात्रा में हैं। वह आगे चलके जैसी कि अभी भूमि के अलाटमेंट की नीति है वह चरागाह बने रहने वाले नहीं हैं किसी भी जिले में सिवाय बीकानेर के। मैं समझता हूं कि गायों के चरागाहों को डवलप करने के लिए साइन्टिफिक आधार पर कोई जमीन अवेलेबल नहीं है और जिनके पास है वह देने के लिए तैयार नहीं है। बाड़मेर जो हमारा पडौसी जिला है उसमें भी डवलपमेंट के लिए चरागाह या पाश्चर लैण्ड मैनेजमेन्ट के लिए जमीन चाहिए तो कोई भी व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं है। आज जो पालिसी है वह यह है कि एग्रीकल्चर परपज के लिए हर आदमी चाहता है कि वहां जमीन अलाट होती जाये यह फैशन बन गया है। हालांकि वहां की जमीन एग्रीकल्चर परपज के लिए बिलकुल भी मुफीद नहीं है क्योंकि वहां पर काफी कम मात्रा में बरसात होती है और फसल दस साल में एक साल होती है और बाकी सिर्फ घास होती है। लेकिन जब भूमि एग्रीकल्चर परपज के लिए अलाट कर दी जाती है तो वह हर बार प्लो की जाती है तो जो घास होती है वह भी नहीं हो पाती है और जो वेजीटेबिल कवर है वह हट जाता है और किसान का मनी और एफर्ट्स दोनों वेस्ट होते हैं। तो इस तरह विण्ड इरोजन के जरिए रेगिस्तान का बहुत बड़ा फैलाव होता

(श्री भोपाल सिंह)

है। इसलिए लैण्ड यूज केपैसिटी के आधार पर भूमि का सर्वे करा कर जहां पानी इकट्ठा होता है को छोड़कर दूसरी जमीनों के लिए स्टेचुटरी प्रावीजन के जरिये वहां पर एग्रीकल्चर परपज के लिए अलाटमेन्ट की मनाही कर देनी चाहिए और घास के उगाव के लिए यह अलाट करना चाहिए।

जहां तक गायों के क्रास ब्रीडिंग का सवाल है जैसे मेरे जिले की हालत है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है और हमारे यहां ग्रीन फोडर की बहुत कमी है इसको देखते हुए मैं समझता हूं कि वहां पर जो ब्रीड है वही रहनी चाहिए। अभी जो हमारी थारपारकर ब्रीड है उससे भी जो गायें, क्रास करके वहां रखी जायें तो उसका मुकाबला कर पायेंगी उससे संकरन द्वारा ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन यह विशेषज्ञों के लिए है कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो कठिन हालात हैं उनको देखते हुए जो थारपारकर ब्रीड है उसकी हालत में और चरागाह की हालत में सुधार होना चाहिए। एग्मेटिक ब्रीड रखी गयी तो उसकी रेसिस्टेन्स पावर कम होने से गर्मी में वह नहीं निभ पायेगी इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत है।

जहां तक भेड़ों का सवाल है वहां बहुत विकास हो सकता है। जैसलमेर की भेड़ राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में सर्वोपरि है और उत्तम है। ब्रीड के ईल्ड के हिसाब से, क्वालिटी आफ दी वूल के हिसाब से और वेट के हिसाब से। जहां हिन्दुस्तान की ऊन का यील्ड है वह 800 ग्राम प्रति भेड का है और राजस्थान का 1.2 किलोग्राम जैसलमेर का 2.5 किलोग्राम प्रति भेड है। इसको देखते हुए उसके अन्दर भी सुधार होना चाहिए। अभी जो डी.पी.ए.पी. के तहत कई दिनों से विचार है चरागाह को रिजर्व एरिया करने की बात है वह होनी चाहिए। रामगढ़ के पास 20 हजार एकड़ जमीन के अन्दर जिसकी केरिंग कैपेसिटी 20 हजार भेड़ों की है उसको डवलप करने की है। वहां पर आप क्रास ब्रीडिंग की फैसेलेटी रखें और वेटरनरी सर्विस देकर शेयरिंग वगैरह का सुधार करके उस जगह को आइडल जगह के तौर पर विकास किया जा सकता है और उसको सफल बनाया जाये तो उसको वहां पर 100 दफा रिपीट किया जा सकता है और वहां से प्राप्त जानकारी का फायदा उठाकर बहुत बड़ी सेन्चुरी भेड़ के संबंधी बनाई जा सकती है और उसका लाभ भविष्य में सतत रूप से हो सकता है। उसकी भेड़ क्वालिटी में सुधार किया जा सकता है। इस तरह से उस सबंध में भी कार्यवाही करने की और जल्दी कदम उठाने की जरूरत है। वहां पर अभी सभी मौजूदा हालात फेवरेबल हैं, घास है, पानी की मात्रा बहुत है। तो इस संबंध में भी जल्दी ही कदम सरकार को उठाने चाहिए।

इसके अलावा जितना भी ऊन है वह बाहर जाता है ग्रेडिंग और मटन की फैक्टरी भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां हैं इनको ध्यान में रख कर जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाये और जो गरीब है उसको मिटाया जाये।

श्री रामगोपाल (किशनगंज): माननीय सभापति जी, आज कृषि और पशुपालन

(श्री राम गोपाल)

की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के ऊपर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि कृषि के जगत में अपना अनोखा स्थान रखता है। माननीय सभापति जी हाड़ौती क्षेत्र में हमारे तीन जिले आते हैं। उसमें से एक झालावाड़ जिले के माननीय सदस्य ने कृषि के सम्बन्ध में जो समस्यायें थीं वह उन्होंने सदन के समक्ष रखीं और पशु पालन के सम्बन्ध में जो समस्याएं थी वे भी उन्होंने रखी। माननीय सभापति जी मैं कोटा और बूंदी दोनों जिलों की जो समस्यायें हैं उनके सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा।

कोटा और बूंदी के बीच में होकर चम्बल नदी जो हमारे राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह बहती है और एक वरदान स्वरूप हमारे लिए साबित हुई है। माननीय सभापति जी, उस हाड़ौती क्षेत्र के बारे में एक कहावत भी है:

"कोटा बूंदी कब अण जाणीं,
चम्बल प्यावे अमृत पाणी"

मैं यह लाइन कह कर माननीय सभापति जी, मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापतिजी, हाडौती में कोटा उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र हैं। उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां पर इतनी उपज होती हो कि हमारे राजस्थान में शायद ही कोई दूसरे इलाके में इसके मुकाबले में कोई करता हो। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा की जाती रही है क्योंकि अगर उपेक्षा नहीं की जाती तो कृषि की प्रगति जो है वहां की एक प्राकृतिक स्वरूप में वहां पर हो रही है चावल की वजह से। इतना गेहूं या और कोई अन्य प्रकार की किस्म का अन्न पैदा होता है वह अपने आप ही होता हुआ चला जा रहा है। मैं मंत्रीजी से इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा के अन्दर एक एग्रीकल्चर कालेज की स्थापना की जावे। एग्रीकल्चर कालेज की स्थापना से उस क्षेत्र में माननीय मंत्री जी इतना लाभ होगा कि वहां के किसानों के बच्चे खेती के सम्बन्ध में जो शिक्षा देनी चाहिए, उनको वह प्राप्त करके और व्यावहारिक रूप में वह शिक्षा प्राप्त करके अपने खेतों पर काश्तकारी करेंगे और काश्तकारी करके ज्यादा अन्न पैदा कर सकेंगे और देश की अन्न की समस्या की पूर्ति में योगदान देंगे। जो देश के सामने बेकारी समस्या बनी हुई है, कालेजों से पढ़ पढ़ कर निकलते हैं और हमारे सामने नौकरी के लिए आते हैं। मैं कहता हूं कि कृषि कालेज की स्थापना करेंगे तो आपके सामने जो समस्या आती है, उस समस्या में कमी होगी और समस्या दूर होगी।

दूसरा मैं कृषि मंडियों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कैलवाड़ा ऐसा स्थान है जिसके आस पास काफी सिंचाई का क्षेत्र लगा हुआ है, वहां पर चावल की पैदावार होती है, गेहूं पैदा होता है

(श्री राम गोपाल)
और भी दूसरी किस्म के अन्न भी काफी मात्रा में पैदा होते हैं किन्तु मण्डी केवल एक है जो बारां मण्डी के नाम से जानी जाती है और उसके बीच में एक नदी पड़ती है जिसकी वजह से वहां पहुंचने में असुविधा होती है। उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो वहां से यहां अन्न लाता है तो काश्तकार को उसको भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि कैलवाड़ा के अन्दर एक मण्डी की स्थापना की जावे।

कोटा जिले के अन्दर छीपाबड़ौद, छबड़ा और कवाई तीन स्थान ऐसे हैं जहां मंडियों की कमी है जिससे काश्तकारों को असुविधा का सामना करना पड़ता है इसलिए यहां पर मंडियां खोली जावें।

तीसरी जो काश्तकारों के सामने समस्या आती है वह बैंकों से ऋण प्राप्त करने की है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी हैं इन बैंकों के अन्दर बैठे हुए वह काश्तकारों की इस समस्या को सुलझाने के अन्दर योगदान नहीं देते हैं और इस प्रकार की लोन अप्लीकेशन में जो आते हैं उसमें और ज्यादा कोम्पलीकेशन पैदा करते जाते हैं किन्तु उनकी समस्या को सुलझाने के रूप में या ऋण देने के रूप में योग नहीं देते। इसलिए इस प्रकार के कृषि विभाग को इंस्ट्रक्शन्स जारी करने चाहिए ताकि किसानों को जल्दी से जल्दी जो लोन की अप्लीकेशन है उसका डिस्पोजल होकर लोन मिल सके ताकि कृषि प्रगति के अन्दर योगदान हो सके।

चौथी समस्या जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वह समस्या यह है माननीय मंत्रीजी कि खेती के बारे में जो चीजें खास सम्बन्ध रखती हैं वह सिंचाई है खाद है, बीज है और कृषि यंत्र एवं विद्युत है। मैं सबसे पहले सभापतिजी, मंत्रीजी का ध्यान इस खाद की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जो खाद के बारे में समस्या आई है वह सभी क्षेत्रों की समस्या है और मेरे पूर्व जितने माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने इस खाद की समस्या के बारे में काफी मात्रा में प्रकाश डाला है। मैं भी आपके सामने कोटा डिविजन की खाद की समस्या के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे कोटा डिविजन में खाद का कारखाना है लेकिन खाद की ही वहां पर हमारे सामने समस्या आ रही है। जैसे वह एक कहावत है कि 'घर का पूत कंवारों डोले और पड़ोसी का फेरा" कोटा डिविजन में वहां के काश्तकारों को तो खाद उपलब्ध नहीं होती और वह बाहर निकल जाती है। समस्या यहां तक है कि उसकी जो कीमत 50–60 रुपये के बीच में है उसी का 130 रुपया एक कट्टा का देने पर काश्तकारों को खाद उपलब्ध हुई। यह खाद काश्तकारों को उपलब्ध नहीं होगी तो निश्चित रूप से अन्न की उपज में फर्क पड़ेगा। यही स्थिति यूरिया खाद के बारे में है।

दूसरी बात है सिंचाई की। मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस पर काफी प्रकाश डाला है कि सिंचाई का खेती

(श्री राम गोपाल)

से क्या सम्बन्ध है। जहां काश्तकार को सिंचाई व्यवस्था में उनको सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और समय पर उनको पानी फसल के लिए नहीं मिल पाया तो निश्चित रूप से अन्न की उपज में फर्क पड़ेगा। हमारे सामने बीज की समस्या है, वह किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है और जो मिल पाता है तो उसको बोने की जो तरकीब है, हमारे कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं यानि एग्रीकल्चर आफिसर और ग्राम सेवक हैं, वे सही ढंग से नहीं बता पाते हैं और हमारे काश्तकारों को इन बीजों को कब बोना चाहिए, कौन से समय बोना चाहिए, कौन सी मिट्टी में बोना चाहिए, कौन कौन सी खाद और कौन कौन सी दूसरी चीजें मांगते हैं वह नहीं बता पाते हैं और आखिरकार वे योजनाएं फेल हो जाती हैं। इसके बारे में व्यवस्था होनी चाहिए कि बीज जो काश्तकारों को दिया जाय वह सही ढंग से उपलब्ध होना चाहिए और उन्हें उसके बोने के समय के बारे में समय बता दिया जावे ताकि कृषि उपज में योगदान हो सके। कृषि यंत्रों के बारे में भी निवेदन करूं कि जितने भी किसान हैं गांवों में वे सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रचूर मात्रा में उनका प्रचार नही है और कृषि विभाग की तरफ से काश्तकारों को एक्सपेरीमेंट करके बताया नही जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में बताए गए तो भी बहुत थोड़े काश्तकार उपयोग करते हैं। यह भी हमारे सामने समस्या है। अगर इसका प्रचार प्रसार हो तो हमारी कृषि में फायदा होगा।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान एक हमारे समक्ष, किसानों के सामने जो समस्या इस साल आई है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वह है डीजल की। डीजल समय पर उपलब्ध नहीं होने से सिंचाई के जो इंजन थे वे बन्द हो गए, ट्रेक्टर बन्द हो गए जिससे किसानों को समय पर जो खेतों को बोना चाहिए था वे नहीं बो सके डीजल नहीं मिलने से, सिंचाई समय पर नहीं होने से भी इस साल फसल में काफी फर्क पड़ा है। तो कृषि मंत्रीजी आप यह जो डीजल की जो समस्या है, हमारे हाडोती क्षेत्र में है और पूरे राजस्थान में यह समस्या हुई है, इसको दूर करने की आप व्यवस्था फरमावें।

आगे बताऊं मैं आपको पंचायत समिति में जो उनके कर्मचारियों के बारे में जिनमें आते हैं आपके एग्रीकल्चर आफिसर और ग्राम सेवक। एग्रीकल्चर आफिसर्स और ग्राम सेवकों के बारे में मेरे पूर्व वक्तागण काफी प्रकाश डाल चुके हैं, किन्तु मैं इसके बारे में एक प्रमाणीकरण देना चाहूँगा आपके समक्ष। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि 14 इंच मोरी की पेंट पहनने वाले लोग काश्तकारी नही जान सकते। यह बिल्कुल सही बात है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत समिति क्षेत्र में एग्रीकल्चर आफिसर को कृषि यंत्र को बैठाना पड़ा तो कृषि यंत्र के ऊपर का छेद था और उसमें स्कूल लगाना था और नीचे भी छेद था तो उसको पता ही नही था कि छेद कितना बड़ा है और कैसे लगाना है। इस प्रकार उनको कृषि यंत्रों के

(श्री राम गोपाल)

बारे में जानकारी ही नहीं है और ट्रेनिंग करके आ बैठे। ट्रेनिंग दे करके, सरकार इतना खर्चा करके उनको गांवों में भेजती है कि हमारी खेती में प्रगति हो। प्रगति तो नहीं होती उल्टे किसानों का विश्वास उठ जाता है। ग्राम सेवकों का भी यही हाल है। पन्द्रह 2 दिन और महीने 2] उनका गांवों को दर्शन नहीं होता और घर बैठे 2 डायरियां भर लेते हैं। अगर जाते भी हैं तो उनको यह पता नहीं रहता कि किस बीमारी के लिए कौन सी दवा डाली जाय। इस प्रकार के आपके ग्राम सेवक मौजूद हैं, अगर कोई ग्राम सेवक प्रयोग करता भी है तो उससे किसान इतने चमके हुए हैं कि वे डरते हैं। इसी तरह से खाद और बीज का प्रश्न आया। किसानों से खाद बीज की वसूली की जाती है नाजायज तरीके से। जो खाद बीज का वितरण ग्राम सेवक से करवाते हैं तो वह वितरण ठीक से करता नहीं है, यहां तक कि कोई सरपंच भी बिना लिखा पढ़ा है तो उसका अंगूठा टिकवा दिया कि उन्होंने वितरण कर दिया और झूठे ही किसानों के नाम मांड लिए और आज की तारीख में चार गुनी वसूली के आर्डर जा रहे हैं और इससे काश्तकार इतने भयभीत हैं कि ग्रामसेवक जो बीज लाता है, जो नये उपकरण बतलाता है उसको भी वे फ्रोड मानते हैं और वह सोचते हैं कि इस प्रकार अन्ध विश्वास में डालता है और गलत रास्ता दिखाता है। इस प्रकार से जो किसानों का विश्वास उठ गया है इसके बारे में सोचना पडेगा कि काश्तकारों पर हमारा विभाग जो खर्चा कर रहा है उसका सही उपयोग खेती के अन्दर किस प्रकार से किया जावे।

आगे मैं बताऊंगा माननीय मंत्रीजी, खेती के बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूं। खेती की एक फसल और है जिसके बारे में माननीय सदस्यों में से किसी ने भी प्रकाश नहीं डाला होगा। माननीय मंत्रीजी यह खेती है अफीम की। हमारे राजस्थान के अन्दर अफीम की खेती भी होती है और वह अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों में होता है। इसके बारे में न तो हमारे एग्रीकल्चर विभाग के लोग जानते हैं कि कैसे होता है। किसान अपने तरीकों से इसकी खेती करता है, इसकी पैदावार करता है। किसान अफीम की खेती में जो मेहनत करता है, जो खर्चा करता है सरकार की ओर से उसको कोई योगदान नहीं मिलता है। सरकार की ओर से कोई योगदान न मिलने पर भी किसान इसकी पैदावार करता है परन्तु उसके अन्दर उसका जो खर्चा होता है वही जानता है परन्तु उससे उसको जो उपलब्धि होती है उसमें और खर्चा में मामूली फर्क आता है। यह महकमा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सम्बन्धित है इसलिए सरकार उसको जितना मूल्य उसकी पैदावार का देती है वह उसको लेना पड़ता है। वह इसलिए सरकार को बहुत कम अफीम देता है। अगर हमारी सरकार इसके बारे में जानकारी लेकर और किसानों को इसकी खेती में जो खर्चा होता है, उसकी कितनी पैदावार होती है, उसका हिसाब लगाकर उसको उसका मूल्य दिया जाय जो इसका जो ब्लेक होता है वह रुक सकता है। राजस्थान सरकार को, केन्द्रीय सरकार को इसके लिए लिखना चाहिये कि किसानों को प्रति के.जी. जो मूल्य दिया जा रहा है वह बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाये और कम मूल्य मिलने के कारण ही इसका ब्लेक हो रहा है। अगर सरकार से

(श्री राम गोपाल)

उसको उचित मूल्य मिल जाए और उसके खर्चे की पूर्ति हो जाए तो यह ब्लेक रुकेगा। इसलिए मैं हमारी सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि व. केन्द्रीय सरकार से कहे कि अफीम का प्रति के.जी. मूल्य बढ़ाया जाये। अतः इसका मूल्य बढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसकी ब्लेक खतम हो जायगी। खेती के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी) मुझे पशुपालन के बारे में भी दो बातें कहनी हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने इसके लिए प्रश्न भी दिया था और इस सदन के अन्दर उसका जवाब भी आया था। पंचायत समिति शाहबाद के अन्दर, शाहबाद एक तहसील है, उसके अन्दर मवेशियों का कोई अस्पताल नहीं है। कारण अर्थाभाव का दिया ... । मैं यह मानता हूं कि अर्थाभाव के कारण यह व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। किस प्रकार के लोग वहां पर रहते हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। यह भी देखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र के अन्दर कितने बडे बडे पशु मेले लगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद की भौगोलिक स्थिति बड़ी विचित्र है। वहां पर मवेशियों का अस्पताल किशनगंज के अन्दर है जो कि हमारे यहां अन्तिम सीमा से करीब 50–60 मील की दूरी पर है। वहां के मवेशी कैसे किशन गंज जा सकेंगे। यह एक सोचनीय स्थिति है। दूसरी बात यह है कि अगर एक रात वहां पर आप रह जाएंगे तो वहां पर दस बजे सूरज आपको नजर आएगा। दस बजे सूरज आपको नजर आता है। इसलिए अगर मवेशी बीमार भी हो जाऐ तो इतनी दूर लूली, लंगडी मवेशी को कैसे लेकर पहुंचेंगे। केलवाडा तहसील शाहबाद का प्रमुख स्थान है और मवेशियों की संख्या भी वहां पर अधिक है। सीताबाडी में पशु मेला लगता है और वहां पर करीब तीन–चार लाख आदमी आते हैं काफी मात्रा में मवेशी भी आते हैं। तो आपको ऐसे स्थान पर मवेशियों के लिए एक अस्पताल की व्यवस्था अवश्य ही करनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि केलवाडा में मवेशियों का एक अस्पताल खोला जाये अगर इस साल प्रावधान न हो तो अगले साल के प्रावधान में यह रख लिया जाये। राज्य मन्त्री महोदय से पहले यह निवेदन किया था अब मैं मन्त्री महोदय को उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण स्थान है और कोटा जिले की इस तहसील के अन्दर मवेशियों का कोई अस्पताल नहीं है इसलिए आपको यह अस्पताल यहां पर खोलना चाहिये।

आपने एक डेयरी स्कीम की योजना हमारे यहां लागू की है। माननीय मन्त्री जी, यह योजना हमारे यहां के लोगों के लिए फायदेमंद है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और पौष्टिक आहार भी मिलेगा। खेती के अन्दर बैलों की उपज होगी, उसका फायदा होगा। किन्तु जो गति आज हमारे डेयरी विकास के अन्दर चल रही है वह बहुत ही धीमी है। इसका प्रमाण बताऊं। कुछ दिनों पहिले पंचायत समिति शाहबाद क्षेत्र से डेढ हजार लीटर दूध प्रति दिन उपलब्ध होता था वह आज एक हजार

(श्री राम गोपाल)

लीटर ही रह गया है और इस वक्त 800 लीटर के करीब रह गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण जो मैंने स्वयं ने अध्ययन किया है, वह यह है कि इस स्कीम के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे इसके विकास में कोई रुचि नहीं लेते हैं। जैसे एक प्रकार से सोए हुए हैं। यह ऐसा स्थान है जहां मवेशियों को चरने के लिये काफी स्थान हैं। और मारवाड तक मवेशियां भी यहां पर आती है। यहां पर जंगल का इलाका भी खूब है और मवेशिया रखी जा सकती हैं। डेयरी स्कीम के बारे में आपके कोटा जिले के जो अधिकारी हैं वे सोए हुए हैं। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डेयरी के जो आफीसर है, उनको आप इन्स्ट्रक्शन जारी करें कि इस योजना का कोटा जिले के अन्दर द्रुत गति से विकास करे और कोटा के अन्दर यदि डेयरी योजना का विकास होगा तो उससे खेती करने वालों को फायदा होगा। इसलिए डेयरी के विकास के बारे में ध्यान देकर उसको ज्यादा से ज्यादा कोटा जिले में विकास की ओर ले जाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : सभापति महोदय, आज की मांगों के अन्तर्गत कुछ कटौता प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किए हैं। विशेष कर के मैं कृषि के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। कृषि एक ऐसा विषय है जिससे राजस्थान के समस्त लोग संबंधित रहते हैं। राजस्थान की 80 प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है, उसका सीधा सम्बन्ध कृषि से है जो जनता शहरों में रहती है, उनकी नजर भी कृषि पर रहती हैं। वे यह सोचते हैं कि जो कृषि से उत्पादन होने वाला है उससे उनको सस्ता अनाज मिलने वाला है इसलिए मैं विशेषकर के इस बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के बारे में हमारा विभाग किसानों के लिए क्या कर रहा है, या क्या करना चाहिये। यह आज एक सोचने का विषय है। कृषि के लिए, विशेषकर उत्पादन बढाने के लिए आज किसानों को बीज की आवश्यकता है, रासायनिक खाद की आवश्यकता है, बीज की आवश्यकता है, क्रूड आइल की आवश्यकता और इसके बाद में कई प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता है। समय-समय पर फसलों में होने वाली बीमारियां, जो फसलों को लगती रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए सलाह मशविरे और दवाइयों की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम देखें, पिछले साल के आंकड़े देखें और इस साल के आंकड़ों को देखें तो हम निश्चित तौर पर इस बात पर पहुंचते हैं कि कृषि में कोई विशेष प्रगति नहीं है, उत्पादन विशेष नहीं है। यह सारी जो किसानों की, खेती की उपलब्धि की बात कहते हैं, वह ठीक है। 64 के अन्दर करीब 11 लाख 82 हजार हैक्टेयर में खेती की और इस साल हम कोई इसमें 4/5 लाख हैक्टेयर ही अधिक बढ़ा पाये हैं। अगर हमने क्षेत्र में अधिक खेती की है, इससे उत्पादन बढ़ा है तो इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को श्रेय नहीं जाता है क्योंकि हमारे यहां पर सिंचाई के साधन बढ़े हैं और समय पर वर्षा हो जाने के कारण कम या ज्यादा खेती होती रही है, वह और बात है।

लेकिन बीज के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि 68 के अन्दर यहां काफी मात्री

Page No 168

(श्री रामरघुनाथ)

में हाईब्रीड बीज आया व सन् 1968 के अन्दर गेहूं और बाजरे का हाईब्रीड सीड बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को दिया गया था। बहुत खुशी हुई थी लोगों को कि उसने प्रोडक्शन को एकदम चेन्ज किया था, लेकिन 69,70,71 और 72 में आप देखिये निरन्तर प्रोडक्शन दिन पर दिन गिरता गया या जहां का तहां रह गया है। उसका कारण यह है कि या तो जो हाईब्रीड सीड हमें दिया गया था उसकी उत्पादन–क्षमता उतनी नहीं थी या जिस अनुपात में भेजा जा रहा था उतने अनुपात में नहीं भेजा गया। उसके अन्दर विभाग सो गया या उसने ध्यान नहीं दिया। जो हाईब्रीड सीड था उसकी दिन पर दिन उत्पादन–क्षमता गिरती गई। इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 69 में 11370000 एकड़ में खेती हुई थी और 47 लाख 50 हजार टन नाज मिला था। उसके बाद में 70–71 में 88 लाख 38 हजार टन का उत्पादन हमें मिला, और वह भी इसलिए मिला कि 70–71 में बरसात बहुत अधिक हुई थी और लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर खेती की थी। लेकिन अगर हम इस बात को सोचें कि यह उत्पादन इसलिए बढ़ा था कि हमने कोई बहुत अच्छा बीज दे दिया हो या रासायनिक खाद दे दिया हो इससे उत्पादन बढ़ गया हो, ऐसी बात नहीं है। हम कब तक एरिया बढ़ाते रहेंगे? राजस्थान कैनाल आई नहीं जा रही है, पानी हमको नहीं मिल रहा है, तो अगर हम इस क्षेत्र को बढ़ाने पर ही जोर रखें तो किस वजह से रख सकेंगे? अगर बरसात नहीं हुई तो निश्चित रूप से जो एरिया प्रोडक्शन के लिए हम बढ़ा रहे हैं वह नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए निश्चित रूप से देखना होगा कि पर हैक्टर यील्ड बढ़े तो निश्चित रूप से जो किसानों की जरूरत की चीजें हैं वह उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी।

6.33 सायं

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

अच्छे बीज के लिए मैं चैलेन्ज देकर कह सकता हूं कि 68, 69 और 70 के अन्दर जो बीज मिलता था वह आज नहीं है। जो बाजरे का हाईब्रीड नं. 1 जो हमें मिला था उसके बाद में हाईब्रीड बीज नं. 2 और नं. 3 दिया गया तो जो उत्पादन–क्षमता नं. 1 की थी चाहे कम बरसात वाले क्षेत्र में हो, चाहे अधिक बरसात वाले क्षेत्र में हो वह नं, 2 और नं. 3 की नहीं थी। और नं. 2 और नं. 3 की जो पहले उत्पादन क्षमता थी वह आज नहीं है। इसकी सारी जिम्मेवारी कृषि विभाग पर है। बार बार कहा गया था और पिछली बार भी निवेदन किया था कि जो हाईब्रीड बीज सेल के लिए आता है उसमें एडल्ट्रेशन होता है। एडल्ट्रेशन के बारे में दो साल पूर्व मैंने जिला परिषद् में निवेदन किया था और मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर जिला परिषद् ने राज्य सरकार को निवेदन किया था राज्य सरकार ने यह कहा था कि हाईब्रीड सीड में एडल्ट्रेशन इसलिए हो गया होगा कि पास वाले खेत का बीज गिर गया होगा इसलिए एडल्ट्रेशन हो गया होगा, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार का एडल्ट्रेशन जिन लोगों ने इस चीज को किया उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। यह सोचने की बात है कि उत्पादन को बढ़ाकर ही हम नाज की

(श्री रामरघुनाथ)
समस्या को हल कर सकते हैं और किसी प्रकार से नहीं।

बीज के संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि हाईब्रीड बाजरे का जो बीज दिया जा रहा है वह निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए, और उसकी उत्पादन-क्षमता जो गिर रही तो उसको दुबारा देखना पड़ेगा कि किस तरह की कमी आई है और पहले जैसा बीज बनाने के लिए किस तरह पर और क्या प्रयत्न करने होंगे और वो किए जावें।

गेहूं के बीज के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गेहूं का न्यूकलस सीड दिया गया है सीड मल्टिप्लाई फार्म्स को ताकि वह सीड मल्टिप्लाई करके किसानों को देंगे। शुरू में वह अच्छा आया था चाहे वह कल्याण सोना रहा हो, सोनारा रहा हो या शास्त्री रहा हो, लेकिन बीज बहुत अच्छा रहा था लेकिन अब उसकी उत्पादन-क्षमता भी दिन पर दिन गिरती जा रही है, और जो न्यूकलस सीड हमें दे रहे थे उनका उत्पादन भी कम हो गया है और सीड मल्टिप्लाइंग फार्म्स में मल्टीप्लाई होकर किसानों के पास सीड नहीं जा रहा है। वह बीज बहुत कम हो गया है और क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कई माननीय सदस्यों ने यह बात आपके समक्ष रखी थी कि इस साल ज्यादा बारिश हुई है या जो एरिया बाहर से इफेक्टेड हो गया था तो लोगों ने बहुत विस्तार से गेहूं का बीज बोया था वह पूरा उपलब्ध नहीं हुआ था तो भूतपूर्व कृषि मंत्रीजी इस संबंध में बता रहे थे कि चूंकि यह बताना मुश्किल है कि किस वक्त बरसात आयेगी और कितना बीज उपलब्ध कराना होगा, इसलिए सामूहिक रूप से इतने पड़े पैमाने पर बीज उपलब्ध कराना मुश्किल है। लेकिन कम से कम इस बात का तो पता लगाया जा सकता है कि जिस क्षेत्र में जिस साल ज्यादा बारिश हो और गेहूं की फसल उसके 4-5 महीने बाद बोई जाती है तो उस क्षेत्र के लिए गेहूं के कितने बीज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि कम से कम इसके लिए बहुत ही नियमित रूप से कोई ऐसी कार्यवाई बनाई जाय जिसमें चाहे गेहूं का बीज हो, चाहे बाजरे का बीज हो, चाहे ज्वार का बीज हो, चाहे मक्का का बीज हो उसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन हाईब्रीड वेराइटी इम्प्रूव्ड वेराइटी में न हो व उत्पादन क्षमता जो पहले थी, उससे अधिक नहीं तो उतनी तो हो। और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड व्हीट हो तो कोई बात नहीं लेकिन वह कम नहीं हो पाये।

रासायनिक खाद किसानों को उपलब्ध कराया जाय, लेकिन उसकी हमारे देश में बहुत कमी है। अभी रासायनिक खाद के विषय में एक बैठक इफको के तत्वावधान में हुई थी उसमें यह स्पष्ट तौर से बताया गया था कि रासायनिक खाद राजस्थान के लिए हम उतना मुहैया नहीं करा सकते जितनी कि उसकी आवश्यकता है। सिर्फ अभी ही मुहैया नहीं करा सकते हैं बल्कि आने वाले 10 वर्षों में भी जितने रासायनिक खाद की हमें आवश्यकता रहेगी उतनी रासायनिक खाद भी हम नहीं दे सकेंगे। रासायनिक खाद हर घर में नहीं बनाया जा सकता है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रासायनिक खाद जो कोटा में बनता

(श्री रामरघुनाथ)

है उसका 30 परसेन्ट ही हमें मिलता है और उस 30 परसेन्ट खाद में भी ज्यादातर खाद उन लोगों के पास में जाता है जो कि व्यापारी हैं, जिनका कि कृषि से कोई सम्बन्ध नहीं है, और वे खाद का मिसयूज करते हैं, उसको ब्लेक में बेचते हैं और होर्डिंग करते हैं और जिस क्षेत्र में चाहे बेच देते हैं। इसके अन्तर्गत अगर आपने आंकड़े देखे होंगे तो पता लगा होगा कि कई बार ऐसे रासायनिक खाद के ट्रक्स पकड़े गये हैं जो नागौर से जोधपुर जिले को या गंगानगर जिले को बेच दिये गये हैं, जो अजमेर से सुमेरपुर को बेच दिये गये हैं। आगे पीछे आयेंगे तो किसानों के काम ही, लेकिन जो सस्ते दर पर उनको मिलना चाहिए था वह दुगने और तिगुने दामों पर उनको लेना पड़ता है और उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा तो यह सोचने की बात है।

इसके साथ ही मैं कम्पोस्ट मेन्योर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अपन यह जानते हैं कि फर्टीलाइजर्स हम पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो मेन्योर की तरफ हमें डाइवर्ट उनको करना पड़ेगा। जब पंचायत राज आया था और पंचायतें और पंचायत समितियां बनी थीं तो इसके अन्दर जो एक्सटेन्शन आफिसर्स और एक्सपर्टस रखे गये थे और ग्रामसेवक रखे गये थे तो उनका यह काम था कि जनता के अन्दर जायें और कम्पोस्ट मैन्योर के बारे में उनको बतायें और प्रयोग के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में आग्रह करें। जितना गोबर है वह जलाने के काम में ले लेते हैं। इसकी यह वजह नहीं है कि वे इसका उपयोग जानते नहीं है। इसकी वजह यह है कि या तो वे लकड़ी उपलब्ध नहीं कर पाते हैं जंगलों से, या जो गरीब लोग हैं वह जंगलों से लकड़ी काटकर नहीं ला सकते हैं वो जलाने के काम में लेते हैं। उन लोगों को बतलाना पड़ेगा कि गोबर जलाने से कोई समस्या हल हो सकती हो ऐसी बात नहीं है तो निश्चित रूप से गोबर गैस प्लान्ट लगाकर उनको समझाकर यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि गैस प्लान्ट से वह घरेलू काम भी चला सकते हैं, और उसको वापिस कम्पोस्ट में डालकर मैन्योर बना सकते हैं। उससे 5 पर्सेन्ट नाइट्रोजन उपलब्ध हो सकता है। यह बात हम बिल्कुल भूल गये हैं। यह चीज हमने पंचायत राज्य के साथ शुरू की थी तो इतने ही समय में हम इस बात को भूल गये हैं जैसे कि इसका कोई उपयोग ही नहीं है या इसकी हमको जानकारी नहीं है। इसके बारे में भारत सरकार भी चिन्तित है और एग्रीकल्चर फोरम वालों ने कई आर्टिकल्स इसके बारे में निकाले हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि गोबर गैस प्लान्ट और गोबर न जलाने के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाय, और जगह-जगह पंचायत समितियों और जिला स्तर पर कैम्प लगाये जायें और उन लोगों को यह कहा जाय कि रासायनिक खाद इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकता है इसलिए इस गोबर को जलाया नहीं जाय। जलाने के बजाय उसकी गैस बनाकर उसको काम में लिया जाय और बाकी सारे गोबर को कम्पोस्ट करके मैन्योर बनाया जाकर खेत में डाला जाय ताकि उत्पादन को हम ज्यादा बढ़ा सकें।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना

(श्री रामरघुनाथ)

चाहूंगा बिजली के सम्बन्ध में। माननीय सदस्य श्री सज्जनसिंह जी ने इसके बारे में काफी प्रकाश डाल दिया, लेकिन कृषि का विषय ऐसा है कि जितने भी देहात से आने वाले नुमाइन्दे हैं वे इसके बारे में कहें उतना ही कम है।

आज जब कृषि के बारे में विचार विमर्श हो रहा है और शाम को मन्त्री महोदय जवाब देंगे। तो 80 प्रतिशत गांवों की जनता कान लगाये होगी, शहरों के लोग भी कान लगाये होंगे कि हमारे मन्त्री महोदय क्या क्या कहने वाले हैं। वित्त मन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया है, तो उसका उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हर किसान की जो आने वाली समस्या है, आने वाले सवाल हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह क्या हैं। बिजली गांवों में कम पहुंची है। किसानों की फसलें बोई जाती हैं, फसल के बड़े होने के साथ-साथ बिजली खिलवाड़ करना शुरू कर देती है, और पावर घट जाती है या फिर उसकी बिजली कट जाती है। अगर किसान के बिजली कट जाती है तो उसका असर किसान पर पड़ता है। वह तो कंगाल हो ही जायेगा लेकिन उसका असर हमारे उत्पादन के ऊपर कितना पड़ता है। अगर आधा क्विंटल का भी असर पड़ता है तो लाखों बीघों में कितना असर पड़ेगा। यह सोचने की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि की बिजली को कृषि विभाग से सम्बन्धित होना चाहिए। बिजली वाले महकमे से उनको कोआर्डिनेशन हो ताकि किसानों का कोई नुकसान नहीं हो। व इस कारण उत्पादन न घटे इसके बाद में क्रूड आयल और डीजल के बारे में बात करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि डीजल से ट्रैक्टर चलते हैं। उससे ट्रांसपोर्ट होता है। इस बात की समस्या है कि मिलता नहीं लेकिन एक बात मानकर चलना होगा, जिस खाद्यान्न पर सारा देश और राजस्थान निर्भर करता है। अतः तब कटौती की इनको तेल उपलब्ध करना पहला काम है। देहात के लोग मिलकर कोई यहां पर आकर सामूहिक हड़ताल या आन्दोलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको नजर अन्दाज कर नहीं चल सकते हैं। इसलिए कि यह कृषि का मामला है। सरकार को इस बारे में स्वयं ध्यान रखना चाहिए। कितने परसेण्ट तेल और कितने क्रूड आयल चाहिए, वह हमको मुहैय्या कराया जाये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं 5–7 मिनट और लूंगा।

इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां तक क्रूड आयल और डीजल का सवाल है, वह किसानों को सरकार मुहैय्या कराये ताकि जितना हमें उत्पादन बढ़ाना है, वह हम बढ़ा सकें। इसके साथ-साथ में गेहूं के बारे में कहना चाहूंगा। बाजरे की बीमारियों को छोड़िए। खेत जला दिये गये, वह अलग बात है। गेहूं में सीधी सी बात है। फसल गेहूं की बोई जाये और बादल हो जाये तो रोली लग जाने का डर रहता है अगर उस समय इसकी कुछ व्यवस्था कर ली जाये तो रोली नहीं लगती है। इसके लिए कृषि विभाग चुप बैठा रहता है। इसके लिए जाइनेब तो दिया जाये ताकि उसका स्प्रे किया जा सके व उनका नुकसान नहीं

(श्री रामरघुनाथ)

हो। कृषि विभाग का हर आदमी जानता है। डिपार्टमेण्ट का छोटे से छोटा आदमी जानता है। ग्राम सेवक जानता है। वह जानता है कि गेहूं की खेती जब इतने बड़े पैमाने पर की गई है। तो उसकी बीमारी की रोकथाम के लिए तत्पर रहे जिसमें रोली के लिए जाइनेव मुख्य है। उनको चाहिए था कि वे खुद जा जाकर खेतों में दवा छिड़कवा दें। अगर किसान नहीं जानता है तो सरकार खुद यह काम करती। अगर 71 लाख क्विण्टल की उम्मीद करते हैं तो हो सकता है कि उससे अधिक मिलता। अगर हम इसी तरह से रिपीट करते जायेंगे तो इस बात का क्या भरोसा है कि इस साल रोली आई है तो अगली साल नहीं आयेगी। इसके लिए डिपार्टमेण्ट को तय करना पड़ेगा। चाहे दवा मुफ्त में बांटे या छिड़कायें। लेकिन प्रोडक्शन के लिए उनको यह बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराके। इसके अलावा शीतलहर की बात है। इसका भी कोई पता नहीं है। जापान में यह किया गया था कि छोटे छोटे बम बनाये गये थे। जब पता लगता है कि आज शीत लहर का प्रकोप है। तो वह बम बर्स्ट करते हैं। इससे शीत लहर का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा विंड ब्रेकर लगा सकते हैं। विभाग को चाहिए कि किसानों को इकट्ठा करके उनको यह समझाये कि कूड़ा-कचरा इकट्ठा करके उसे आग लगाकर धुआं करने से 25 से 35 तक फायदा हो सकता है। मैं इसके लिए गारन्टी से तो नहीं कह सकता लेकिन इससे इतनी गारण्टी से कह सकता हूं कि जितने परसेन्ट शीत लहर लगने वाली है, वह कम हो जायेगी। मैं निवेदन करूंगा कि अगले साल किसानों को इन उपायों से फायदा हो। इसलिए मेरा विभाग से निवेदन है कि वह इस गम्भीरता से सोचेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

एक माननीय सदस्य : और भी लोग बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वेरी लोंग सब्जेक्ट।

श्री रामरघुनाथ : इसमें कारण यह हुआ कि जब किसानों को फसल की पूरी कीमत नहीं मिलेगी तो वह दूसरी फसलें बोयेगा। जो खाद्यान्न में काम नहीं आयेगी। हमें यह देखना है कि हम किसानों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें ताकि वह ज्यादा से ज्यादा गेहूँ बोयें। इसको समाप्त करके मैं यह कहना चाहूँगा कि किसानों की फसल का बीमा भी होना चाहिए। मोटर का बीमा होता है। कार का होता है। दूकान का होता है। हर चीज का बीमा होता है। इन्सानों का होता ही है। हम जानते हैं कि गेहूँ को रोली लगती है। शीत लहर लगती है। इसके लिए बीमा क्यों नहीं करते हैं। अगर हम किसानों की फसलों का बीमा शुरू कर दें तो इससे उनकी चिन्ता कम हो जायेगी। और वो इस विश्वास से चल सकते हैं कि उनकी फसल का बीमा है अतः प्रकृति का प्रकोप अब उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि डेगाना एक बड़ी मण्डी है। पर कृषि उपज मंडी नहीं होने से उससे होने वाले लाभ से वंचित है अतः निवेदन है कि डेगाना में कृषि उपज मंडी खोलने की घोषणा की जावे।

(श्री रामरघुनाथ)

इसके बाद में थोड़ा-सा पशुपालन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। पशु लाखों की संख्या में राजस्थान में हैं। जो दुधारू भी हैं और वैसे खेती वाले भी लेकिन मैं इतना-सा निवेदन करना चाहूंगा, इस पशु की रक्षा होनी चाहिए, जिस पशु की कीमत बढ़ रही है, पशुपालन विभाग अच्छी तरह जानता है, नागौर में बिकने वाली नागौरी बैलों की जोड़ी, 2 से 7 हजार की है, ऊंट की कीमत भी पन्द्रह सौ से छः हजार, सात हजार है. और दुधारू पशु की यह हालत है कि जो भैंस पहले सात सौ, आठ सौ में मिल जाती थी वह आज सत्रह सौ रुपये में मिलती है और गाय पन्द्रह सौ बगैर नहीं मिलती है। अगर हम इन पशुओं के इलाज की व्यवस्था नहीं कर सकते तो किस प्रकार से हम अपने पशु धन को बचा सकते हैं। इसलिए लाजिमी तौर से व्यवस्था करनी चाहिये, अब कितनी सुविधा बढ़ाये या कितनी नहीं बढ़ाये–यह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे क्षेत्र में इतनी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी दवा उपलब्ध होनी चाहिए कि हम पशु धन की रक्षा कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष समाप्त करिये।

श्री रामरघुनाथ : थोड़ा सा और।

मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा, नागौर के अन्दर पशु मेले भरते हैं। राजस्थान सरकार इन मेलों से शुद्ध 9 लाख रुपये आय करती है। नागौर में तीन बड़े मेले भरते हैं– नागौर, मेड़ता और परबतसर में। इनका कोई विकास हुआ हो या उन पर खर्च हुआ हो– ऐसा लगता नहीं है। दो साल पहले एक लाख रुपया परबतसर मेले के लिए दिया गया। मेले के समय मूसलाधार पानी पड़ता है, जब मेला होता है तो लोगों को घुटने तक पानी में खड़े रहना पड़ता है–यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि इससे हमारी आमदनी भी होती है। हमारी उन व्यक्तियों और मवेशियों के प्रति भी जिम्मेदारी है जो मेले के अन्दर आते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पच्चीस पर्सेन्ट, मेले से जो आमदनी होती है, उसका उस वक्त तक मेले के विकास में लगाने की आवश्यकता है जब तक कि पूरा विकास न हो जाय।

दुधारू पशुओं के लिए निवेदन करूंगा कि रेड डेन, जरसी होन्सरीन आदि ने गाय की नस्ल सुधार कर हम प्रयत्न कर रहे हैं। पर फटाफट रातों रात चेंज होकर दुधारू जानवर पैदा हो जायं कि कमी नहीं रहे। पर यह इतना सरल नहीं। खास ब्रीड का काम चालू है, इसे कायम रखें। लेकिन वहां के दुधारू पशुओं को देख कर चलता है। मैं निवेदन करना चाहूं कि हमारी कुछ ब्रीड हैं, साडीपाल, थार पाकर, गीर राठी ब्रीड है, वह दूध काफी अच्छा देती है खास ब्रीड के साथ-साथ हम उन पर भी ध्यान दें, लोगों को प्रोत्साहन दें और पैसा दें तो हमारे यहां जो होने वाली दूध की कमी है, वह पूरी हो सकती है। मैं निवेदन करूंगा, यहां जो बाहर से आने वाला ब्रीड है, उसके लिए ऐअर कन्डीशन चाहिए, और सुविधा चाहिए। इसलिए उनकी तरफ ध्यान न देकर यहां के दुधारू जानवरों का विकास वहां के साधनों व सांडों से करना चाहिए।

(श्री रामरघुनाथ)

ऊंट को नहीं भूलना चाहिए। यह जन साधारण और गरीब की कमाई का साधन हो गया है। ऊंट का छकड़ा चलता है। हर आदमी चाहता है कि एक ऊंट और एक छकड़ा हो। उस पर घर के सब आदमी सफर कर लें और सामान ढोलें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सारा काम···

श्री **उपाध्यक्ष** : अब आप बैठिये।

(विराम)

मंत्रीजी।

श्री **शिवचरण माथुर** : उपाध्यक्ष जी, कृषि और पशु पालन विभाग की मांगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने यहां पर करीब छः घण्टे तक चर्चा में भाग लिया और कुल मिला कर 19 माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव यहां पर रखे। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने जहां एक तरफ विभाग में कुछ ह्यूमन लेप्सेज की ओर इशारा किया, वहां दूसरी तरफ कुछ मूल्यवान सुझाव भी यहां रखने की चेष्टा की। इसलिए मैं मोटे तौर पर यह कह सकता हू कि आज की बहस काफी अच्छी सूचना देने वाली थी और विभाग के अधिकारी, जो यहां पर बैठे हुए हैं, को भी कुछ ऐ लोगों के अनुभव सुनने का मौका देने वाली थी जो वास्तव में क्षेत्र से आते हैं, जिनका खेती से सीधा सम्बन्ध है—यह बात निर्विवाद सत्य है कि सदन में बैठने वाले काफी सदस्य खेती और पशु पालन से गहरा सम्बन्ध रखते हैं। और यह बात भी निर्विवाद सत्य है कि कई नई चीजों को अपनाने में उनकी इन्कारी भी नहीं है। इसलिए यह बात कहना कि नई चीजों के प्रति उनका एक दुराग्रह है, यह नहीं मानने वाली बात मैं मानता हूं। इसलिए जो भी सुझाव यहां पर आये हैं, मैं समझता हूं, उनकी व्यावहारिकता को देखते हुए उन पर विचार किया जाना चाहिए।

राजस्थान में खेती के विकास को यदि हम लें तो यह जाहिरा तौर पर मानना पडेगा कि हमने उन्नति की है। कई माननीय सदस्यों ने जोश में यह कह दिया कि इन पिछले बीस पच्चीस साल तक में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मैं उनसे बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह वास्तविकता से परे की बात है। दर असल में यदि आंकड़ों को उठा कर आप देखें तो आपको मालूम पडेगा कि जब से हमारे देश में विकास का काम शुरू हुआ है, तब से लगा कर आज तक खेती में काफी तरक्की हुई है, जहां तक खाद्यान्न का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि 195'–52 में जबकि प्लानिंग का काम शुरू हुआ था, योजनाबद्ध विकास का काम देश में शुरू हुआ था तब से आज तक करीब दुगने तक खाद्यान्नों पर पहुंच चुके हैं और कई मौके आये हैं जब दुगने से भी ज्यादा हम लोगों ने राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन किया है। एक समय आया, 1971-72 में जबकि 88 लाख टन तक पहुंच चुके थे, जब कि 1451–52 में कुल मिलाकर राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन करीब 10.72 लाख टन हुआ

(श्री शिवचरण माथुर)

करता था। यह कहना कि हम आगे नहीं बढ़े हैं, दुरुस्त बात नहीं है। यह ठीक बात है जिस पैमाने पर आगे बढ़ना चाहते थे, शायद और अधिक प्रयत्न किया जाता तो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने में जहां राजस्थान में विभिन्न विकास के कार्यक्रम अपनाये जाने की बात है, सिंचाई साधनों को बढ़ाये जाने की बात है, वहां पर खेती के नये तरीकों को अपनाने की बात भी है; नई जो खोज की गई है खेती के काम में वह भी एक प्रकार से सहायक बनी है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि खेती में काम करने वाले हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने खोज के आधार पर नई फार्म प्रैक्टिस फील्ड में इन्ट्रोड्यूस की, उनको किसानों ने अपनाया और अपना कर खेती में विकास करने की बात की है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में उन्नत किस्म के बीज इन्ट्रोड्यूस किये गये हैं; वहां ऐसे बीज भी इन्ट्रोड्यूस किये गये हैं जिनका न केवल राजस्थान में बल्कि सारे देश में सम्मान किया गया है और देश के वैज्ञानिकों ने उनकी सराहना की है। आप जानते हैं, सोना गेहूं के बीज की किस्म है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री भी कहते हैं, वह राजस्थान के दुर्गापुरा फार्म ने इन्ट्रोड्यूस किया है और सारे देश में एक्लेम किया गया है। हाई ब्रीड के बीज में कमी आई, उसको देखते हुए रस्ट से बचाने की दृष्टि से और भी दृष्टि से थोड़े दिन पहले बीज इन्ट्रोड्यूस किया, जिसको आज 120 कहते हैं, और इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च और जो अलग-अलग संस्थायें होती हैं, उनमें इस बीज को अच्छा माना गया है और सारे देश में रिलीज करने की सिफारिश की गई है। यह उन्नत किस्म के बीज के अलावा और जो उन्नत किस्म के बीज इन्ट्रोड्यूस किये गये हैं, बाजरा और अन्य किस्म की चीजों के उनको हिन्दुस्तान में एक्लेम किया गया है। यह कहा गया कि भारत के साईन्टिस्ट हैं, जो फिल्ड पर काम करने वाले हैं, वह उनकी बुराई की बात करते हैं। जो अच्छा काम करने वाले है उनकी तारीफ की बात करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, यह कहना चाहिए कि कई कमियां हो सकती हैं लेकिन थोड़े लोग काम कर रहे, जो बहुत दूर क्षेत्र हैं, जहां पर साधनों का अभाव है, उस हालत में रहते हुए भी कुछ काम होता है। तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये। मैं निवेदन कर रहा था, राजस्थान में उन्नत प्रकार के बीज निकालने, अच्छी फार्म प्रैक्टिस को इन्ट्रोड्यूस करने, सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की कई चीजें ऐसी हैं जिनसे खेती में उन्नति हुई है। ग्रोइल सीड में मैं कहना चाहता हूं करीब चार गुना पैदावार 1951—52 में बढ़ी है। इसी प्रकार से काटन में 300 टाइम बढ़ी है, सुगर केन में इसी प्रकार पैदावार बढ़ी है। साफ तौर पर यह स्वीकार करना चाहिए कि बीस-पच्चीस साल में आगे बढ़े हैं। एक ऐसे रास्ते से निकल चुके हैं और आगे चल सकते हैं— यह साफ नजर आता है। यह बात सही है, राजस्थान का सिंचाई क्षेत्र है वह 25 लाख हैक्टर क्षेत्र है, राजस्थान में 25 लाख हैक्टर में सिंचाई साधन उपलब्ध हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी आगे की नीति हो, और आगे की पालिसी जो हो वह इस प्रकार की हो कि जिससे पैरेनियल तरीके के सिंचाई साधन उपलब्ध हों वहां पर हम अधिक से अधिक पैदावार बढ़ा सकें प्रति हैक्टर। यहां कई

(श्री शिवचरण माथुर)
माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि हमें प्रति हैक्टर पैदावार बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आगे की जो स्टेटेजी है उसका यह आधार होना चाहिए कि हमारे जितने इनपुट्स हैं उनका अच्छा से अच्छा उपयोग करें और उपज बढ़ाने की चेष्टा करें। साधारण तौर से एक हैक्टर में एक टन पैदावार सिंचित क्षेत्र में हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आगे आने वाले समय में कम से कम 30 क्विंटल धान हम सिंचाई वाले क्षेत्र में एक हैक्टर में पैदा कर सकें तब तो हम समझेंगे कि 25 लाख हैक्टर में काफी पैदावार हो सकेगी।

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और चंबल प्रोजेक्ट दोनों एरियाज को यदि ले लें आने वाले कुछ वर्षों में जब राजस्थान कैनाल पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाएगी उस समय 18 लाख हैक्टर में सिंचाई के पेरीनियल साधन मिल जायेंगे। यदि हम नई स्टेटेजी 3 टन प्रति हैक्टर पैदावार बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो 18 लाख हैक्टर्स में दोनों एरियाज में 54 लाख टन अनाज पैदा करने की क्षमता पैदा हो जाएगी।

इसके अलावा 11 लाख हैक्टर कुओं से सिंचित या अंडरग्राउण्ड वाटर रेसोर्सिज को सिंचाई के साधन बना सकते हैं तो उसमें पैदावार बढ़ सकती है। जो बारानी जमीन है उसमें अधिक पैदावार बढ़ाकर आज पैदावार के मापदंड को काफी बढ़ाया जा सकता है। कृषि विभाग और हमारा जो योजना विभाग है उसका तरीका है और हमारी स्टेटेजी है कि हम आगे आने वाले वर्षों में इस बात पर जोर दें कि जो कुछ साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका पूरी तरह से उपयोग करें और अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करें। हमारे जितने सिंचाई के समाधान राजस्थान में पैदा किए गए उनमें चंबल प्रोजेक्ट भी एक है। चंबल में 13-14 वर्ष पहले सिंचाई का काम शुरू किया लेकिन सब जानते हैं कि आज कई ऐसी कमियां रह गई कि सारे चंबल क्षेत्र में पूर्णत: जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वह न होने के कारण जितना लाभ आर्थिक दृष्टि से हमें मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। केवल बड़े बांध बनाने से या नहरें निकालने से उनका हमें पूरा लाभ नहीं मिल सकता।

उसके साथ-साथ यह जरूरी है कि जो पानी बांध बनाने के बाद में खेतों को पहुंचता है, उसके लिए खेतों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, वह समतल हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, पानी देने की व्यवस्था अच्छी की जाए, जब तक ये साधन हम नहीं कर पायेंगे तो जो पानी उपलब्ध है उसका उपयोग नहीं हो सकेगा।

राजस्थान के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में खेती के विकास के लिए लैंड लिमिटिंग फैक्टर नहीं है लेकिन पानी लिमिटिंग फैक्टर है। जितनी जमीन हमारे पास उपलब्ध है, उस पर मिलने वाला एक लिटर पानी का उपयोग हम सही रूप से किस प्रकार कर सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं, यह कृषि विभाग का एक आधार बनना चाहिए तब तो हम आगे बढ़ाने की कल्पना कर सकेंगे। इस

(श्री शिवचरण माथुर)

बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दो बड़ी योजनाओं का निर्माण करने का सोचा है। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में 2 लाख हेक्टर जमीन में इस क्षेत्रीय विकास का काम किया जाएगा जिसके जरिए से सारे का सारा एरिया जो कमांड में आता है उसको ठीक किया जाएगा, जमीन को समतल किया जाएगा और खेत बनाये जायेंगे उनको निश्चित आकार दिया जाएगा और डिजान्इड तरीके से वाटर कोर्सिज उसमें पहुंच जायेंगे और जो बड़ी नहरें होंगी और वाटर कोर्सिज होंगे उनको पक्का किया जाएगा। यदि वाटर कोर्सिज और चैनेल्स पक्के नहीं होते हैं तो पानी बरबाद होता है, वाटर लोगिंग की समस्या पैदा होती रहती है, चंबल क्षेत्र में कई लाख हेक्टर जमीन में वोटर लोगिंग की समस्या है। ये सारी बातें हैं जिनके लिए हमने बड़ी योजनायें हमारे सामने रखी हैं और उस आधार पर 2 लाख हेक्टर राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एरिया में और 50 हजार हेक्टर चंबल कमांड एरिया में डेवलपमेंट का काम हाथ में लेना चाहते हैं। राजस्थान नहर योजना में स्कीम करीब 61 करोड़ की है, चंबल में 33 करोड़ की है और दोनों योजनाओं का जहां हमारे प्लान में प्रोवीजन है, कुछ भारत सरकार की मदद उपलब्ध है उसके साथ-साथ हम विश्व बैंक की मदद चाहते हैं, उनके जो टेक्नीशन्स हैं यहां पर कई बार आकर हमारी बनी हुई योजना को मौके पर देख चुके हैं और उनका एक दल कुछ दिन पहले आया था, उसने सिफारिश की है और विश्व बैंक से पैसा मिलता है तो मुझे आशा है कि दोनों स्कीम्स कमांड वाली जून के महीने में क्लीयर हो जायेंगी, उसके बाद में हम बड़े पैमाने पर इस काम को हाथ में लेंगे, वैसे काम शुरू कर दिया है, जो कुछ हमारे पास साधन थे उनके आधार पर शुरू कर दिया है लेकिन ये बडी योजनायें हैं जिनको हम केवल अपने साधनों के आधार पर पूरा नहीं कर सकते इसलिए हमने अपने साधनों को व भारत सरकार के साधनों को भी लगाया है और इंस्टीट्यूशनल फाईनेन्सेज और विश्व बैंक की मदद ले रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दोनों क्षेत्रों में विकास का काम पूरा हो जाए और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए।

सवाल यह है कि 46 करोड रुपये की योजनायें विभिन्न बैंकों के जरिए से आयेंगी। 5 साल के अन्दर 46 करोड बैंकों के द्वारा लोनिंग करवाना अपने आप में एक रेकार्ड है। यदि हम इतना लोन बटवा सकें तो बहुत बडी बात होगी और हमने राजस्थान लैंड डवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करने की योजना बनाई है जिसमें उसके माध्यम से सारे बैंक्स से लोन फ्लो करके और किसान बिना कठिनाई के वह लोन ले सके, इसकी चेष्टा हम करना चाहते हैं। दूसरी बात हम चाहते हैं कि प्रशासनिक कठिनाइयां न आयें इसलिए एक अथोरिटी का निर्माण किया जाए जो अपने आप में काम करने के लिए स्वतन्त्र हो, उसके रास्ते में प्रशासनिक कठिनाइयां नहीं आए इसलिए हमने दोनों कमांड एरियाज के लिए अलग से आथोरिटीज कायम करने की कोशिश की है। ये सारी योजनायें केवल कुछ

(श्री शिवचरण माथुर)

कमांड एरिया और अथोरिटी कायम करने से योजना पूरी नहीं होगी। सारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि अलग अलग विभागों का कोआर्डीनेटेड एप्रोच हो जैसे बिजली विभाग, अन्डर ग्राउन्ड वाटर विभाग को लिया जाए, सिंचाई विभाग इत्यादि सब का साथ मिलजुलकर प्रयास जब तक नहीं होगा तब तक बडी योजनायें पूरी नहीं हो सकती। मैं इसके लिए बड़े पैमाने पर जनता का सहयोग भी चाहता हूं क्योंकि कितने ही अथोरिटी और निगम हों लेकिन यदि इन योजनाओं के प्रति यदि जनता का विश्वास नहीं होगा तो कभी पूर्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए चम्बल एरिया में या राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एरिया में हम जमीनों को समतल करने के लिए लोगों का सहयोग चाहते हैं, वहां हम डन्डे के जोर से या गोली और लाठी के जरिए से काम नहीं कर सकते। लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो योजना सरकार ने बनाई है, वह आपके हित के लिए है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है।

मैं समझता हूं जनता के प्रतिनिधि इसमें साथ हैं। मैं चाहता हूं कि योजना के संबंध में हमारे माननीय सदस्यों की गोष्ठी की जाए। इन लोगों का क्या महत्व है, लोगों के पास जाना पड़ेगा। आज राजस्थान कैनाल एरिया गंगानगर इलाके में था, बारी-बारी से कब किसने कहा पानी मिलना चाहिए। लेकिन चम्बल के एरिया में ऐसी बात नहीं है। वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। जिसने भी चाहा पानी जबरदस्ती ले लिया और जब अपना काम निकल गया तो उस पानी को छोड़ दिया। तो इस बारमन्दी के पानी के लिये तो कुछ कहना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता को इसमें हमें पूरा सहयोग देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमें प्रशासन के ढांचे में स्ट्रीम लाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें हमें बड़े पैमाने पर जनता का सहयोग चाहिये। आज खाद्य की समस्या के बारे में यहां पर सदन में बैठकर लोग बातें कर सकते हैं लेकिन अपने को सोचने की जरूत है। किसी भी काम को करने में 50 दिक्कतें आ सकती हैं। कोई काम करने में 50 कमी हो सकती है। हमारे में भी कमियां हो सकती हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे में कोई कमियां नहीं हैं। लेकिन इसके लिये इस खाद्य समस्या को अगर आप यह सोचें कि सिर्फ राज्य सरकार ही अपने लेवल पर ठीक कर सकती है तो यह गलत है इसके लिये आप सभी को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा।

आज यहां पर सदन कुछ माननीय सदस्यों ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के बारे में कहा कि उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। और इसके साथ-साथ कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि एक ऐसी शिक्षा खोलनी चाहिये जैसे कि आई. टी. आई. पोलीटेक्निक वगैराह है उसी प्रकार एग्रीकल्चर के लिये भी कोई ट्रेनिंग रखी जानी चाहिये। जब यह बात चल रही सदन में तब मुझे भी मनमें यह सन्देह होता है कि क्या आज जो अपने कालेज, यूनिवर्सिटीज वगैराह जो एग्रीकल्चर की है क्या वह कुछ काम नहीं कर सकी है। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो मैं यह समझता

(श्री शिवचरण माथुर)

हूं कि इसके लिये इन लोगों को आज जो खेती करते हैं उन्हें बैल, जमीन और हल दे देना चाहिये और इसके लिये बड़े पैमाने पर फसल समाप्त होने के बाद एक छोटी सी ट्रेनिंग सभी को दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें आज वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक तरीकों से किस प्रकार वह लोग ज्यादा प्रोडेक्शन कर सके। आज वैसे तो शिक्षा का काफी विस्तार गांवों में भी हो गया है उपाध्यक्ष महोदय। इसके लिये जो काश्तकार का बच्चा आठ क्लास तक पढ़ गया हो जो असलियत में किसान का बेटा हो या जो काश्त ही करता हो 10–15 दिन की ट्रेनिंग दी जाय। आज जो आदमी काश्त करते हैं जमीन के लगे हुए हैं उन्हें इसका फायदा देना चाहिये। उसे ही ट्रेनिंग दी जानी चाहिये वैज्ञानिक तरीकों से। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे कि अगर हम यह देखें कि कोई काश्तकार का बेटा अगर शहर में कालेज में पढ़ने चला गया तो वह शहर में ही रहना पसन्द करेगा। वह शहर में ही नौकरी करना चाहेगा। तो मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह चाहे कि सबको ही नौकरी मिल जाय यह बहुत मुश्किल है। आज कुछ माननीय सदस्यों ने यहां कि हमने कोई रिसर्च काम नही किया है। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे राजस्थान में हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों के लोग जो यहां पर समय-समय पर आये हैं इन्होंने हमारे यहां के रिसर्च वर्क की और रिसर्च करने वाले लोगों की दोनों की बहुत तारीफ की है। इसलिये मैं यह मानने को तैयार नहीं कि हमारे यहां के कृषि विभाग में या कृषि के बारे में कोई अनुसन्धान का काम नहीं हुआ। आज प्रश्न यह है कि जो भी हमारे यहां पर रिसर्च के काम हो रहे हैं उनमें और यूनिवर्सिटी तथा कृषि डिपार्टमेंट में एडेक्वेट प्रोपर कोर्डीनेशन होना चाहिये। मैं इसके पक्ष में हूं।

श्री हरिसिंह बेगू : उपाध्यक्ष महोदय, आई एम सोरी टू इन्टरप्ट, मैंने यह निवेदन किया था उसके बारे में क्लेरीफाई करना चाहता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : यू केन क्लेरीफाई लेटर ओन...

श्री उपाध्यक्ष : इन्टरप्शन्स नोट एलाउड।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने जो कहा है उस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाय। चाहे यह काम विश्व विद्यालय के पास हो चाहे डिपार्टमेन्ट के पास हो लेकिन मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि जो काम जहां पर चल रहा है उसे वहीं रहने दो वह काम वहीं चलते रहने देना चाहिये। अपना लक्ष्य यह होना चाहिये कि अपने यहां रिसर्च का कार्य आगे बढ़े। इसके लिये यह आवश्यक है कि कृषि विभाग में और विश्वविद्यालय में कोर्डीनेशन होना चाहिये। जहां-जहां भी रिसर्च के कार्य हो रहे हैं उन्हें डिसकरेज नहीं किया जाना चाहिये।

श्री हरीसिंह बेगू : उपाध्यक्ष महोदय, आई वान्टेड टू क्लीयरीफाई...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय कह दें फिर बाद में आप प्रश्न करना। अभी बीच में इन्टरप्ट नहीं करें।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि में काफी रिसर्च किया है इसमें हमने काफी तरक्की की है। इसके अलावा कई माननीय सदस्य ने यहां पर बीज और खाद को किसानों को देने के लिये बात कही। साथ में यह भी कहा कि काश्तकारों को समय पर बीज नहीं मिलता खाद नहीं मिलती है। कृषि विभाग का नियन्त्रण इसके बारे में ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि जितनी खाद और बीज की काश्तकारों को जरूरत है वह सभी कृषि विभाग द्वारा पूर्ति किया जाय तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह कृषि विभाग पूरी की पूरी पूर्ति नहीं कर सकेगा। हम कम से कम जितनी आवश्यकता है खाद और बीज की उसकी 80 प्रतिशत खाद और बीज की पूर्ति कर सकेंगे। और वह हम कर रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक हाई ब्रीड बीज का सवाल है रिक्वायरमेंट की 80 प्रतिशत तो विभाग पूर्ति कर देगा और शेष 20 प्रतिशत बचे वह काश्तकारों को चाहिये कि नेशनल सीडे कारपोरेशन आफ इन्डिया से या और कहीं से प्राप्त करें। जहां तक हाई ब्रीड सीड का सवाल है वह नेशनल कौन्सिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च से प्राप्त होता है लेकिन उन की सभी की पूर्ति काश्तकारों को सरकार ही करे तो यह सोचना माननीय सदस्यों की भूल होगी। वह बात दूसरी है कि कभी अकाल पड़ गया हो या बाढ आ गयी हो तो राज्य सरकार किसानों को बीज भी वितरण करती है और तकाबी भी देती है लेकिन इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हमेशा ही सरकार के द्वारा ही उपलब्धि हो यह सम्भव नहीं है। आज बात खास यह है कि पहले जो खेती होती थी उसमें वैज्ञानिक तरीके कम काम में लाये जाते थे लेकिन आज के जमाने में वैज्ञानिक तरीके काम में लाने से हाई ब्रीड सीड तथा अच्छी किस्म की फर्टीलाईजर काम में लेने से प्रोडेक्शन काफी बढ़ा है। इसलिये लोग फर्टीलाईजर और हाई ब्रीड सीड व यूरिया की ज्यादा मांग करते हैं। और यही कारण है कि हमारी खेती में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। वैसे तो इतना जरूर मैं कहूंगा कि कृषि विभाग ने अपनी जिम्मेदारी समय-समय पर पूरी तरह से निभाया है लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिये कि जब आप इतने बड़े व्यापक पैमाने पर काम करते हैं तो उसमें लेप्सेज रह सकते हैं कमियां रह सकती हैं। मैंने खुद ने स्वीकार किया है कि कमियां कहीं न कहीं जरूर रही होंगी पर मोटे तौर पर हमें अधिक सक्सेस मिली है। इसके अलावा मैं आपको इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि केवल सदन में बैठकर आलोचना करना या सदन के बाहर आलोचना करना दूसरी बात होती है और काम करना दूसरी बात होती है। काम में काफी दिक्कत आ सकती है। इसलिये किसी समस्या का आलोचना करने से हल नहीं निकल सकता है। मैं मानता हूं कि विभाग के अन्दर कमियां हो सकती हैं लेकिन सभी का सभी खराब है यह मैं मान नहीं सकता हूं। विभाग में कुछ अच्छा काम करने वाले हो सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इस समस्या का हल कैसे हो सके इसके म ल कर कदम उठाने की जरूरत है

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मोटे तौर पर हम काफी हाई लाईट में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यहां सदन में यह भी कहा कि फर्टीलाइजर का काफी ब्लेक होता है और काश्तकारों को जो फर्टीलाईजर मिलता है उसकी मात्रा कम है। लेकिन इसके लिये मैं आपको कुछ फीगर्स देना चाहता हूं कि पहले फर्टीलाईजर की कितनी जरूरत रहती थी और अब कितनी जरूरत है। सन् 1950-51 में यहां पर पूरे राजस्थान में दो हजार टन खाद की खपत थी नाइट्रोजन गैस के मुकाबले तथा वह अब 1971-72 में 46 हजार टन फर्टीलाइजर की आवश्यकता हमारे प्रदेश में है। तो कितनी ज्यादा बढ़ोतरी खाद की खपत में हुई है? पहले कितना कम उपयोग खाद का किया जाता था और अब कितना किया जाता है। मैं मानता हूं इससे हमारा प्रोडेक्शन बढ़ा है। लेकिन फर्टीलाईजर की कमी आज हमारे देश में ही हो यह बात नहीं है वह तो दुनियां में हर जगह इसकी कमी है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे राजस्थान में कोटा में फर्टीलाईजर का कारखाना है इसलिये हम चूंकि इसका प्रोडक्शन करते हैं हमें ही वह सारी खाद मिलनी चाहिये।

श्री रामगोपाल : मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो कहा कि बाहर नहीं जानी चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : वह एक ही बात है। यह कैसे हो सकता है? इसमें सारे देश के लोगों का पैसा लगा है, यह भारत सरकार का लगाया हुआ है। और हमारा देश सारा एक है तो यह कैसे हो सकता है? यह तो जितना भारत सरकार हमें देती है उसी के हिसाब से मिलती है। हम यह कह सकते हैं कि हमें ज्यादा दो लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि चूंकि हमारे यहां पर कारखाना है अतः यह खाद बाहर नहीं जानी चाहिये। यह कैसे हो सकता है, बाहर तो जायेगी। इसी प्रकार सीमेन्ट के उत्पादन के बारे में है कि अगर कहीं पर अधिक होता है और देश में कहीं पर कम होता है तो वह कमी वाली जगह पर जरूर जायेगा। आज हो सकता है कि हमारे यहां पर यह फर्टीलाईजर का कारखाना नहीं होता और वह अगर कहीं दूसरी जगह होता तो हम उनसे मांग करते या नहीं करते। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारा हिन्दुस्तान एक है और जहां पर जो चीज होती है उसे हम दूसरी जगह पर कमी हो वहां पर बांटते हैं यह भारत सरकार की पोलिसी है। लेकिन हम यह जरूर कोशिश करते हैं कि हमें फर्टीलाईजर भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा मिले और हम उसे ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में काम में लावें।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पैदा होने वाला खाद पिछले वर्षों में 30 प्रतिशत राजस्थान की खपत के लिये रहता था और बाकी का बाहर के प्रदेशों में जाता था। हमने भारत सरकार से कहा कि राजस्थान में पैदा होने वाले खाद की मात्रा आप हमें अधिक दीजिये और बाहर से आने वाले खाद की मात्रा को कम कर दीजिये। 70 प्रतिशत यदि राजस्थान में पैदा होने वाला खाद हमको यहां

(श्री शिवचरण माथुर)

मिल जाता है और बाहर से इम्पोर्टेड खाद से बाकी की पूर्ति कर दी जाय। उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। पहले जो खाद हमको मिलता था उसमें से 40 प्रतिशत ही हमको मिल पाता था। इस प्रकार हम बराबर चेष्टा करते रहे हैं और मैं सदन को यह सूचना देना चाहूंगा कि राजस्थान में उत्पादित खाद हमको अधिक से अधिक मिले इसके लिये हमें सफलता भी मिली है।

श्री देवीलाल : ब्लेक मार्केट कम हो।

श्री शिवचरण माथुर : जितना खाद हमको उपलब्ध होता है उसको ठीक प्रकार से वितरण करने की बात है। इस वर्ष बहुत विचार के बाद यह चेष्टा की गयी है कि जो भी खाद किसी भी माध्यम से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, देहातों में जहां उसका सीधा उपयोग हो वहां पर उसको पहुंचाने की कोशिश करें। एक पेम्फलेट कृषि विभाग ने निकाला है जिसको आपने पढ़ने क चेष्टा की होगी तो मालूम हुआ होगा कि विलेज पंचायत पर जाकर डिस्ट्रिब्यूट होगा। स्थानीय कमेटी का निर्माण किया है। सरपंच, सहकारी समिति का सैक्रेटरी, ग्राम सेवक, स्कूल का हैड मास्टर और सरपंच के अलावा ऐसा व्यक्ति जो जन प्रतिनिधि न हो लेकिन गांव में जिसकी प्रतिष्ठा हो, तो उसको उस कमेटी में नोमिनेट करने का प्रावधान रखा है। खाद, जो गांव में पहुंचेगा उनके जरिये से वितरण होगा। खाद कितना पहुंचता है यह आंकडे तो मेरे पास नहीं है। जितना होगा अलग-अलग जिलों में देहातों में जिस जिस जगह क्रोप की दृष्टि से आवश्यकता हो वह वहां जाय, जिला प्रोडक्शन समिति तहसील लेवल पर बिक्री करे, पंचायतों में डिस्ट्रिब्यूट करे और देखे की सीधा किसानों को मिलता है या नहीं। आप लोगों का सहयोग चाहिये। आप देखिये, वितरण की हमारी योजना है उसमें हम कहां तक सफल होते हैं। हम पूरी तरह से सतर्क हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान के उन हिस्सों में, जहां पंचायतें नहीं है, वहां पर किस प्रकार से पंचायतों के जरिये स वितरण होगा तो उसके लिए अलग से माध्यम निकाला जायगा। हम यह चाहते हैं कि सीधा गांवों में जाकर स्थानीय लोगों के माध्यम से वितरित हो। तो मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हू।

बीज के बारे में भी मैं आप से निवेदन कर दूं। हमने यह निश्चय किया है कि आम तौर पर बीज के मामले में फण्ड्स की उपलब्धि में दिक्कतें आती हैं। बीज की जितनी आवश्यकता होती है उतनी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। प्रशासनिक दृष्टि से भी दिक्कतें आती हैं। एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, जो एक ओर्गेनाइज्ड बोडी है और उनके पास फन्ड्स की उपलब्धि भी है, जितने राजस्थान के अन्दर हाई ब्रीड बीजों की पूर्ति के लिए आर्थिक साधन चाहिये उनके पास उनकी उपलब्धि है। इसलिये खरीफ की फसल में सारे हाई-ब्रीड बीजों की खरीद और वितरण की व्यवस्था हम राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के माध्यम से कर रहे हैं और मेरी ऐसी मान्यता है कि समय पर बीज नहीं पहुंचने की समस्या नहीं रहेगी।

(श्री शिवचरण माथुर)

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता की डिमाण्ड जिलों से आती नहीं है। कम्पाईल होकर नहीं आती है। इसका कारण यह है कि हैडक्वार्टर्स पर सूचना देर से पहुंचती है। सारे राजस्थान में इसको कम्पाइल करके जल्दी से जल्दी बीज आदि बांटने की कोशिश की जाती है। इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि आने वाली फसल के लिए खाद और बीज के वितरण में मशीनरी को स्टेरीलाइज रखा जावेगा, लूपहोल्स को दूर किये जावेंगे और किसी प्रकार उनका अच्छी प्रकार से वितरण हो इसकी चेष्टा की जावेगी।

पशु पालन विभाग के बारे में यह भी काफी चर्चा हुई है। आंकडों से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा क्योंकि विभाग की रिपोर्ट आपके पास पहुंच गयी है। एक बात यह कही गयी है कि गोज़ूटीट ब्रीड़ के जो पशु हैं बाहर से लाकर नसल सुधारी जाती है। पशुओं की बाहर से लाकर नस्ल सुधार का काम हाथ में लेना चाहते हैं उसका कतई मतलब यह नहीं है कि लोकल ब्रीड्स को पनपाना नहीं चाहते हैं। उनको हम पनपाना चाहते हैं। नागौरी बैल, सांचौर काकरेल के जितनी सारी ब्रीड़ हैं उनके विकास के लिये हम पूरी तरह से सतर्क हैं और हमारे यहां पशुओं की लोकल ब्रीड है। यह वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है हमारे पास जो ब्रीड हैं उनसे दूध का उत्पादन उतना नहीं होता है जितना कि बाहर से आयी हुई ब्रीड्स से होता है। दूध के साधन को नहीं बढ़ायेंगे तो किसानों के आमदनी के साधन नहीं बढ़ पायेंगे। हमने यह कोशिश की है कि हमारे अच्छे डेयरी डेवलपमेन्ट के जो प्रोग्राम हैं ऐसे एरिया में कोशिश करें जिससे दूध की मिकदार बढ़ सके। हम बाहर से जो ब्रीड लाये हैं उनसे जितनी क्रास ब्रीड होगी तो उससे मिल्क की यील्ड बढ़ती है। मिल्क शेड एरियाज हैं वहीं पर क्रास ब्रीडिंग की व्यवस्था करना चाहते हैं। जितनी भी केटल पोपुलेशन है उसके डेढ़ दो परसेन्ट को ही प्रोग्राम टच करते हैं और उसके आधार पर कहते हैं कि प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर मिल्क वृथ बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले 5 वर्ष में 11।। करोड खर्च करके बहुत बढ़े पैमाने पर डेयरी डेवलपमेन्ट का काम हाथ में लेना चाहते हैं। बड़ी डेयरीज स्वीकृत की हैं और चिलिंग प्लान्ट अलग अलग रखे हैं। 11।। करोढ़ खर्च होंगे। किसानों की आमद बढ़े और उनके उत्पादन के अच्छे दाम मिलें। डेयरी फार्म्स की को-ओपरेटिव युनिट्स का निर्माण कर रहे हैं। 3 हजार ऐसे युनिट्स बनाये जावेंगे और अलग-अलग जिलों में अपेक्स ओर्गेनाइजेशन बना कर कान्टेक्ट करेंगे और किसानों की आमद बढाने का प्रयत्न करेंगे।

हम इस सारे कार्यक्रम को गुजरात के अमूल के पैटर्न पर चलाना चाहते हैं।

एक बात और निवेदन कर दूं कि यह कहा गया कि एक के बाद एक विभाग हम खोलते जा रहे हैं। ये सारे विभाग जो हम बना रहे हैं वे अलग-अलग एक दूसरे के पूरक हैं। सबोर्डिनेशन या डुप्लीकेशन नहीं हैं। मान लीजिये एनीमल हस्बेण्डरी विभाग है वह मिल्क डेयरी एरिया वाले एरिया में भी

(श्री शिवचरण माथुर)

काम करेगा और डेयरी विभाग को मदद देगा और दोनों में को-आर्डिनेशन होगा । आज का जमाना स्पेशलाइजेशन का है । देखना यह है कि हम अन्तिम रूप से सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। मुझे भरोसा है कि जिस आधार पर चल कर हम आगे बढ़ने की कल्पना करते हैं उस पर हम आगे बढ़ेंगे इसमें कोई शक नहीं है। केवल बात यह है कि जो भी करें सही वक्त पर सही माने में इम्प्लीमेन्ट करने की चेष्टा करें। इसके लिये विभाग सजग है, जागरूक है।

साथ ही यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि चिलिंग प्लान्ट जल्दी जहां-जहां कायम होने वाले हैं, हो जायेंगे और उनका उपयोग भी जल्दी शुरू हो जावेगा । यह कहा गया कि अगस्त के महीने तक मार्केटिंग की योजना नहीं बनी तो दिक्कत हो जावेगी, वह व्यवस्था भी हो जावेगी।

मैं नहीं कहता कि खामियां रहने ही नहीं देंगे, कुछ खामियां रह सकती हैं और जो खामियां जैसे जैसे नजर आती जावेंगी उनको दूर करने की चेष्टा करते रहेंगे।

एक बात और, इन सारी योजनाओं में हमने यह व्यवस्था भी रखी है कि इनका मिड टर्म इवेल्यूएशन भी हम करते जावेंगे। ऐसा नहीं कि पांच साल तक चलते जावे काफी रुपया भी खर्च हो जाय और फिर सफलता असफलता के लिए पछताते रहें। इवेल्यूएशन में जैसे गलतियां मालूम होंगी हम दूर करते जावेंगे। उनको सुधारते जावेंगे हम इन सारी योजनाओं के बारे में जागरूक हैं और यह प्रयत्न है कि इन सारी योजनाओं को आपके सहयोग से हम पूरी तौर से सफल करें।

शीप पापूलेशन के बारे में भी कहा गया कि एग्जोटिक ब्रीड के लिए एयरकण्डीशन्ड जगह होनी चाहिए, चार चार अंडे खुराक में मिलने चाहिये। मैंने देखा है ऐसा नहीं मिलता। कभी अगर ताकत देने के लिए ब्रीडिंग के वक्त अंडा दे भी दिया जावे तो बुरी बात नहीं है। यह भी आलोचना की गई कि एक जगह रख कर आर्टिफिशियल इन सेमिनेशन के जरिये क्रास ब्रीड ली जाती है। एनीमल्स कम हैं इसलिये अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिये यह रास्ता ठीक है इसलिये सारी बातें सोचकर बहुत संजीदगी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और कहना चाहता हूं कि इस शीप वूल के डवलपमेंट के सम्बन्ध में 86 लाख की पापूलेशन में से 20 लाख को कवर करने की दृष्टि से एक योजना हमने वर्ल्ड बैंक को भेजी है। टेक्निशियन यहां आकर देख भी गये हैं । आशा है वह सहायता हमें मिल जायेगी । अगर यह सहायता मिली तो शीप डवलपमेंट में बहुत बड़ी क्रान्ति आ जावेगी।

एक जगह यह कहा गया कि जो हमारी लोकल वेरायटी है उसको क्रास करने की कोशिश न करें। आज शीप को बाहर की एन्टार्टिक ब्रीड से क्रास करने से अच्छा फायदा होता है। यह प्रयोग के तौर पर ही नहीं, काफी बड़े पैमाने पर करके देख लिया गया है। इससे ऊन की क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों बढ़ती है। इस तरह

(श्री शिवचरण माथुर)

से बढ़ेंगे तो क्वालिटी ऊन के बाजार में भी हम आगे बढ़ सकेंगे।

शीप वूल का मार्केट अभी हम 319 परसेन्ट ही माप आउट कर पाते हैं। इस वर्किंग में कुछ खामियां हैं। कुछ आर्थिक कठिनाइयां भी हैं। इस स्टेट ट्रेडिंग को हम इस तरह से डवलप करने की सोच रहे हैं कि जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन को माप आउट कर सकें। इससे हम शीप्र बीडर्स को भी अधिक से अधिक लाभ देने की चेष्टा करेंगे।

इसके अलावा एक माननीय सदस्या ने जो इस वक्त यहां नहीं हैं, बहुत ही जनरल रिमार्क कर दिया कि हमारे कृषि विभाग में सोइल टेस्टिंग का प्रोविजन नहीं है। ऐसा नहीं है। चार जगह सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। एक मोबाइल टेस्टिंग यूनिट भी है जो जहां जरूरत होती है स्वयं जाते हैं। आज किसान भी जागरूक हो गया है। अपने यहां की मिट्टी को खुद टेस्टिंग के लिये भेज देता है। मैं निवेदन करूं कि प्रति वर्ष 70-80 हजार साइल सेंम्पल टेस्ट किये जाते हैं और किसान को सही तौर से जानकारी दी जाती है। सलाह दी जाती है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि राजस्थान में 1966 से आज तक कैटल पापूलेशन में कमी आई है। मैं समझता हूं कि उन्होंने आंकड़े देखे नहीं हैं। मैं बफेलोज की गिनती बताऊं 66 में जहां इनकी सख्या 4222 हजार थी, 71 में 4692 हजार हो गई। बकरियों की संख्या जहां 66 में 103 लाख थी 71 में 121 लाख हो गई घोड़े 66 में 61972 थे वहां 71 में 72 हजार हो गये।

कैटल की कमी हुई है। शीप पापूलेशन में कुछ कमी हुई है यह जरूर है। पर इसके भी कई कारण हैं। फ्लड है, और हैं।

एक बात चानाना फार्म के बारे में कही गई। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि चानाना फार्म घाटे में चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चानाना फार्म केटिल ब्रिडिंग फार्म है डेयरी फार्म नहीं है जिससे लाभ की कल्पना करें। गायें, जानवरों को रखा जाता है, वे कमाते नहीं हैं। इस लिए वहां पर लाभ होने का सवाल ही नहीं होता है। कोई केटिल ब्रिडिंग फार्म लाभ में चलता हो, मेरे यह समझ में नहीं आता है। घाटे में लगातार जाता है यह बात इसलिए है—केटिल ब्रिडिंग फार्म है, डेयरी फार्म नहीं है।

(विराम)

अन्त में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने घोड़ों के क्रास ब्रिडिंग की बात कही। हार्स के क्रास ब्रिडिंग का कोई प्रोगाम हमारे पास नहीं है। हार्स का क्रास ब्रीडिंग बहुत महंगा पड़ता है सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है और बहुत लिमिटेड दायरे में जरूरत होती है। इसको आर्मी ने हाथ में लिया था चूंकि आर्मी को अच्छे हार्स की आवश्यकता होती है। सरकार का सभी क्षेत्रों में हाथ डालना सम्भव नहीं है। सरकार उसी को हाथ में लेती है, जिसका व्यापक प्रसर हो, आम जनता के हित में हो,

(श्री शिवचरण माथुर)

और ग्राम स्थिति को सुधारने का हो। यह बहुत लिमिटेड दृष्टि से है तो यह कोई बहुत बड़ी प्राबलम नहीं है। अन्त में सबसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने पहली बार बीज की खरीद के सम्बन्ध में अनियमितता का जिक्र किया। वे मेरी बात सुने बिना ही वाक आऊट कर गये। वे सुनना ही नहीं चाहते थे। वे यहां होते तो मैं बताता। सरकार की मंशा किसी बात को छिपाने की नहीं है। यह सही है कि पिछली बार बीजों की खरीद में फाइनेनशियल इर्रेगुलरेटीज हुई है लेकिन सरकार ने नजरन्दाज कर दिया हो, यह बात नहीं है। सरकार ने तुरन्त एक समिति मुकर्रर की और उस समिति ने बहुत डिटेल में जाकर अपनी सिफारिशें की हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि कहां तक दोष है? हम किसी बात को छिपाना नहीं चाहते हैं और पूरी बात बताने की सरकार की इच्छा रहती है।

एक बात तेजी से कही गई। डेढ़ करोड़ की खरीद की गई, मैंने मालूम किया केवल 38 लाख की खरीद हुई थी और वह सरकार ने नहीं की है। किसानों को जरूरत थी और तकाबी के रूप में ली थी सरकार को हानि हो, ऐसी बात नहीं है। डेढ़ करोड़ की बात न होकर कुल 38 लाख का सवाल है। समिति ने जो रिपोर्ट दी है, सरकार उस पर कार्यवाही करना चाहती है। अधिकारियों के खिलाफ कोई बात करने का सवाल आयेगा तो वह भी करेगी लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया कि डिसमिस कर दिया जाय और सदन में आश्वासन चाहते थे। मैं आपको बताऊं जनतन्त्र में ऐसा नहीं होता है· · ·

श्री अजीत सिंह : कार्यवाही हो ही नहीं रही है।

श्री शिवचरण माथुर : सुनना तो चाहिये था वे वाक आऊट कर गये। और कोई बात होती तो मैं जवाब नहीं देता लेकिन सरकार के प्रति उनका आरोप था इसलिए मैं उनकी अनुपस्थिति में जवाब दे रहा हूं। ऐसा न हो कि सरकार ने उत्तर नहीं दिया। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं विभाग के अधिकारियों के बारे में क्योंकि मैं तो अपने आपको कोई टेक्निकल हैन्ड नहीं मानता और जो व्यवहारिकता होगी उसमें विचार करके जो अच्छी बात होगी, उसे अपनाने की कोशिश करेंगे और जो राष्ट्रीय काम हैं उसमें मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करके चलता हूं कि वे सरकार को सहयोग करेंगे और अन्त में धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गौरी शंकर मुनीम : मैं जो निवेदन कर रहा हूं, उसको गौर से सुन लीजिये कृषि का· · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रश्न है?

श्री गौरी शंकर मुनीम : मेरा प्रश्न यह है कि मेरा आज कटौती प्रस्ताव है या नहीं?

(व्यवस्था सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री अजीत सिंह : बीज के बारे में निवेदन किया था जिलों में व्यवस्था हो जायगी· · · · ·

श्री **गौरी शंकर मुनीम** : मेरी बात नहीं सुने जब तक इसे पास न किया जाय··

श्री **हरी सिंह** : जो महत्वपूर्ण सुझाव रखा है उसके लिये माननीय मंत्री जी केटेगोरिकल आश्वासन दें तो बहुत अच्छा होगा। पहले भी सदन में यह प्रश्न उठाया गया था। मुझे खेद है जिस स्प्रिट से गवर्नमेन्ट ने माना और एक एज ए होल माना। उसमें फन्डामेन्टल का कोई प्रश्न ही नहीं है रिसर्च एज ए होल यूनिवर्सिटी को दिया जाय फेज्ड मेनर बाद में जोड़ा गया है। उसने पूरे डिसीजन को ही उल्टा कर दिया है।

श्री **अध्यक्ष** : आप तशरीफ रखिये···।

श्री **हरिसिंह** : यह डिसीजन को ही बदल दें और आज जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने और सैंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो कारसपोन्डेन्स किया है इस संबंध में और माननीयकेन्द्रीय मंत्री जी ने जो निर्देश दिये हैं क्या राजस्थान सरकार वापिस उससे पलटना चाहती है?

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी।

श्री **शिवचरण माथुर** : माननीय उपाध्यक्ष, जी मैंने बहुत स्पष्ट निवेदन किया था कि रिसर्च के बारे में कोई दो राय नहीं है लेकिन जो रिसर्च डिपार्टमेंट कर रहा है उसको नजरन्दाज नहीं कर सकते हैं। उसमें कोर्डिनेशन बैठा सकते हैं। मैं ओपन दिमाग से करना चाहता हूं। सिद्धान्त में मतभेद कहां उठता है? रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिये मैंने अपने स्पष्टीकरण में निवेदन किया है···

श्री **हरि सिंह** : मेरा निवेदन स्पष्ट है··

श्री **उपाध्यक्ष** : I Cannot force him to accede to your demand.

अनुदानों की मांगों पर मतदान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,34 57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,61,91,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

सदन की कार्यवाही दिनांक 26-3-74 के प्रात: 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.48 बजे मंगलवार दिनांक 26-3-74 के प्रात: 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट–1

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

पोल्यूशन की रोकथाम के लए निर्देश

447. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि डी.सी.एम. फैक्ट्री, कोटा का क्लोरीन युक्त पानी निकटवर्ती केसवा नाले में डाला जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि नाले के पानी को परीक्षण हेतु सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, नागपुर को भेजा गया था और इन्स्टीट्यूट ने इस नाले के पानी को मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों के लिए हानिकारक बताया ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की ?

(3) आई एस.आई द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गन्दे पानी को विकार रहित (न्यूट्रलाइज) करने के लिए चम्बल नहर का पानी इस नाले में और डाला जाय इस प्रकार के निर्देश क्या कभी राज्य सरकार ने उक्त फैक्ट्री को दिये ? यदि हां, तो कब और क्या फैक्ट्री ने उक्त आदेशानुसार कार्यवाही की, यदि नहीं तो राज्य सरकार ने उक्त फैक्ट्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(4) प्रदेश पोल्यूशन की रोकथाम के लिए क्या कभी भारत सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

डूंगरगढ़ के तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

448. **श्री रामकिशन (बैर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) डूंगरगढ़ के अभी तबादले पर जाने वाले तहसीलदार के विरुद्ध कितनी शिकायतें एस. डी. ओ., रतनगढ़ जिलाधीश, चूरू, रेवेन्यू बोर्ड और राज्य सरकार के पास कब-कब आई ? इनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन शिकायतों में किस प्रकार के आरोप हैं ? क्या शिकायतों में लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकार के हैं ।

(3) इन शिकायतों की क्या किसी अधिकारी द्वारा जांच की गई है ? यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों नहीं तथा अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या कुछ माह पूर्व तहसीलदार का एक बार तबादला भी हो गया था ? यदि हां, तो उस तबादले को रद्द क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) डूंगरगढ़ के अभी तबादले पर जाने वाले तहसीलदार **श्री भौरीलाल** थे । इनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सूची संलग्न है ।

(2) शिकायतों की प्रतियाँ संलग्न है ।

(राजस्व मंत्री)

(3) जांच की जा रही है । ब्योरा सूची 'ख' में अंकित है।

(4) जी हां, तबादला रद्द नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृत्रिम गर्भादान केन्द्र

449. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ऐसे कितने पशु चिकित्सालय हैं जहां पर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की व्यवस्था है तथा कहां—कहां पर किस-किस नस्ल के सांड रखे हुए हैं और जहां पर इंग्लिश ब्रीड के सांड उपलब्ध हैं उस ब्रीड का नाम, कहां से व कितने में खरीदे गये उन पर प्रति वर्ष औसतन खर्च एवं उनसे कितनी गायों का क्रास किया गया और कितने बछड़े व बछड़ियों की उपलब्धियां प्राप्त कीं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावें।

(2) क्या यह सही है कि ए.आई. सैन्टर, बिलाड़ा में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की व्यवस्था है और यह भी सत्य है कि वहां पर पांच मील के क्षेत्र में यानी ग्राम पंचायत, बिलाड़ा में पंचायत की ओर से सांड एवं पाड़ा नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं है ?

(3) ए. आई. सैंटर, बिलाड़ा में सीमन कहां से आता है व सप्ताह में कितनी बार तथा भेजने की क्या व्यवस्था है व वर्ष भर में कितना खर्चा विभाग को उठाना पड़ता है और इंग्लिश ब्रीड से कितनी गायों का केन्द्र खोलने के बाद से अब तक क्रास किया गया तथा आज पशु पालकों के पास किस किस नस्ल के सांड से कितने बछड़े पशु पालकों के घरों पर उपलब्ध हैं ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करावें।

(4) क्या विभाग प्रत्येक पशु चिकित्सा केन्द्र पर नस्ल वाइज सांड, पाड़े रखना उचित समझती है ? अगर हां, तो कब तक इसकी व्यवस्था कर सकेगी ?

उत्तर

(1) इस प्रकार के 149 पशु चिकित्सालय हैं इन पर सांड अथवा पाड़े नहीं रखे जाते। विदेशी नस्ल जर्सी, हॉलस्टिन ब्राउन-स्विस व रेड डेन के 29 सांड विभिन्न ग्राम आधार योजना व वीर्य संकलन केन्द्रों पर रखे गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सांड आस्ट्रेलिया व अमेरिका से निःशुल्क प्राप्त हुये हैं, केवल रेड-डेन 1,800) रु. में बैंगलोर से खरीदा था। प्रति वर्ष औसतन 5,000) रु. खर्च होता है। इन सांडों से अब तक 36,000) गायों का गर्भाधान करवाया जा चुका है इनसे उत्पन्न बछड़े-बछड़ियों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) जी हां।

(3) जोधपुर में सप्ताह में दो बार बस अथवा रेल से। इसका वार्षिक खर्च करीब 200) रु. है। पशु पालकों के नाम, बछड़ों की संख्या आदि की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) जी, नहीं।

सूची

विदेशी सांडों से सम्बन्धित सूची

ग्राम आधार योजना केन्द्र 1	संख्या 2	नस्ल 3	प्राप्ति विवरण 4
भीलवाडा	1	जर्सी	हीफर प्रोजेक्ट व कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत अमेरिका व आस्ट्रेलिया से निःशुल्क प्राप्त हुए ।
जोधपुर	1	होल्स्टेन	,,
रावतसर	1	क्राउन स्विस	,,
अनूपगढ़	1	जर्सी	,,
सूरतगढ़	2	,,	,,
अलवर	3	,,	,,
जयपुर	5	,,	,,
सीकर	2	(एक जर्सी	,,
		(एक होलस्टेन	,,
कोटा	1	जर्सी	,,
भरतपुर	3	जर्सी	,,
उदयपुर	3	जर्सी	,,
अजमेर	5×1	पांच जर्सी	,,
		एक रेडडेन	इन्डोडेनिश प्रोजेक्ट, बंगलौर खरीदे गये –1,800)रु. प्रति सांड।

योग:– 29 सांड

ग्राम सलूडिया में भूमि का अलाटमेंट

450. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या तहसील नोखा के ग्राम सलूडिया में सन् 1970 में आज तक कोई आराजी भूमि का अलाटमेंट किया गया है ? यदि हां, तो कुल भूमि कितने बीघा थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि, भूमिहीन हरिजनों व भूमिहीन काश्तकारों को नहीं देकर बड़े जमींदारों को अलाट की गई ? यदि हां, तो ऐसे काश्तकारों के अधीन पहले से कितने-कितने बीघा भूमि थी और फिर कितने कितने बीघा भूमि अलाट की गई ? ऐसे व्यक्तियों के नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार गलत ढंग से किए गए अलाटमेंट को खारिज करके भूमिहीन हरिजनों व काश्तकारों को अलाट करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, 65 बीघा।

(2) जी नहीं।

(3) परीक्षण कर उचित आदेश दिए जायेंगे।

मनोरंजन कर की वसूली

451. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि मनोरंजन कर की वसूली के अधिकार राज्य सरकार ने जोधपुर नगर परिषद् से दिनांक 1-4-58 से अपने पास ले लिये थे और उसके घाटे की पूर्ति के लिये परिषद् को राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष रु. 1,08,132 का अनुदान दिया जाता है जो इस कर द्वारा 1958 के पूर्व तीन वर्षों के वास्तविक आय के औसत के लगभग बराबर है ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस समय, राज्य सरकार को उपरोक्त कर से लगभग 17 लाख रुपये की वार्षिक आय होती है ? यदि हां, तो यह सम्पूर्ण राशि जोधपुर नगर परिषद् को अनुदान के रूप में पूर्व नीति अनुसार अब क्यों नहीं दी जाती ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य सरकार को जोधपुर नगर से लगभग 1 लाख रुपये की वार्षिक आय होती है। राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अन्तर्गत राजस्थान की विभिन्न नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर से प्राप्त राजस्व आय का कुछ भाग अनुदान के रूप में वितरित किया जाता है। मौजूदा अनुपात नगरपालिकाओं की तीन वर्ष 1955–56 से 1957–58 तक की औसतन आय में से 4 प्रतिशत का प्रशासनिक व्यय कम किया जाकर दिया जा रहा है। उक्त सम्पूर्ण राशि

(आबकारी मंत्री)
जोधपुर नगर परिषद् को देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

वैसे वर्तमान सत्र में बजट भाषण में इन सभी नगरपालिकाओं को दी जाने वाले अनुदान की राशि को दुगुना करने की घोषणा की गई है।

साहूकारों को लाईसेन्स

452. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1 राजस्थान साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत क्या साहूकार को लाइसेंस लेना आवश्यक है एवं यह प्रावधान कब से कब तक प्रभावशील रहा है या अब भी प्रभावशील है ?

(2) राजस्थान में प्रत्येक जिले में कितने-कितने साहूकारों ने लाइसेंसेज पत्र-प्राप्त कर लिए है, कितने-कितने प्रार्थना-पत्र पेंडिंग हैं, कितनों ने अपने लाईसेंस पुनः रद्द करवा लिए एवं कितनों ने अपने प्रार्थना-पत्र वापिस ले लिए ?

(3) लाइसेंस प्राप्त साहूकार अधिनियम व नियमों के अनुसार अपना अपना हिसाब बराबर अधिकारियों को दे रहे हैं। कितने मामलों में त्रुटि हुई है एवं कितनों ने नियमानुसार अपने अपने वांछित स्टेटमेंट दिए, जिलेवार विवरण बतावें।

उत्तर

(1) जी हां।

साहूकारी का धंधा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राजस्थान साहूकार अधिनियम 1963 के अन्तर्गत लाइसेंस लेना आवश्यक है। उपरोक्त अधिनियम 1 अक्टूम्बर; 1965 से प्रभावशील हुआ है और अब भी प्रभावशील है।

(2) जिलेवार सूचना संलग्न परिशिष्ट 'क' के कालम सं. 3 से 6 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। लाइसेंसीज हिसाब हिसाब नियमानुसार पेश नहीं कर रहे हैं। जिलेवार सूचना संलग्न परिशिष्ट 'क' के कालम 7 व 8 पर पर उपलब्ध है।

साहूकारी लाईसेंस के बारे में सूची

क्र. सं.	जिला	लाईसेंस प्राप्त करने वालों की संख्या	पैन्डिंग प्रार्थना-पत्रों की संख्या	लाईसेंस रद्द करवाने वालों की संख्या	प्रार्थना-पत्र वापिस लेने वालों की संख्या	स्टेटमेंट भेजने में त्रुटि होने वाले मामिलों की संख्या	स्टेटमेन्ट देने वालों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	585	113	—	—	23	562
2.	जयपुर	732	7621	—	60	373	359
3.	सीकर	479	170	—	40	479	—
4.	झुंझुनू	500	3	—	—	500	—
5.	अलवर	868	1300	—	40	—	868
6.	भरतपुर	561	157	10	71	531	20
7.	सवाई माधोपुर	651	1604	54	99	448	149
8.	कोटा	422	39	77	—	139	206
9.	बूंदी	58	26	3	81	10	45
10.	झालावाड़	290	21	7	—	248	35
11.	टोंक	467	107	1	—	442	24
12.	उदयपुर	2488	2698	15	—	—	2473
13.	बांसवाड़ा	525	1	11	86	87	427

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	भीलवाड़ा	9	757	—	3	689	10
15.	डूंगरपुर	679	175	4	—	575	100
16.	चित्तौड़गढ़	618	611	3	6	615	—
17.	जोधपुर	564	20	10	—	50	504
18.	पाली	623	63	5	—	382	236
19.	सिरोही	285	4	41	—	37	207
20.	जालोर	697	19	119	14	525	53
21.	बाड़मेर	565	288	—	71	540	25
22.	जैसलमेर	187	20	—	—	184	3
23.	बीकानेर	68	1	12	—	12	44
24.	चूरू	77	144	—	—	68	9
25.	गंगानगर	643	32	29	—	614	—
26.	नागौर	1418	63	224	410	1144	50
	योग :—	16749	15841	828	981	8715	6409

जिंक स्मेल्टर का दूषित पानी

453. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिंक स्मेल्टर (देबारी-उदयपुर) के दूषित और विषैले रासायनिक पानी के उदयसागर झील के नाले में पड़ने से इस नाले का पानी पशुओं और खेती के लिए घातक सिद्ध हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उदयसागर झील के नाले का पानी दूषित हो जाने के कारण नाले के किनारों के कुओं का पानी भी दूषित हो गया है कि जिसके फलस्वरूप उसका पानी, पशुओं, मनुष्यों और खेती के लिए हानिकारक हो गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त उदयसागर झील के दूषित नाले के वल्लभनगर बांध में गिरने से इस बांध का पानी भी दूषित होता जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि जिंक स्मेल्टर के दूषित रसायनों के पानी को उदयसागर झील के नाले में न पटका जाय—राज्य सरकार इसकी ओर प्रयत्न कर रही है ?

(स्थगित किया गया)

बून्दी जिले का सर्वे

454. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत कुछ वर्षों में बूंदी जिले में खनिज सम्पदा की खोज के लिये सर्वेक्षण किया गया था ?

(2) यदि हां, तो कब कब और कौन कौन से स्थानों का सर्वेक्षण हुआ तथा इन पर क्या क्या सम्पदा कितनी कितनी तादाद में किस किस काम के लिये मिलने के आसार मिले ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में सीमेन्ट के लिये ऐसे भण्डार हैं जो कई वर्षों तक कई कारखानों को चलाने में सक्षम हैं ? यदि हां, तो बूंदी में सीमेन्ट कारखाने को कब तक खोलने का विचार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) हां, बूंदी जिले में लाखेरी, मैरनपुरा और सतुर गांव के निकट सीमेन्ट बनाने के चूने के बड़े भण्डार उपलब्ध है। इस समय लाखेरी के निकट सीमेन्ट बनाने का कारखाना कार्य कर रहा है। मैरनपुरा एवं सतुर के निकट रेल्वे मार्ग नहीं होने के कारण सीमेन्ट बनाने का कारखाना स्थापित नहीं हो पाया है।

बून्दी जिले में खनिज के सर्वे का विवरण

क्र. सं.	स्थान	वर्ष	खनिज का नाम जिसके लिए जांच की गयी	उपलब्ध खनिज की मात्रा	खनिज की उपयोगिता	रिमार्क्स
1.	लौहारपुरा	1954–55	आयरन ओर	अनुमानित भण्डार 25 हजार टन	----	उपलब्ध आयरन ओर निम्न श्रेणी का होने से उपयोग में नहीं किया जा सकता है।
2.	माणकचौक	1954–55	वाईटक्ले	अनुमानित भण्डार दस हजार टन	मकानों की सफेदी के लिये उपयोग में लिया जाता है।	उपलब्ध खनिज में सिलीका की मात्रा अधिक होने से सेरेमिक इन्डस्ट्रीज के काम में नहीं आ सकता है। इस खनिज को अन्य स्थानों पर ले जाने में अधिक खर्चा होने के कारण निर्यात नहीं किया जा सकता है।
3.	इन्द्रगढ़	1956–57	आयरन ओर	---	----	इस खनिज की उपलब्धि बहुत ही कम मात्रा में होने से उपयोग में नहीं लिया जा सकता है।
4.	पगारा	1966–67	बेस मेटल (सीसा, जस्ता, तांबा)	----	----	उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

5.	ऊखर	1966–67	बेमइटीज	सिद्ध किये हुये भण्डार एक हजार टन। अनुमानित भण्डार 656 टन।	यह खनिज पेन्ट बनाने के काम में लिया जा सकता है।	—
6.	असुर	1967–68	सीमेण्ट बनाने योग्य चूने का पत्थर।	सिद्ध किये हुये भण्डार दो करोड़ तेरह लाख टन।	सीमेन्ट बनाने के काम में लिया जा सकता है।	इस क्षेत्र के निकट रेल्वे मार्ग नहीं होने से सीमेन्ट बनाने के उपयोग में नहीं लिया जा सकता है।
7.	मरडरी कारमा क्षेत्र	1968–69	बेस मेटल्स (सीसा, जस्ता, तांबा)	विस्तृत जांच नहीं की गई।	—	विभाग द्वारा ज्योलोजीकल मेपिंग की गई और चट्टानों के नमूने लिये गये जिनकी जांच से पता लगा है कि इस क्षेत्र में जस्ता व तांबा मिलने की सम्भावना है। जी. एस. आई. द्वारा इस क्षेत्र में विस्तृत जांच करने की योजना होने से राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा और अधिक कार्य नहीं किया गया।

व्यास समिति की रिपोर्ट

455. श्री मोठालाल (लालसोट): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने श्री गिरधारीलाल व्यास कमेटी द्वारा पंचायत राज के बारे में पेश की गई सिफारिशों पर अन्तिम विचार कर लिया है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) व्यास कमेटी की सिफारिशों पर यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो अब कब तक ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) श्री गिरधारीलाल व्यास कमेटी द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर अभी अन्तिम विचार नहीं लिया गया है। अतः पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) निर्णय कब तक लिया जावेगा निश्चित नहीं कहा जा सकता।

खाद्यान्न आदेशों में संशोधन

456. श्री मनोहरलाल गुप्ता (कामां): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान खाद्यान्न (जमाखोरी निवारण) आदेश, 1973 में अब तक क्या क्या, कब कब, किस किस प्रकार के संशोधन किये गये और क्यों ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस आदेश के अन्तर्गत किस किस प्रकार के आदेश व अधिसूचनायें कब कब प्रसारित की गई ? कृपया एक तालिका कारणों सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वांछित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग 1 हेतु प्रस्तुत तालिका में इसका उत्तर दिया हुआ है।

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 118।क्र. मं.।द्वारा श्री मनोहर लाल गुप्ता, सदस्य विधान सभा के भाग 1 व 2 की सूची ।

क्रमांक	नाम आदेश	जारी करने की तिथि	आदेश संशोधन आदेश अधिसूचना में जारी करने के कारण
1	2	3	4
1.	अधिसूचना	3–3–73	क्लॉज 5 के अन्तर्गत अधिग्रहण किये गये खाद्यान के क्रय भाव निश्चित करने हेतु ।
2.	राजस्थान खाद्यान्न (जमाखोरी निवारण) संशोधन आदेश, 1973	10–12–73	पूर्व में व्यापारियों के लिये खाद्यान्न संग्रह करने की अधिकतम सीमा निर्धारित न होने से जमाखोरी एवं तस्करी को प्रोत्साहन मिलता था इसलिए इस आदेश द्वारा व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न के स्टाक के 150 क्विन्टल तक रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई ।
3.	खाद्यान्न (जमाखोरी निवारण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1973	9–1–1974	किसी व्यापारी या व्यापारी वर्ग जैसे चांवल एवं दाल मिलें आदि को क्लाज 4 क के प्रावधानों से छूट देने के लिये राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त हुआ ।
4.	अधिसूचना	17–1–1974	दाल एवं चावल मिलों की प्रक्रिया स्वरूप 1500 क्विन्टल की सीमा तक कच्चे माल के रूप में खाद्यान्न संग्रह करने की छूट देने हेतु ।

1	2	3	4
5.	अधिसूचना	7—2—1974	क्लॉज 4 क के अन्तर्गत जिलाधीशों की दिनांक 15—2—74 तक व्यापारियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक खाद्यान्न के संग्रह करने की छूट देने की शक्ति प्रदान करने हेतु जिन्होंने ज्वार/बाजरा राज्य सरकार को लेवी की निर्धारित दरों पर बेचा हो एवं इसके बदले आधी मात्रा में चावल निर्धारित करने की अनुमति चाही हो।
6.	राजस्थान खाद्यान्न (जमाखोरी निवारण) संशोधन आदेश, 1974	11—2—1974	व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न संग्रह करने की निर्धारित सीमा 150 क्विन्टल से बढ़ाकर 500 क्विन्टल करने हेतु ताकि कमी वाले क्षेत्रों में एवं बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धि बढ़ाई जा सके।

भारत पाक युद्ध से फसलों को क्षति

457. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत भारत पाक युद्ध के समय जिला गंगानगर के पाक सीमा से लगे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फसलों की कुल कितनी क्षति हुई ?

(2) इस क्षति का कुल मुआवजा कितना आंका गया ? क्या इस क्षति के लिए केन्द्र सरकार से मुआवजे की मांग की गई ? यदि हां, तो कितना मुआवजा चाहा गया ?

(3) चाहे गए मुआवजे में केन्द्र ने कितनी सहायता दी ? क्या राज्य सरकार ने भी क्षति पूर्ति के लिए कोई धन राशि निश्चित की थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या क्षतिग्रस्त किसानों को मुआवजे की राशि चुकाई गई है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या अब भी मुआवजे की राशि चुकाना शेष है ? यदि हां, तो कितनी ?

(स्थगित किया गया)

शराब की बिक्री

458. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य में शराब की बिक्री बन्द करने पर सरकार को नुकसान होता है ? यदि हां, तो कितनी राशि का ? आमदनी, खर्च, टैक्स के आंकड़े की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राजस्थान में देशी और विदेशी शराब के कितने ठेके हैं ? ग्राम, कस्बे और शहरों के एवं ठेकेदारों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) राज्य सरकार के सामने ऐसी क्या भयंकर समस्या है जिससे राजस्थान में शराब बन्दी नहीं की जा रही है ?

(4) क्या शराब पीने के चलन से गरीब तबके के लोगों को नुकसान नहीं होता ? यदि हां, तो उसे रोकने के क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचियां सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) राज्य में आबकारी से 12 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये फिलहाल शराब बन्दी करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

(4) शराब पीने के चलन से सभी तबके के लोगों को हानि होती है। सरकार ने राज्य की वित्तीय हालत को ध्यान में रखते

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(आबकारी मंत्री)

हुये मद्यनिषेध की ओर निम्न कदम उठाये हैं:—

(1) राज्य के 6 जिलों तथा उदयपुर जिले की 6 तहसीलों में पूर्ण नशा बन्दी लागू की हुई है।

(2) मन्दिरों, स्कूलों, अस्पतालों, मजदूर बस्तियों के समीप देशी शराब की दुकानें नहीं खोली जाती हैं।

(3) राज्य में 9 दिन शुष्क दिवस मनाये जाते हैं।

(4) देशी मदिरा की दुकानों की संख्या में कमी की गई है।

(5) शराब की शक्ति कम की गई है।

(6) देशी शराब की बिक्री के लिये विज्ञापन आदि पर प्रतिबन्ध है।

(7) राज्य में मद्यनिषेध के पक्ष में वातावरण तैयार करने हेतु ऐसी सामाजिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं।

(8) होटलों में (कुछ विशेष होटलों को छोड कर जहां विदेशी पर्यटक ठहरते हैं) शराब पीने पर प्रतिबन्ध है।

(9) औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के वेतन दिवस को उस क्षेत्र की शराब की दुकानें बन्द रखी जाती हैं।

बाडमेर जिले के ग्राम

459. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक है ? प्रत्येक ग्राम का क्षेत्रफल एवं उसकी सन् 71 की जनसंख्या का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों के अधिक क्षेत्रफल होने के कारण यानी बड़े ग्राम होने के कारण उक्त ग्रामों की जनता की सुविधा एवं उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक ग्रामों में विभाजन करना उचित समझती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उनके विभाजन के लिये अभी तक क्या कदम उठाये हैं ?

(3) राज्य सरकार उक्त ग्रामों को अनेक ग्रामों में कब तक विभाजित कर देगी ?

(4) क्या राज्य सरकार अन्तिम तौर से (लेटेस्ट) बाडमेर जिले में भूमि के दुबारा नये बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) के समय उक्त ग्रामों के विभाजन का कार्य हाथ में ले लेगी ?

(स्थगित किया गया)

प्रधान, पंचायत समिति सुमेरपुर के निवास स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था

460. श्री **सज्जनसिंह** (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री सज्जनसिंह)
करेंगे :—

क्या यह सही है कि बंशीलाल बालदिया, प्रधान पंचायत समिति, सुमेरपुर के निवास स्थान तखतगढ में जो टेलीफोन लगाया गया है वह पंचायत समिति के खर्च से लगाया गया और उसके तमाम बिलों का भुगतान भी पंचायत समिति करती है ?

उत्तर

यह सही है कि श्री बंशीलाल बालदिया प्रधान, पंचायत समिति, सुमेरपुर के निवास-स्थान तखतगढ पर अप्रेल, 68 से प्रशासन स्थाई समिति की बैठक दिनांक 19-3-1968 के निर्णय के अनुसार टेलीफोन व्यवस्था उपलब्ध की गई थी। इस टेलीफोन के अप्रेल, 68 से अक्टूबर, 70 तक के बिलों की रकम रु. 1,514.75 पैसे का भुगतान पंचायत समिति द्वारा अपनी निजी आय से किया गया है।

बाद में प्रशासन स्थाई समिति के निर्णयानुसार टेलीफोन बिलों का भुगतान समिति द्वारा न किये जाने पर टेलीफोन कनेक्शन माह अगस्त, 1971 से विच्छेद कर दिया गया है। वर्तमान में श्री बंशीलाल बालदिया, प्रधान पंचायत समिति, सुमेरपुर के निवास स्थान तखतगढ पर पंचायत समिति के व्यय पर कोई टेलीफोन व्यवस्था नहीं है।

पंचायत समिति, झालरापाटन के ट्यूब वैल्स

461. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, झालरापाटन जिला झालावाड़ की लघु सिंचाई योजना में गत वर्ष ट्यूब वैल कहां कहां बनाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? योजना अनुसार ट्यूब वैल्स नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) इस वर्ष ट्यूब वैल कहां कहां बनाने की योजना है ?

(3) उक्त क्षेत्र में गत वर्ष सूखा होने के बावजूद भी बोरिंग मशीनें नहीं देने का क्या कारण था तथा अब इस साल मशीनें कब दी जा रही हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, झालरापाटन जिला, झालावाड़ लघु सिंचाई के अन्तर्गत सहकारी वर्ष 1972-73 पांच नल कूपों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। यह नल-कूप निम्नलिखित ग्रामों में बनाये जाने के लिये आवेदन प्राप्त किये गये थे :—

(1) खानपुरिया (2) जूनाखेड़ा
(3) बनजारी (4) कोटड़ा।

(2) भू-जल विभाग द्वारा ड्रिलिंग रिग उपलब्ध नहीं करा सकने के कारण गत वर्ष नल-कूपों का निर्माण नहीं किया जा सका।

इस वर्ष (सहकारी वर्ष 73-74) में नल-कूपों दस के निर्माण का लक्ष्य है जिसके लिये निम्नांकित ग्रामों के काश्तकारों के

(कृषि मंत्री)

आवेदन प्राप्त किये गये हैं। (1) कोटड़ा (2) गरनावत (3) जूनाखेड़ा (4) गुराड़िया जोगा (5) कुण्डल (6) बिरियां खेड़ी (7) पंचपहाड़ (8) झालावाड़।

(3) गत वर्ष बोरिंग मशीनें सूखाग्रस्त क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में पेय जल की व्यवस्था हेतु एवं सिंचाई के लिये कलस्टर नल-कूप योजना के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र में नल-कूप बनाने में व्यस्त थीं अतः इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। इस वर्ष उपलब्धि के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। भू-जल विभाग से मशीनें उपलब्ध होने पर ही आगे कार्यवाही संभव हो सकेगी।

एप्लाइड न्यूट्रीशन कार्यक्रम

462. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में एप्लाइड न्यूट्रीशन कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश भारत सरकार को भेज दी है? अगर हां, तो कब? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में अब तक कहीं भी एप्लाइड न्यूट्रीशन कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों? अब किस किस पंचायत समिति क्षेत्र में कब तक उपरोक्त कार्यक्रम शुरू करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में एप्लाइड न्यूट्रीशन कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश नहीं की गई है। इस समय 232 पंचायत समितियों में से केवल 39 पंचायत समितियों में ही यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रति वर्ष केवल 2 पंचायत समितियों को ही इस कार्यक्रम में और सम्मिलित करने की योजना है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिये 44 पंचायत समितियों से और मांग आई हुई है जिनमें सांचोर भी एक है। अगले वर्ष के लिये 2 पंचायत समितियों का चयन करते समय सांचोर पंचायत समिति की मांग को भी मद्देनजर रख लिया जावेगा।

(2) जी हां। जालौर जिले की कुल 7 पंचायत समितियों में से केवल सांचोर पंचायत समिति की ही मांग प्राप्त हुई है और जैसा कि ऊपर बताया गया है सांचोर पंचायत समिति की मांग पर भी अग्रिम वर्ष में विचार कर लिया जावेगा।

ग्राम लिखमीसर का वाटर वर्क्स

462. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांव लिखमीसर, तहसील सूरतगढ़ का वाटर वर्क्स कब बनना आरम्भ हुआ तथा क्या इससे एक पाइप लाइन गांव खरलिया को भी जानी थी?

(2) क्या यह वाटर वर्क्स पंचायत समिति, सूरतगढ़ द्वारा बनाया जाना था?

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(3) क्या इस वाटर वर्क्स के निर्माण के लिये ग्राम लिखमीसर और खरलिया ने 12,000 रुपये की राशि जमा करा दी थी ?

(4) क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स आज तक निर्मित नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वाटर वर्क्स को पूर्ण कराने की दिशा में कदम उठायेगी तथा इसी देरी के लिये जिम्मेवार लोगों की जांच करके सजा देगी ?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा ग्राम लिखमीसर व खरलिया में कोई जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं की गई, अतः कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) इस विभाग में कोई राशि जमा नहीं कराई गई।

(4) इस विभाग द्वारा उक्त ग्रामों में कोई जल प्रदाय योजना नहीं बनाई जा रही है, इसलिये पूर्ण कराने व जिम्मेवारी के प्रश्न ही नहीं उठते।

पाली में व्यापारियों को मण्डी के नाम से दी गई भूमि

464. **श्री शंकरलाल (पाली)** : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली नगरपालिका द्वारा सरकार से अधिकृत व स्वीकृत कृषि उपज मण्डी की भूमि से अलग अनाज के व्यापारियों को मण्डी के नाम से भूखण्ड बिना नीलामी रियायती दर पर देने की कार्यवाही की गई ? तत्सम्बन्धित तमाम कागजात की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे कई अनाज के व्यापारी, जिनको यह भूखण्ड एलॉट किए गए उन्होंने मुनाफा लेकर भूखण्ड दूसरों को बेचने की कार्यवाही भी की ? यदि हां, तो उनके नाम व भूखण्डों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी से अलग इस प्रकार के भूखण्डों का आवंटन गलत हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, पाली के भूतपूर्व बोर्ड ने नजूल समिति के निर्णय दिनांक 26-6-68 के अनुसार 48 व्यापारियों को भूखण्ड रु. 1.70 पैसे प्रति वर्ग गज से आवंटित किये, जिसकी सूची संलग्न है

(2) प्रशासक, नगरपालिका, पाली द्वारा यह बताया गया है कि ऐसा कोई व्यापारी ध्यान में नहीं आता कि उसने आवंटित भू-खण्ड को मुनाफ़ा लेकर किसी दूसरे को दिया है, लेकिन माननीय सदस्य एवं प्रश्न कर्त्ता के पत्र दिनांक 27-12-73 के अन्तर्गत इस विभाग को यह सूचित किया गया है कि अनाज के व्यापारी आगे से आगे मुनाफा लेकर जमीन बेचने की तैयारी में हैं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

इस पर तथ्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने दिनांक 29-12-73 को नगरपालिका को यथास्थिति रखने तथा किसी प्रकार की तामीर करने या भूखण्ड को आगे बेचने के लिये रोक दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश दि. 29-12-73 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नगरपालिका से रेकार्ड प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में आगे नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिका पाली द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को विक्रय-पत्र जारी किये गये:—

क्र.सं. प्रार्थी का नाम

1. श्री केवलचन्द गणेशमल
2. भीकमचन्द सम्पतराज
3. सोहनलाल विनयकुमार
4. भीकमचन्द पारसमल
5. पदमचन्द कानमल
6. केवलचन्द पारख
7. छोगमल कान्तीलाल
8. नोरतनमल एण्ड कं.
9. चम्पालाल मगराज
10. बस्तीमल मगराज
11. गुगलिया एण्ड कं.
12. नथमल भण्डारी
13. माणकचन्द पारख
14. नेमीचन्द राजेन्द्रकुमार
15. उगमराज गजराज
16. बख्तावरमल भंवरलाल
17. भूरमल हुकमीचन्द
18. कान्तीलाल हीराचन्द
19. अमरचन्द चम्पालाल
20. फतेहचन्द हणवन्तचन्द
21. चम्पालाल जुगराज
22. घीसूलाल घेवरचन्द
23. धनराज हीरालाल
24. पुखराज खींवराज
25. बींजराज नैनमल
26. मुखराज अमलचन्द
27. देवीचन्द बस्तीमल
28. महावीर आयल इण्डस्ट्रीज
29. सुकनराज फूलचन्द
30. मोतीलाल गौतमचन्द
31. आसूजी केवलचन्द
32. केवलचन्द रूपावासवाला
33. मुल्तानमल सोहनलाल
34. मोतीलाल भंवरलाल
35. घेवरचन्द गौतमराज
36. चुन्नीलाल खींवराज
37. मारवाड दाल मिल
38. मोहनलाल पुखराज
39. देवीचन्द चम्पालाल
40. लालचन्द मिश्रीमल
41. सुकलचन्द घीसूलाल
42. जेठमल मूलचन्द
43. जगदीशचन्द वैंकटलाल
44. हीरालाल बस्तीमल
45. आईदानमल अमोलकचन्द
46. राजाराम मोहनलाल
47. जसराज देवीचन्द
48. भैरूंलाल मुकनचन्द

प्रतिलिपि पत्र सं. एफ. 5 ( ) डी. एल. बी./73/58027 दिनांक 29-12-73 ओर से अवर सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर प्रति प्रशासक, नगरपालिका, पाली।

विषय:—कृषि उपज मण्डी की योजना बाबत।

उपरोक्त विषय पर प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि मामले में जब तक अन्तिम निर्णय न हो स्थिति को यथावत् रखी जावे एवं सम्बन्धित रेकार्ड शीघ्र मय टिप्पणी भिजवावें।

दिगम्बर जैन मंदिर बगरूवालान

465. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद हाउस नं. 7 एच. बी. 3/4 खसरा नम्बर 472-494 हवाली शहर गर्वी स्टेशन रोड, जयपुर एक सार्वजनिक वक्फ अतिया राज भूतपूर्व जयपुर रियासत द्वारा मुफ्त में दी गई आराजी खसरा नम्बर 103 पर निर्मित सार्वजनिक दिगम्बर जैन मन्दिर (बगरूवालान) सरावगियान की सम्पत्ति है ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक अनधिकृत व्यक्ति ने बिना नगर परिषद् की आज्ञा के इस मन्दिर के प्रांगण में होटल का निर्माण कर लिया है और धोखाधड़ी से इस सार्वजनिक सम्पत्ति पर कब्जा करके अवैध निर्माण कराये जाने पर भी उसको नहीं तुड़वाया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि एक सरकारी अधिकारी के प्रभाव में आकर इस सम्बन्ध में बार बार प्रार्थना-पत्र देने पर भी कुछ भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है और इस प्रकार अवैध निर्माण द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति को अकारण नुकसान पहुंचाया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्धी नगर परिषद् के रिकार्ड भी बदले जा रहे हैं ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिये प्रभावी कदम उठा, इस काण्ड में लिप्त सम्बन्धित सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सिटी सर्वे रिकार्ड में खसरा नं. 472 से 494 की मिल्कियत हीरालाल वल्द किशनलाल सरावगी मन्दिर सरावगियान की नसियां माल वक्फ अतितियां रफज दर्ज है।

प्रोपर्टी निजी है या सार्वजनिक इस सम्बन्ध में मुकदमा देवस्थान विभाग में चल रहा है।

(2) जी हां।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नगर परिषद्, जयपुर ने अदालत में चालान किये हैं व पार्टी पर जुर्माना हो चुका है। अनाधिकृत निर्माण कार्य अन्दर अहाता नसीयांजी के है उसे तोड़ने की कार्यवाही परिषद् द्वारा नहीं की गई है। नोटिस आगे के लिए दिया जा चुका है।

(3) जी नहीं। उत्तर प्रश्न के भाग 2 में दे दिया गया है।

(4) जी नहीं।

मामला देवस्थान विभाग में चल रहा है।

पदावनत सहायक रजिस्ट्रार्स

466. **श्री जगमोहनसिंह** (छबड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, फरवरी सन् 74 में विभाग द्वारा कितने सहायक रजिस्ट्रारों को पदावनत किया जाकर इन्सपेक्टर बनाया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सहायक रजिस्ट्रार कितने वर्षों से सहायक रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर रहे थे?

(3) क्या यह सही है कि पदावनत सहायक रजिस्ट्रार्स से काफी जूनियर इन्सपेक्टर्स एवं सहायक रजिस्ट्रार्स को विभाग द्वारा स्थायी कर दिया गया है? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) माह जनवरी-फरवरी, 1974 में 11 अस्थायी सहायक रजिस्ट्रारों को पदावनत किया गया है। सूची संलग्न है।

(2) सूचना संलग्न सूची में अंकित करदी गई है।

(3) जी नहीं।

माह जनवरी, फरवरी, 1974 में पदावनत किये गये सहायक रजिस्ट्रारों की सूची

क्र.सं.	नाम सहायक रजिस्ट्रार	सहायक रजिस्ट्रार के पद पर कार्य करने की अवधि	
		वर्ष	माह
1.	श्री रामस्वरूप सिंह	15	6
2.	श्री चन्द्रशेखर ओझा	7	-
3.	श्री दलीप सिंह मेहता	5	9
4.	श्री रामस्वरूप शर्मा	5	9
5.	श्री गणपतलाल ओझा	12	3
6.	श्री नन्दलाल माथुर	7	-
7.	श्री मांगीलाल शर्मा	7	-
8.	श्री अटलबिहारी माथुर	7	-
9.	श्री रामपाल पोरवाल	7	-
10.	श्री छिद्दासिंह	5	9
11.	श्री चान्दमल पोरवाल	4	6

परिशिष्ट- 2

(अता. प्र. संख्या 339 की तालिका)

कृषि उपज मंडी समिति बीकानेर के आय-व्यय का विवरण

आय	1972-73	1973-74	व्यय	1972-73	जनवरी तक 1973-74
अनुज्ञा-पत्र शुल्क	14700.00	2930.00	सचिव का वेतन	7174.19	4574.19
नवीनीकरण	5700.00	920.00	कर्मचारियों का वेतन	4738.35	7719.06
मंडी शुल्क	11888.05	417457.29	मंहगाई भत्ता	5322.97	6950.10
जमा पर ब्याज	114.08	6744.00	चिकित्सा व्यय	437.28	378.43
ऋण व अनुदान	4000.00	—	अंतरिम सहायता	1478.16	3308.32
लेखन व मुद्रण	230.52	—	मकान किराया	346.89	1304.00
विलम्ब शुल्क	724.49	3605.55	यात्रा व्यय कर्मचारी	793.01	530.60
गत वर्ष का शेष	283.58	—	यात्रा व्यय सदस्यगण	2608 50	3619.05
मंडी परियान	—	500.00	कार्यालय किराया	2541.90	3310.00
विविध	703.00	55.55	डाक तार टेलीफोन	3330.28	1398.60
			जल एवं प्रकाश	361.06	400.85
			पुस्तकें एवं समाचार-पत्र	194.53	312.11
			वर्दियां	99.93	445.34
			लेखन सामग्री	2848.39	953.79
			प्रचार एवं प्रसार	1180.35	1884.30

न्यायालय व्यय	900.00	—
ऋण की किश्त	5000.00	19,000.00
विविध	5553.72	1407.24
बकाया वेतन स्टाफ	6494.17	—
हिन्दी टाइप मशीन	1910.75	—
रेडियो लाउडस्पीकर	2192.49	—
तिजोरी व ग्रालमीरा	1080.00	—
फर्नीचर व फिक्सचर	3576.19	908.21
पंखे व हीटर	1761.00	934.53
घडी व साईकल	332.20	—
नल व्यवस्था	—	1924.61
मयादी खाते में जमा	50,000.00	—
विलम्ब शुल्क वापसी	440.57	—
सचिव का मंहगाई भत्ता	—	1711.37
सचिव का पेन्शन अंशदान	—	2739.07
सचिव का अवकाश वेतन	—	1331.90
भूतपूर्व सचिव श्री नोपाराम का पेन्शन एवं अवकाश वेतन	—	545.78
डुप्लीकेटिंग मशीन	—	2224.20
विलंब शुल्क लौटाया	—	2517.68
मंडी परिज्ञान	—	513.70

कुल आय	145,339.72	4,32,318.72

आवारा पशुओं की देखभाल	—	1595.00
विकास निर्माण कार्य	—	1121.79
विशेष वेतन	—	208.55
व्यय	107694.92	75,832.31
कुल शेष राशि	87644.00	4,42,933.00

परिशिष्ट—3

(अता. प्र. सं. 347 की सूची)

District	1973-74 Allocation	Expenditure upto Feb., 74	Remarks
1. Ajmer	17.84	10.93	
2. Alwar	10.98	9.34	
3. Banswara	10.98	4.75	
4. Barmer	10.98	4.44	
5. Bharatpur	7.98	3.89	
6. Bhilwara	9.16	6.06	
7. Bikaner	11.98	6.82	
8. Bundi	12.58	10.68	
9. Chittorgarh	10.98	8.47	
10. Churu	8-48	6.26	
11. Dungarpur	7.50	4.50	
12. Ganganagar	Nil	Nil	
13. Jaipur	17.73	11.73	
14. Jaisalmer	5.03	2.78	
15. Jalore	11.98	8.12	
16. Jhalawar	10.50	7.85	
17. Jhunjhunu	8.00	7.00	
18. Jodhpur	14.55	10.26	
19. Kota	10.98	7.70	
20. Nagaur	8.63	4.48	
21. Pali	8.98	5.18	
22. S.Madhopur	12.50	10.20	
23. Sikar	10.98	7.91	
24. Sirohi	8.80	5.60	
25. Tonk	14.93	9.11	
26. Udaipur	20.72	12.75	
Total :—	284.50	186.79	

परिशिष्ट 4

(स्थगित अता. प्र. सं. 105 की सूची)

परिशिष्ट–'अ'

क्र.सं.	कारागार का नाम	जन संख्या
1	2	3
1.	केन्द्रीय कारागार, जयपुर (महिला बंदी सुधार गृह सहित)	1079
2.	केन्द्रीय कारागार, जोधपुर	800
3.	केन्द्रीय कारागार, उदयपुर (बाल बंदी सुधार गृह सहित)	646
4.	जिला बन्दीगृह, बीकानेर 'ए' श्रेणी	341
5.	जिला कारागृह, कोटा	290
6.	आदर्श कारागृह, अजमेर 'ए' श्रेणी	274
7.	जिला कारागृह, अलवर ,,	202
8.	जिला कारागृह, गंगानगर ब	200
9.	जिला कारागृह, भरतपुर ब ,,	113
10.	जिला कारागृह, धौलपुर सी	101
11.	जिला कारागृह, टोंक सी	40
		4086

स्पेशल क्लास सब-जेल

1.	विशेष श्रेणी सब-कारागृह, भीलवाड़ा	52

उप-कारागृह

1.	झुन्झुनू	57
2.	झालावाड़	42
3.	सिरोही	40
4.	प्रतापगढ़	32
5.	गंगापुर सिटी	52
6.	सीकर	66
7.	नीमकाथाना	43
8.	चूरू	3

1	2	3
9.	पाली	14
10.	डीग	58
11.	[illegible]	40
12.	बारां	51
13.	वाड़मेर	40
14.	बांसवाड़ा	15
15.	दौसा	9
16.	सांभर	30
17.	बाली	14
18	सवाई माधोपुर	43
19.	डूंगरपुर	25
20.	हिन्डौन	21
21.	नागौर	11
22.	परबतसर	21
23.	मेड़ता	45
24.	भीनमाल	19
25.	बालोतरा	17
26.	सोजत	21
27.	जैतारण	10
28.	अकलेरा	7
29.	छबड़ा	27
30.	बूंदी	42
31.	सादुलपुर राजगढ़	4
32.	रार्यासहनगर	30
33.	हनुमानगढ़	53
34.	आबू रोड	12
35.	कुशलगढ	17
36.	चित्तौडगढ़	22
37.	निम्बाहेड़ा	21
38.	बांदीकुई	12
39.	बहरोड़	37
40.	कोटपूतली	25
41.	जिलडी	7

216

1	2	3
42.	मालपुरा	6
43.	फतेहपुर .	19
44.	बयाना	19
45.	करौली	13
46.	फलौदी	7
47.	डीडवाना	3
48.	सांचोर	4
49.	जैसलमेर	15
50.	रामगंजमंडी	23
51.	ननवा	12
52.	रतनगढ	19
53.	करणपुर	41
54.	भीम	7
55.	कानोड़	11
56.	कोटड़ा	—
57.	मावली	7
58.	राजसमंद	17
59.	गंगापुर (भीलवाड़ा)	—
60.	शाहपुर (भीलवाड़ा)	11
61.	गुलाबपुरा	8
62.	मांडलगढ़	10
63.	छोटी सादड़ी	8
64.	बेगूं	12
65.	कपासन	20
66.	पोकरण	4
67.	भवानी मण्डी	16
68.	सलूम्बर	7
69.	जहाजपुर	2
70.	भादरा	30
		1567 जोड
		4086
		कुल 5653

(217)

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1974)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2	नीचे से 10	रही है, में	रही है, उनमें
3	नीचे से 2	श्री चन्दन मल बद	श्री चन्दन मल बेद
4	ऊपर से 10	हड्ढी	हड्डी
,,	नीचे से 5	बद	बेद
11	नीचे से 13	चाहता	चाहती
20	,, ,, 8	श्री बगाराम	श्री बेगाराम
24	नीचे से 2-1	कार्यवाही हैं,	कार्यवाही के खिलाफ हैं,
25	ऊपर से 14	एक्वीजी न	एक्वीजीशन
30	नीचे से 5-6	कोपरेटिव	कॉआपरेटिव
35	ऊपर से 7	औ स	औसत
36	नीचे से 8	क्यायह है कि	क्या यह सही है कि
37	नीचे से 9	कछ वावा	कछवाहा
38	नीचे से 5	कान्ट्रस	कास्ट्स
41	नीचे से 5	इस प्रकार	इस प्रश्न
47	नीचे से 2	रियर्ट	रिवर्ट
49-50	शीर्ष	के-25 मार्च,	के तारांकित प्रश्नोत्तर-25 मार्च
49	नीचे से 9 व 8	कर घाटा	कर का घाटा
50	ऊपर से 13	स्या	क्या
51	शीर्ष	....	(श्री रामचन्द्र पटेल)
53	ऊपर से 15	संलग्न जा रही	संलग्न की जा रही
67	नीचे से 11	विशमताओं	विषमताओं
72	ऊपर से 13	काजिब	काबिज

218

2

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
82	ऊपर से 16	कुके	चुके
82	नीचे से 2	उद्मोगपति	उद्योगपति
83	ऊपर से 2	बसके	उसके
83	ऊपर से 3	के	—को
85	ऊपर से 13	पूर्दक	पूर्वक
"	नीचे से 8	दे बें !	दे दें।
"	" " 5	को जान	की जान
87	नीचे से 15	में	मैं
90	ऊपर से 14	घाद	बाद
142	ऊपर से 15	बराड़ा	सराड़ा
189	नीचे से 3	सभापती	सभापति
197	नीचे से 11	की	के
218	ऊपर से 3	मैं	में
222	नीचे से 11	एक्स्टेन्वि	एक्सटेन्सिव
244	नीचे से 16	हरीसिंह	हरिसिंह